



भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(राज्य वित्त)



राजस्थान सरकार

**भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

**31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(राज्य वित्त)**

राजस्थान सरकार

विषय सूची

प्राक्कथन		iii
कार्यपालिक सारांश		v
अध्याय I		
राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध		
1.1	प्रस्तावना	2
1.2	वर्ष 2014-15 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश	2
1.3	राज्य के संसाधन	12
1.4	राजस्व प्राप्तियाँ	14
1.5	पूँजीगत प्राप्तियाँ	26
1.6	लोक लेखा प्राप्तियाँ	27
1.7	संसाधनों का उपयोग	28
1.8	व्यय की गुणवत्ता	40
1.9	सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	47
1.10	परिसम्पत्तियाँ और देयताएं	60
1.11	राजकोषीय असंतुलन	68
1.12	ऋण प्रबंधन	73
1.13	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	75
अध्याय II		
वित्तीय प्रबन्ध एवं बजटरी नियंत्रण		
2.1	प्रस्तावना	79
2.2	विनियोग लेखाओं का सारांश	80
2.3	वित्तीय जबाबदेयता एवं बजट प्रबंधन	81
2.4	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	94
2.5	आकस्मिकता निधि से अग्रिम	100
2.6	सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के समक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमिततायें	101
2.7	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	103
अध्याय III		
वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग		
3.1	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	105
3.2	लेखाओं का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना	106
3.3	स्वायत्त निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	107
3.4	विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम	107
3.5	दुर्विनियोजन, हानियाँ, जालसाजी आदि	108
3.6	निजी निक्षेप खाते	109
3.7	लघु शीर्ष 800-‘अन्य व्यय’ के अन्तर्गत पुस्तांकन	110
3.8	पुस्तक समायोजन	111
3.9	प्राप्तियों एवं व्ययों का अंकमिलान	112
3.10	मुख्य उच्चतम लेखाओं के अन्तर्गत बकाया शेष	112
3.11	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	114

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 1.1	राज्य की रूपरेखा	117
परिशिष्ट 1.2	भाग-अ सरकारी लेखे की संरचना एवं स्वरूप भाग-ब वित्त लेखे का खाका	118 119
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर समय श्रेणी आँकड़े	121
परिशिष्ट 1.4	वर्ष 2014-15 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	123
परिशिष्ट 1.5	31 मार्च 2015 को राजस्थान सरकार की सारीकृत वित्तीय स्थिति	127
परिशिष्ट 1.6	2014-15 के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आँकड़े	129
परिशिष्ट 1.7	भारत सरकार द्वारा राज्य के कार्यकारी अभिकरणों को निधियों के सीधे अन्तरण का विवरण-पत्र	132
परिशिष्ट 1.8	वर्ष 2014-15 के दौरान वृहद एवं मध्यम सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम	135
परिशिष्ट 1.9	विभाग द्वारा नियंत्रित वाणिज्यिक/अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों का सारीकृत वित्तीय विवरण-पत्र	136
परिशिष्ट 1.10	संस्थाओं/संगठनों द्वारा नहीं चुकाये गये उधारों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र	137
परिशिष्ट 1.11	भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण का ब्यौरा	138
परिशिष्ट 1.12	भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों का शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र	139
परिशिष्ट 2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ आधिक्य व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं साथ ही कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक था	140
परिशिष्ट 2.2	व्यय की अधिकता (जहाँ अंतिम त्रैमास में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं साथ ही कुल व्यय के 30 प्रतिशत से अधिक था)	143
परिशिष्ट 2.3	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ बचत प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ से अधिक एवं साथ ही कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी	149
परिशिष्ट 2.4	विभिन्न अनुदानों का विवरण-पत्र जहाँ वर्ष 2012-15 के दौरान निरन्तर बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं साथ ही कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक थी	150
परिशिष्ट 2.5	प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	154
परिशिष्ट 2.6	निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अन्तिम आधिक्य/बचत ₹ एक करोड़ से अधिक था)	155
परिशिष्ट 2.7	31 मार्च 2015 को ₹ 20 करोड़ से अधिक की बचतों के अभ्यर्पण के प्रकरण	157
परिशिष्ट 2.8	₹ एक करोड़ से अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण पत्र	159
परिशिष्ट 2.9	एक मुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ अभ्यर्पण प्रत्येक प्रकरण में ₹ 15 करोड़ से अधिक तथा साथ ही कुल बजट प्रावधानों के 50 प्रतिशत से अधिक था)	160
परिशिष्ट 2.10	वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण का विवरण (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक)	164
परिशिष्ट 2.11	प्रावधान के विरुद्ध कोई व्यय नहीं होने का विवरण-पत्र	165
परिशिष्ट 2.12	वर्ष 2014-15 तक बकाया विस्तृत आकस्मिक बिलों की स्थिति	167
परिशिष्ट 3.1	30 जून 2015 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	169
परिशिष्ट 3.2	निकायों एवं प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	170
परिशिष्ट 3.3	स्वायत्त निकायों के निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	172
परिशिष्ट 3.4	विभागीय वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में सरकारी निवेश एवं लेखाओं के अंतिमीकरण का विवरण-पत्र	173
परिशिष्ट 3.5	दुर्विनियोजन चोरी/हानि इत्यादि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार/अवधिवार विभाजन (प्रकरण जहाँ जून 2015 के अन्त तक अन्तिम कार्यवाही लंबित थी)	174
परिशिष्ट 3.6	सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	175
परिशिष्ट 3.7	वर्ष 2010-15 के दौरान असंचालित रहे निजी निक्षेप खातों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र	176
परिशिष्ट 3.8	मुख्य शीर्ष '8658-उच्चत लेखे' के अन्तर्गत बकाया शेष	177
परिशिष्ट 4.1	पदों की पारिभाषिक शब्दावली	178

प्राक्कथन

- यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
- इस प्रतिवेदन के अध्याय I और II में 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्रमशः सरकार के वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं। जहाँ कहीं आवश्यक था राजस्थान सरकार से भी सूचना प्राप्त की गई है।
- अध्याय III 'वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग' चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना के विहंगम दृश्य एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।
- निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न विभागों में लेनदेनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और सांविधिक निगमों, मण्डलों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आक्षेपों और राजस्व प्राप्तियों पर आक्षेपों से युक्त प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं।

कार्यपालिका सारांश

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राजस्थान सरकार के अंकेक्षित लेखों के आधार पर राज्य सरकार के वित्त का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का आंकलन सरकार के राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, बजट दस्तावेजों, वर्ष 2014-15 की आर्थिक समीक्षा, तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन तथा विभिन्न सरकारी विभागों एवं संगठनों से प्राप्त किये गये अन्य वित्तीय आँकड़ों के आधार पर किया गया है।

प्रतिवेदन

प्रतिवेदन को तीन भागों में बाँटा गया है।

अध्याय I वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं 31 मार्च 2015 को राजस्थान सरकार की राजकोषीय स्थिति का आंकलन करता है। यह प्राप्तियों, व्यय की प्रवृत्तियों, उधार के पैटर्न इत्यादि की जानकारी देता है।

अध्याय II विनियोग लेखे पर आधारित है तथा यह विनियोगों का अनुदान-दर-अनुदान विवरण एवं सेवा प्रदाता विभागों द्वारा उन्हें आवंटित संसाधनों का जिन तरीकों से प्रबन्ध किया गया, को दर्शाता है।

अध्याय III राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों की अनुपालना का विवरण है।

प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किये गये अतिरिक्त आँकड़ों का **परिशिष्ट 1.1** भी दिया गया है। अन्त में दिए गए **परिशिष्ट 4.1** में इस प्रतिवेदन में उपयोग में लिये गये राज्य अर्थव्यवस्था से संबंधित चयनित पदों की पारिभाषिक शब्दावली दी गयी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं सिफारिशें

राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध

निरन्तर दूसरे वर्ष के लिए भी, राज्य सरकार राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (एफआरबीएम) अधिनियम में प्रतिपादित शून्य राजस्व घाटा के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रही। वर्ष 2014-15 के दौरान, राजस्व घाटा वर्ष 2013-14 के ₹ 1,039 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,215 करोड़ हो गया। राज्य सरकार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत के भीतर रखने में विफल रही जैसाकि एफआरबीएम अधिनियम में दिया गया है तथा वर्ष 2014-15 के अंत तक, राजकोषीय घाटा ₹ 19,000 करोड़ (जीएसडीपी का 3.31 प्रतिशत) था। इसके आगे, प्रारम्भिक घाटा (₹ 8,537 करोड़) भी गत वर्ष की तुलना से ₹ 2,411 करोड़ बढ़ा।

वर्ष 2014-15 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमानों में ₹ 738 करोड़ के राजस्व अधिशेष को प्राप्त करने के परिप्रेक्ष्य में, राजस्व व्यय के लिए ₹ 1,05,387 करोड़ तथा राजस्व प्राप्तियों के लिए ₹ 1,06,125 करोड़ अनुमानित किये गए। यह पाया गया कि वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 94,542 करोड़ (अनुमानों से 10.3 प्रतिशत कम) एवं वास्तविक प्राप्तियों ₹ 91,327 करोड़ (अनुमानों से 13.9 प्रतिशत कम) रही, जिससे राजस्व घाटा हुआ। बकाया ऋण में गत वर्षों से तीव्र वृद्धि हुई, जो वर्ष 2010-11 के अंत से ₹ 99,285 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 के अंत तक ₹ 1,47,609 करोड़ हो गया जोकि वर्ष 2014-15 में प्रतिशतता के रूप में जीएसडीपी का 25.7 प्रतिशत था तथा यह एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित 36.5 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर था। तथापि, वार्षिक वृद्धिजन्य उधार (₹ 17,699 करोड़) भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (₹ 17,035 करोड़) से अधिक थे।

राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2010-11 के ₹ 45,928 करोड़ से वर्ष 2014-15 में ₹ 91,327 करोड़ भारी वृद्धि के साथ बढ़ी। राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर गत वर्ष के 11.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान 22.6 प्रतिशत (₹ 16,856 करोड़) थी। यह वृद्धि मुख्यतः भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान में गत वर्ष के 21.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 में 124.2 प्रतिशत (₹ 10,863 करोड़), भारत सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राज्य की समेकित निधि के माध्यम से कार्यकारी अभिकरणों को उल्लेखनीय निधियों के हस्तांतरण के कारण से रही। राजस्व प्राप्तियों में कर-राजस्व का हिस्सा वर्ष 2010-11 के 45.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 42.3 प्रतिशत रह गया।

यद्यपि, राज्य का समग्र राजस्व व्यय वर्ष 2010-11 के 44,873 करोड़ से 111 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 94,542 करोड़ हो गया, जबकि इसका कुल व्यय में हिस्सा 89.1 से गिरकर 84.9 प्रतिशत हो गया। तथापि, राजस्व व्यय में गत वर्ष के 19 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो व्यय पर नियंत्रण में कमियों को इंगित करती है। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय वर्ष 2010-11 के ₹ 36,121 करोड़ के उस अवधि की तुलना में 2014-15 में ₹ 67,098 करोड़ समान रूप से बढ़ा एवं गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत वृद्धि के बाद राजस्व व्यय का 71 प्रतिशत रहा। वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सहाय्य का व्यय 2010-11 के ₹ 29,317 करोड़ से 78 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 52,216 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान, इसमें गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इच्छित सीमाओं के भीतर राजकोषीय परिमाणों से समाहित प्राप्तियों एवं व्ययों के अनुमान अधिक वास्तविक होने चाहिए एवं राज्य सरकार का सह प्रयास होना चाहिए कि व्यय को बजट अनुमानों के भीतर ही रखें। व्यय पर नियमित नियंत्रण एवं प्राप्तियों का प्रबन्धन आवश्यक है।

सरकार द्वारा विशिष्ट कार्यों एवं उद्देश्यों के लिये विभिन्न प्रकारों के उपकर लगाये जाते हैं। इनकी पारदर्शिता के उद्देश्य से, इनके आगमों को चिह्नित निधि को हस्तांतरित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उद्देश्यों हेतु लगाये गये उपकर को लागू करने एवं अनुसरणीय कार्यवाही में अनियमितताएँ पाई गईं।

बजट उद्घोषणा वर्ष 2008-09 में लगाये गये पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 तक ₹ 300.51 करोड़ एकत्रित किये गए। तथापि, वर्ष 2012-13 तक इसे समेकित निधि से लोक लेखे में हस्तांतरित नहीं किया गया एवं वर्ष 2014-15 के अन्त तक मात्र ₹ 51.58 करोड़ व्यय किये गए।

राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा की शर्तें अधिनियम) नियम, 2009 के अन्तर्गत राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार निधि स्थापित की गई थी तथा राज्य सरकार द्वारा ₹ 942.66 करोड़ एकत्रित किये गए। तथापि वर्ष 2010-15 के दौरान मात्र ₹ 70 करोड़ व्यय किये गए। इन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा मण्डल को उपकर का हस्तांतरण निर्धारित अवधि के बाद भी किया गया।

‘राजस्थान वित्त अधिनियम, 2009’ के माध्यम से जल संरक्षण उपकर लगाया गया। वर्ष 2009-15 की अवधि के दौरान, तीन विद्युत् वितरण कम्पनियों द्वारा उपकर के रूप में ₹ 841.82 करोड़ वसूले गए। तथापि, इसमें से ना तो निधि बनाई गई ना ही व्यय किया गया।

विभिन्न उपकरों की प्राप्तियों को लम्बी अवधि तक समेकित निधि/लोक लेखे में रखना राजस्व व्यय एवं राजस्व घाटे को कम करके दिखाने में परिणित हुई।

राज्य सरकार को उपकर की उचित वसूली एवं इसे समय पर चिह्नित निधियों में हस्तांतरण तथा वांछित उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के विक्रय, नियमितीकरण एवं भूमि रूपान्तरण तथा नगरीय निर्धारण शुल्क के माध्यम से समेकित निधि में जमा कराये गए राजस्व के साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखों की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य की समेकित निधि के सम्बन्धित शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 230.17 करोड़ कम जमा कराये गए। यह राजस्थान सरकार (राजस्व विभाग) के आदेश (8 दिसम्बर 2010) तथा नगरीय आवास एवं विकास विभाग के आदेशों (31 मई 2012 एवं 21 जून 2012) का उल्लंघन था, जिसके अनुसार भूमि के विक्रय के अन्तर्गत वसूले गए राजस्व का 20 प्रतिशत, नियमितीकरण एवं रूपान्तरण शुल्क के अन्तर्गत वसूले गए राजस्व का 40 प्रतिशत तथा नगरीय निर्धारण शुल्क के अन्तर्गत वसूले गए राजस्व का 60 प्रतिशत, सरकारी लेखों के सम्बन्धित शीर्षों में जमा कराया जाना चाहिये था।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के अतिरिक्त तकनीकी मार्गदर्शन एवं अधीक्षण (टीजीएस) का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया (फरवरी 2011 में)।

टीजीएस के अनुसरण में, हमारे द्वारा सभी स्थानीय निकायों के लेखों को तैयार करने और उनके प्रमाणीकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। यह पाया गया कि मार्च 2015 तक, राजस्थान पंचायती राज नियमों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं

के लेखे मुख्यतः पारम्परिक प्रारूपों में रखे जा रहे थे। राज्य सरकार अप्रैल 2011 से, भारत सरकार के निर्देशानुसार, साधारण लेखांकन प्रारूप 2009 के अनुसार लेखों का संधारण, प्रतिरूप लेखांकन पद्धति 'पंचायती राज संस्थान लेखांकन सॉफ्टवेयर (पी आर आई ए सॉफ्ट)' में करने में विफल रही। नगरीय स्थानीय निकायों में लेखांकन का उपार्जित पद्धति में परिवर्तन की स्थिति स्पष्ट एवं जाँचने योग्य नहीं पाई गई थी।

टीजीएस में पाया गया कि विभिन्न स्थानीय निकायों यथा पंचायती राज संस्थानों, नगरीय स्थानीय निकायों, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल आदि के लेखे, निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा सामान्य रूप से प्रमाणित नहीं किये जा रहे थे।

स्थानीय निकायों में लेखांकन पद्धति का सुदृढिकरण होना चाहिए। राज्य सरकार को लेखों को समय पर तैयार करने एवं प्रस्तुत करने तथा उनका प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना चाहिये।

तेरहवें वित्त आयोग (2010-15) की सिफारिशों के अनुसरण में, भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को ₹ 12,950 करोड़ का सहायतार्थ अनुदान आवंटित किया गया। तथापि, वास्तविक जारी राशि ₹ 12,270.80 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा ₹ 12,352.66 करोड़ का व्यय किया गया। पाँच विभागों (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विधि एवं विधिक मामलात्, तथा जल संसाधन विभागों) जो उल्लेखनीय सहायतार्थ अनुदान प्राप्त कर रहे थे, के दस्तावेजों की नमूना जाँच में ₹ 539.32 करोड़ के अनुदानों से वंचित रहने/अप्राप्ति सहित इनके जारी करने एवं उपयोग में अनियमितताएँ पाई गई।

राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा वित्त आयोग के अधीन जारी की जाने वाली अनुदानों एवं उनके उपयोग में अनुश्रवण कर अधिक तत्परता से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुदानों का उपयोग वांछित उद्देश्यों हेतु समय पर एवं प्रभावी रूप से किया जा रहा है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, सरकार द्वारा ₹ 4,391.59 करोड़ सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों एवं सहकारी संस्थाओं आदि में निवेश किया गया। इसमें से, ₹ 3,959.21 करोड़, हानि उठा रहे पाँच सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों; चार विद्युत् कम्पनियों तथा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को सम्मिलित करते हुये, निवेशित किये गये। यद्यपि, गत पाँच वर्षों के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 18,376.02 करोड़ निवेशित किये गये, सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में किये गये निवेश पर औसत प्रतिलाभ 0.5 प्रतिशत से कम रहा। जबकि, सरकार द्वारा वर्ष 2010-15 के दौरान अपने उधारों पर 7.7 प्रतिशत का औसत ब्याज चुकाया।

राज्य सरकार के लिये यह परामर्श होगा कि निवेश किये गये धन की उचित प्राप्ति सुनिश्चित करे, अन्यथा उच्च लागत पर ली गई उधार निधियाँ, कम वित्तीय प्रतिफल वाली परियोजनाओं में, लगातार निवेशित होती रहेगी।

वित्तीय प्रबन्ध एवं बजटरी नियंत्रण

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 1,39,053.78 करोड़ के कुल अनुदानों एवं विनियोगों के समक्ष ₹ 1,19,784.79 करोड़ की राशि व्यय हुई एवं ₹ 19,268.99 करोड़ की बचतें रही। 14 प्रकरणों में ₹ 1,168.36 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

विभाग द्वारा ₹ 19,109.93 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को अभ्यर्पित किये जिससे इन निधियों का उपयोग अन्य विकास सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। चार प्रकरणों में, ₹ 110 करोड़ वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पित किये गये। एक विनियोग (प्रभारित व्यय के अन्तर्गत लोक ऋण-पुनर्भुगतान) में आधिक्य व्यय ₹ 3.15 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 15.29 करोड़ अभ्यर्पित किये गये। 89 प्रकरणों में, ₹ 7,197.35 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹ 5,237.77 करोड़ (72.8 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे।

कुछ अनुदानों में प्राप्तियों एवं व्ययों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि (i) वन विभाग में, वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान समग्र राजस्व व्यय गत वर्षों की तुलना में 17 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत से बढ़ा, जबकि वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान पूंजीगत व्यय गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 47 प्रतिशत से बढ़ा तथा 20 प्रतिशत से कम हुआ, (ii) शिक्षा विभाग में, वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान समग्र राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत तथा 22 प्रतिशत से बढ़ा, जबकि वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान पूंजीगत व्यय गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 63 प्रतिशत तथा 19 प्रतिशत से कम हुआ।

नियंत्रण/संवितरण अधिकारियों को आवंटित निधियों के आवश्यकता के अनुसार समुचित उपयोग के लिए स्वीकृत आवंटन के समक्ष व्यय की प्रगति हेतु नजदीकी एवं निरन्तर निगरानी रखनी चाहिये। उन्हें मासिक व्यय नियंत्रण तथा अनुश्रवण प्रक्रिया को भी विशेष रूप से सुदृढ़ बनाना चाहिये।

सभी विभागों को व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये वास्तविक बजट अनुमान प्रस्तुत करने के प्रयास करने चाहिये ताकि वर्ष के अन्त में बड़े पैमाने पर होने वाले आधिक्य/बचत, पुनर्विनियोजन एवं अभ्यर्पण से बचा जा सके एवं उनका अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में प्रभावी रूप से उपयोग हो सके।

30 जून 2015 तक ₹ 288.93 करोड़ के 368 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के समक्ष विस्तृत आकस्मिक बिल बकाया थे।

सारांशीकृत आकस्मिक बिलों से आहरित किये गये अग्रिमों का निर्धारित अवधि में समायोजन करने के लिये प्रभावी अनुश्रवण प्रक्रिया लागू की जानी चाहिये।

₹ 27,268.51 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 14,075.99 करोड़ की राशि (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 30 प्रतिशत से भी अधिक) वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में व्यय किये गये। इसमें से, ₹ 9,888.46 करोड़ अकेले मार्च 2015 में व्यय किये गये, जिससे वर्ष के अन्त में व्यय की प्रचुरता रही।

वर्ष के अन्त में किये जाने वाले व्यय के आधिक्य की वजह से सम्बद्ध गुणवत्ता में होने वाले नुकसान को टालने के लिये विभाग को व्यय की प्रगति का वर्ष पर्यन्त ध्यानपूर्वक अनुश्रवण करना चाहिये।

वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग

विभागों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिये स्वीकृत की गयी ₹ 22.20 करोड़ की अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं करना समुचित अनुश्रवण के अभाव को इंगित करता है। नमूना जाँच में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (₹ 16.23 करोड़) तथा परिवार कल्याण विभाग (₹ 5.20 करोड़) के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं करने के मामले ध्यान में आये।

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के निर्धारित समय में प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने हेतु ऐसे कारकों की पहचान की जानी चाहिए जिनके कारण प्रस्तुतीकरण में रूकावट आती है।

स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों द्वारा लेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना पाया गया। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन लेखापरीक्षा योग्य 38 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के संबंध में लेखे पिछले एक से ग्यारह वर्षों से बकाया थे।

लेखों के बकायों के निर्धारित समय सीमा में निपटान हेतु नियंत्रक विभागों को स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए एवं उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।

राशि ₹ 56.81 करोड़ की राशि के सरकारी धन के दुर्विनियोजन, चोरी एवं हानि के 908 बकाया प्रकरणों में से, ₹ 22.22 करोड़ के 261 प्रकरणों में विभागीय प्रक्रिया एवं आपराधिक जाँच बकाया थी। आगे, ₹ 29.42 करोड़ के 569 प्रकरणों में वसूली/अपलेखन के आदेश भी प्रतीक्षित थे जो जवाबदेयता निर्धारित करने में सरकार की पहल की कमी को इंगित करते हैं।

जालसाजी एवं दुर्विनियोजन के सभी प्रकरणों में विभागीय जाँच शीघ्रता से निबटानी चाहिये। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

अध्याय I

राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध

राज्य की रूपरेखा

राजस्थान, भौगोलिक भू-भाग (342.24 हजार वर्ग किलोमीटर) की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा जनसंख्या की दृष्टि से आठवां राज्य है। यह देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है। राज्य की वर्ष 2001 की जनसंख्या जो कि 5.65 करोड़ थी वर्ष 2011 में 21.3 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज करते हुये 6.85 करोड़ हो गई, जबकि राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 17.7 प्रतिशत थी। (परिशिष्ट 1.1)। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 21.7 था जो कि सम्पूर्ण भारत के औसत 29.5 प्रतिशत से कम था। वर्ष 2014-15 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान मूल्यों पर ₹ 5,74,549 करोड़ (अग्रिम अनुमान) था। इसी अवधि के दौरान साक्षरता दर 60.4 प्रतिशत (2001 की जनगणना) से बढ़कर 66.1 प्रतिशत (2011 की जनगणना) हो गई जो कि सम्पूर्ण भारत के औसत 73 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशतता बिन्दु कम थी। 2014-15 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय ₹ 72,156¹ रही । राज्य से सम्बन्धित सामान्य आँकड़ें परिशिष्ट 1.1 में दिये गये हैं।

जीएसडीपी, किसी निर्धारित समयावधि में अधिकारिक रूप से मान्य राज्य में अंतिम रूप में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य की जीएसडीपी में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि यह राज्य की आबादी के जीवन स्तर को इंगित करती है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एवं राज्य की जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर की प्रवृत्ति को तालिका 1.1 में इंगित किया गया है:

तालिका 1.1: वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी एवं जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भारत की जीडीपी [#] (₹ करोड़ में)	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807	उपलब्ध नहीं
जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	18.7	15.8	11.9	11.5	उपलब्ध नहीं
राज्य की जीएसडीपी* (₹ करोड़ में)	3,38,348	4,14,179	4,70,178 ²	5,17,615 ³	5,74,549 ⁴
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	27.3	22.4	13.5	10.1	11.0

स्रोत: # केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय एवं

* आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

1 स्रोत: आर्थिक समीक्षा, राजस्थान सरकार

2 प्रावधिक अनुमान

3 त्वरित अनुमान

4 अग्रिम अनुमान

राजस्थान ने वर्ष 2010-13 की अवधि के दौरान भारत की जीडीपी की वृद्धि दर की तुलना में अधिक जीएसडीपी वृद्धि दर प्राप्त की तथा इसके उपरान्त जीएसडीपी में वृद्धि भारत की जीडीपी से कम रही। वर्ष 2010-14 की अवधि के दौरान जीएसडीपी ने वृद्धि दर में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाया तथापि, 2014-15 के दौरान वृद्धि दर में सुधार हुआ।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान सरकार के वित्त प्रबन्ध के व्यापक परिदृश्य को प्रस्तुत करता है तथा गत पाँच वर्षों की सभी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय समग्रों में दृष्टिगत् परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। राज्य सरकार के वार्षिक लेखों में वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे शामिल होते हैं। वित्त लेखाओं का नया प्रारूप वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ किया गया, जो कि दो खण्डों में विभाजित कर (खण्ड I में सरकार के सारांशीकृत वित्तीय विवरण तथा खण्ड II में विस्तृत वित्तीय विवरण है) 2015 में संशोधित किया गया जैसाकि **परिशिष्ट 1.2 (भाग अ)** एवं **परिशिष्ट 1.2 (भाग ब)** में सारांशीकृत दर्शाया गया है।

1.2 वर्ष 2014-15 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

तालिका 1.2 गत वर्ष (2013-14) की तुलना में चालू वर्ष (2014-15) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय संव्यवहारों के सारांश को प्रस्तुत करती है, जबकि **परिशिष्ट 1.4** चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.2: वर्ष 2014-15 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	संवितरण				
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	
अनुभाग-अ: राजस्व					
कर राजस्व	33,477.70	38,672.94	सामान्य सेवायें	23,339.22	27,868.15
कर-भिन्न राजस्व	13,575.25	13,229.50	सामाजिक सेवायें	31,486.09	37,753.39
संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा	18,673.07	19,816.97	आर्थिक सेवायें	20,435.59	28,920.34
भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	8,744.36	19,607.50	सहायतार्थ-अनुदान एवं अंशदान	248.69	0.09
योग अनुभाग-अ राजस्व प्राप्तियाँ	74,470.38	91,326.91	योग अनुभाग-अ राजस्व व्यय	75,509.59	94,541.97
अनुभाग-ब : पूँजीगत एवं अन्य					
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	10.27	14.57	पूँजीगत परिव्यय	13,664.66	16,102.69
कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	315.53	1,004.44	संवितरित कर्जें तथा अग्रिम	811.21	700.78
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	14,491.44	18,140.82	लोक ऋण की पुनर्दायगी *	4,115.62	4,960.04
आकस्मिकता निधि	-	300.00	आकस्मिकता निधि	-	300.00

	प्राप्तियाँ		संवितरण		
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	
लोक लेखा प्राप्तियाँ ⁵	1,07,978.58	1,26,382.20	लोक लेखा संवितरण ⁵	1,05,605.40	1,22,060.62
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	12,886.72	10,446.44	अन्तिम रोकड़ शेष	10,446.44	8,949.28
योग अनुभाग-ब प्राप्तियाँ	1,35,682.54	1,56,288.47	योग अनुभाग-ब संवितरण	1,34,643.33	1,53,073.41
महा योग (अ+ब)	2,10,152.92	2,47,615.38	महा योग (अ+ब)	2,10,152.92	2,47,615.38

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

* मार्गोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल संव्यवहारों के अलावा

वर्ष 2014-15 में राजकोषीय संचालन के मुख्य बिन्दुओं को नीचे दिया गया है:

- राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में ₹ 16,856.53 करोड़ (22.6 प्रतिशत) की वृद्धि, भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान: ₹ 10,863.14 करोड़ (124.2 प्रतिशत), स्व-कर राजस्व: ₹ 5,195.24 करोड़ (15.5 प्रतिशत) एवं संचयी करों एवं शुल्कों में राज्यांश: ₹ 1,143.90 करोड़ (6.1 प्रतिशत) के कारण हुई जो कि कर-भिन्न राजस्व: ₹ 345.75 करोड़ (2.5 प्रतिशत) में कमी से प्रतिसंतुलित हुई। तथापि, राजस्व प्राप्तियाँ मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस) 2014-15 में किये गये आंकलन से ₹ 14,798 करोड़ कम रही।
- राजस्व व्यय में ₹ 19,032.38 करोड़ (25.2 प्रतिशत)⁶ की कमी मुख्यतः सामान्य सेवा क्षेत्र में ₹ 4,528.93 करोड़ (19.4 प्रतिशत), सामाजिक सेवा क्षेत्र में ₹ 6,267.30 करोड़ (19.9 प्रतिशत) एवं आर्थिक सेवा क्षेत्र में ₹ 8,484.75 करोड़ (41.9 प्रतिशत) के अन्तर्गत हुई। राजस्व व्यय वर्ष के लिए एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 10,845 करोड़ कम रहा।
- पूँजीगत परिव्यय में ₹ 2,438.03 करोड़ (17.8 प्रतिशत) की वृद्धि सामाजिक सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 1,286.81 करोड़ (28.3 प्रतिशत) से, आर्थिक सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 951.86 करोड़ (10.8 प्रतिशत) से एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 199.36 करोड़ (59.6 प्रतिशत) से हुई।
- लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं लोक ऋण की पुनर्अदायगी (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अलावा) में क्रमशः ₹ 3,649.38 करोड़ (25.2 प्रतिशत) एवं ₹ 844.42 करोड़ (20.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं संवितरण में क्रमशः ₹ 18,403.62 करोड़ (17 प्रतिशत) एवं ₹ 16,455.22 करोड़ (15.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- रोकड़ शेष में ₹ 1,497.16 करोड़ (14.3 प्रतिशत) की कमी हुई।

⁵ तालिका 1.2 में लोक लेखा प्राप्तियाँ/संवितरण की राशि सकल आधार पर दर्शाई गई है, जबकि अन्य तालिकाओं/पैराग्राफों में इन्हें शुद्ध आधार पर दर्शाया गया है।

⁶ इसमें सहायतार्थ-अनुदान एवं अंशदान में रही ₹ 248.60 करोड़ की कमी शामिल है।

1.2.1 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबन्धन सुनिश्चित करने के इरादे से राजवित्तीय स्थिरता को बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (एफआरबीएम) अधिनियम' 2005 अधिनियमित किया गया, जिसके अनुसरण में राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन संशोधन अधिनियम 2011 बनाया गया।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित बजट में एवं राज्य के एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित मुख्य राजकोषीय चर लक्ष्यों को नीचे तालिका 1.3 में प्रदर्शित किया गया है:

तालिका 1.3: मुख्य राजकोषीय लक्ष्य एवं उपलब्धियां

राजकोषीय चर	2014-15		
	एफआरबीएम अधिनियम/तेरहवें वित्त आयोग में निर्धारित लक्ष्य	बजट/एमटीएफपीएस में प्रस्तावित लक्ष्य	उपलब्धि
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	0.00	(+) 738	(-) 3,215
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	3.0 या कम	3.52	3.31
सरकार के कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	36.5	25.78	25.69

एफआरबीएम अधिनियम के लागू किये गये मुख्य प्रावधानों की समीक्षा में निम्न स्थिति पाई गयी:

- एफआरबीएम अधिनियम 2011 की धारा 6(क) में उल्लेख था कि सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व के लक्ष्य को प्राप्त करेगी और उसके बाद उसे बनाये रखेगी अथवा राजस्व आधिक्य प्राप्त करेगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 1,055 करोड़ ₹ 3,357 करोड़ और ₹ 3,451 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाये रखा, जो एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित किये गये लक्ष्यों की सीमा के अन्तर्गत थे। तथापि, वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व घाटा ₹ 1,039 करोड़ रहा।

- राजस्व आधिक्य ₹ 738 करोड़ प्राप्त करने की दृष्टि से, वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार के योजनागत बजट अनुमान में राजस्व व्यय ₹ 1,05,387 करोड़ और राजस्व प्राप्तियों ₹ 1,06,125 करोड़ आंकलित किये गये थे। वर्ष के दौरान यह पाया गया कि वास्तविक व्यय ₹ 94,542 करोड़ (अनुमानित से 10.3 प्रतिशत कम) और वास्तविक आय ₹ 91,327 करोड़ (अनुमानित से 13.9 प्रतिशत कम) रहे। इसकी परिणति आय एवं व्यय के 3.6 प्रतिशतता बिन्दु घाटे के रूप में हुई। प्राप्तियों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि अनुमानों के विरुद्ध

प्राप्तियों कर राजस्व (4.9 प्रतिशत) गैर कर राजस्व (11.4 प्रतिशत), केन्द्रीय अंश (12.9 प्रतिशत) और अनुदान सहायता (29.4 प्रतिशत) के प्रकरणों में कम थी। वे मुख्य क्षेत्र जहाँ राज्य सरकार स्वयं को राजस्व प्राप्तियों को एकत्र करने में असमर्थ रही, मुख्यतः स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क ₹ 1,011 करोड़ (24.1 प्रतिशत) बिक्री, व्यापार आदि पर कर ₹ 1,455 करोड़ (5.7 प्रतिशत) और पेट्रोलियम रायल्टी ₹ 1,725 करोड़ (26.2 प्रतिशत) के अन्तर्गत थे।

तथापि, नियोक्ता के अंशदान से सम्बन्धित ₹ 8.21 करोड़ राजस्व घाटा कम प्रदर्शित हुआ, जो एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के सम्बन्ध में बीमा एवं पेन्शन निधि को नहीं भेजा गया ।

- एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6(ख) में वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के तीन प्रतिशत तक करने तथा उसके आगे उक्त कथित अनुपात को बनाये रखने या कम करने की परिकल्पना की गई थी।

एमटीएफपीएस 2013-14 में 2014-15 के लिए दिए गए राजकोषीय संकेतको की समीक्षा में पाया गया कि कुल बकाया ऋणों और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य क्रमशः 25.40 और 2.68 प्रतिशत निर्धारित किए गए थे जो एमटीएफपीएस 2014-15 में 25.73 और 2.86 प्रतिशत संशोधित किए गए। आगे ये एमटीएफपीएस (परिवर्तित) 2014-15 में जीएसडीपी का 25.78 और 3.52 प्रतिशत कर संशोधित किए गए। जबकि कुल बकाया ऋण के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति जीएसडीपी का 25.69 प्रतिशत थी, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.31 प्रतिशत था जो 2014-15 के लिए एमटीएफपीएस में निर्धारित किए गए लक्ष्य (3.52 प्रतिशत) से कम था, परन्तु एफआरबीएम अधिनियम और तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की गई सीमा (जीएसडीपी का 3 प्रतिशत) से अधिक था।

- एफआरबीएम अधिनियम की धारा 8 के अनुसार लोक व्यय समीक्षा समिति (पीईआरसी) में वित्त, आर्थिक प्रबन्ध, योजना, प्रशासन, लेखा और संपरीक्षा और विधि के क्षेत्र में पेशेवर विशेषज्ञता रखने वाले पाँच से अनधिक सदस्यों का प्रावधान किया गया था ।

13 अगस्त 2014 को पीईआरसी का गठन किया गया जिसमें आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ (डॉ इन्दिरा राजारमन और श्री बिबेक देबरॉय), विशेषज्ञ (श्री विनीत मित्रल और श्री अनिल वैश्य) और वित्त (प्रमुख शासन सचिव) के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सम्मिलित थे। तथापि, समिति में लेखा और संपरीक्षा तथा विधि के क्षेत्र में विशेषज्ञ कोई सदस्य नहीं था।

- गजट में अधिसूचना प्रकाशित होने (फरवरी 2006) के बाद समिति की बैठक (मई 2006) की गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निश्चय किया गया कि समिति की तीन माह में कम से कम एक बैठक की जानी चाहिए।

वित्त विभाग द्वारा दी गई सूचनाओं (जून 2015) के अनुसार बैठक केवल 9 मई 2013, 17 जून 2013 और 23 अप्रैल 2015 को की गई, जो वर्ष 2014-15 के दौरान बैठक नहीं किये जाने और गत वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी को इंगित करती है।

व्यय में कटौती के बावजूद, लक्ष्य के अनुरूप स्व कर प्राप्तियों की वसूली में कमी के कारण राज्य सरकार शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रही जैसाकि एफआरबीएम अधिनियम में उल्लेख किया गया था। इसके विपरीत, राजस्व घाटा ₹ 1,039 करोड़ (2013-14) से ₹ 3,215 करोड़ (2014-15) हो गया।

1.2.2 बजट अनुमान एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट प्रपत्र किसी विशेष वित्त वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा व्यय के आंकलों अथवा अनुमानों का विवरण उपलब्ध कराते हैं। समग्र आर्थिक प्रबन्धन के लिए राजकोषीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के संदर्भ में, प्राप्तियों एवं व्यय के आंकलन में सटीकता के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से विचलन, वांछित राजकोषीय लक्ष्यों की अप्राप्ति/गैर अनुकूलन का सूचक है जो कि विभिन्न कारणों यथा कुछ के सरकार के नियंत्रणाधीन एवं कुछ के सरकारी नियंत्रण से बाहर होने के कारण होता है।

वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमानों के साथ वास्तविकों की तुलना नीचे तालिका 1.4 में एवं परिशिष्ट 1.6 में दिये गये हैं।

तालिका 1.4: 2014-15 के लिये बजट अनुमान एवं वास्तविक

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय मानदंड	बजट अनुमान	वास्तविक	अन्तर
1	2	3	4 (3-2)
कर राजस्व	40,655	38,673	(-) 1,982
कर-भिन्न राजस्व	14,939	13,229	(-) 1,710
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	22,756	19,817	(-) 2,939
भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	27,775	19,608	(-) 8,167
राजस्व प्राप्तियाँ	1,06,125	91,327	(-) 14,798
राजस्व व्यय	1,05,387	94,542	(-) 10,845
ब्याज अदायगियाँ	10,470	10,463	(-) 7
पूँजीगत व्यय	20,565	16,103	(-) 4,462
राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	(+) 738	(-) 3,215	(-) 3,953
राजकोषीय घाटा (-)	(-) 20,186	(-) 19,000	(+) 1,186
प्रारम्भिक घाटा (-)	(-) 9,716	(-) 8,537	(+) 1,179

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र

महत्वपूर्ण मानदण्डों का लेखापरीक्षा विश्लेषण निम्न प्रकार है:

1.2.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ

बजट अनुमानों से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 14,798 करोड़ (14 प्रतिशत) की कमी राज्य के कर राजस्व (संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश सहित) में ₹ 4,921 करोड़ (8 प्रतिशत) से, एवं भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान में ₹ 8,167 करोड़ (29 प्रतिशत) से एवं कर-भिन्न राजस्व बजट अनुमान से ₹ 1,710 करोड़ (11 प्रतिशत) कम संकलन होने के कारण रही। कर राजस्व प्राप्ति की अधिकांश श्रेणियों में प्राप्तियां राज्य उत्पाद शुल्क, माल एवं सवारी पर कर एवं वस्तुओं एवं सेवाओं पर शुल्क को छोड़कर बजट अनुमान से कम थी। कर-भिन्न राजस्व भी पेट्रोलियम से रायल्टी में ₹ 1,725 करोड़ (26 प्रतिशत) कम प्राप्त होने के कारण बजट अनुमान से कम रहा।

1.2.2.2 राजस्व व्यय

बजट अनुमानों से राजस्व व्यय में ₹ 10,845 करोड़ की कमी मुख्यतः 'सामान्य शिक्षा' के अन्तर्गत ₹ 3,299 करोड़, ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत ₹ 1,852 करोड़, 'बिजली' के अन्तर्गत ₹ 1,194 करोड़, परिवार कल्याण के अन्तर्गत ₹ 960 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ₹ 909 करोड़ तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत व्यय में ₹ 696 करोड़ की गिरावट के कारण रही।

1.2.2.3 घाटें

राजस्व अधिशेष के ₹ 738 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध ₹ 3,215 करोड़ का राजस्व घाटा⁷ रहा। यह बजट में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की कम प्राप्ति के कारण रहा। तथापि, राजकोषीय घाटा⁸ एवं प्राथमिक घाटा⁹ बजट अनुमानों की तुलना में क्रमशः ₹ 1,186 करोड़ एवं ₹ 1,179 करोड़ से कम रहे।

1.2.2.4 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2014-15 के दौरान पूँजीगत व्यय में बजट अनुमानों की तुलना में ₹ 4,462 करोड़ (22 प्रतिशत) की कमी रही जो कि मुख्यतः सड़कों तथा सेतुओं: ₹ 969 करोड़, शहरी विकास: ₹ 678 करोड़, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य ₹ 590 करोड़, सड़क परिवहन: ₹ 300 करोड़, पोषण ₹ 288 करोड़, मुख्य सिंचाई: ₹ 204 करोड़ एवं लोक निर्माण कार्य: ₹ 201 करोड़ में कम पूँजीगत व्यय होने के कारण हुई।

⁷ राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँ

⁸ राजकोषीय घाटा = राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ

⁹ प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान

1.2.3 केन्द्रीय सहायता की प्रत्याशा में राज्य आयोजना के अन्तर्गत योजनाएं रखना परन्तु पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता के कारण व्यय नहीं किया जाना।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी आधारभूत संरचना का निर्माण करने के उद्देश्य से बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए समग्रता में वृद्धि तथा गरीबी कम करने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएँ (सीएसएस) लागू की जा रही थीं। केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के पीछे उद्देश्य जनता के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाना है। भारत सरकार ने वार्षिक योजना 2014-15 में पूर्व में अस्तित्व में रही केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं को अम्ब्रेला योजनाओं के रूप में 66 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में पुनर्गठित कर अनुमोदित किया। यहां तक कि 2014-15 के लिए राजस्थान सरकार के बजट की प्रस्तावना में भी इसकी पुष्टि की गई कि संघ सरकार ने केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं को 66 योजनाओं में पुनर्गठित किया था और 2014-15 के लिए निर्णय लिया गया कि राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता के रूप में केन्द्रीय अंश राज्य सरकार की संचित निधि के माध्यम से जारी किया जाये। 66 केन्द्रीय प्रवर्तित कार्यक्रमों/योजनाओं में से वार्षिक वित्त लेखे 2014-15 का विवरण संख्या 15, 65 योजनाओं की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। 2014-15 के दौरान इन 65 योजनाओं के अन्तर्गत बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति को तालिका 1.5 में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 1.5 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में बजट प्रावधान एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रमों/योजनाओं की संख्या	राज्य योजना के लिए बजट प्रावधान	राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता	भारत सरकार द्वारा जारी राशि	व्यय
65	27,403.37	20,799.11	13,654.49	19,340.70

यह दृष्टिगत हुआ कि 65 योजनाओं में से चार योजनाओं में बजट प्रावधान के विरुद्ध व्यय नहीं किया गया (राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय हैण्डलूम विकास कार्यक्रम एवं पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान)।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना (1985 में प्रारम्भ) के अन्तर्गत किए गए व्यय की जांच में पाया गया कि 2014-15 के दौरान राज्य योजना में ₹ 28.58 करोड़ का बजट प्रावधान रखे जाने के बावजूद व्यय नहीं किया गया। पर्यावरण विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2015) कि 2014-15 के दौरान शून्य व्यय भारत सरकार से मैचिंग अनुदान प्राप्त न होने के कारण रहा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिये आवश्यक व्यय किये जाने हेतु राज्य सरकार को वित्त परिचालन के लिए प्रयत्न करना चाहिए था।

1.2.4 जेंडर बजटिंग

जेंडर रिस्पानसिव बजटिंग (जीआरबी) यह सुनिश्चित करने का एक साधन है कि लोक-संसाधनों का न्यायसंगत रूप से विनिधान किया गया है ताकि विशेष जेंडर

समूहों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। राजस्थान सरकार ने 2009-10 के बजट भाषण के दौरान जीआरबी तैयार करने की घोषणा की, ताकि प्रत्येक विभाग के बजट का जेंडर आधारित विश्लेषण हो सके। तदनुसार, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन (अगस्त 2009) किया गया एवं सितम्बर 2009 में महिला एवं बाल विकास विभाग में एक जेंडर प्रकोष्ठ का गठन किया गया। जीआरबी के कार्यों एवं उद्देश्यों में से एक, सरकार के बजट में योजनाओं का इस प्रकार समेकन करना था कि जेंडर आधारित विश्लेषण में सुविधा रहे। यही नहीं, अगस्त 2010 के दौरान विभिन्न विभागों में विभिन्न जीआरबी प्रस्तावों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से जेंडर डेस्कों का भी गठन किया गया। इसके अलावा, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 से, बजट अनुमान तैयार करने के लिए नयी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में, जेंडर बजट प्रविवरण का समावेश करने का निर्णय लिया (अगस्त 2011)।

राज्य में जेंडर बजटिंग को राज्य बजट नियमावली (एसबीएम) के अनुच्छेद 13.27 में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है। वार्षिक जेंडर बजट प्रविवरण तैयार करने के लिए, निर्दिष्ट विभागों के बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जानकारी, वित्त विभाग द्वारा जारी बजट परिपत्र में दिए गए प्रारूप में, प्रदान की जानी होती है। यह प्रारूप महिला उन्मुख आयोजना योजनाओं/कार्यक्रमों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। श्रेणियों का विवरण नीचे दिया गया है:

अ	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 70 प्रतिशत से अधिक व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये
ब	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत - 70 प्रतिशत के मध्य व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये
स	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत - 30 प्रतिशत के मध्य व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये
द	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत से कम व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये

विधान सभा में दिनांक 20 फरवरी 2014 को प्रस्तुत अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान श्रेणी-वार आवंटन का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार था:

श्रेणी	आवंटन (₹ करोड़ में)
अ	4,241.11
ब	21,143.72
स	2,887.26
द	38.49
योग	28,310.58

वर्ष 2014-15 के संशोधित बजट (14 जुलाई 2014) में, जीआरबी से संबंधित परिशिष्ट में सूचना नहीं पाई गयी। वित्त विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग (मबावि) ने सूचित किया कि सम्बन्धित परिशिष्ट छापा नहीं गया तथा विधान सभा के पटल पर नहीं रखा गया। यद्यपि, प्रकरण वित्त विभाग तथा

महिला एवं बाल विकास विभाग के समक्ष लाया गया, तथापि सूचना प्राप्त नहीं हुई एवं यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या अंतरिम बजट की तुलना में परिवर्तित बजट में जीआरबी के वित्त पोषण में समानुपातिक वृद्धि की गई थी। नोडल विभाग (महिला एवं बाल विकास विभाग) के पास भी इन चार श्रेणियों के विरुद्ध व्यय की कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

फरवरी 2014 में प्रस्तुत वर्ष 2014-15 के अंतरिम बजट के साथ संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गयी 'अ' श्रेणी की इकाइयों, जिनमें ₹ 10 करोड़ से अधिक का बजट था, के बीएफसी जेण्डर बजटिंग के व्यय की नमूना जाँच में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- **महिला एवं बाल विकास विभाग**

महिला स्वयं सहायता समूहों का संकुल बनाने, क्षमता निर्माण तथा हाथों में हाथ के माध्यम से मजबूत बनाने और महिलाओं के सशक्तिकरण के व्यापक लक्ष्य के लिए आजीविका को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों के साथ सम्पर्क माध्यम बनाने हेतु 'मिशन ग्राम्य शक्ति'(एमजीएस) राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत्तशासी संस्था है। मबावि ने सूचित किया (सितम्बर 2015) कि 'मिशन ग्राम्य शक्ति' की कार्य योजना अनुमोदित नहीं होने के कारण ₹ 16.60 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध, इस उद्देश्य के लिए कोई व्यय नहीं हुआ।

- **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग**

बालिकाओं की उच्च प्राथमिक विद्यालयों संबंधित योजनागत योजना के अंतर्गत, ₹ 14.13 करोड़ की राशि का अनुमान किया गया था जिसके विरुद्ध मात्र ₹ 0.12 करोड़ व्यय हुये एवं ₹ 14.01 करोड़ अनुपयोजित रहे। विभाग द्वारा निधियों के अनुपयोजित रहने का कारण पदों का रिक्त रहना बताया (अगस्त 2015)।

- **वित्तीय समावेशन प्रोत्साहन योजना (भामाशाह वित्तीय सशक्तीकरण एवं नारी समृद्धि योजना)**

राज्य सरकार ने महिला सुदृढीकरण हेतु वर्ष 2008 में भामाशाह योजना प्रारम्भ की, जिसे वर्ष 2009 में बंद कर दिया गया तथा 15 अगस्त 2014 को पुनः प्रारम्भ किया गया। यह देखा गया कि 'भामाशाह योजना 2008' के सेवा प्रदाताओं के दावों का भुगतान करने हेतु तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य परिवारों को मानदेय व प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु वर्ष 2014-15 में ₹ 25 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके विरुद्ध कोई व्यय नहीं हुआ। आयोजना (संस्थागत वित्त) विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि अव्ययीत निधियाँ अभ्यर्पित की

गई क्योंकि यह निर्णय नहीं लिया जा सका कि दावों का कोई भुगतान बकाया है।

• **माध्यमिक शिक्षा विभाग**

वर्ष 2014-15 के दौरान, योजनागत योजना 'शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 में अध्ययनरत कन्या छात्राओं को साइकिल वितरण' के अंतर्गत ₹ 60 करोड़ आवंटित किये गये, जिसके विरुद्ध ₹ 20.44 करोड़ व्यय हुए तथा ₹ 39.56 करोड़ अनुपयोजित रहे। विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2015) कि साइकिलों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण राशि उपयोजित नहीं की जा सकी।

1.2.5 वर्ष 2014-15 के बजट भाषण की प्रमुख नीतिगत पहलों एवं उन पर की गई कार्यवाही की स्थिति

वर्ष 2014-15 के लिए संशोधित बजट प्रस्तुत (जुलाई 2014) करते समय, सरकार ने कई योजनाओं/नीतियों की घोषणा की। सम्बन्धित विभागों द्वारा सूचित की गई (जुलाई-सितम्बर 2015) प्रमुख नीतिगत पहलों एवं उन पर की गई कार्यवाही की स्थिति का सार नीचे तालिका में दिया गया है:

बजट भाषण का पैरा नं.	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश	की गई कार्यवाही की स्थिति
77	चिकित्सा शिक्षा	(i) कैसर के इलाज तथा अनुसंधान हेतु राज्य के झालावाड़ और बीकानेर जिलों में स्थित मेडिकल कॉलेज में टेरिटरी कैसर केयर केन्द्र (₹ 45 करोड़) तथा (ii) राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से संबद्ध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में राज्यस्तरीय कैसर चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र (₹ 120 करोड़) की स्थापना।	वर्ष 2014-15 में कोई राशि आवंटित नहीं की गई।
78	चिकित्सा शिक्षा	प्रथम चरण में राज्य के बीकानेर, उदयपुर तथा कोटा मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी विंग स्थापित की जावेगी जिस पर ₹ 150 करोड़ रुपये का व्यय होगा।	वर्ष 2014-15 में कोई राशि आवंटित नहीं की गई।
79	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	राज्य में 1079 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया जावेगा, जिस पर ₹ 248.17 करोड़ का प्रावधान किया गया।	बजट अनुमान में अनुमोदित राशि ₹ 151.91 करोड़ को संशोधित अनुमान में घटाकर ₹ 40 करोड़ किया गया, जिसके विरुद्ध कोई व्यय नहीं हुआ, परिणामस्वरूप ₹ 99.41 करोड़ अभ्यर्पित किये गए एवं ₹ 52.50 करोड़ पुनर्विनियोजित किये गए।

बजट भाषण का पैरा नं.	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश	की गई कार्यवाही की स्थिति
87	शिक्षा विभाग	सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत 940 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन, 2,609 अतिरिक्त कक्षाओं, बालिकाओं हेतु 678 जल सहित शौचालय तथा 155 पेयजल सुविधाओं का निर्माण होगा, जिस पर ₹ 303.32 करोड़ का व्यय होगा।	31 मार्च 2015 तक ₹ 184.95 करोड़ का व्यय किया गया। 256 प्राथमिक विद्यालयों के भवनों, 1490 अतिरिक्त कक्षाओं, 634 शौचालयों तथा 109 पेयजल सुविधाओं से संबंधित कार्य किये गये। 112 प्राथमिक विद्यालयों के लिये भूमि आवंटित/ उपलब्ध नहीं हो सकी।
120	पर्यटन विभाग	सांभर क्षेत्र में राशि ₹ 37.65 करोड़ की लागत से आधारभूत पर्यटक सुविधायें, सड़क निर्माण, पक्षियों के निगरानी मचान आदि उपलब्ध कराकर विशेष विकास कार्य करना।	31 मार्च 2015 तक ₹ 37.65 करोड़ के विरुद्ध ₹ 0.72 करोड़ व्यय किये गये।
		राशि ₹ 4.34 करोड़ की लागत से रणथम्भौर अभ्यारण्य का विकास।	31 मार्च 2015 तक ₹ 0.51 करोड़ व्यय किये गये।
		प्रत्येक के लिए राशि ₹ 4.92 करोड़ की लागत से झालावाड़ किले तथा गागरोन किले का विकास।	झालावाड़ किले तथा गागरोन किले के संबंध में 31 मार्च 2015 तक क्रमशः ₹ 0.48 करोड़ तथा ₹ 0.28 करोड़ व्यय किये गये।
		राशि ₹ 4.81 करोड़ की लागत से डीग किले का विकास।	31 मार्च 2015 तक ₹ 0.26 करोड़ व्यय किये गये।
		मचकुण्ड का राशि ₹ 4.61 करोड़ की लागत से संरक्षण, विकास तथा विद्युतीकरण करना।	कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा सलाहकार नियुक्त नहीं किये गये जिससे कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

इस प्रकार, उपरोक्त से यह प्रदर्शित होता है कि नई पहलों के बारे में घोषणाएं संबंधित विभागों द्वारा पर्याप्त प्रारम्भिक कार्य किये बिना ही की गईं।

1.3 राज्य के संसाधन

• वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन


राज्य सरकार की प्राप्तियों को दो श्रेणियों राजस्व प्राप्तियों¹⁰ एवं पूँजीगत प्राप्तियों¹¹ में विभाजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अपने घाटे की वित्त पूर्ति करने हेतु लोक लेखे में संवितरण के बाद उपलब्ध निधियों का भी उपयोग

¹⁰ राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान शामिल होते हैं।


¹¹ पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, कर्जें और अग्रिमों की वसूलियाँ, आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार से कर्जें, वित्तीय संस्थाओं/ वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से कर्जें और अग्रिम शामिल हैं।

किया जाता है। राज्य के संसाधनों के घटकों तथा उप-घटकों को निम्नलिखित फ्लो चार्ट में प्रदर्शित किया गया है:

संसाधनों के घटक तथा उप-घटक



चार्ट 1.1 2009-15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति दर्शाता है। चार्ट 1.2 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को दर्शाता है।



स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2009-10 से 2014-15, के दौरान कुल प्राप्तियाँ (आकस्मिकता निधि प्राप्तियों के अलावा) 20 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज कर 2009-10 में ₹ 45,946 करोड़ से 2014-15 में बढ़कर ₹ 1,14,809 करोड़ हो गई। गत वर्ष की तुलना में यह ₹ 23,148 करोड़ (25 प्रतिशत) बढ़ी।


वर्ष 2014-15 में कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 79 प्रतिशत था। आगे राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण पैराग्राफ 1.4 में दिया गया है।

लोक लेखा प्राप्तियाँ, जो कि ऐसी प्राप्तियाँ हैं जिनके लिये सरकार लोक निधि हेतु एक बैंकर/ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। वर्ष 2014-15 के दौरान कुल प्राप्तियों का 4 प्रतिशत थी। लोक लेखा की निवल प्राप्तियाँ (₹ 4,322 करोड़) मुख्यतः अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि: (₹ 2,982 करोड़) के अन्तर्गत थी।


पूँजीगत प्राप्तियाँ 17 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 2009-10 में ₹ 8,918 करोड़ से 2014-15 में बढ़कर ₹ 19,160 करोड़ हो गई एवं वर्ष 2014-15 के दौरान कुल प्राप्तियों की भी 17 प्रतिशत रही। लोक ऋण प्राप्तियाँ जो कि पूँजीगत प्राप्तियों का मुख्य संघटक है गत वर्ष की तुलना में ₹ 3,650 करोड़ से बढ़ी। आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम, ऋण प्राप्तियों के दो घटक है जो कि कुल ऋण प्राप्तियों का क्रमशः 96 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत थे। आन्तरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 22 प्रतिशत एवं 207 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 207 प्रतिशत की वृद्धि का कारण मुख्यतः 2014-15 के दौरान बाह्य परियोजनाओं के लिए ऋण राशि ₹ 795 करोड़ थी जो कि पिछले वर्ष के दौरान ₹ 410 करोड़ थी।

1.4 राजस्व प्राप्तियाँ

सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण वित्त लेखे के प्रविवरण-14 में दिया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान शामिल है। वर्ष 2010-15 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संयोजन को परिशिष्ट 1.3 में प्रस्तुत किया गया है तथा क्रमशः चार्ट 1.3 एवं चार्ट 1.4 में भी दर्शाया गया है:



स्रोत: वित्त लेखे



स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों 19 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के साथ 2010-11 में ₹ 45,928 करोड़ से 2014-15 में बढ़कर ₹ 91,327 करोड़ हो गई ।

2010-15 की अवधि के दौरान राजस्व का औसत 61 प्रतिशत राज्य के स्व-संसाधनों से आया। शेष भारत सरकार से संघीय करों तथा शुल्कों में राज्य के हिस्से एवं सहायतार्थ-अनुदान के रूप में आया।

राज्य के स्व-संसाधनों में कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व शामिल हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 2010-15 की अवधि के दौरान 42 एवं 46 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि कर-भिन्न राजस्व का अंश 14 एवं 18 प्रतिशत के मध्य रहा । तथापि स्व-कर राजस्व का अंश राजस्व प्राप्तियों में 2013-14 में 63 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 57 प्रतिशत रह गया ।

नीचे तालिका 1.6 में जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ दर्शाई गयी हैं:

तालिका 1.6: जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	45,928	57,011	66,913	74,471	91,327
राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत)	29.8	24.1	17.4	11.3	22.6
राज्य स्व-कर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	26.5	22.3	20.2	9.8	15.5
राजस्व प्राप्ति/जीएसडीपी (प्रतिशत)	13.6	13.8	14.2	14.4	15.9
उत्प्लावकता अनुपात					
राजस्व उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में	1.1	1.1	1.3	1.1	2.1
राज्य स्व-कर उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में	1.0	1.0	1.5	1.0	1.4
राजस्व उत्प्लावकता राज्य स्व-कर के संदर्भ में	1.1	1.1	0.9	1.2	1.5

स्रोत: वित्त लेखे

उत्प्लावकता अनुपात मूल परिवर्ती में दिये गये परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय परिवर्ती की प्रतिक्रिया की मात्रा या लचीलापन दर्शाता है। जीएसडीपी की वृद्धि सरकार को स्व कर राजस्व की वृद्धि के लिये भी उपलब्ध होती है। राजस्व उत्प्लावकता, जो कि राजस्व प्राप्तियों एवं जीएसडीपी की वृद्धि दर के सीधे समानुपाती है, इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में उतार चढ़ाव के कारण व्यापक रूप से परिवर्तित हुआ। भारत सरकार द्वारा राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को निधियों का अन्तरण राज्य की समेकित निधि के द्वारा किये जाने के निर्णय लेने के कारण यह वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष के 1.1 से बढ़कर 2.1 हो गया ।

1.4.1 राज्य के स्व-संसाधन

जैसाकि केन्द्रीय करों एवं सहायतार्थ-अनुदानों में राज्यांश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंषाओं के आधार पर किया जाता है, राज्य के संसाधन जुटाने की निष्पादकता का आंकलन उसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न संसाधनों से किया गया।

नीचे तालिका 1.7 में तेरहवें वित्त आयोग तथा एमटीएफपीएस द्वारा किये गये आंकलन के समक्ष राज्य के वास्तविक कर एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ दी गयी हैं:

तालिका 1.7: 2014-15 के लिए कर एवं कर-भिन्न राजस्व आंकलन तथा वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग का आंकलन	बजट/एमटीएफपीएस अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट अनुमान एवं वास्तविक के मध्य अन्तर	
				राशि	प्रतिशत
कर राजस्व	32,460	40,655	38,673	(-) 1,982	4.9
कर-भिन्न राजस्व	6,523	14,939	13,229	(-) 1,710	11.4

कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत प्राप्तियाँ तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलनों से क्रमशः 19 प्रतिशत (₹ 6,213 करोड़) एवं 103 प्रतिशत (₹ 6,706 करोड़) अधिक रही। तथापि, वास्तविक प्राप्तियों के अन्तर्गत कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व, बजट अनुमानों से कम रहे ।

1.4.1.1 कर राजस्व


बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर 63 प्रतिशत के योगदान के साथ राज्य के कर राजस्व के मुख्य स्रोत थे, इसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क (14 प्रतिशत), मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क (8 प्रतिशत) एवं वाहनों पर कर (7 प्रतिशत) थे। मुख्य करों एवं शुल्कों के सम्बन्ध में सकल संग्रह की घटक वार स्थिति नीचे तालिका 1.8 एवं चार्ट 1.5 में दी गई है:

तालिका 1.8: राज्य के स्व कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की दर
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	12,630	15,767	18,575	21,216	24,170	13.9
राज्य उत्पाद शुल्क	2,861	3,287	3,988	4,982	5,586	12.1
वाहनों पर कर	1,612	1,927	2,283	2,499	2,830	13.2
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	1,941	2,651	3,335	3,125	3,189	2.0
भू-राजस्व	222	209	304	338	289	(-) 14.5
माल तथा यात्री कर	231	220	249	288	956	231.9
अन्य कर ¹²	1,261	1,316	1,769	1,030	1,653	60.5
योग	20,758	25,377	30,503	33,478	38,673	15.5

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* अन्य करों में भू-राजस्व, माल तथा यात्री कर, कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर, विद्युत कर तथा शुल्क एवं कृषि आय पर कर आदि शामिल है

वर्ष 2014-15 के दौरान, बिक्री, व्यापार इत्यादि से प्राप्तियाँ, कर राजस्व का मुख्य अंश (63 प्रतिशत) रहा, तथा गत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। यह वृद्धि दर गत वर्ष की वृद्धि दर के समान रही।

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क में गत वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि दर गत वर्ष 2013-14 की वृद्धि दर (25 प्रतिशत) से 13 प्रतिशतता बिन्दु गिरी जो कि मुख्यतः विदेशी शराब, स्पिरिट की बिक्री एवं सेवा शुल्कों के अन्तर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर में गिरावट के कारण रही।

¹² अन्य कर में कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर, विद्युत कर तथा शुल्क तथा कृषि आय पर कर शामिल है।

माल एवं सवारियों पर कर ने वर्ष 2014-15 में पूर्व वर्ष के ₹ 282 करोड़ से ₹ 956 करोड़ की वृद्धि के साथ पूर्व वर्ष पर 232 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।


1.4.1.2 कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व के मुख्य घटकों की प्रवृत्तियों को नीचे तालिका 1.9 एवं चार्ट 1.6 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.9: कर-भिन्न राजस्व के घटक

राजस्व शीर्ष	(₹ करोड़ में)					गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की दर
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
ब्याज प्राप्तियाँ	1,277	1,715	2,067	2,142	2,065	(-) 3.6
लाभांश एवं लाभ	21	58	57	25	63	152.0
पैट्रोलियम से प्राप्तियाँ ¹³	1,630	3,436	5,070	5,954	4,850	(-) 18.5
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1,930	2,366	2,839	3,089	3,636	17.7
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	1,436	1,600	2,100	2,365	2,615	10.5
योग	6,294	9,175	12,133	13,575	13,229	(-) 2.5

स्रोत: वित्त लेखे



स्रोत: वित्त लेखे

कर-भिन्न राजस्व (₹ 13,229 करोड़), जो कि 2014-15 में कुल राजस्व प्राप्तियों का 15 प्रतिशत था, में गत वर्ष की तुलना में 2.5 प्रतिशत (₹ 346 करोड़) की

¹³ बाड़मेर-सांचौर बेसिन में कच्चे तेल उत्पादन से राजस्व।

कमी हुई। कच्चे तेल पर रॉयल्टी की कमी के परिणामस्वरूप, पेट्रोलियम प्राप्तियाँ ₹ 1,104 करोड़ से घटी। ब्याज प्राप्तियों में भी सीमान्त गिरावट हुई ।

निवेश पर प्रतिलाभ 2013-14 के 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 0.2 प्रतिशत हो गया। अधिक विवरण पैराग्राफ 1.9.3 में दिया गया है।

1.4.1.3 सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली

कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों (एनटीआरआर) के आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (एनपीआरई) से अनुपात को सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली के सूचक के रूप में माना जाता है। वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, जलापूर्ति तथा सफाई, मुख्य, मध्यम एवं लघु सिंचाई एवं सड़क तथा सेतु के सम्बन्ध में वर्तमान मूल्य की वसूली का विवरण एनटीआरआर का एनपीआरई से अनुपात के रूप में नीचे तालिका 1.10 में दिया गया है:

तालिका 1.10: सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेवा	2013-14			2014-15		
		सम्बन्धित सेवाओं में एनटीआरआर	सम्बन्धित सेवाओं में एनपीआरई	लागत वसूली (प्रतिशत)	सम्बन्धित सेवाओं में एनटीआरआर	सम्बन्धित सेवाओं में एनपीआरई	लागत वसूली (प्रतिशत)
1	प्रारम्भिक शिक्षा	27.68	6,458.39	0.43	19.30	7,121.83	0.27
2	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	65.61	2,664.95	2.46	116.43	2,982.83	3.90
3	जलापूर्ति तथा सफाई	254.84	1,836.64	13.88	275.80	2,072.61	13.31
4	मुख्य, मध्यम एवं लघु सिंचाई	92.49	516.16 ¹⁴	17.92	81.41	501.87 ¹⁴	16.22
5	सड़क तथा सेतु	4.15	934.27	0.44	7.12	975.79	0.73

स्रोत: वित्त लेखे

सिंचाई क्षेत्र में प्राप्तियाँ 2014-15 में गत वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत से गिरी जबकि वसूली की वास्तविक लागत गत वर्ष की तुलना में 1.70 प्रतिशतता बिन्दु से कम हुयी। इसी प्रकार, सिंचाई के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलन 42 प्रतिशत की वसूली दर की तुलना में वास्तविक वसूली दर की प्रतिशतता 16.22 प्रतिशत रही।

¹⁴ ब्याज अदायगियाँ 2013-14: ₹ 1,055.63 करोड़ एवं 2014-15: ₹ 1,124.13 करोड़ के कल्पित समायोजन के अतिरिक्त

1.4.2 भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान

जैसाकि नीचे तालिका 1.11 में दर्शाया गया है, भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान 2010-11 में ₹ 6,020 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 19,608 करोड़ हो गया:

तालिका 1.11: भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आयोजना-भिन्न अनुदान	1,716	2,901	2,675	3,551	4,527
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	2,488	2,416	2,316	2,993	14,885
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	165	166	92	135	196
केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	1,651	1,999	2,091	2,066	-
योग	6,020	7,482	7,174	8,745	19,608
गत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	16.8	24.3	(-) 4.1	21.9	124.2
कुल अनुदान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	13.1	13.1	10.7	11.7	21.5

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ-अनुदान में गत वर्ष की तुलना में 124 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह मुख्यतः राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को निधियों का अन्तरण राज्य की समेकित निधि के अन्तर्गत राज्य आयोजनान्तर्गत योजना के द्वारा किये जाने के कारण हुई।

1.4.3 केन्द्रीय कर अन्तरण

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय करों में राज्यों को 32 प्रतिशत हिस्से की सिफारिश की गई। केन्द्रीय करों (सेवा कर के अतिरिक्त) के निवल आगमों एवं सेवा करों के निवल आगमों में राज्य का हिस्सा क्रमशः 5.85 प्रतिशत एवं 5.95 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

वर्ष 2014-15 के दौरान केन्द्रीय कर अन्तरण गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,144 करोड़ मुख्यतया निगम कर के अलावा आय पर कर (₹ 807 करोड़) के अन्तर्गत बढ़ा तथा यह राजस्व प्राप्तियों का 22 प्रतिशत था।

1.4.4 राज्य बजट से बाहर राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को भारत सरकार द्वारा निधियों का अन्तरण

केन्द्रीय सरकार सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में निधियाँ सीधे राज्य की कार्यकारी

एजेन्सियों¹⁵ को अन्तरित कर रही हैं। क्योंकि इन निधियों का अन्तरण राज्य बजट/राज्य कोषालय के माध्यम से नहीं किया जाता है, वार्षिक वित्त लेखों में इन निधियों को नहीं दिखाया जाता एवं इस स्तर तक ये राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय व उनसे व्युत्पन्न अन्य राजकोषीय चरों/पैमानों की सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

भारत सरकार ने निश्चय किया कि वर्ष 2014-15 से आयोजना सहायता के अन्तर्गत सभी केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएँ (सीएसएस) तथा खण्ड अनुदान राज्य की समेकित निधि से वर्ष 2014-15 के आगे से चरणबद्ध तरीके से हस्तान्तरण द्वारा राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में वर्गीकृत की जावेगी।

वर्ष के दौरान, ₹ 561.46 करोड़ की केन्द्रीय निधियाँ भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदत्त कार्यक्रमों/योजनाओं के लिये राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित की गईं। इनमें से भारत सरकार द्वारा ₹ 138 करोड़ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास, ₹ 113.30 करोड़ अक्षय ऊर्जा, ₹ 82 करोड़ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, एवं ₹ 26.66 करोड़ मानव शक्ति विकास के लिए अन्तरित की। राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित निधियों का विवरण **परिशिष्ट 1.7** में प्रस्तुत किया गया है।

1.4.5 अनुदानों का अधिकतम उपयोग

तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम उपयोग

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को ₹ 12,950 करोड़ सहायतार्थ अनुदान के रूप में आवंटित किये जिसको अवधि 2010-15 के दौरान उपयोग किया जाना था। तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान को जारी करने एवं उपयोग के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की शर्तों एवं नियमों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अनुश्रवण कमेटी (जून 2010 में) सहायतार्थ अनुदान का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु गठित की गई। भारत सरकार ने अवधि 2010-15 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 12,270.80 करोड़ जारी किये, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान ₹ 12,352.66 करोड़ व्यय किये। विस्तृत विवरण **तालिका 1.12** में नीचे दर्शाया गया है:

¹⁵ राज्य कार्यकारी एजेन्सियों में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए वे संगठन/संस्था सम्मिलित हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया है।

तालिका 1.12: सिफारिश किये गये अन्तरण एवं वास्तव में निर्मोचित सहायतार्थ-अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंतरण	तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश 2010-15 के लिए	2010-15 के लिए वास्तविक निर्मोचन	कम(-)/ अधिक जारी	2010-15 के दौरान वास्तविक व्यय	अनुपयोगी राशि / अधिक व्यय (-)
1	2	3	4	(3-4)=5	6	(4-6)=7
(1)	स्थानीय निकायें					
	(i) पीआरआई को अनुदान	3,938.64	3,963.43	24.79	3,963.43	0.00
	(अ) सामान्य मूल अनुदान	2,575.24	2,609.27	34.03	2,609.27	0.00
	(ब) पीआरआई को सामान्य निष्पादन अनुदान	1,363.40	1,354.16	(-) 9.24	1,354.16	0.00
	(ii) यूएलबी को अनुदान	1,194.26	1,266.28	72.02	1,266.28	0.00
	(अ) सामान्य मूल अनुदान	780.86	791.17	10.31	791.17	0.00
	(ब) यूएलबी को सामान्य निष्पादन अनुदान	413.40	475.11	61.71	475.11	0.00
	(iii) विशेष क्षेत्र अनुदान	30.90	32.32	1.42	32.32	0.00
	(अ) विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	18.20	18.00	(-) 0.20	18.00	0.00
	(ब) विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	12.70	14.32	1.62	14.32	0.00
	योग (1)	5,163.80	5,262.03	98.23	5,262.03	0.00
(2)	आपदा राहत					
	(i) आपदा राहत निधि	2,489.30	2,489.27	(-) 0.03	2,489.27	0.00
	(ii) क्षमता निर्माण	30.00	18.00	(-) 12.00	16.05	1.95
	योग (2)	2,519.30	2,507.27	(-) 12.03	2,505.32	1.95
(3)	परिणाम में सुधार के लिए अनुदान					
	(i) न्याय वितरण में सुधार	268.51	121.94	(-) 146.57	87.87	34.07
	(ii) यूआईडी निर्गम के लिए प्रोत्साहन	134.90	30.79	(-) 104.11	0.58	30.21
	(iii) जिला नवाचार निधि	33.00	16.50	(-) 16.50	15.13	1.37
	(iv) राज्य और जिला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणालियों का सुधार	33.00	19.80	(-) 13.20	12.93	6.87
	(v) कर्मचारी और पेंशन डाटा बेस	10.00	10.00	0.00	4.15	5.85
	योग (3)	479.41	199.03	(-) 280.38	120.66	78.37
(4)	पर्यावरण सम्बन्धित अनुदान					
	(i) वनों की सुरक्षा	88.32	88.32	0.00	86.71	1.61
	(ii) जल क्षेत्र प्रबंधन	224.00	56.00	(-) 168.00	0.00	56.00
	योग (4)	312.32	144.32	(-) 168.00	86.71	57.61
(5)	प्रारम्भिक शिक्षा	1,766.00	1,766.00	0.00	1,766.00	0.00
(6)	सड़क एवं पुल	1,509.00	1,509.00	0.00	1,508.99	0.01
(7)	राज्य विशिष्ट अनुदान					
	(i) पेयजल	500.00	339.37	(-) 160.63	474.27	(-) 134.90
	(ii) सिंचाई	300.00	264.42	(-) 35.58	291.88	(-) 27.46
	(iii) लोक स्वास्थ्य अवसंरचना	150.00	75.17	(-) 74.83	95.97	(-) 20.80
	(iv) राजमार्ग	150.00	150.00	0.00	145.49	4.51
	(v) पुलिस, जेल कार्मिकों और होम गार्ड का प्रशिक्षण	100.00	54.19	(-) 45.81	95.34	(-) 41.15
	योग (7)	1,200.00	883.15	(-) 316.85	1102.95	(-) 219.80
	महायोग (1 से 7)	12,949.83	12,270.80	(-) 679.03	12,352.66	(-) 81.86

स्रोत: तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन

लेखा परीक्षा ने पांच विभागों (सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार, गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विधि एवं विधिक कार्य तथा जल संसाधन विभाग) जिनको मुख्य रूप से सहायतार्थ अनुदान का आवंटन किया गया था, के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा की। पायी गयी कमियों एवं अनियमितताओं को संक्षिप्त में नीचे दर्शाया गया है:

- सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए अनुदान ₹ 134.90 करोड़ जो कि गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन के लिए पंजीकृत कराने हेतु प्रोत्साहन के लिए ₹ 100 प्रति व्यक्ति थी के विरुद्ध प्रथम किशत (₹ 13.49 करोड़) जुलाई 2010 में एवं द्वितीय किशत (₹ 17.30 करोड़) मार्च 2015 में जारी की गई। इस प्रकार अवधि 2010-15 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 30.79 करोड़ अनुदान के रूप में प्राप्त हुए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि जुलाई 2010 में ₹ 13.49 करोड़ जारी करने के बावजूद भी विभाग ने इस अनुदान राशि को मैसर्स राजकॉम्प सूचना सेवा लिमिटेड को दिसम्बर 2014 में गरीबी रेखा के नीचे के नागरिकों की पहचान एवं पंजीकरण हेतु अन्तरण किये। इसके अतिरिक्त विभाग ने बीपीएल नागरिकों की सूचना एकत्रित करने हेतु किसी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया जिसके कारण नवम्बर 2014 तक अनुदान का उपयोग नहीं हो सका। इस अनुदान में से (₹ 13.49 करोड़) राजकॉम्प ने वास्तव में ₹ 57.52 लाख का ही उपयोग किया था तथापि, राज्य सरकार ने पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (13 मार्च 2015) को भेज दिया ताकि आगामी किशतों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

इस प्रकार, बीपीएल नागरिकों की पहचान में राज्य सरकार की शिथिलता के कारण अनुदान ₹ 104.11 करोड़ अप्राप्त रहा। द्वितीय किशत अनुदान ₹ 17.30 करोड़ का भी उपयोग नहीं किया जा सका जिसके लिए राज्य सरकार ने इसका उपयोग 2015-16 में करने के लिए भारत सरकार से विशिष्ट अनुरोध (जून 2015 में) किया।

- गृह विभाग ने अनुदान ₹ 100 करोड़ (पैरा 12.274) के विरुद्ध जो कि विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण आधारभूत सुविधाओं को संबल प्रदान करने के लिए जैसे पुलिस, होमगार्ड, कारागार एवं नागरिक सुरक्षा के लिए था, कार्य योजना ₹ 102.00 करोड़ अनुमोदित की जिसमें पुलिस विभाग (₹ 62 करोड़), नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा (₹ 20 करोड़), कारागार विभाग (₹ 15 करोड़) एवं राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (₹ 5 करोड़) हेतु थे। इसके विरुद्ध भारत सरकार ने ₹ 54.19 करोड़ अवधि 2010-15 के दौरान जारी किये (जनवरी 2012: ₹ 26.56 करोड़ एवं फरवरी 2015: ₹ 27.63 करोड़)। गृह विभाग ने ₹ 95.34 करोड़¹⁶ अवधि 2011-15 के दौरान व्यय किये। यह ध्यान में आया कि प्रथम समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र ₹ 28.85 करोड़ विलम्ब से 30 मई 2014 को भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया।

¹⁶ 2011-12: ₹ 1.52 करोड़; 2012-13: ₹ 8.72 करोड़; 2013-14: ₹ 22.90 करोड़ एवं 2014-15: ₹ 62.20 करोड़।

इस प्रकार तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग में अत्यधिक देरी के कारण न केवल ₹ 45.81 करोड़ प्राप्त नहीं हुये बल्कि ₹ 41.15 करोड़ का अधिक व्यय आगे अनुदान की प्राप्ति के बिना कर दिया गया।

- विधि एवं विधिक विभाग में ₹ 268.51 करोड़ सहायतार्थ अनुदान के समक्ष न्याय प्रदाय में सुधार जिसमें न्यायालय के कार्यालय घंटे बढ़ाना, लोक अदालतों को समर्थित करना, एडीआर को तथा न्यायिक व्यवस्था की क्षमता निर्माण को बढ़ाना इत्यादि हेतु भारत सरकार ने अनुदान ₹ 121.94 करोड़ (₹ 53.70 करोड़ 2010-11, ₹ 26.85 करोड़ 2011-12, ₹ 23.80 करोड़ 2013-14 में तथा ₹ 17.59 करोड़ 2014-15 में) जारी किये, इसके विरुद्ध वर्ष 2014-15 के अन्त तक ₹ 87.87 करोड़¹⁷ का ही उपयोग हो सका। अवधि के वर्षों में लगातार एवं महत्वपूर्ण बकाया शेष विभाग की अनुदान के उपयोग में असफलता को दर्शाता है। अप्राप्त अनुदान ₹ 146.57 करोड़ (₹ 268.51 करोड़ - ₹ 121.94 करोड़) रहा। अनुदान के उपयोग में कमी मुख्य घटकों जैसे न्यायालयों का सुबह/शाम संचालन (शत प्रतिशत), न्यायिक व्यवस्था में सुधार की क्षमता (65.59 प्रतिशत) एवं विरासत भवनों में चलने वाले न्यायालयों के अनुरक्षण (70.58 प्रतिशत) में रही।

विभाग ने अवगत कराया (मई-जून 2015) कि न्यायालय की सुबह/शाम की शिफ्ट नीतिगत मामलों के कारण, क्षमता निर्माण हेतु दिया अनुदान शैक्षणिक भवनों के अपूर्ण रहने से राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन नहीं होने तथा कानूनी पुस्तकों, फर्नीचर एवं कानूनी साफ्टवेयर की खरीद न होना इत्यादि के कारण क्रियान्वित नहीं हो पाये। विरासत न्यायालय भवन के अनुरक्षण सम्बन्धी अनुदान का उपयोग नहीं होने का कारण आहरण एवं संवितरण अधिकार सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रदान नहीं करने एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति रहने के कारण रहे। विभाग द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि पाँच वर्षों के पर्याप्त समय में भी धनराशि का उपयोग नहीं हो सका। अनुसरण एवं निगरानी संबंधी मुद्दे की पहचान कर उसमें सुधारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए थी। तथ्य यह है कि उपयोग के अभाव में क्रमशः अनुदान ₹ 34.07 करोड़ एवं ₹ 146.57 करोड़ से वंचित रहना पड़ा।

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अनुदान ₹ 150 करोड़ के समक्ष एचएलएमसी ने बैठक (दिनांक 12 अक्टूबर 2011) में सार्वजनिक अस्पतालों में नैदानिक उपकरणों एवं जनरेटर सहित आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए अवधि 2011-15 के लिए ₹ 150 करोड़¹⁸ की कार्ययोजना अनुमोदित की। भारत सरकार ने ₹ 75.17 करोड़ (2011-12 ₹ 37.50 करोड़ एवं 2013-14 ₹ 37.67 करोड़) जारी किये थे। डीएमएचएस ने 2014-15 तक ₹ 95.97 करोड़¹⁹ का व्यय

¹⁷ 2010-11: ₹ 8.82 करोड़; 2011-12: ₹ 8.95 करोड़; 2012-13: ₹ 16.84 करोड़; 2013-14: ₹ 22.92 करोड़ एवं 2014-15: ₹ 30.34 करोड़।

¹⁸ 2011-12: ₹ 37.50 करोड़; 2012-13: ₹ 37.67 करोड़; 2013-14: ₹ 39.56 करोड़; एवं 2014-15: ₹ 35.27 करोड़।

¹⁹ 2011-12: ₹ 7.28 करोड़; 2012-13: ₹ 17.94 करोड़; 2013-14: ₹ 39.30 करोड़; एवं 2014-15: ₹ 31.45 करोड़।

किया एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र ₹ 74 करोड़ का प्रस्तुत (फरवरी 2015) किया। इस प्रकार निर्धारित समयावधि में अनुमोदित योजना के अनुसार अनुदान के उपयोग का अभाव रहने के कारण राज्य सरकार तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान ₹ 74.83 करोड़ से वंचित रही।

- जल संसाधन विभाग में अनुदान ₹ 224 करोड़ जो कि जल प्रबंधन क्षेत्र, गैर वेतन रखरखाव वृहद एवं मध्यम लघु सिंचाई योजना के लिए था, के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा ₹ 56 करोड़ (₹ 28 करोड़ सितम्बर 2011 और ₹ 28 करोड़ जनवरी 2012) वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए जारी किये गये तथा राज्य सरकार को आगे किश्तें प्राप्त नहीं हुई। वित्त विभाग द्वारा आदेश (01 अप्रैल 2011) जारी किये गये कि अग्रिम आदेशों तक बजट प्रावधान (₹ 56 करोड़) का उपयोग नहीं किया जावे। हालांकि वित्त विभाग द्वारा आगे कोई आदेश जारी नहीं किए गए। अतः भारत सरकार से प्राप्त अनुदान का उपयोग नहीं हुआ (मार्च 2015)।

इस प्रकार, चार वर्षों का पर्याप्त समय उपलब्ध होने पर भी समय पर आहरित राशि के उपयोग में शिथिलता के परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 में भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान ₹ 56 करोड़ अनुपयोगी पड़े रहने के साथ राज्य सरकार को आगामी अनुदान ₹ 168 करोड़ से भी वंचित रहना पड़ा।

अवधि 2010-15 के दौरान उक्त विभागों में ₹ 539.52 करोड़* की अप्राप्ति/वंचित रहने संबंधी अनियमिततायें प्रदर्शित हुईं।

वित्त आयोग के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी अनुदानों एवं उनकी उपयोगिता का राज्य सरकार को अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अनुदान का प्रभावी रूप से समयावधि में निश्चित उद्देश्य पर उपयोग हो सके।

1.4.6 छोड़ा गया राजस्व

विभागों से प्राप्त सूचनाओं की जाँच में यह पाया गया कि 2014-15 के दौरान विभिन्न करों के अंतर्गत छोड़े गये राजस्व की स्थिति निम्नानुसार थी:

(1) परिवहन विभाग ने (अ) दूसरे राज्यों से अजमेर में उर्स हेतु आने-जाने वाले सभी यात्री वाहनों (₹ 1 करोड़²⁰) एवं जैसलमेर में रामदेवरा मेले में (₹ 0.93 करोड़²¹) तथा (ब) सेंट जूड इण्डिया चाईल्ड केयर सेन्टर्स (₹ 0.01 करोड़²²), इस्कॉन बाढ़ राहत फाउण्डेशन (₹ 0.03 करोड़²³) एवं माँ माधुरी बृज वारिस सेवा सदन 'अपना घर' भरतपुर (₹ 0.01 करोड़²⁴) पर मोटर वाहन कर, विशेष सड़क कर, अधिभार एवं एकमुश्त भुगतान ₹ 1.98 करोड़ छोड़ा।

* सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (₹ 104.11 करोड़), गृह विभाग (₹ 45.81 करोड़), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (₹ 74.83 करोड़), विधि एवं विधिक मामलात विभाग (₹ 146.57 करोड़) एवं जल संसाधन विभाग (₹ 168 करोड़)

²⁰ अधिसूचना/आदेश सं. एफ.6(96)ट्रांस./कर/छूट/10 दिनांक 28.04.2014

²¹ अधिसूचना/आदेश सं. एफ.6(75)ट्रांस./कर/छूट/08 दिनांक 20.08.2014

²² अधिसूचना/आदेश सं. एफ.6(64)ट्रांस./कर/छूट/05 दिनांक 15.12.2014

²³ अधिसूचना/आदेश सं. एफ.6(123)ट्रांस./कर/छूट/05 दिनांक 09.02.2015

²⁴ अधिसूचना/आदेश सं. एफ.6(62)ट्रांस./कर/छूट/10 दिनांक 09.03.2015

(2) मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग ने भूमि के विक्रय, उपहार, दान, स्थानीय निकायों द्वारा भू आवंटन/विक्रय, अंशदानों का आवंटन एवं भू संपरिवर्तन इत्यादि के पंजीयन के दौरान निष्पादित किये गये विभिन्न डीड्स एवं दस्तावेजों पर मुद्रांक कर की छूट के संबंध में 43 अधिसूचनाएँ (जुलाई: 12; अगस्त: 04; सितंबर: 03; अक्टूबर: 03; नवम्बर: 01; दिसम्बर: 01; जनवरी: 03; फरवरी: 01 एवं मार्च: 15) जारी की। छोड़े गये राजस्व के मौद्रिक मूल्य के आकलन की दृष्टि से मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग को उपर्युक्त अधिसूचनाओं के परिणामस्वरूप माफ की गयी राशि का विवरण देने को कहा गया। तथापि, विभाग द्वारा उत्तर (अक्टूबर 2015) दिया गया कि उनके अधीनस्थ वृत्त कार्यालय सूचना वर्गीकृत रूप में संधारित नहीं करते हैं, इस कारण एकीकृत सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

(3) खान एवं भू विज्ञान विभाग ने “बकाया आम माफी योजना 2014 पर विभागीय बकाया राशि एवं ब्याज” (जनवरी 2015) के अंतर्गत 1519 प्रकरणों में ₹ 26.30 करोड़ छोड़े जो कि अवधि 31.03.2012 से पूर्व डीड रेन्ट, रॉयल्टी आधिक्य, उधार ली गयी भूमि से खनन के संबंध में रॉयल्टी, शास्ती के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए सभी बकाया राशि के प्रकरणों से संबंधित थे।

(4) वाणिज्यिक कर विभाग ने 405 लाभार्थियों को ₹ 6.68 करोड़ की राजस्थान मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 के अंतर्गत छूट प्रदान की।

1.5 पूँजीगत प्राप्तियाँ

वर्ष 2010-15 की अवधि में पूँजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे तालिका 1.13 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.13: पूँजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य प्राप्तियों के स्रोत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पूँजीगत प्राप्तियाँ	8,309	7,163	11,065	14,817	19,160
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	13	16	8	10	15
ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	319	1,229	1,102	316	1,004
लोक ऋण प्राप्तियाँ	7,977	5,918	9,955	14,491	18,141
ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	- 9.3	- 25.8	68.2	45.6	25.2
गैर-ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	174.4	275.0	- 10.8	- 70.6	212.6
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	27.3	22.4	13.5	10.1	11.0
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	- 6.8	- 13.8	54.5	33.9	29.3

स्रोत: वित्त लेखे

1.5.1 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ (ऋण एवं गैर-ऋण प्राप्तियाँ) 2010-11 से 2014-15 में 23 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी। यह 2014-15 के दौरान गत वर्ष की तुलना में 29 प्रतिशत से बढ़ी।

1.5.2 कर्ज एवं अग्रिम की वसूलियाँ

वर्ष 2014-15 के दौरान गत वर्ष की तुलना में कर्ज एवं अग्रिम की वसूलियों में ₹ 688 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से अधिक वसूली के कारण हुई।

1.5.3 आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति/लोक ऋण प्राप्ति

वर्ष 2014-15 के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत आन्तरिक ऋण प्राप्ति जैसे बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों, बैंकों इत्यादि से उधार, गत वर्ष की तुलना में 21.9 प्रतिशत (₹ 3,114 करोड़) से बढ़ी, जिनमें बाजार ऋण प्राप्ति गत वर्ष की तुलना में ₹ 3,500 करोड़ (39.8 प्रतिशत) से बढ़ी।

1.5.4 भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम

वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम की प्राप्ति (₹ 795 करोड़ बाह्य परियोजनाओं के लिए ऋण) गत वर्ष की तुलना में मुख्यतः राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज के अन्तर्गत 207 प्रतिशत (₹ 536 करोड़) से बढ़ी।

1.6 लोक लेखा प्राप्ति

अल्प बचत, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा, उच्च, प्रेषण इत्यादि से सम्बन्धित कुछ लेन-देनों से सम्बन्धित प्राप्ति एवं संवितरण, जो कि समेकित निधि के भाग नहीं है, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है एवं यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यक्षीन नहीं होता है। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है और संवितरण के बाद शेष राशि का उपयोग करती है। लोक लेखा प्राप्ति का विवरण तालिका 1.14 में दिया गया है:

तालिका 1.14: लोक लेखा प्राप्ति के घटक

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत संसाधन	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
अ. अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	5,130	5,630	7,171	6,311	7,082
ब. आरक्षित निधि	873	1,638	1,568	2,233	1,724
स. जमा तथा अग्रिम	1,07,666	1,14,301	1,40,748	89,436	1,07,067
द. उच्च तथा विविध	11	27	43	91	22
य. प्रेषण	5,810	5,619	7,033	9,908	10,487 ²⁵
योग	1,19,490	1,27,215	1,56,563	1,07,979	1,26,382

स्रोत: वित्त लेखे

लोक लेखा प्राप्ति में 2014-15 के दौरान गत वर्ष की तुलना में ₹ 18,403 करोड़ (17 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः जमा तथा अग्रिमों ₹ 17,631 करोड़ के अन्तर्गत रही।


²⁵ इसमें खजानों तथा मुद्रा तिजोरियों के बीच प्रेषण: ₹ 169.84 करोड़; लोक निर्माण प्रेषण: ₹ 9,992.59 करोड़ तथा वन प्रेषण: ₹ 325.21 करोड़ शामिल है।

1.7 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है चूंकि व्यय का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के दायरे में, घाटे अथवा उधारों से वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय रूकावटें होती हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि राज्य स्तर पर चल रहे राजकोषीय सुधार एवं दृढ़ीकरण प्रक्रिया व्यय, विशेषतया सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिए निर्दिष्ट व्यय, की लागत पर नहीं है।


1.7.1 कुल व्यय

नीचे दिखाये गये चार्ट 1.7 पाँच वर्षों (2010-15) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्ति को और चार्ट 1.8 'आर्थिक वर्गीकरण' के रूप में इसके संयोजन को दर्शाते हैं।



स्रोत: वित्त लेखे

राज्य का कुल व्यय, 22 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से 2010-11 से 2014-15 की अवधि में बढ़ा। वर्ष 2014-15 के दौरान कुल व्यय गत वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत से बढ़ा।



राजस्व व्यय

राजस्व व्यय, कुल व्यय का मुख्य भाग है। यह वर्तमान स्तर की सेवाएं बनाये रखने एवं पिछले दायित्वों के भुगतान पर किया जाता है और इसी कारण राज्य के आधारभूत ढांचे एवं सेवाओं के नेटवर्क में किसी प्रकार का योगदान नहीं देता।

वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 85 प्रतिशत था। यह 20 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से 2010-11 के ₹ 44,873 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 94,542 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत (₹ 19,032 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः सामान्य शिक्षा (₹ 4,057 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 3,308 करोड़), बिजली (₹ 1,896 करोड़) तथा पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ (₹ 1,828 करोड़) के अन्तर्गत हुई ।

पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय 32 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से 2010-11 के ₹ 5,251 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 16,103 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान पूँजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत (₹ 2,439 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः जलापूर्ति एवं सफाई पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 1,737 करोड़), एवं सड़क एवं सेतु पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 479 करोड़) के अन्तर्गत हुई । कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का प्रतिशतता अंश 2010-11 में 10.4 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 के दौरान 14.5 प्रतिशत हो गया।

1.7.2 चालू राजस्व शेष²⁶

₹ 76,246 करोड़ (₹ 91,327 करोड़-₹ 14,885 करोड़-₹ 196 करोड़) (परिशिष्ट 1.4) की राजस्व प्राप्तियाँ (भारत सरकार से प्राप्त आयोजनागत सहायता के अलावा) एनपीआरई के ₹ 67,098 करोड़ (चार्ट 1.7) से ₹ 9,148 करोड़ अधिक थी जो कि यह इंगित करता है कि एनपीआरई की पूर्ति करने हेतु आयोजनागत सहायता का उपयोग नहीं किया गया जो कि एक सकारात्मक सूचक है।

1.7.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते में राज्य सरकार का प्रतिबद्ध व्यय मुख्यतः ब्याज अदायगियों, वेतन तथा मजदूरी, पेन्शन पर व्यय तथा अर्थ-सहाय्य से बनता है। वर्ष 2010-2015 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को निम्न तालिका 1.15 में प्रस्तुत किया गया है।

²⁶ चालू राजस्व शेष से तात्पर्य 'राजस्व प्राप्तियाँ घटाइये समस्त आयोजना अनुदान तथा मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय' है।

तालिका 1.15: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वेतन एवं मजदूरी- आयोजना-भिन्न शीर्ष	13,730	14,829	16,825	19,290	21,466
वेतन एवं मजदूरी- आयोजना शीर्ष *	840	1,018	770	1,314	2,032
कुल वेतन एवं मजदूरी	14,570 (31.7)	15,847 (27.8)	17,595 (26.3)	20,604 (27.7)	23,498** (25.7)
व्याज अदायगियों	7,369 (16.0)	7,892 (13.8)	8,340 (12.5)	9,063 (12.2)	10,463 (11.5)
पेंशन पर व्यय	5,151 (11.2)	5,920 (10.4)	6,858 (10.2)	7,801 (10.5)	9,629 (10.6)
अर्थ-सहाय्य	2,227 (4.8)	3,200 (5.6)	5,464 (8.2)	6,940 (9.3)	8,626 (9.4)
कुल प्रतिबद्ध व्यय	29,317 (63.8)	32,859 (57.6)	38,257 (57.2)	44,408 (59.6)	52,216 (57.2)
अन्य घटक	15,556 (33.9)	20,795 (36.5)	25,205 (37.7)	31,102 (41.8)	42,326*** (46.3)
कुल राजस्व व्यय	44,873	53,654	63,462	75,510	94,542
राजस्व प्राप्तियाँ	45,928	57,011	66,913	74,471	91,327
प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय से प्रतिशत के रूप में	66.7	61.2	60.3	58.8	55.2

टिप्पणी: कोष्ठक में दी गयी संख्या राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता दर्शाती है।
 * आयोजनागत शीर्ष में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत भुगतान किए गए वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है।
 ** वेतन: ₹ 23,020 करोड़ एवं मजदूरी ₹ 478 करोड़
 *** वित्तीय सहायता (सहायतार्थ अनुदान): ₹ 20,084 करोड़; सहायतार्थ-अनुदान सामान्य (वेतन): ₹ 8,245 करोड़; निधियों को अंतरण: ₹ 1,912 करोड़; एवं रखरखाव: ₹ 469 करोड़ पर व्यय सम्मिलित है।

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य सरकार प्रतिबद्ध व्यय के कुल राजस्व व्यय में अंश को वर्ष 2010-11 में 67 प्रतिशत से वर्ष 2014-15 में 55 प्रतिशत करने में सफल रही।

1.7.3.1 वेतन तथा मजदूरी

वेतन तथा मजदूरी पर व्यय 13 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2010-11 के ₹ 14,570 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 23,498 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान वेतन तथा मजदूरी पर व्यय गत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत से बढ़ा। यह तेरहवें वित्त आयोग²⁷ द्वारा सिफारिश किए (6 प्रतिशत) से 8 प्रतिशतता बिन्दु अधिक रहा, यह राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से भी ₹ 255 करोड़ अधिक रहा।

1.7.3.2 पेंशन भुगतान

• सामान्य

समग्र पेंशन भुगतान पर व्यय 17 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2010-11 के ₹ 5,151 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 9,629 करोड़²⁸ हो गया। वर्ष

²⁷ तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन का अनुच्छेद संख्या 7.60

²⁸ इसमें चालू वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर 2003 या इससे पहले के राज्य सरकार के कर्मचारियों पर पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ हेतु व्यय पर हुये व्यय ₹ 8,802.97 करोड़ शामिल है।

2014-15 के दौरान पेन्शन भुगतान पर गत वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर पेन्शनरों की कुल संख्या में 15,440²⁹ (4.4 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण अभिलेखित की गई। वास्तविक पेन्शन भुगतान, तेरहवें वित्त आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये अनुमान/आंकलन का तुलनात्मक विश्लेषण यह दर्शाता है कि वास्तविक पेन्शन भुगतान (₹ 9,629 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलन से 82 प्रतिशत अधिक रहा परन्तु राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से मामूली रूप से 6.5 प्रतिशत कम रहा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेन्शन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ पर व्यय कुल राजस्व व्यय का 10.2 प्रतिशत हुआ।

• अंशदायी पेंशन योजना

राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2004 से नयी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है। योजना के सम्बन्ध में, कर्मचारी मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है, जो कि राज्य सरकार के बराबर का होता है, तथा सम्पूर्ण राशि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से सम्बन्धित लोक लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्ष '8342-अन्य जमायें-117 निर्धारित अंशदान पेंशन योजना' तथा अन्य राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए उपशीर्ष (03) के अन्तर्गत लेखाशीर्ष '8011- बीमा तथा पेंशन निधि 106- अन्य बीमा तथा पेंशन निधियों' में स्थानान्तरित किया जाता है तथा उसके बाद निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को नेशनल सिक्क्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 364.33 करोड़ कर्मचारी अंशदान से प्राप्त किये परन्तु नियोक्ता के अंश के रूप में केवल ₹ 356.12 करोड़ का योगदान दिया फलस्वरूप दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों के संदर्भ में ₹ 8.21 करोड़ की कमी रही ।

1.7.3.3 ब्याज अदायगियाँ

ब्याज अदायगियाँ 9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2010-11 के ₹ 7,369 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 10,463 करोड़ हो गई तथा गत वर्ष (₹ 9,063 करोड़)की तुलना में 15 प्रतिशत बढ़ी । मुख्य घटक आन्तरिक ऋण पर ब्याज (₹ 7,146 करोड़), अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज (₹ 2,708 करोड़) एवं केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (₹ 474 करोड़) थे।

आन्तरिक ऋण पर ब्याज जिसमें बाजार के कर्जे शामिल हैं 2013-14 के ₹ 5,972 करोड़ से 20 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 में ₹ 7,146 करोड़ हो गया, जोकि गत वर्ष की तुलना में मुख्यतः बाजार के कर्जे ₹ 10,002 करोड़ (19 प्रतिशत) से एवं आन्तरिक ऋण ₹ 2,894 करोड़ (10 प्रतिशत) से बढ़ने के कारण था।

²⁹ पेन्शनरों की संख्या 2013-14: 3,51,415 एवं 2014-15: 3,66,855.

अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज भी 2013-14 के ₹ 2,469 करोड़ से 10 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 में ₹ 2,708 करोड़ हो गया, जोकि गत वर्ष की तुलना में मुख्यतः राज्य प्रावधायी निधि ₹ 2,078 करोड़ (10 प्रतिशत) से एवं बीमा तथा पेंशन निधि ₹ 904 करोड़ (10 प्रतिशत) से बढ़ने के कारण था।

वर्ष 2014-15 के दौरान की गयी ब्याज अदायगियाँ ₹ 10,463 करोड़ थी जोकि राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन (₹ 10,470 करोड़) से कम रही एवं तेरहवें वित्त आयोग में किये गये आंकलन (₹ 10,280 करोड़) से अधिक रही।

ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात, राज्य की ऋण सहनीयता को निर्धारित करता है। वर्ष के दौरान ब्याज अदायगियों का राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 11.5 प्रतिशत रहा ।

1.7.3.4 अर्थ-सहाय्य

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज के साधनहीन वर्ग को अर्थ-सहाय्य/आर्थिक सहायता प्रदान करना असामान्य बात नहीं है। अर्थ-सहाय्य केवल प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं दी जाती है अपितु जनता को अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक सेवाएँ उपलब्ध कराके भी वितरित की जा सकती है। अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य की श्रेणी में वित्तीय संस्थाओं को बजटीय समर्थन, निवेशों पर अपर्याप्त प्रतिलाभ एवं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर उपभोक्ता प्रभारों की अल्प वसूली शामिल है। प्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य आंशिक चित्र प्रस्तुत करता है क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य सम्मिलित नहीं होता है।

चालू वर्ष के दौरान ₹ 8,626 करोड़ का प्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य वित्त लेखे के परिशिष्ट II में दर्शाया गया है जो कि गत वर्ष (₹ 6,910 करोड़) की तुलना में ₹ 1,716 करोड़ (25 प्रतिशत) अधिक रहा जो कि मुख्यतः विद्युत (₹ 8,330 करोड़), फसल कृषि-कर्म (₹ 130 करोड़) एवं घरेलू गैस (₹ 125 करोड़) के क्षेत्र में रहा।

विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य कुल अर्थ-सहाय्य का 96.6 प्रतिशत था। 2014-15 के दौरान विद्युत क्षेत्र को मुख्यतः विद्युत दरें (₹ 5,895.65 करोड़³⁰) न बढ़ाने के लिए विद्युत कर (₹ 1,175 करोड़³¹) बन्ध पत्र पर ब्याज

³⁰ (i) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 2,633.17 करोड़, (ii) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 1,660.36 करोड़ तथा (iii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 1,602.12 करोड़।

³¹ (i) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 500.55 करोड़, (ii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 354.45 करोड़ तथा (iii) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 320 करोड़।

(₹ 760.73 करोड़³²) तथा वित्तीय पुनर्संरचना प्रोग्राम के (₹ 441 करोड़³³) के लिए अर्थ-सहाय्य प्रदान किया गया।

विद्युत क्षेत्र अर्थ-सहाय्य गत वर्ष (₹ 6,460 करोड़) की तुलना में 29 प्रतिशत (₹ 1,870 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः दरें न बढ़ाने के लिए अनुदान ₹ 634.22 करोड़³⁴, विद्युत कर के लिए अनुदान ₹ 612.17 करोड़ एवं बॉण्ड्स पर ब्याज हेतु अनुदान ₹ 725.79 करोड़ से बढ़ाने के कारण हुयी जोकि अनुदान ₹ 120 करोड़ से कम होने से प्रतिसन्तुलित हुयी।

घरेलू गैस अर्थ-सहाय्य एवं फसल कृषि-कर्म अर्थ-सहाय्य गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 8 प्रतिशत एवं 148 प्रतिशत से बढ़ा। तथापि, खाद्य वितरण अर्थ-सहाय्य 2013-14 के ₹ 268 करोड़ से 97 प्रतिशत घटकर 2014-15 में ₹ 7 करोड़ हो गया।

1.7.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वर्ष 2010-15 के दौरान अनुदान एवं कर्जों के माध्यम से प्रदान की गई सहायता निम्न प्रकार है:

तालिका 1.16: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					आवंटन	वास्तविक
(अ)स्थानीय निकाय						
नगर निगम एवं नगरपालिकाएँ	1,130.04	1,339.94	2,255.06	2,324.16	2,450.69	2,450.65
पंचायती राज संस्थाएँ	4,365.15	6,217.95	7,675.24	8,953.21	13,832.42	13,833.28
योग (अ)	5,495.19	7,557.89	9,930.30	11,277.37	16,283.11	16,283.93
(ब) अन्य						
शैक्षणिक संस्थाएं (अनुदानित विद्यालय, अनुदानित कॉलेज एवं विश्वविद्यालय इत्यादि)	1,506.21	2,013.12	2,302.98	2,236.99	1,128.22	1,128.22
विकास अभिकरण	354.18	75.07	118.94	195.36	6.93	6.93
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	117.03	72.50	84.27	124.72	169.72	169.47

³² (i) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 284.65 करोड़, (ii) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 247.34 करोड़ तथा (iii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 228.74 करोड़।

³³ (i) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 176.40 करोड़, (ii) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 132.30 करोड़ तथा (iii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 132.30 करोड़।

³⁴ (i) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 372.89 करोड़, (ii) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 242.01 करोड़ तथा (iii) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 19.32 करोड़।

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					आवंटन	वास्तविक
अन्य संस्थाएँ	2,743.03	2,618.23	3,781.66	4,929.02	10,747.31	10,740.54 ³⁵
योग (ब)	4,720.45	4,778.92	6,287.85	7,486.09	12,052.18	12,045.16
योग (अ+ब)	10,215.64	12,336.81	16,218.15	18,763.46	28,335.29	28,329.09
राजस्व व्यय	44,873	53,654	63,462	75510	1,05,387	94,542
सहायता का राजस्व व्यय से प्रतिशत	23	23	26	25	27	30

स्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा संकलित वाउचर

स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय सहायता पिछले वर्ष से 44 प्रतिशत की वृद्धि अंकित करते हुए ₹ 5,006.56 करोड़ से बढ़ी तथा अन्य संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता पिछले वर्ष से 61 प्रतिशत की वृद्धि अभिलिखित करते हुए ₹ 4,559.07 करोड़ से बढ़ी। इसके अतिरिक्त 2010-15 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता उनके राजस्व व्यय की 23 से 30 प्रतिशत तक रही।

वर्ष 2014-15 के दौरान वित्तीय सहायता मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान (₹ 4,120 करोड़); राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (₹ 3,230 करोड़); पंचायत समितियों को प्राथमिक विद्यालयों के लिए (₹ 3,132 करोड़); राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनुदान (₹ 1,763 करोड़); तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनुदान (₹ 888 करोड़); नगरपालिकाओं/नगर परिषदों हेतु निर्बन्ध निधियाँ (₹ 661 करोड़); मिड-डे मील (₹ 566 करोड़) तथा राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगरपालिकाओं/नगर परिषद हेतु (₹ 481 करोड़) दी गई।

1.7.5 स्थानीय निकायों से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु

स्थानीय निकायों यथा पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) एवं शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) से संबंधित मुख्य बिन्दुओं की स्थिति निम्नलिखित अनुच्छेदों में सारांशीकृत है :

1.7.5.1 पंचायती राज संस्थान

(i) प्रस्तावना

31 मार्च 2015 को राज्य में 33 जिला परिषदें (पंचायत प्रकोष्ठ), 295 पंचायत समितियाँ एवं 9894 ग्राम पंचायतें सचिव, पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन थी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का उनके पंजीयन निरस्तीकरण के पश्चात जिला स्तर पर 33 जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के तौर पर पंचायती राज संस्थाओं में ही विलय कर दिया गया तथा सचिव,

³⁵ इसमें (i) शिक्षा: ₹ 4,284.45 करोड़; (ii) प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत: ₹ 1,522.48 करोड़ एवं (iii) फसल कृषि -कर्म: ₹ 1,022.86 करोड़ के लिए दी गई अनुदानें सम्मिलित हैं।

ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रखा गया। उक्त दोनों सचिवों को प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रखा गया है। जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के लेखों एवं लेखापरीक्षा से संबंधित मामले राजस्थान पंचायती राज अधिनियम (रा.पं.रा.अ.), 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम (रा.पं.रा.नि.), 1996 द्वारा शासित होते हैं जबकि जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) की लेखा एवं लेखापरीक्षा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1984 में जारी एवं 2001 तक संशोधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/समितियों के लिए लेखांकन प्रक्रिया से शासित होती है।

(ii) हस्तांतरण

73वें संविधान संशोधन की अनुपालना में संविधान की 11वीं अनुसूची के क्रम में 29 विषयों के कार्य हस्तांतरित किये जाने थे। प्रारम्भिक रूप से 28 विषयों के कार्य हस्तांतरित किये गये। निधियाँ एवं कार्मिक केवल 20 विषयों (*परिशिष्ट 1.11*) के संबंध में ही अंतरित किये गये। तदनन्तर, जनवरी 2004 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित 5 विभागों की निधियाँ, कार्य एवं कार्मिक अस्थायी रूप से विभाग से वापस ले लिए गये थे।

(iii) लेखापरीक्षा, लेखा एवं प्रमाणन

रा.पं.रा. अधिनियम की धारा 75(4) पंचायती राज संस्थाओं के सभी लेखों की निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग (डी.एल.एफ.ए.डी.) द्वारा राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत अंकेक्षण किये जाने का प्रावधान करती है, और साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा भी जिसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाएंगे। इस अधिदेश के अलावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत भी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के लिए अधिकृत हैं। तथापि, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) की लेखापरीक्षा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हेतु निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया (2001 में संशोधित) में समाहित प्रावधानों के अनुसार सनदी लेखाकारों द्वारा किया जाना जारी था जिसके अनुसार लेखों की लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन सनदी लेखाकारों द्वारा किया जायेगा तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वितीयक लेखापरीक्षक हैं।

पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रमाणीकरण के संबंध में प्रावधान राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम के नियम 23(ज) एवं नियम 25(xi) तथा निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग मैनुअल, 1994 के पैरा 4 में है।

स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (टी.जी.एस.) के अंतर्गत निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग इस कार्यालय से निरन्तर मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। इसमें 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान के 12 (3 जिला परिषद, 5 पंचायत समिति एवं 4 ग्राम पंचायत) पंचायती राज संस्थाओं के निरीक्षण प्रतिवेदन सम्मिलित हैं। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा दी गयी सूचनाओं से प्रकट हुआ कि इन पंचायती राज संस्थाओं के लेखों का प्रमाणन नहीं किया गया था।

31 मार्च 2015 तक लेखे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन बनाये गये राजस्थान पंचायती राज नियम के अंतर्गत परम्परागत प्रारूपों में संधारित किये जा रहे थे। इसी बीच पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किये गये सरलीकृत लेखांकन प्रारूप 2009, डाटा प्रविष्टि तथा 8 डाटाबेस प्रारूपों के रखरखाव हेतु आदर्श लेखांकन “पंचायती राज संस्थान लेखांकन सॉफ्टवेयर” (पीआरआईए सॉफ्ट) सहित अप्रैल 2011 से अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए स्वीकार किया गया। पंचायती राज विभाग ने सूचित (28 मई 2015) किया कि वर्ष 2014-15 के लिए केवल 03 जिला परिषद, 19 पंचायत समितियों एवं 663 ग्राम पंचायतों की वार्षिक पुस्तकें पीआरआईए सॉफ्ट का प्रयोग करते हुए संवरित की गयी हैं।

इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं में लेखांकन की स्थिति न केवल अपरिष्कृत थी, अपितु जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के अलावा जिसकी लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश-2001 (जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के लिए बनाये गये जिनका पंजीयन 2003 में रद्दकर पी.आर.आई. में जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के रूप में विलय कर दिया गया) के प्रावधानों के अंतर्गत सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन जारी था एवं इसका प्रमाणन प्राथमिक या सांविधिक लेखा परीक्षा द्वारा नहीं किया गया था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पंचायती राज संस्थाओं को 2014-15 के दौरान ₹ 13,833.28 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी जिसका केवल वह भाग जो पूर्ववर्ती जिला ग्रामीण विकास अधिकरणों से संबंधित था सनदी लेखाकारों द्वारा प्रमाणित था। शेष राशि लेखापरीक्षक/स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित होने से बची रही।

1.7.5.2 शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित मुख्य बिन्दु

31 मार्च 2015 तक 7 नगर निगम, 34 नगर परिषद एवं 147 नगर पालिकायें प्रमुख सचिव, स्थानीय स्व-शासन विभाग (एल.एस.जी.डी.) के प्रशासनिक नियन्त्रण के अंतर्गत थे। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग प्राथमिक लेखापरीक्षक हैं तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत इनकी लेखापरीक्षा करते हैं।

निदेशक, स्थानीय निकाय (डी.एल.बी.) द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकायों को लेखे उपार्जन आधार पर संधारित करने के लिये निर्देशित (1 अप्रैल 2010) किया गया था। निदेशक, स्थानीय स्व-शासन विभाग के प्रतिवेदन (10 जून 2015) के अनुसार राज्य में सभी शहरी स्थानीय निकाय उपार्जन के आधार पर लेखे संधारित कर रहे हैं। यद्यपि निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा दी गयी सूचना (25 मई 2015) के अनुसार उपार्जन आधारित पद्धति पर लेखे जोधपुर खण्ड के केवल 02 शहरी स्थानीय निकाय (सोजत एवं भीनमाल) में तैयार किये जा रहे हैं। इस प्रकार उपार्जन आधार पर लेखों के संधारण की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंषाओं के अनुच्छेद 10.160(ii) की अनुपालना में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 99क(2), 2011 में संशोधित की गयी में, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की लेखापरीक्षा पर टी.जी.एण्ड एस. का प्रावधान किया गया है। टी.जी.एण्ड एस. व्यवस्था के अंतर्गत निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग इस कार्यालय से नियमित रूप से मार्गदर्शन प्राप्त करता रहता है। इसमें 12 शहरी स्थानीय निकाय (3 नगर निगम, 4 नगर परिषद एवं 5 नगर पालिका) की 2007-14 की अवधि के निरीक्षण प्रतिवेदन सम्मिलित हैं। इन निरीक्षण प्रतिवेदन के परीक्षण एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा दी गयी जानकारी से प्रकट हुआ कि राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम के नियम 23(ज) में प्रावधान के उपरान्त भी लेखों के अपूर्ण संधारण के फलस्वरूप वार्षिक लेखों का प्रमाणन नहीं किया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि शहरी स्थानीय निकाय को 2014-15 के दौरान कुल ₹ 2,450.65 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गयी।

74वें संविधानिक संशोधन द्वारा अंतर्विष्ट धारा 243डब्ल्यू में संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लेखित 18 विषयों के संबंध में नगरपालिकाओं को शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण विहित किया गया है। डी.एल.बी. द्वारा दी गयी सूचना (जून 2015) के अनुसार 16 विषयों (परिशिष्ट 1.12) से संबंधित कार्य पहले से ही संपादित किये जा रहे हैं। शेष दो कार्यों के संबंध में 188 शहरी स्थानीय निकायों में से 7³⁶ में जलापूर्ति का कार्य किया जा रहा है जबकि 6 फरवरी 2013 की अधिसूचना के अनुसार 'शहरी आयोजना' के कार्य का हस्तांतरण शहरी स्थानीय निकायों को किया जाना अभी बाकी है। स्थानीय निकायों यथा पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) एवं शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से संबंधित मुख्य बिन्दुओं की स्थिति निम्नानुसार सारांशीकृत है:

विभिन्न संस्थाओं एवं प्राधिकरणों के लेखों में अनियमितताएँ

(i) स्टेट बजट मेन्युअल के खण्ड-11 की सूची के अनुसार प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (न.वि.आ.), राजस्थान, जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण (ज.वि.प्रा.) के नियंत्रण अधिकारी हैं। विक्रय, भू.-नियमन एवं रूपान्तरण तथा नगरीय निर्धारण शुल्क से प्राप्तियों को न.वि.आ. के शीर्षों 0075-105-07-01, 0029-800-07-03 एवं 0075-800-03-01 में क्रमशः जमा कराया जाता है।

³⁶ बूंदी, चौमूं, जैसलमेर, करौली, नागौर, नाथद्वारा एवं नोखा

राजस्थान सरकार (राजस्व विभाग) के आदेश (08 दिसम्बर 2010) एवं न.वि.आ. विभाग के आदेश (31 मई 2012 एवं 21 जून 2012) के अनुसार भूमि विक्रय से प्राप्त धन की वसूली का 20 प्रतिशत, नियमन एवं रूपान्तरण प्रभारों से राजस्व वसूली का 40 प्रतिशत और नगरीय निर्धारण शुल्क की राजस्व वसूली का 60 प्रतिशत सरकारी लेखों में सम्बन्धित शीर्षों में जमा कराना था। राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत ज.वि.प्रा. के 2014-15 के अंकेक्षित वार्षिक लेखों के विवरण, और प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.), राजस्थान, जयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार 2014-15 के दौरान राजस्व वसूली एवं राज्य सरकार के खाते में जमा की स्थिति निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

भू-खण्ड/भूमि विक्रय			नियमन एवं रूपान्तरण प्रभार			नगरीय निर्धारण शुल्क (लीज राशि)		
प्राप्तियाँ	रा.स. का अंश (20 प्रतिशत)	वास्तविक जमा राशि	प्राप्तियाँ	रा.स. का अंश (40 प्रतिशत)	वास्तविक जमा राशि	प्राप्तियाँ	रा.स. का अंश (60 प्रतिशत)	वास्तविक जमा राशि
1191.10	238.22	122	114.65	45.86	21.35	149.06	89.44	शून्य

इस प्रकार ज.वि.प्रा. द्वारा संबंधित शीर्षों में राशि ₹ 230.17 करोड़ (₹ 116.22 करोड़, ₹ 24.51 करोड़ एवं ₹ 89.44 करोड़ कम जमा कराई गई, जो कि राजकीय आदेशों की गैर-अनुपालना को इंगित करता है।

(ii) निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग (नि.स्था.नि.अं.वि.) के अंकेक्षण पर इस कार्यालय द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (त.मा. एवं प.) की पालना में की गई अनुवर्ती कार्रवाई और वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा के दौरान निम्नांकित वृहद् अनियमितताएँ पाई गई:-

(अ) ज.वि.प्रा. अधिनियम 1982 की धारा 62 राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अनुसार ज.वि.प्रा. का अंकेक्षण परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण द्वारा किये जाने को निर्धारित करती है। ज.वि.प्रा. अधिनियम की धारा 64 के अनुसार राज्य सरकार वार्षिक प्रतिवेदन मय लेखों के विवरण (ज.वि.प्रा. द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत) राज्य विधान सभा के पटल पर रखेगी। राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम 1954 के अधीन बनाये गये राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम 1955 के नियम 23 (एच) के अनुसार वार्षिक लेखों की शुद्धता का प्रमाणीकरण परीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। यह व्यक्त करता है कि ज.वि.प्रा. के लेखे नि.स्था.नि.अ.वि. द्वारा अनिवार्यतः प्रमाणित किये जाने थे।

नि.स्था.नि.अ.वि. द्वारा ज.वि.प्रा. की अवधि 2009-13 (नि.प्र. 2009-10 एवं 2010-13) के अंकेक्षण के दौरान, उक्त वर्णित नियम एवं विनियमों और संहिता प्रावधानों का उल्लंघन कर नि.स्था.नि.अं.वि. द्वारा न तो लेखों का प्रमाणीकरण किया गया न ही अंकेक्षण प्रमाण-पत्र जारी किया गया। राजस्थान सरकार के

माध्यम से राजस्थान विधान सभा में रखे गये ज.वि.प्रा. के 2011-12 से 2014-15 के अंकेक्षित वार्षिक लेखों के विवरणों से प्रकट होता है कि ये लेखे सनदी लेखाकार (स.ले.) द्वारा प्रमाणित थे। ज.वि.प्रा. अधिनियम में स.ले. से प्रमाणन करवाने का कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है। यही नहीं ज.वि.प्रा. अधिनियम के अनुसार लेखे नि.स्था.नि.अं. से प्रमाणित करवाये जाने थे, जो कि नहीं किये जा रहे थे।

अवधि 2011-15 के लिये विधान सभा के समक्ष रखे गये स.ले. द्वारा ज.वि.प्रा. के अंकेक्षित लेखों की जांच में स.ले. द्वारा की गई कई टिप्पणियां पाई गईं। जिनमें से कुछ नीचे दी गई हैं:-

- (i) लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण नहीं करना।
- (ii) स्थाई परिसम्पत्तियों की पंजिकाओं का संधारण नहीं करना।
- (iii) भौतिक सत्यापन का अभाव।
- (iv) विभिन्न बैंकों और निक्षेप लेखाओं का संधारण एवं समाधान नहीं करना।
- (v) विकास कार्यों के लिए अवाप्त भूमि से संबंधित व्यवहारों की प्रमात्रा एवं मूल्य का निश्चितीकरण और प्रतिवेदित नहीं करना।
- (vi) प्राधिकरण के संव्यवहारों की लेखांकन/प्रणाली पर आन्तरिक नियंत्रण एवं आन्तरिक जांच का अभाव।
- (vii) वसूलनीय राशि, प्राप्तियों का समाधान, रा.स. और नगर निगम जयपुर को रूपांतरण प्रभार/भूमि विक्रय प्रतिफल के भुगतान को नकद लेखांकन के कारण विकास भुगतान मानना, आदि।

स.ले. द्वारा वर्ष दर वर्ष उपरोक्त टिप्पणियां करने के बावजूद, ये कमियां मार्च 2015 तक लगातार जारी रही।

(ब) इसी तरह नि.स्था.नि.अं.वि. द्वारा अन्य संस्थाओं एवं प्राधिकरणों (जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यास (न.सु.न्या.) बीकानेर तथा भिवाडी) के अंकेक्षण के दौरान की गई टिप्पणियां³⁷ यथा वार्षिक लेखे प्राधिकरण की सत्य एवं उचित स्थिति नहीं दर्शाते, वार्षिक लेखे प्रमाणित नहीं

37

क्र.सं.	संस्था/प्राधिकरण का नाम	नि.प्र. अवधि	नि. स्था. नि.अं. विभाग प्रतिवेदन में टिप्पणियां
1	जोधपुर विकास प्राधिकरण	(2012-13 से 2013-14)	वार्षिक लेखे प्राधिकरण की सत्य एवं उचित स्थिति नहीं दर्शाते
2	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	(2012-2013)	वार्षिक लेखे प्रमाणित नहीं
3	नगर सुधार न्यास, बीकानेर	(2008-2013)	वार्षिक लेखों को प्रमाणित करना सम्भव नहीं था
4	नगर सुधार न्यास, भिवाडी	(2013-2014)	वार्षिक लेखे प्रमाणित नहीं किये गये

किये गये, दर्शाती है कि नि.स्था.नि.अ.वि. लेखों को प्रमाणित करने में असमर्थ था।

इन संस्थाओं के वार्षिक लेखों के प्रमाणीकरण के अभाव में लेखों में वर्णित आंकड़ों की विश्वसनीयता एक सीमा तक प्रश्नयोग्य है।

1.8 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत ढाँचे की उपलब्धता उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के मूलतः तीन दृष्टिकोण शामिल होते हैं, यथा पर्याप्तता (लोक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त प्रावधान), उपयोग की दक्षता एवं प्रभावोत्पादकता (चयनित सेवाओं के लिए परिव्यय-परिणाम के सम्बन्धों का आंकलन) पर व्यय ।

1.8.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत ढाँचे से सम्बन्धित व्यय की राज्य सरकार को सौपी गयी जिम्मेदारियां मुख्यतया राज्य का विषय है। मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्य मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, एवं स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय को बढ़ाये। न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (किसी एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का समग्र व्यय से अनुपात), यदि यह सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से नीचे है तो उस क्षेत्र विशेष से जोड़ कर देखी जाती है।

नीचे दी गयी तालिका 1.17 वर्ष 2014-15 के दौरान विकासात्मक व्यय, सामाजिक व्यय एवं पूँजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.17: वर्ष 2011-12 एवं 2014-15 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	समग्र व्यय/ जीएसडीपी	विकासात्मक व्यय # / समग्र व्यय	सामाजिक क्षेत्र व्यय/ समग्र व्यय	आर्थिक क्षेत्र व्यय/ समग्र व्यय	पूँजीगत व्यय/ समग्र व्यय	शिक्षा/समग्र व्यय	स्वास्थ्य/ समग्र व्यय
सामान्य श्रेणी के राज्यों* का औसत (अनुपात) 2011-12	15.98	65.39	36.63	28.76	13.23	17.10	4.68
राजस्थान का औसत (अनुपात) 2011-12	14.94	69.00	38.75	30.25	11.50	18.90	5.45
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2014-15	16.49**	69.12	36.50	32.61	14.01	16.23	5.04
राजस्थान का औसत (अनुपात) 2014-15	19.38	74.49	39.40	35.09	14.46	17.44	5.80

* पांडिचेरी के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के राज्य।

** गोवा एवं पांडिचेरी के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के राज्य।

विकासात्मक व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

स्रोत: (i) राजस्थान की जीएसडीपी के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार से संग्रहित सूचना एवं वित्त लेखे (ii) सामान्य श्रेणी के राज्यों की जीएसडीपी के लिए 31 जुलाई 2015 को सीएसओ की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना सिवाय केरल एवं गुजरात के प्रकरणों में जहाँ पीएजी द्वारा आँकड़े उपलब्ध करवाये गये।

तालिका 1.17 निम्नानुसार इंगित करती है:

- वर्ष 2014-15 के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों (16.49 प्रतिशत) की तुलना में राज्य अपने जीएसडीपी का समग्र व्यय (19.38 प्रतिशत) के अनुपात में अधिक खर्च कर रहा है।
- समग्र व्यय के अंश के रूप में विकासात्मक व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक है।
- समग्र व्यय के अंश के रूप में सामाजिक क्षेत्र व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से भी अधिक है।
- समग्र व्यय के अंश के रूप में आर्थिक क्षेत्र व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से भी अधिक है।
- राजस्थान द्वारा 2011-12 की तुलना में 2014-15 के दौरान पूँजीगत व्यय में वृद्धि को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 में पूँजीगत व्यय का समग्र व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत अंश से अधिक रहा।

1.8.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय के महत्व को देखते हुए राज्य सरकारों के लिए व्यय सुव्यवस्थीकरण के समुचित उपाय करना और कोर पब्लिक गुड्स एण्ड मैरिट गुड्स³⁸ के प्रावधान पर बल देना, महत्वपूर्ण है। विकासात्मक व्यय³⁹ के लिए आवंटन में सुधार के अतिरिक्त, व्यय के उपयोग की दक्षता पूँजीगत व्यय का कुल व्यय (एवं/अथवा जीएसडीपी) से अनुपात और विद्यमान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के प्रचालन एवं रख रखाव पर किये जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात द्वारा भी प्रतिबिम्बित होती है।

³⁸ कोर पब्लिक गुड्स वह साधन एवं सेवाएँ हैं जिसका सभी नागरिक समान रूप से उपयोग इस भाव से करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इनके उपयोग करने से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसी सामग्री के उपभोग करने में कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का प्रवर्तन, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु एवं अन्य पर्यावरणीय साधन तथा सड़क आधारभूत संरचनाएँ इत्यादि। मैरिट गुड्स वे जिन्स हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि वे किसी व्यक्ति तथा समाज के पास, सरकार को भुगतान करने की इच्छा एवं क्षमता के बजाय, आवश्यकता की कुछ धारणा के आधार पर होने चाहिए और इसलिए उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहता है। इन जिन्सों की व्यवस्था के उदाहरणों में गरीबों को पोषण देने के लिए निःशुल्क अथवा रियायती दर पर खाद्यान्न, अस्वस्थता में कमी एवं जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सभी को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना, पीने का पानी, सफाई व्यवस्था इत्यादि।

³⁹ व्यय के आँकड़ों के विश्लेषण को विकासात्मक एवं गैर-विकासात्मक व्यय में अलग-अलग किया गया है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा कर्जे एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया गया है। मोटे तौर पर सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासात्मक व्यय बनाते हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकासात्मक व्यय माना गया है।

इन घटकों का कुल व्यय (एवं/अथवा जीएसडीपी) से अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। **तालिका 1.18** राज्य की चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष उस वर्ष के बजटीय एवं गत वर्ष में वास्तविक की तुलना में विकासात्मक व्यय की प्रवृत्तियों प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.18: विकासात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासात्मक व्यय के घटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					बजट अनुमान	वास्तविक
अ. विकासात्मक राजस्व व्यय	28,115 (55.8)	34,672 (56.0)	42,701 (55.8)	51,921 (57.7)	78,418 (58.8)	66,674 (59.9)
ब. विकासात्मक पूँजीगत व्यय	5,096 (10.1)	6,915 (11.2)	10,434 (13.6)	13,330 (14.8)	19,798 (15.7)	15,569 (14.0)
स. विकासात्मक कर्जे एवं अग्रिम	262 (0.5)	1,109 (1.8)	2,412 (3.2)	812 (0.9)	518 (0.4)	701 (0.6)
विकासात्मक व्यय(अ से स)	33,473 (66.4)	42,696 (69.0)	55,547 (72.6)	66,063 (73.4)	98,734 (78.1)	82,944 (74.5)
विकासात्मक व्यय की वृद्धि दर	9.0	27.6	30.1	18.9		25.6

कोष्ठक में संख्या समग्र व्यय से प्रतिशतता को प्रकट करती है।

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र

विकासात्मक व्यय में सामाजिक-आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय, पूँजीगत परिव्यय तथा कर्जे एवं अग्रिम शामिल है। वर्ष 2014-15 पर्यन्त इसकी कुल व्यय से प्रतिशतता, 2010-11 में 66.4 से बढ़कर 74.5 हो गयी। औसत रूप से वर्ष 2010-15 के दौरान विकासात्मक व्यय का औसत 79.8 प्रतिशत राजस्व खाते पर तथा शेष ऋण एवं अग्रिम सहित पूँजीगत खाते पर रहा।

सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 28 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2013-14 के ₹ 4,551 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में 5,838 करोड़ हो गया एवं इसका कुल पूँजीगत व्यय के साथ अनुपात भी 2013-14 में 33 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 36 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 11 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2013-14 के ₹ 8,779 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 9,731 करोड़ हो गया।

गत वर्ष की तुलना में 2014-15 में सरकार द्वारा आर्थिक सेवाओं के सम्बन्ध में प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे परिवहन, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, ऊर्जा, कृषि एवं सम्बद्ध कार्य कलाप पर पूँजीगत परिव्यय क्रमशः ₹ 409 करोड़, ₹ 194 करोड़, ₹ 291 करोड़, ₹ 165 करोड़ अधिक किया गया।

नीचे दी गयी तालिका 1.19 पूँजीगत व्यय तथा चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किये गये राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.19: चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	2013-14			2014-15		
	पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय में		पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय में	
		वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं अनुरक्षण		वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं अनुरक्षण
(अ) सामाजिक सेवायें						
सामान्य शिक्षा	0.42	59.96	नगण्य	0.29	52.99	नगण्य
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7.09	66.70	0.16	7.50	58.50	0.15
जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	46.95	25.74	1.94	51.94	26.45	1.75
योग (अ)	12.63	43.35	0.32	15.65	41.01	0.25
(ब) आर्थिक सेवायें						
कृषि एवं सम्बद्ध कार्य कलाप	9.83	34.38	0.37	12.10	34.27	0.41
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	39.18	20.28	9.10	42.50	20.43	12.97
विद्युत एवं ऊर्जा परिवहन	35.38	0.01	0.00	31.76	नगण्य	0.00
	59.62	7.14	60.60	60.17	6.85	54.20
योग (ब)	30.05	9.38	5.62	34.68	7.75	4.30
महायोग (अ+ब)*	20.43	29.98	2.40	23.60	26.57	2.01

स्रोत: वित्त लेखे

* (सामाजिक सेवाओं पर व्यय + आर्थिक सेवाओं पर व्यय) / कुल व्यय X 100

सामाजिक सेवाओं पर व्यय

कुल राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय का अंश 2013-14 में 43.35 प्रतिशत से कम होकर 2014-15 में 41.01 प्रतिशत रह गया।

आर्थिक सेवाओं पर व्यय

कुल राजस्व व्यय में आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी पर व्यय का अंश 2013-14 के 9.38 प्रतिशत से कम होकर 2014-15 में 7.75 प्रतिशत रह गया।

संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय

यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि संचालन एवं अनुरक्षण के लिए पर्याप्त निधि का आवंटन किया गया है क्योंकि परिसम्पत्तियों को अनुरक्षित रखा जाना

होता है। सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के राजस्व व्यय में, संचालन एवं अनुरक्षण का अंश 2014-15 में 2.01 प्रतिशत रहा। वर्ष 2014-15 के दौरान, संचालन एवं अनुरक्षण के लिए कुल राजस्व व्यय का मात्र 1.51 प्रतिशत आवंटित किया गया।

सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में अनुरक्षण एवं रख-रखाव का अंश, 2013-14 के 0.32 प्रतिशत एवं 5.62 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में क्रमशः 0.25 प्रतिशत एवं 4.30 प्रतिशत हो गया। वित्त लेखे के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार ने अपनी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए मात्र ₹ 1,465.19 करोड़ (राजस्व: ₹ 1,423.62 करोड़, पूँजीगत: ₹ 41.57 करोड़) रखे।

1.8.3 आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय

वित्त लेखे व्यय का आगे वर्गीकरण, आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय में करते हैं। आयोजना व्यय जिसमें राजस्व एवं पूँजीगत व्यय दोनों शामिल हैं, सामान्यतः नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर हुए वृद्धिशील विकासात्मक व्यय से संबंधित है। पहले से ली जा रही सेवाओं के स्तर को बनाये रखने के लिए सामान्यतः आयोजना-भिन्न व्यय का उपयोग किया जाता है। निम्न तालिका 1.20 विगत पाँच वर्षों में आयोजना तथा आयोजना-भिन्न व्यय की वृद्धि एवं घटकों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.20: आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आयोजना	राजस्व	8,752	12,416	14,235	17,364	27,444
	पूँजीगत	5,231	7,103	10,682	13,676	16,087
	ऋण	189	1,051	2,242	664	646
	योग	14,172	20,570	27,159	31,704	44,177
	आयोजना की कुल व्यय से प्रतिशतता	28	33	35	35	40
आयोजना-भिन्न	राजस्व	36,121	41,238	49,227	58,146	67,098
	पूँजीगत	20	16	1	(-) 12	16
	ऋण	73	58	170	148	55
	योग	36,214	41,312	49,398	58,282	67,169
	आयोजना-भिन्न की कुल व्यय से प्रतिशतता	72	67	65	65	60
कुल व्यय	50,386	61,882	76,557	89,986	1,11,346	

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2011-15 के दौरान कुल व्यय से आयोजना व्यय के अंश में लगातार वृद्धि दर्शाई जो व्यय की उत्पादक गुणवत्ता का संकेत है। वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान आयोजना व्यय 2010-11 के ₹ 14,172 करोड़ से 212 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 में ₹ 44,177 करोड़ एवं इसी अवधि के दौरान आयोजना-भिन्न व्यय ₹ 36,214 करोड़ से 85 प्रतिशत बढ़कर ₹ 67,169 करोड़ हो गया।

आयोजना राजस्व व्यय (आराव्य) एवं आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (आभिराव्य) में 2010-15 की अवधि में लगातार वृद्धि हुई। आराव्य गत वर्ष की तुलना में 58.1 प्रतिशत से बढ़ा जो कि 2014-15 के लिए आराव्य एमटीएफपीएस में अनुमानित 119.8 प्रतिशत की वृद्धि से कम था। इसी प्रकार, आभिराव्य में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि 2014-15 के लिये एमटीएफपीएस में किये गये 14.2 प्रतिशत के आंकलन से अधिक थी।

1.8.3.1 आयोजना राजस्व व्यय

आयोजना राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में ₹ 10,080 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः, मुख्यशीर्ष ग्रामीण रोजगार (₹ 3,308 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹ 3,027 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 1,562 करोड़) एवं परिवार कल्याण (₹ 1,068 करोड़) के अन्तर्गत थी। वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजन राजस्व व्यय का राजस्व व्यय से अनुपात गत वर्ष (23 प्रतिशत) की तुलना में 6 प्रतिशतता बिन्दु अधिक रहा।

1.8.3.2 आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

चालू वर्ष के दौरान आभिराव्य में ₹ 8,952 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः विद्युत (₹ 2,006 करोड़), ब्याज अदायगियों (₹ 1,400 करोड़), पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (₹ 1,185 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹ 1,030 करोड़) एवं सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 915 करोड़) के कारण हुई। आभिराव्य राजस्व व्यय का 71 प्रतिशत एवं कुल व्यय का 60 प्रतिशत रहा।

तेरहवें वित्त आयोग और राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन की तुलना में वास्तविक आभिराव्य एवं आराव्य निम्नानुसार रहे।

तालिका 1.21: तेरहवें वित्त आयोग एवं एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन की तुलना में आभिराव्य एवं आराव्य

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किया गया आंकलन	राजस्थान सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किया गया आंकलन	वास्तविक व्यय
आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय	38,119	69,302	67,098
आयोजना राजस्व व्यय	लागू नहीं	36,085	27,444

स्रोत: वित्त लेखे, बजट प्रपत्र एवं तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन

वास्तविक आभिराव्य तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलन से ₹ 28,979 करोड़ (76 प्रतिशत) अधिक हुआ। तथापि, यह राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 2,204 करोड़ (3.2 प्रतिशत) कम रहा। वास्तविक आराव्य भी एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 8,641 (23.9 प्रतिशत) करोड़ कम रहा।

1.8.4 मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम/योजनाएँ

फ्लैगशिप कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी बुनियादी आधारभूत संरचना का निर्माण करने के उद्देश्य से बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए समग्रता में वृद्धि तथा गरीबी कम करने के उद्देश्य से लागू किये जाते हैं। भारत सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रमों को मजबूती के साथ लागू/पुनर्स्थापन करती है। फ्लैगशिप कार्यक्रम/योजनाओं के पीछे मूल उद्देश्य जनता के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाना है।

वार्षिक योजना 2014-15 में भारत सरकार ने 17 मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम अनुमोदित किये। राज्य बजट, बजट सम्बन्धी प्रलेखों और वित्त लेखे 2014-15 से सम्बन्धित अभिलेखों में शामिल सूचनाओं के अनुसार, राज्य योजना में केन्द्र सरकार के 17 फ्लैगशिप कार्यक्रमों के सम्बन्ध में वित्तीय स्थिति नीचे सारांकित की गई है:

फ्लैगशिप कार्यक्रमों/योजनाओं में बजट अनुमान तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	फ्लैगशिप कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रकृति	कार्यक्रमों/योजनाओं की संख्या	राज्य योजना के लिए बजट अनुमान	राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता	भारत सरकार द्वारा जारी राशी	व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	केन्द्रीय	17	22,091.69	17,246.82	11,870.40	16,679.99	5,411.70

नीचे दी गई तालिका 1.22 के अनुसार 11 कार्यक्रमों/योजनाओं में अनुमानों के विरुद्ध व्यय में वृहद् कमी (30 प्रतिशत से अधिक) साक्ष्यांकित थी।

तालिका 1.22 मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम/योजनाओं में वृहद् कमी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कार्यक्रमों/योजना का नाम	बजट अनुमान	कुल व्यय	व्यय में कमी	प्रतिशत के रूप में कमी
1	निर्मल भारत अभियान (एनबीए)(75:25)	298.33	186.17	112.16	38
2	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)	2,774.00	1,823.05	950.95	34
3	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि जिला घटक (बीआरजीएफ)	335.83	215.05	120.78	36
4	राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण योजना (आरजीपीएसवाई)	72.00	15.22	56.78	79
5	इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई)	859.55	567.05	292.50	34
6	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा)	4,800.00	3,230.01	1,569.99	33
7	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	960.00	405.66	554.34	58
8	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	238.49	20.51	217.98	91

क्रम संख्या	कार्यक्रमों/योजना का नाम	बजट अनुमान	कुल व्यय	व्यय में कमी	प्रतिशत के रूप में कमी
9	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण शहरी मिशन (जेएलएनयूआरएम)	882.35	209.04	673.31	76
10	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस)	1,392.61	908.62	483.99	35
11	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआरबीपी)	527.44	295.83	231.61	44
	योग	13,140.60	7,876.21	5,264.39	

निधियों का उपयोग नहीं किया जाना सम्बन्धित विभागों द्वारा मुख्य केन्द्रीय योजनाओं के निष्पादन एवं निगरानी में रुचि के अभाव को इंगित करता है। उपयोग में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी चार योजनाओं अर्थात् राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण योजना (79 प्रतिशत), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (58 प्रतिशत), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (91 प्रतिशत) और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (76 प्रतिशत) के अन्तर्गत पाई गई। आयोजना विभाग (परिवीक्षण) ने सूचित किया (जुलाई और अगस्त 2015) कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान केन्द्र/राज्य सरकार के किसी कार्यक्रम/योजना को फ्लेगशिप घोषित नहीं किये जाने के कारण फ्लेगशिप कार्यक्रमों का परिवीक्षण नहीं किया गया ।

1.9 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

पश्च-एफआरबीएम ढांचे में, राज्य से अपने राजकोषीय घाटे को निचले स्तरों पर रखने के साथ अपने पूँजीगत व्यय/निवेश (कर्जे तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं को पूरा करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके साथ ही बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के संक्रमण हेतु, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करने एवं उधार लिए गए कोषों की लागत को, अपने बजट में अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य के रूप में दिखाने के स्थान पर वसूल करने के उपाय प्रारम्भ करने तथा उसे वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित उपाय करने की आवश्यकता होती है । यह भाग गत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेश तथा अन्य पूँजीगत व्यय के विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

1.9.1 सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

मार्च 2015 के अन्त तक ₹ 6,052.94 करोड़ के पूँजीगत परिव्यय से पूर्ण की गयी 6 वृहद् एवं 11 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (**परिशिष्ट 1.8**) के वित्तीय परिणामों से प्रकट हुआ कि परियोजनाओं से वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त किया गया राजस्व (₹ 47.60 करोड़) पूँजीगत व्यय का केवल 0.8 प्रतिशत था। यह प्रत्यक्ष कार्यचालन व्ययों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। कार्यचालन तथा

अनुरक्षण व्यय (₹ 228.80 करोड़) तथा ब्याज प्रभार (₹ 572.52 करोड़) को पूरा करने के पश्चात् परियोजनाओं ने ₹ 753.72 करोड़ की निवल हानि उठायी।

राजस्थान में इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना (इगांनप), निष्पादनाधीन सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और इसके विभिन्न चरण गत वर्षों में पूर्ण किये जा चुके हैं। मार्च 2015 के अन्त तक इगांनप पर पूँजीगत व्यय ₹ 4,600.34 करोड़ था। इगांनप से वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त किया गया राजस्व ₹ 16.99 करोड़, पूँजीगत व्यय का मात्र 0.37 प्रतिशत था। यह राजस्व कुल कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय (₹ 132.15 करोड़) एवं ब्याज प्रभार के (₹ 446.95 करोड़) के संदर्भ में भी नगण्य (2.93 प्रतिशत) था। परियोजना ने ₹ 562.11 करोड़ की निवल हानि उठायी।

राज्य में गंग नहर दूसरी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। मार्च 2015 के अन्त तक गंग नहर पर पूँजीगत व्यय ₹ 552.03 करोड़ था। वर्ष 2014-15 के दौरान गंग नहर से प्राप्त किया गया राजस्व ₹ 4.29 करोड़ था जो कि कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय (₹ 21.69 करोड़) एवं ब्याज प्रभार (₹ 52.69 करोड़) की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। परियोजना ने ₹ 70.09 करोड़ की निवल हानि उठायी।

इन परियोजनाओं पर भारी हानियों का मुख्य कारण विगत 5 सालों से बिना संशोधन के प्रचलित कम पानी की दरें हैं। सिंचाई विभाग ने बताया है कि यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है।

1.9.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2015 को अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग-वार सूचना निम्न प्रकार है:

तालिका 1.23: अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की कुल संख्या	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की मूल स्वीकृत लागत	44 जिन्हें संशोधित किया गया, की मूल अनुमानित लागत		44 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत	44 संशोधित परियोजनाओं की लागत वृद्धि	31 मार्च 2015 को सभी अपूर्ण परियोजनाओं पर संचित वास्तविक व्यय
			संख्या	राशि			
			जल संसाधन विभाग/परियोजनाएं	50			
सार्वजनिक निर्माण विभाग/परियोजना	76	1,525.68	9	118.87	200.81	81.94	906.75
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	73	20,432.80	16	4280.96	6459.33	2178.37	6,892.70
योग	199	26,183.26	44	5377.85	10815.25	5437.40	11,166.95

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मार्च 2015 को 199 अपूर्ण परियोजनाएं (प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक) थीं जिनमें ₹ 11,167 करोड़ की राशि अवरूद्ध थी। इनमें से 45 परियोजनाएँ (₹ 9,682.93 करोड़) विगत 5 से 21 वर्षों से अपूर्ण थीं जिसमें से 26 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत ₹ 4,308 करोड़ (आरम्भिक लागत) से 98 प्रतिशत बढ़कर ₹ 8,545 करोड़ हो गयी। इस प्रकार कुल लागत वृद्धि ₹ 5,437 करोड़ थी जिसमें से नर्मदा जालौर परियोजना में ही ₹ 467.53 करोड़ से ₹ 2,481.49 करोड़ अर्थात् 431 प्रतिशत (₹ 2,013.96 करोड़) की वृद्धि हुई। सभी अपूर्ण परियोजनाओं/निर्माण कार्यों में अवरूद्ध राशि (₹ 11,166.95 करोड़) राज्य के संचयी पूँजीगत व्यय (₹ 1,08,971.29 करोड़) का 10 प्रतिशत थी।

तालिका 1.24 में वर्णित 12 परियोजनाओं (प्रत्येक परियोजना ₹ 10 करोड़ से अधिक) में विगत वर्ष 2014-15 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। मार्च 2014 तक किया गया व्यय और मार्च 2015 तक किया गया संचयी व्यय वही ₹ 70.67 करोड़ रहा।

तालिका 1.24: अपूर्ण परियोजनाओं पर वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय नहीं

(₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	वास्तविक स्वीकृति लागत	31.03.2015 को संचित वास्तविक व्यय
जल संसाधन विभाग की परियोजनाएँ				
1.	अहमदी	2007-08	18.97	0.01
2.	दोहरी माइनर	2012-13	21.30	0.04
3.	हदमथिया	2012-13	13.23	2.53
4.	बी बी एस सी आर डी 115 से 118.59 किमी (एम आई एस-X)	2013-14	15.31	0.00
5.	बी बी एस सी आर डी 118.59 से 120.84 किमी (एम आई एस-XI)	2013-14	14.22	0.00
सार्वजनिक निर्माण विभाग की परियोजनाएँ				
6.	बयाना में राजकीय बालिका कॉलेज तथा छात्रावास का निर्माण	2011-12	10.64	0.02
7.	धौलपुर एस डब्ल्यू एम जी जी सी मथुरा रोड़ पर आर ओ बी का निर्माण (एस एच 1) किमी. 230	2007-08	10.00	21.57
8.	रास कामोस नागलेव जेटाना मांगलीवास रोड़	उपलब्ध नहीं	20.00	15.38
9.	रामठला बजता घटियाली नपाखेरा सड़क पर खारी नदी पर उच्च स्तरीय पुल	2009-10	12.01	8.64
10.	बनास नदी पर एस एच 37-ए से बोदुण्डा राजमहल देवली (बी आर-23) सी डी कार्य का निर्माण	2012-13	20.83	17.21
11.	आर ओ बी श्रीमहावीरजी एल. सी. सं. 195 डब्ल्यू सी आर	2011-12	18.77	0.10
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की परियोजनाएँ				
12.	यू डब्ल्यू एस एस हनुमानगढ़ फेज II का पुनर्गठन	2013-14	16.29	5.17
योग			191.57	70.67

स्रोत: वित्त लेखे

उक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि यद्यपि जल संसाधन विभाग की पाँच परियोजनाओं को 2007-08, 2012-13 तथा 2013-14 में प्रारम्भ किया गया था, स्वीकृत ₹ 83.03 करोड़ की लागत के सन्दर्भ में नगण्य (₹ 2.58 करोड़) व्यय किया गया।

निर्धारित समय में परियोजनाओं के पूर्ण नहीं होने के कारण न केवल समाज को मिलने वाले सम्भावित लाभ में विलम्ब हुआ बल्कि इनकी पूर्णता में समय वृद्धि के कारण राजकोष की लागत में भी गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई।

1.9.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2015 तक सरकार ने 43 सरकारी कम्पनियों (₹ 26,423.44 करोड़), 7 सांविधिक निगमों (₹ 764.34 करोड़), 2 ग्रामीण बैंकों (₹ 73.69 करोड़), 25 संयुक्त पूँजी कम्पनियों (₹ 140.65 करोड़) और सहकारी बैंकों तथा समितियों (₹ 507.47 करोड़) में ₹ 27,909.59 करोड़ का निवेश किया। उक्त निवेश में अकार्यशील सांविधिक निगमों में ₹ 19.37 करोड़ एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 10.83 करोड़ का निवेश भी शामिल है। इस निवेश पर विगत चार वर्षों में औसत प्रतिलाभ 0.1 से 0.4 प्रतिशत रहा जबकि सरकार ने अपनी उधारों पर 7.3 से 7.7 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज चुकाया (तालिका 1.25), इस प्रकार राज्य को निवेश पर प्रतिलाभ अत्यधिक कम रहा।

उधार लिए गए कोष का ऐसे निवेश के लिए लगातार उपयोग, जिससे पर्याप्त वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं होता है, असाध्य वित्तीय स्थिति की ओर ले जायेगा।

तालिका 1.25: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	11,112.16	13,920.78	18,753.33	23,518.00	27,909.59
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	20.76	57.58	57.18	24.60	63.33
प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर ⁴⁰ (प्रतिशत)	7.7	7.7	7.4	7.3	7.5
ब्याज दर एवं प्रतिलाभ का अन्तर (प्रतिशत)	7.5	7.3	7.1	7.2	7.3

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2014-15 के दौरान, राज्य सरकार का सरकारी कम्पनियों, ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों और समितियों में निवल निवेश ₹ 4,391.59 करोड़ था। इसमें से

⁴⁰ गणना की पद्धति के लिए शब्दावली पृष्ठ 178 पर देखें।

₹ 3,959.21 करोड़⁴¹ का निवेश हानि में चल रही पाँच सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों मुख्यतः चार बिजली कम्पनियों में किया गया। सरकार ने 31 मार्च 2015 तक ₹ 24,093.30 करोड़ (कुल निवेश का 86 प्रतिशत) पाँच बिजली कम्पनियों में निवेश किए।

राज्य सरकार के निवेश में 40 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 26,412.60 करोड़ सम्मिलित थे जिनमें से केवल सात कम्पनियों ने ₹ 514.83 करोड़ के निवेश के समक्ष कुल ₹ 60.31 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

राशि ₹ 25,012.63 करोड़ का कुल निवेश, 2 सांविधिक निगमों, 18 सरकारी कम्पनियों एवं 6 संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में किया गया और इन कम्पनियों की संचित हानि की राशि ₹ 73,650.73 करोड़ थी, जिसमें से पाँच बिजली कम्पनियों में संचित हानि की राशि ₹ 71,899.49 करोड़⁴² थी।

राज्य स्वामित्व वाले कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भारी हानियों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को उनके कामकाज की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए ताकि उनकी हानियों को कम किया जा सके, और उनसे प्रतिलाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में समुचित रणनीति बनायी जानी चाहिये। यह देखा जाना महत्वपूर्ण है कि विद्युत कम्पनियों द्वारा भारी हानियाँ लेखांकित किये जाने के बावजूद, राज्य सरकार अत्यधिक कम दर के प्रतिलाभ पर उनमें महत्वपूर्ण निवेश करती रही जिनमें अन्यथा वित्तीय नवीनीकरण योजनाएँ लागू कर नवजीवन का संचार कर मजबूती प्रदान करनी चाहिये थी।

तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को अकार्यशील कम्पनियों को बन्द करने के लिए मार्च 2011 तक एक रोडमैप तैयार करने की सिफारिश की थी। तथापि, यह दृष्टिगत हुआ कि सरकार ने छः अकार्यशील सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों⁴³ के सम्बन्ध में कोई रोडमैप तैयार नहीं किया।

⁴¹ (i) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 1,041.10 करोड़; (ii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 988.46 करोड़; (iii) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 968.15 करोड़; (iv) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड: ₹ 881.50 करोड़ तथा (v) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर: ₹ 80 करोड़।

⁴² (i) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 23,096.51 करोड़; (ii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 23,250.87 करोड़; (iii) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 22,590.33 करोड़; (iv) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड: ₹ 1,584.53 करोड़ एवं (v) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड: ₹ 1,377.25 करोड़।

⁴³ (i) राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुर: (₹ 19.36 करोड़), (ii) राजस्थान राज्य मण्डी विकास निगम, जयपुर: (₹ 0.65 लाख), (iii) राजस्थान जल प्रदाय और मल निकास निगम, जयपुर: (₹ 0.08 लाख), (iv) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर: (₹ 10.61 करोड़), (v) राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर: (₹ 16.75 लाख) एवं (vi) राजस्थान राज्य विद्युत निगम, जयपुर (₹ 5.00 लाख)।

1.9.4 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियाँ भी निष्पादित की जाती हैं। सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति, वर्ष जब तक के प्रोफार्मा लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया, इन उपक्रमों में किये गये पूँजीगत निवेश पर प्रतिलाभ के साथ-साथ निवल लाभ/हानि को **परिशिष्ट 1.9 एवं 3.4** में दिया गया है। यह दृष्टिगत हुआ कि राज्य सरकार द्वारा 10 उपक्रमों में उस वित्तीय वर्ष के अन्त जब तक कि उनके लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया, राशि ₹ 13,875.22 करोड़ का निवेश किया गया था। इनमें से मात्र 2 उपक्रमों ने 2013-14 के दौरान राशि ₹ 22.38 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया जबकि लगातार हानि में चल रहे शेष 8 उपक्रमों की विगत पाँच वर्षों से अधिक समय से संचयी हानि ₹ 11,032.00 करोड़ रही।

1.9.5 राज्य सरकार द्वारा कर्जे एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इनमें से बहुत-सी संस्थाओं/संगठनों को कर्जे तथा अग्रिम भी प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2015 को बकाया कर्जे तथा अग्रिम और विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज प्रप्तियों के समक्ष ब्याज अदायगियों को **तालिका 1.26** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.26: सरकार द्वारा दिये गये कर्जों पर प्राप्त औसत ब्याज

कर्जों की मात्रा/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	3,198	4,508	4,958	5,004
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	2,412	812	518	701
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	1,102	316	151	1,004
अन्तिम शेष	4,508	5,004	5,325	4,701
निवल वृद्धि	1,310	496	367	(-) 303
ब्याज प्राप्तियाँ	150	143	-	129
बकाया कर्जे तथा अग्रिम से प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ	3.9	3.0	-	2.7
ब्याज अदायगियों की राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं से प्रतिशत	7.4	7.3	-	7.5
ब्याज अदायगियों तथा ब्याज प्राप्तियों में अन्तर (प्रतिशत)	(-) 3.5	(-) 4.3	-	(-) 4.8

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य द्वारा उच्च दर पर उधार लिया गया जबकि दिये गये उधारों पर बहुत कम दर से ब्याज अर्जित किया गया।

विद्युत परियोजनाओं को ₹ 4,701 करोड़ के कुल कर्ज एवं अग्रिम में से, ₹ 2,560 करोड़ (54 प्रतिशत) के कर्ज एवं अग्रिम दिये गये। वर्ष के दौरान कर्जों तथा अग्रिमों के संवितरण की राशि वर्ष 2013-14 के ₹ 812 करोड़ से वर्ष 2014-15 में कम होकर ₹ 701 करोड़ रह गयी। वर्ष के दौरान दी गई कुल ऋण राशि में से सामाजिक सेवाओं के लिए ₹ 275 करोड़ एवं आर्थिक सेवाओं के लिए ₹ 426 करोड़ अन्तरित किये गये।

वर्तमान वर्ष के दौरान कर्जों का मुख्य अंश सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (₹ 216 करोड़), जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (₹ 51 करोड़) तथा आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 94 करोड़), खाद्य भण्डारण तथा भण्डारगृह के अन्तर्गत गोदामों का निर्माण (₹ 90 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 71 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 71 करोड़), तिलम संघ (₹ 35 करोड़) एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड (₹ 25 करोड़) को दिया गया। इन संस्थाओं (परिशिष्ट 1.10) द्वारा गत 12 वर्ष अथवा अधिक वर्षों से ₹ 68 करोड़ से अधिक का ऋण नहीं चुकाया गया।

1.9.6 ऋण, जमा तथा प्रेषणों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष

उन लेखाशीर्षों के अन्तर्गत ऋणात्मक शेष जहाँ ऋणात्मक शेष नहीं होना चाहिये जो प्रतिकूल शेष कहलाता है। उदाहरणार्थ, किसी ऋण या अग्रिम के लेखांकन शीर्ष में ऋणात्मक शेष की गई वास्तविक राशि से अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करता है।

31 मार्च 2015 तक ऋण, जमा तथा प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के अन्तर्गत 14 मुख्य शीर्षों⁴⁴ में राशि ₹ 439.64 करोड़ के 72 मामलों में प्रतिकूल शेष थे। प्रतिकूल शेष मुख्यतः बीमा तथा पेंशन निधि के अन्तर्गत नगरपालिका/नगर परिषद के कर्मचारियों (₹ 417.92 करोड़) की पेंशन निधि, स्थानीय निधि जमा के अन्तर्गत राजस्थान राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड को वितरण (₹ 0.02 करोड़) तथा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को वितरण (₹ 0.56 करोड़), कोषालय को प्रेषण (₹ 0.71 करोड़) तथा उसी लेखाधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन के अन्तर्गत खण्ड द्वारा शीर्षों में समायोजन योग्य (₹ 2.03 करोड़) तथा सरकारी कर्मचारियों को कर्ज (₹ 2.35 करोड़) के अन्तर्गत थे।

⁴⁴ सरकारी कर्मचारियों को कर्ज (44 मामले: ₹ 2.35 करोड़), बीमा तथा पेंशन निधियाँ (2 मामले: ₹ 417.92 करोड़), राज्य प्रावधायी निधि (1 मामला: ₹ 0.01 करोड़), स्थानीय निकायों को जमा (2 मामले: ₹ 0.56 करोड़), भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम (7 मामले: ₹ 12.24 करोड़), 4 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिम (4 मामले: ₹ 0.05 करोड़), अन्य जमायें (1 मामले: ₹ 0.02 करोड़), सामान्य जमा (1 मामला: ₹ 0.05 करोड़), उच्चतम लेखा (6 मामले: ₹ 3.18 करोड़), सरकार द्वारा प्रतिभूति जमा (1 मामला: ₹ 0.52 करोड़) तथा उसी लेखाधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन (3 मामले: ₹ 2.74 करोड़)।

1.9.7 निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य को उपलब्ध संसाधन

पर्याप्त आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों के लिए जनता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये निजी जन सहभागिता (पीपीपी) सरकार या वैधानिक इकाई और निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य ढांचा प्रदान करने की एक व्यवस्था है। राजस्थान सरकार द्वारा योजना विभाग में स्थापित पीपीपी प्रकोष्ठ (जुलाई 2007) आधारभूत विकास पर अधिकार प्राप्त समिति (ईसीआईडी) के सचिवालय के रूप में कार्य करने और राज्य में पीपीपी से संबंधित सभी सूचना के भण्डार के रूप में कार्य करने के लिए तथा आधारभूत क्षेत्र के विकास में शामिल पीपीपी के लिए राज्य सरकार से समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है। प्रशासनिक विभागों को ईसीआईडी के अनुमोदन के लिए अपने प्रस्तावों को पीपीपी प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (जुलाई 2015) के अनुसार राज्य में वर्ष 1995-2015 के दौरान ₹ 15,460.39 करोड़ की लागत राशि की 174 परियोजनाएँ विभिन्न क्षेत्रों में ली गई। इनमें से 31 मार्च 2015 तक 130 परियोजनाएँ (₹ 9,789.39 करोड़) पूर्ण हो चुकी हैं एवं 44 परियोजनाएँ (₹ 5,671.00 करोड़) प्रगति पर थी। इसके अतिरिक्त, सड़क, शहरी आधारभूत संरचना, विद्युत, जल, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित ₹ 35,484.85 करोड़ की 155 परियोजनाएँ भविष्य के लिए बनाई जा चुकी हैं। संशोधित बजट 2014-15 के प्रस्तावित योजना परिव्यय के अनुसार पीपीपी के लिये भागीदारी करने वाले अभिकरणों के ₹ 812.01 करोड़ के संसाधन थे।

पूर्ण हो चुकी, प्रगतिशील एवं भविष्य में लिये जाने वाली पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण हो चुकी		प्रगतिशील		भविष्य के लिए योजना	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	सड़क	50	3,365.64	11	4,640.45	132	22,445.00
2.	शहरी आधारभूत संरचना	17	349.22	6	351.76	16	10,575.85
3.	विद्युत	3	5,473.32	2	415.81	3	712.00
4.	जल	1	46.00	-	-	2	1,700.00
5.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	1	54.01	-	-	-	-
6.	सामाजिक	47	372.50	20	191.19	1	10.00
7.	अन्य	11	128.70	5	71.79	1	42.00
	योग	130	9,789.39	44	5,671.00	155	35,484.85

स्रोत: योजना विभाग, राजस्थान सरकार

यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के दौरान पूर्ण हुए पीपीपी प्रोजेक्ट सड़क क्षेत्र (50), शहरी आधारभूत संरचना (17) एवं अन्य क्षेत्र (11) पिछले वर्ष 2013-14 में पूर्ण हुए प्रोजेक्ट (57, 21 एवं 34) की तुलना में कम रहे। आयोजना विभाग (पीपीपी) ने यह स्पष्ट किया कि (14 अगस्त 2015) कुछ निश्चित सड़क क्षेत्र जो कि सड़क क्षेत्र के अधीन राजस्थान राज्य विकास निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा बनाये जा रहे हैं, पीपीपी के दायरे में नहीं आते, शहरी आधारभूत संरचना के कार्य जो प्रशासनिक विभाग द्वारा देखे जा रहे हैं एवं अन्य क्षेत्रों के भी पूर्ण हुए प्रोजेक्ट प्रशासनिक स्तर पर समीक्षा के बाद पीपीपी दायरे से बाहर किये गये।

बजट अभिलेख 2014-15 की समीक्षा से इस वर्ष एवं पिछले वर्ष पीपीपी प्रोजेक्ट में राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश उससे अर्जित आय का विवरण दोनो क्षेत्र (निजी क्षेत्र एवं लोक क्षेत्र) में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। चालू वर्ष के अभिलेखों में भी पीपीपी प्रोजेक्ट में सरकार एवं निजी क्षेत्र के द्वारा पीपीपी प्रोजेक्ट में किये जाने वाले अनुमानित निवेश का स्पष्ट एवं अलग से उल्लेख नहीं है।।

1.9.8 पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, जल संरक्षण तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण उपकर

- **पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर को प्राप्त करने के लिए बनाई गई निधि के परिचालन और रखरखाव में अनियमितता**

सरकार द्वारा उपकर विशेष उद्देश्य के लिये उपयोग में लेने हेतु लगाए जाते हैं। पारदर्शिता के उद्देश्य से, प्राप्त उपकर एक निश्चित विकास/कल्याण निधि को स्थानान्तरित किये जाते हैं।

2008-09 के बजट भाषण (बिन्दु संख्या 196) में जैविक सन्तुलन को बनाये रखने तथा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को बचाने एवं उसमें सुधार करने के लिए खनिजाधिकार पर पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर लगाने जाने का, विशेष रूप से राज्य के उन क्षेत्रों में जहाँ खनिजों की खानें हैं, प्रस्ताव था, तदनुसार वर्ष 2008-09 के लिये राज्य सरकार के प्रस्तावों के लागू करने के लिये पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर लगाने के लिये वित्त अधिनियम 2008 (2008 के अधिनियम संख्या 11) में धारा 16 में प्रावधान किये गये। अधिनियम की धारा 17 उल्लेख करती है कि लगाये गए उपकर से प्राप्त आय को राज्य की संचित निधि में जमा करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त, राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर नियम 2008 के नियम 13(2) के अनुसार उपकर के रूप में वसूल की गई राशि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य देखभाल निधि के लोक निक्षेप लेखे को स्थान्तरित की जानी थी। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर के लिए प्रावधान प्राप्ति शीर्ष 0853-800-(02) के अन्तर्गत बनाये गये थे। महानिरीक्षक स्टाम्प तथा पंजीकरण को 27 जनवरी 2015 तक इस उपकर की वसूली एवं जमा किये जाने का कार्य सौंपा गया। उसके पश्चात यह कार्य खान एवं भूगर्भ विभाग को सौंपा

गया। राज्य बजट 2011-12 में पृथक शीर्ष “8229-200-07 खनन क्षेत्रों में पर्यावरण एवं सुधार निधि” बनाया गया।

निदेशक, खान एवं भू-गर्भ द्वारा दी गई सूचना (अगस्त 2015) के अनुसार शीर्ष 0853-800-(02)[01] के अन्तर्गत गत पाँच वर्ष के दौरान संग्रहित, स्थानान्तरित उपकर और उसमें से किए गए व्यय की स्थिति को नीचे सारांशीकृत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

प्राप्ति वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्ति	कुल प्राप्तियाँ	व्यय	अन्तिम शेष
2010-11	100.85	61.85	162.70	-	162.70
2011-12	162.70	66.84	229.54	20.86	208.68
2012-13	208.68	47.30	255.98	9.95	246.03
2013-14	246.03	58.60	304.63	13.65	290.98
2014-15	290.98	65.92	356.90	7.12	349.78
योग		300.51		51.58	

सूचनाओं/अभिलेखों की समीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई:

- (i) वर्ष 2011-12 में पहली बार लेखा शीर्ष बनाया गया। उपकर की संग्रहित प्राप्तियों (₹ 24.71 करोड़) को लोक लेखे में वर्ष 2013-14 में स्थानान्तरित किया गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 2012-13 तक राजस्व प्राप्तियों को संचित निधि से लोक लेखे में स्थानान्तरित नहीं किया गया जो कि राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर नियम 2008 के नियम 13(2) का उल्लंघन था ।
- (ii) वित्त लेखे 2014-15 के अनुसार, लोक लेखे ‘खनन क्षेत्र पर्यावरण और स्वास्थ्य सुधार निधि’ में अन्तिम शेष ₹ 3.94 करोड़ था । यह विभाग द्वारा लेखा परीक्षा को उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं में दिए गए अन्तिम शेष ₹ 349.78 करोड़ से बहुत भिन्न था ।
- (iii) विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गए ऑकड़ों के अनुसार 2010-15 की सम्पूर्ण अवधि में कुल आवंटित निधियों का मात्र 17 प्रतिशत व्यय किया गया । अतः यद्यपि, खनन क्षेत्रों में सुधार के लिए उपकर लगाया और एकत्रित किया गया परन्तु उनके लिए कोई कार्यकलाप करने के प्रयास नहीं किये गये।

खनन निदेशक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2012-13 और 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 16.69 करोड़ और ₹ 35 करोड़ निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित किये गये। तथापि खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया और सम्पूर्ण राशि समर्पित की गई।

- राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण निधि को स्थानान्तरित करने में विलम्ब और निधियों का कम उपयोग।

भारत सरकार ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार (सेवा शर्तें और रोजगार विनियमन) अधिनियम 1996 बनाया, जो (अधिनियम) संनिर्माण कामगारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को बनाने और लागू करने के लिए 'राज्य भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के गठन का उल्लेख करता है। बोर्ड के संसाधन बढ़ाने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 (उपकर अधिनियम) और भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण उपकर नियम 1998 बनाया। उपकर अधिनियम की धारा 3 में निर्माण परियोजनाओं की कुल लागत का दो प्रतिशत से अधिक नहीं परन्तु एक प्रतिशत से कम भी नहीं, की दर से उपकर लगाने के लिए उल्लेख है। यह उपकर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों/संगठनों और अर्द्ध सरकारी या निजी संगठनों के सभी संस्थापनों पर लागू होना था।

अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार (सेवा शर्तें और रोजगार विनियमन) नियम 2009 (राज्य नियम) बनाया। श्रम एवं रोजगार विभाग के परिपत्र दिनांक 09 जुलाई 2010 के अनुसार, उपकर से एकत्रित की गई राशि इसके एकत्रित किये जाने के तीस दिन के भीतर बोर्ड को स्थानान्तरित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य नियमों के नियम 43 में उल्लेख है कि इन नियमों के प्रभाव में आने के बाद बोर्ड एक निधि "राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण निधि" का गठन कर सकता है जो अनुदान या ऋण या अग्रिम, लाभार्थियों के अंशदान और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा निश्चित किए गए ऐसे अन्य स्रोतों से बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई राशियों से पोषित होगी।

नियम की धारा 57 और 58 के अन्तर्गत प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग में भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगारों⁴⁵ के कल्याण के लिए बोर्ड ने विभिन्न योजनाएँ (2010-15) घोषित की।

यह देखने में आया कि एकत्रित उपकर और योजनाओं के अन्तर्गत किया गया व्यय निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	एकत्रित उपकर	सरकार से बोर्ड द्वारा प्राप्त राशि	योजनाओं के अन्तर्गत किया गया व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2010-11	85.52	0.50	0.04	8.00
2	2011-12	154.01	10.00	2.20	22.00
3	2012-13	173.83	229.03	11.71	5.11
4	2013-14	251.95	173.83	25.07	14.42
5	2014-15	277.35	251.94	31.05 (लगभग)	12.32
	योग	942.66	665.30	70.07	(औसत) 10.53

⁴⁵ 1. सामान्य दुर्घटना से मृत्यु व घायल होने की दशा में सहायता 2. विवाह सहायता 3. शिक्षा (छात्रवृत्ति) सहायता 4. मातृत्व सहायता 5. गम्भीर बीमारी के लिए चिकित्सा पुर्नभरण 6. मेघावी छात्र/ छात्राओं को नकद पुरस्कार 7. साइकिल वितरण योजना तथा 8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।

यह पाया गया कि एकत्रित किए गए उपकर को नियमों में निर्धारित अवधि की सीमा में बोर्ड को स्थानान्तरित नहीं किया गया। 2010-11 और 2011-12 में एकत्रित किए गए उपकर को 2012-13 में स्थानान्तरित किया गया और उसके बाद निधियों को संग्रहण के अगले वर्ष स्थानान्तरित किया गया। बोर्ड ने सूचित किया (जुलाई 2015) कि वर्ष 2014-15 के लिए उपकर राशि ₹ 277.36 करोड़ राजस्व शीर्ष 0230-800-(06) के अन्तर्गत सरकार में जमा करवाया गया, एवं महालेखाकार से अंक मिलान के बाद राशि को बोर्ड के पी.डी. खाते में स्थानान्तरित करने के लिए वित्त विभाग के पास प्रस्ताव प्रस्तुत किए जावेंगे।

यह पाया गया कि बोर्ड ने पाँच वर्ष की अवधि (2010-15) के दौरान कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर मात्र ₹ 70 करोड़ उपयोग किए। विभाग ने (जुलाई 2015) लाभान्वितों की कम संख्या और व्यय में कमी का कारण प्रारम्भिक वर्षों में लाभान्वितों के बीच जानकारी के अभाव को बताया। 2014-15 के दौरान किए गए व्यय के विश्लेषण में देखा गया कि 2014-15 की राशि ₹ 277.35 करोड़ को सम्मिलित करते हुए 2014-15 के अन्त में ₹ 942.66 करोड़ का शेष था। इन निधियों के विरुद्ध (i) दुर्घटना के कारण सहायता (ii) शादी के लिए सहायता (iii) शिक्षा छात्रवृत्ति और (iv) साइकिल वितरण योजनाओं पर कुल ₹ 29.25 करोड़ व्यय किए गए। लाभान्वितों की संख्या भी आवेदकों से नीचे की ओर गिरती हुई अर्थात् (i) दुर्घटना के कारण सहायता (ii) शादी के लिए सहायता (iii) शिक्षा छात्रवृत्ति और (iv) साइकिल वितरण योजनाओं पर क्रमशः लगभग 37 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 37 प्रतिशत और 48 प्रतिशत थी। यह विभाग द्वारा स्वीकार किए गए न केवल प्रारम्भिक वर्षों में जानकारी नहीं होने को बल्कि हाल के वर्ष में भी जानकारी के अभाव को दर्शाती है।

प्रसंगानुकूल यह भी ध्यान देने योग्य है कि राज्य नियमों के नियम 43 के अनुसार बोर्ड को “भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण निधि” के नाम एक निधि का गठन किये जाने की आवश्यकता थी। यह पाया गया कि लोक लेखे में कल्याण निधि के रूप में कोष का सुस्पष्ट रूप से परिचालन नहीं किया जा रहा था बल्कि लोक लेखे में जमा और अग्रिम के अन्तर्गत बिना ब्याज के पी.डी. खाते में रखा जा रहा था।

- **सरकार द्वारा राज्य में जल संरक्षण के लिए लगाए गए जल संरक्षण उपकर का उपयोग नहीं किया जाना ₹ 841.82 करोड़।**

सरकार द्वारा उपकर एक विशेष उद्देश्य के लिए उस अवधि तक लगाये जाते हैं। जब तक उस उद्देश्य के लिए सरकार पर्याप्त राशि प्राप्त कर ले, प्राप्त आय परिभाषित उद्देश्यों के लिए अभिप्रायित और निश्चित होने के कारण एक पृथक कोष में सुस्पष्ट लेखाकन सहित यह सुनिश्चित करने के लिए रखी जानी चाहिए कि यह अन्य वित्तीय संसाधनों को बाधित किए बिना उन विशेष उद्देश्यों के लिए व्यय की जा सके।

बजट भाषण (संशोधित) 2009-10, के निष्पादन में राज्य में जल संरक्षण के उद्देश्य से उपभोग की गई बिजली पर दस पैसे प्रति इकाई की दर से जल संरक्षण

उपकर (उपकर) लगाने के लिए राजस्थान वित्त अधिनियम 2009 में प्रावधान किया गया। यह उपकर जल एकत्रण संरचनाओं के निर्माण के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने के आशय से था। उपकर जल संरक्षण एकत्रण संरचनाओं का निर्माण करने, बहते हुए जल और भूजल को पुनर्चार्ज करने तथा शिक्षित और संवेदनशील लोगों को दैनिक जीवन में जल संरक्षित करने की आदत को बनाए रखने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने के आशय से था।

तदनुसार, 8 जुलाई 2009 से उपकर एकत्रित करने के लिये 'राजस्थान विद्युत (कर) अधिनियम, 1962 में प्रावधान किया गया। उपकर वाणिज्यिक कर विभाग के नियन्त्रण में राजस्व शीर्ष- 0043-800-04 के अन्तर्गत जमा करवाया जाना था।

यह पाया गया कि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों (अजमेर, जयपुर और जोधपुर) द्वारा 2009-15 की अवधि के दौरान ₹ 841.82 करोड़⁴⁶ उपकर वसूला गया और इसमें से ₹ 777.47 करोड़⁴⁷ राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत जमा करवाये गये। यह ध्यान में आया कि वितरण कम्पनियों द्वारा एकत्रित उपकर नियमित रूप से सम्बन्धित शीर्ष में जमा नहीं करवाया गया था। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर ने अवगत करवाया (जुलाई 2015) कि क्योंकि यह वित्तीय संकट से गुजर रही थी, अतः दायित्वों को समय पर नहीं निपटा सकी।

वित्त विभाग के बैठक विवरण (24 मई 2011) में पाया गया कि जिन विभिन्न कार्यों पर उपकर का उपयोग करना है उन्हें नीति अनुसार चिन्हित किया जाना था। तथापि, बनाई गई मार्गदर्शिका/विनियम, निधि स्थापना और इसके उपयोग इत्यादि से सम्बन्धित सूचना वित्त विभाग द्वारा (सितम्बर 2015) लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करवायी गयी। यह देखा गया कि न तो निधि की स्थापना की गई और न ही कोई व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, एकत्रित उपकर का सही लेखांकन नहीं किया गया था। निर्धारित उद्देश्यों के लिए एकत्रित उपकर के समय पर जमा को सुनिश्चित करने और इसके उपयोग की देखभाल के लिए निगरानी तन्त्र स्थापित नहीं था।

उपकर को नियमित राजस्व प्राप्तियों के साथ मिलाना राजस्व घाटा और राजस्व व्यय को कम बताने की युक्ति है। 2014-15 के दौरान उपकर के रूप में कुल ₹ 187.30 करोड़ एकत्रित कर राजस्व के रूप में संचित निधि में जमा किया गया। एकत्रित राशि को लोक लेखे में स्थानान्तरित नहीं करने के कारण 2014-15 के लिए राजस्व व्यय ₹ 187.30 करोड़ से कम बताया गया।

एक ऐसे राज्य में जो कि पानी की कमी तथा भूजल के पुनर्चार्ज में कमी से पीड़ित है उपकर के रूप में एकत्रित धन का उपयोग नहीं किया जाना, उपलब्ध संसाधनों के कमजोर प्रबन्धन का सूचक है।

⁴⁶ 2009-10: ₹ 59.62 करोड़, 2010-11: ₹ 129.38 करोड़, 2011-12: ₹ 140.90 करोड़, 2012-13: ₹ 153.73 करोड़, 2013-14: ₹ 170.89 करोड़ एवं 2014-15: ₹ 187.30 करोड़।

⁴⁷ 2009-10: ₹ 39.73 करोड़, 2010-11: ₹ 116.89 करोड़, 2011-12: ₹ 62.89 करोड़, 2012-13: ₹ 229.68 करोड़, 2013-14: ₹ 157.95 करोड़ एवं 2014-15: ₹ 170.33 करोड़।

1.10 परिसम्पत्तियां और देयताएं

1.10.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं का संघटन एवं वृद्धि

विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को आवश्यक रूप से समाहित करते हैं। 31 मार्च 2014 की सहप्रत्यक्षी स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2015 को ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों के सार को **परिशिष्ट 1.5** में प्रस्तुत किया गया है जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्य रूप से आन्तरिक कर्जे, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष समाविष्ट है।

एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल दायित्व से अभिप्रायः राज्य की समेकित निधि और सामान्य प्रावधायी निधि को सम्मिलित करते हुए राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत सुनिश्चित देयताओं से है।

सम्पत्तियों और देयताओं के घटकों की वृद्धि दर का सार तालिका 1.27 में दिया गया है:

तालिका 1.27: सम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

		देयताएं			सम्पत्तियाँ				
		2013-14	2014-15	वृद्धि प्रतिशत	2013-14	2014-15	वृद्धि प्रतिशत		
समेकित निधि		87,329.76	1,00,510.54	15.09	समेकित निधि	97,887.19	1,13,671.65	16.13	
अ	आन्तरिक ऋण	80,580.93	93,476.44	16.00	अ	कुल पूँजीगत परिव्यय	92,883.17	1,08,971.29	17.32
ब	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	6,748.83	7,034.10	4.23	ब	ऋण एवं अग्रिम	5,004.02	4,700.36	(-) 6.07
आकस्मिकता निधि		200.00	500.00	150.00					
लोक लेखे		44,020.51	48,384.93	9.91	लोक लेखे	25.61	68.45	167.28	
अ	अल्प बचते, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	29,265.67	32,247.42	10.19	अ	अग्रिम	2.89	5.74	98.62
ब	जमा	12,153.97	13,565.10	11.61	ब	प्रेषण	-	-	
स	आरक्षित निधियाँ	2,598.67	2,570.63	(-) 1.08	स	उच्चत तथा विविध	22.72	62.71	176.01
द	प्रेषण	2.20	1.78	(-) 19.09		नकद शेष (चिन्हित निधि निवेश सहित)	10,446.44	8,949.28	(-) 14.33
						योग	1,08,359.24	1,22,689.38	13.22
						राजस्व लेखा में घाटा	23,191.03	26,706.09	15.16
	योग	1,31,550.27	1,49,395.47	13.57	योग	1,31,550.27	1,49,395.47	13.57	

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2014-15 के दौरान परिसम्पत्तियों 13 प्रतिशत बढ़ी, जबकि देयताएँ गत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत बढ़ी ।

1.10.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयतायें 2010-11 में ₹ 99,285 करोड़ से 2014-15 के अन्त में ₹ 1,47,609 करोड़ हो गयी, जिससे 11 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्शाते हुई।


जीएसडीपी के सापेक्ष में राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति तालिका 1.28 में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.28: राजकोषीय देयताएं - मूलभूत मानक

	(₹ करोड़ में)				
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजकोषीय देयतायें	99,285	1,06,560	1,17,809	1,29,910	1,47,609
वृद्धि दर	8.5	7.3	10.6	10.3	13.6
राजकोषीय देयतायें प्रतिशतता के रूप में					
जीएसडीपी	29.3	25.7	25.1	25.1	25.7
राजस्व प्राप्तियों	216.2	186.9	176.1	174.4	161.6
स्व-संसाधनो	367.0	308.4	276.3	276.1	284.4

स्रोत: वित्त लेखे

गत वर्ष के समक्ष चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं के संघटकों को चार्ट 1.9 तथा 1.10 में प्रस्तुत किया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2014-15 के दौरान, आन्तरिक ऋण 16 प्रतिशत (₹ 12,896 करोड़), लोक लेखा दायित्व 11 प्रतिशत (₹ 4,518 करोड़) तथा केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम 4 प्रतिशत (₹ 285 करोड़) में वृद्धि के कारण राजकोषीय देयतायें गत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत (₹ 17,699 करोड़) बढ़ी।

वर्ष 2014-15 के दौरान राजकोषीय देयताओं (कुल बकाया ऋण) का जीएसडीपी से अनुपात 25.69 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2014-15 के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित (36.5 प्रतिशत⁴⁸) एवं एमटीएफपीएस के आकलन (25.78 प्रतिशत) से कम था। ये देयताएं वर्ष 2014-15 के अंत में राजस्व प्राप्तियों का 1.62 गुणा तथा राज्य स्व-संसाधनों का 2.95 गुणा थीं।

वर्ष 2014-15 के दौरान, वार्षिक वृद्धिजन्य उधार⁴⁹ (₹ 17,699 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (₹ 17,035 करोड़) से अधिक थे।

1.10.3 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.29 में चालू वर्ष के दौरान रोकड़ शेष तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों में से किये गये निवेशों को दर्शाया गया है।

तालिका 1.29: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

	वृद्धि/कमी (-)	प्रारम्भिक शेष 1.4.2014 को	अन्तिम शेष 31.3.2015 को
(₹ करोड़ में)			
(अ) सामान्य रोकड़ शेष			
कोषालयों में रोकड़	-	0.05	0.05
रिजर्व बैंक में जमा	22.74	6.67	29.41
स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण	2.17	(-) 0.37	1.80
योग	24.91	6.35	31.26
रोकड़ शेष निवेश खाते में रखे गये निवेश	(-) 1,368.98	8,997.56	7,628.58
योग (अ)	(-) 1,344.07	9,003.91	7,659.84
(ब) अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश			
विभागीय अधिकारियों यथा सार्वजनिक निर्माण विभागीय अधिकारियों, वन विभागीय अधिकारियों, जिलाधिकारियों के पास रोकड़	(-) 0.07	1.07	1.00
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिये स्थायी पेशगियां	(-) 0.26	3.52	3.26
आरक्षित निधियों में निवेश	(-) 15.76	1,437.94	1,285.18
योग (ब)	(-) 153.09	1,442.53	1,289.44
महायोग (अ) + (ब)	(-) 1,497.16	10,446.44	8,949.28

स्रोत: वित्त लेखे

⁴⁸ तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन (परिशिष्ट 9.1)

⁴⁹ इसमें खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अनुबन्धित ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से ऋण, केन्द्रीय सरकार से ऋण ईएपी सहित, राज्य आयोजनागत योजनाओं एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए कोई ऋण, लोक लेखे में अल्प बचत, प्रावधायी निधि, आरक्षित निधियाँ एवं जमाओं इत्यादि के अन्तर्गत अन्तर्गत राशि के कारण उत्पन्न दायित्व शामिल है।

चालू वर्ष के अन्त में राज्य सरकार का रोकड़ शेष ₹ 8,949 करोड़ था जो कि गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,497 करोड़ (14 प्रतिशत) की कमी को दर्शाता है। अधिशेष रोकड़ शेष मुख्यतः वर्ष 2014-15 के दौरान लिये गये ₹ 12,300 करोड़ के बाजार से कर्जे के कारण रहा।

• **रोकड़ शेषों का निवेश**

तेरहवें वित्त आयोग ने पैरा 7.123 में सुझाया कि वृहद रोकड़ शेषों वाले राज्यों को नये उधार लेने से पूर्व अपने विद्यमान नकद शेषों का उपयोग करने का प्रबंधित प्रयास करना चाहिये, क्योंकि बहुत से राज्यों का नकद शेष एक माह के कुल व्यय से अधिक था। जबकि, राज्यों को निर्बाध व्यय के लिये कुछ नकदी प्रवाह की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु, एक स्तर से अधिक रोकड़ संचयन अकुशल प्रबंधन का द्योतक है, क्योंकि इससे परिहार्य ब्याज दायित्व का भार बढ़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस तथ्य को दोहराया है एवं सलाह दी है कि राज्यों को अपने रोकड़ शेषों का अधिक कुशलता से प्रबंधन करना चाहिये।

नकद शेषों⁵⁰, लिये गये बाजार ऋणों एवं बजटीय व्यय की वर्षवार स्थिति तालिका 1.30 में दी गई है।

तालिका 1.30.: नकद शेष, बाजार ऋण और बजटीय व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1 अप्रैल को नकद शेष	2,361.65	6,087.76	9,785.11	12,886.72	10,446.44
31 मार्च को नकद शेष	6,087.76	9,785.11	12,886.72	10,446.44	8,949.28
भारत सरकार के कोषालय बिलों/ प्रत्याभूतियों में निवेशित नकद शेष	5,708.51	9,307.62	12,127.66	8,997.40	7,628.42
लिये गये बाजार ऋण	6,180	4,500	8,041	8,800	12,300
कुल बजटीय व्यय	51,036	60,524	71,956	90,440	1,26,470
मासिक औसत बजटीय व्यय	4,253	5,044	5,996	7,537	10,539

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रलेख

राज्य सरकार के रोकड़ शेष अधिशेष स्वतः ही 5 प्रतिशत वार्षिक की औसत ब्याज दर से 14 दिवसीय कोषालय बिलों में एवं आंशिक 91, 181 एवं 364 दिवसीय रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के नीलामी कोषालय बिलों में निवेशित हो जाते हैं। वर्ष 2014-15 के अंत तक, ₹ 7,628.42 करोड़ की राशि भारत सरकार के कोषालय बिलों/प्रतिभूतियों में निवेशित की गयी, जिन पर ₹ 777.96 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया। आगे, ₹ 1,285.18 करोड़ का निवेश चिन्हित निधियों में भी किया गया।

⁵⁰ इसमें कोषालयों में रोकड़, रिजर्व बैंक में जमा, स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण, विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़, स्थायी अग्रिम, नगद शेषों से निवेश तथा पृथक आरक्षित निधियों से निवेश सम्मिलित है।

1.10.4 आरक्षित निधि के अन्तर्गत लेन-देन

राज्य सरकार की राज्य बजट नियमावली के पैरा संख्या 4.5 के अनुसार, रिजर्वस और आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लेखों (लोक लेखे) के अन्तर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती हैं। इन निधियों का वित्तपोषण राज्य की समेकित निधि या बाह्य एजेन्सियों से प्राप्त अंशदान अथवा अनुदान से होता है। इन निधियाँ को आगे दो भागों में विभक्त किया गया है (i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ और (ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ। ये निधियाँ राज्य की समेकित निधि के संबंधित व्यय शीर्ष को नामे करके राशि अन्तरित कर बनाई जाती हैं। इसके पश्चात, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय का संबंधित आरक्षित निधि से पुनर्भरण किया जाता है।

• संचालित आरक्षित निधियाँ

31 मार्च 2015 को, लोक लेखा में ₹ 2,570.63 करोड़⁵¹ की 22 आरक्षित निधियाँ थी जिसमें ब्याज वाली 3 निधियाँ ₹ 362.17 करोड़ शामिल थीं। वर्ष 2014-15 के दौरान, राज्य की आरक्षित निधियों में ₹ 1,735.23 करोड़ जमा किये गये थे जिसमें मुख्यतः राज्य आपदा मोचन निधि (₹ 789.77 करोड़), राज्य सड़क तथा सेतु निधि (₹ 280 करोड़) तथा गारण्टी मोचन निधि (₹ 663.37 करोड़) शामिल थी।

राज्य सरकार को 31 मार्च 2014 को अन्य देय ब्याज वाली निधियों में पड़े ₹ 89.58 करोड़ पर ₹ 6.72 करोड़ (वित्त एवं मार्गोपाय अग्रिमों पर औसत ब्याज दर को 7.5 प्रतिशत पर परम्परागत अनुमानित मानते हुये) का ब्याज देना था। तथापि, यह पाया गया कि उसका भुगतान नहीं किया गया।

• असंचालित आरक्षित निधियाँ

वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे के अनुसार, 5 आरक्षित निधियाँ (₹ 4.24 करोड़) पाँच वर्षों से अधिक समय से असंचालित थीं। इनमें से एक निधि⁵² (₹ 0.20 करोड़) ब्याज वाली तथा शेष चार निधियाँ⁵³ (₹ 4.04 करोड़) बिना ब्याज वाली थीं।

⁵¹ इसमें शामिल थे (i) राज्य आपदा मोचन निधि: ₹ 288.02 करोड़; (ii) गारण्टी मोचन निधि: ₹ 1,723.79 करोड़; (iii) संसाधन विकास निधि: ₹ 180.89 करोड़; (iv) राज्य सड़क एवं सेतु निधि: ₹ 221.29 करोड़ तथा (v) द्वार आरक्षित निधि के अन्तर्गत जल कार्य: ₹ 73.94 करोड़।

⁵² झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट की विभागीय प्रबन्धन योजना: ₹ 20.45 लाख

⁵³ (i) कृषक सुधार निधि: ₹ 0.74 लाख, (ii) विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता से गहन अंडा तथा मुर्गी उत्पादन एवं विपणन केन्द्रों के लिए निधि: ₹ 0.95 लाख, (iii) राज्य सड़क सुधार विकास कोष: ₹ 4.02 करोड़ एवं (iv) राजकीय प्रतिभूति मुक्ति निधि: ₹ 0.18 लाख ।

1.10.4.1 राज्य आपदा मोचन निधि

राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ), 1 अप्रैल 2010 को विद्यमान आपदा सहायता निधि के स्थान पर संस्थापित की गयी। निधि के लिए वर्ष 2010-15 के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा ₹ 3,319 करोड़⁵⁴ का आकार निर्धारित किया गया, इसमें से 75 प्रतिशत हिस्सा राशि भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत हिस्सा राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी।

वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने अपना-अपना हिस्सा प्रदान किया। 31 मार्च 2015 को एसडीआरएफ में ₹ 288.02 करोड़ (वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार द्वारा निवेश नहीं की गयी राशि पर चुकाये गये ब्याज ₹ 31.10 करोड़ के भुगतान सहित) आपदा राहत कार्यों के लिये किये गये व्यय (₹ 1,570.57 करोड़) के बाद शेष था।

1.10.4.2 प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि

राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 में एक प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि संस्थापित की। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि को संचालित करता है, के दिशा निर्देशों के अनुसार निधि के कॉरपस को बकाया प्रत्याभूतियों के 5 प्रतिशत के आवश्यक स्तर तक बढ़ाना है। 31 मार्च 2015 को प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि के अन्तर्गत ₹ 1,723.79 करोड़ शेष था जोकि बकाया प्रत्याभूति (₹ 94,577.81 करोड़) का 1.8 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान इस निधि से किसी राशि का पुनर्भरण नहीं किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार ने, प्राप्त होने वाले ₹ 618.82 करोड़ के विरुद्ध ₹ 617.89 करोड़ का गारन्टी कमीशन प्राप्त किया। यह राशि विविध प्राप्तियों के अन्तर्गत दर्ज थी तथा गारन्टी मोचन निधि में राशि ₹ 615.83 करोड़ हस्तान्तरित की गयी।

1.10.4.3 समेकित शोधन निधि

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंषा की थी कि राज्य सरकारें सभी ऋणों के परिशोधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित एक समेकित शोधन निधि का सृजन करे। भारतीय रिजर्व बैंक, के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों को समेकित शोधन निधि में गत वर्ष के अन्त तक बकाया दायित्वों का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत अंशदान करना चाहिये। राजस्थान सरकार ने 2006-07 में समेकित शोधन निधि को संस्थापित किया तथा इसके बाद 2007-08 में इस निधि को बन्द कर दिया।

⁵⁴ 2010-11: ₹ 600.66 करोड़, 2011-12: ₹ 630.69 करोड़, 2012-13: ₹ 662.22 करोड़, 2013-14: ₹ 695.33 करोड़ तथा 2014-15: ₹ 730.10 करोड़।

1.10.5 आकस्मिक देयताएँ

- **प्रत्याभूतियों की स्थिति**

प्रत्याभूतियाँ राज्य की समेकित निधि के ऊपर वे आकस्मिक देयताएँ हैं जो उधार लेने वाले, जिनके लिये प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक के प्रकरण में होती है।

वित्त लेखे के विवरण 9 के अनुसार गत तीन वर्षों में राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि तथा बकाया प्रत्याभूतियाँ निम्न प्रकार थी।

तालिका 1.31: राजस्थान सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

प्रत्याभूतियाँ	2012-13	2013-14	2014-15
दी गयी प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि	1,13,340	1,40,526	1,61,918
दी गयी प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	75,546	85,911	94,578
दी गयी प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि का कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	169.4	188.7	177.3

(₹ करोड़ में)

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2014-15 दौरान सरकार ने प्राप्य ₹ 618.82 करोड़ के विरुद्ध ₹ 617.89 करोड़ का गारन्टी कमीशन प्राप्त किया। सरकार की बकाया गारन्टियाँ राजस्व प्राप्तियों की 104 प्रतिशत थी। वर्ष 2014-15 में कोई गारन्टी नहीं भुनाई गई।

बकाया प्रत्याभूतियाँ वर्ष 2013-14 में ₹ 85,911 करोड़ से 10 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 94,578 करोड़ हो गयी। बकाया प्रत्याभूतियाँ मुख्यतः पाँच विद्युत कम्पनियों (₹ 86,979 करोड़), दो शहरी विकास एवं आवास (₹ 3,243 करोड़), एक सड़क एवं परिवहन (₹ 1,727 करोड़) एवं सात सहकारी संस्थाओं (₹ 1,442 करोड़) से संबंधित थी। विद्युत कम्पनियों की प्रत्याभूतियाँ बॉण्ड/ऋण पत्रों को जारी करके कर्जे/ओवरड्राफ्ट द्वारा प्राप्त की गई राशि एवं उस पर निर्दिष्ट दर पर ब्याज को चुकाने के लिए दी गई थीं।

- **बजट से इतर उधार**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के द्वारा राज्य के कर्ज विनियमित होते हैं। राजकोषीय देयताओं के अतिरिक्त, जिला परिषदों/कम्पनियों/निगमों सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रत्याभूति ऋण का उपयोग किया गया। इन विभागों द्वारा राज्य बजट से बाहर प्रायोजित विभिन्न राज्य योजनागत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए बाजार/वित्तीय संस्थाओं से निधियाँ उधार ली जाती हैं। यद्यपि, राज्य सरकार यह इंगित करती है कि इन कार्यक्रमों के लिए निधियाँ राज्य बजट से इतर इन कम्पनियों/निगमों/जिला परिषदों द्वारा जुटाये संसाधनों से वहन की जाएगी। वास्तव में इनमें से कई संस्थानों द्वारा लिए गये उधार, जिनका पुनर्भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, अन्ततोगत्वा राज्य सरकार की देयताएँ हो जाती

है जिसे “बजट से इतर उधार” कहा जाता है, जो कि धारा 293(3) के अन्तर्गत अनुमत्य नहीं है। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने (फरवरी 2014) राज्य के लिए वर्ष 2014-15 हेतु निवल उधार की उच्चतम सीमा ₹ 17,035 करोड़ निश्चित की थी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2015) कि मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को रहने के लिए आवासों के निर्माण हेतु जिला परिषदों द्वारा हुड़को से लिए गए ऋण के मूलधन के भुगतान हेतु वर्ष 2014-15 तक राज्य सरकार ने ₹ 3,948.66 करोड़ की प्रत्याभूति दी। संस्वीकृतियों से ज्ञात हुआ कि इन प्रत्याभूतियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा जिला परिषदों को वर्ष 2014-15 के दौरान राशि ₹ 491.45 करोड़ (₹ 249.73 करोड़ मूलधन पेटे एवं ₹ 241.72 करोड़ ब्याज पेटे) का भुगतान किया गया।

तथापि वित्त लेखे 2014-15 के विवरण संख्या 20 से प्रकट हुआ कि इन प्रत्याभूतियों के विरुद्ध जिला परिषदों द्वारा हुड़को को मूलधन पेटे राशि ₹ 251 करोड़ (₹ 249.73 करोड़ की बजाय) का भुगतान किया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि हुड़को द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार ₹ 1.27 करोड़ का अन्तर विभिन्न जिला परिषदों के विरुद्ध बकाया ऋण के समायोजन के कारण था। तथापि, बकाया ऋण, भुगतान में विलम्ब एवं आरोपित शास्ति ब्याज, यदि कोई हो, इत्यादि का विस्तृत विवरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से प्रतीक्षित रहा।

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 2,520.44 करोड़ के प्रारम्भिक शेष में ₹ 600.64 करोड़ की प्रत्याभूति जोड़ी गई तथा वर्ष 2014-15 के अन्त में ₹ 2,870.08 करोड़ का शेष छोड़ते हुए ₹ 251.00 करोड़ की प्रत्याभूति चुकाई गई।

इस प्रकार वर्ष 2014-15 के दौरान मुख्य शीर्ष 2515-196-25 “अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-ग्रामीण बीपीएल आवास” के अन्तर्गत जिला परिषदों की ओर से हुड़को को मूलधन एवं ब्याज पेटे योजनागत व्यय की पूर्ति के लिए ₹ 491.45 करोड़ के बजट से इतर उधार का सहारा लेकर द्वारा राज्य सरकार ने अन्तिम भुगतान कर्ता द्वारा भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में ₹ 2,870.08 करोड़ की आकस्मिक देयता अर्जित की।

इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार ने वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 17,699 करोड़ उधार लिए जिससे भारत सरकार द्वारा निश्चित की गई ऊपरी सीमा ₹ 17,035 करोड़ पार हों गई। बजट से इतर उधार को शामिल करने के बाद वर्ष 2014-15 के दौरान निवल उधार ₹ 18,049 करोड़ हो गये जो भारत सरकार द्वारा निश्चित की गई ऊपरी सीमा से 6 प्रतिशत अधिक थे।

1.10.6 सरकार के उधारों का विश्लेषण

राज्य सरकार का लोक ऋण वर्ष 2010-11 के ₹ 69,278 करोड़ से 45 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 1,00,511 करोड़ हो गया। यह पिछले वर्ष से 15 प्रतिशत बढ़ा। विस्तृत विवरण निम्न तालिका 1.32 में दिया गया है:

तालिका 1.32: वर्ष 2010-15 के दौरान बकाया उधार

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(अ) आन्तरिक ऋण					
बाजार कर्ज	35,448	38,551	44,209	51,384	61,386
कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक से कर्ज	3,323	3,947	4,553	5,422	6,482
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	22,656	21,518	20,767	20,022	20,126
अन्य संस्थाओं से कर्ज	470	441	444	3,753	5,483
योग (अ)	61,897	64,457	69,973	80,581	93,477
(ब) केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम					
गैर-योजनेतर कर्ज	67	60	55	49	44
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	7,163	7,052	6,789	6,690	6,980
अन्य योजनागत कर्ज	151	137	137	10	10
योग (ब)	7,381	7,249	6,981	6,749	7,034
कुल उधार (अ + ब)	69,278	71,706	76,954	87,330	1,00,511
वृद्धि दर	7.2	3.5	7.3	13.5	15.1

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2010-15 की अवधि में बकाया उधारों और आन्तरिक ऋण में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी प्रदर्शित हुई, जबकि वर्ष 2010-14 तक केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण और अग्रिम में घटती हुई प्रवृत्ति दर्शित हुई तथा इसके बाद वर्ष 2014-15 के दौरान पिछले वर्ष से ₹ 285 करोड़ बढ़ा। बाजार ऋण का अंश कुल उधारों से वर्ष 2010-11 के 51 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 61 प्रतिशत हो गया। बाजार कर्ज ने पिछले वर्ष से 19.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करी जो कि वर्ष 2011-15 के दौरान औसत वृद्धि दर 18.3 प्रतिशत से अधिक थी।


1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने - राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे एवं प्रारम्भिक घाटे, एक विशिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त प्रबन्धन में समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखों में घाटा, प्राप्तियों एवं व्यय के अन्तर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्ध के विवेक की सूचक होती है। आगे, वह प्रवृत्ति जिससे घाटे को वित्त पोषित किया गया तथा संसाधनों को प्रयुक्त किया गया, राजकोषीय स्थिति के महत्वपूर्ण सूचक होता है। यह भाग इन घाटों को वित्त पोषित करने की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं


तरीके और वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए एफआरबीएम अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत तय किये गये लक्ष्यों के समक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों के आंकलन को भी प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्ति

चार्ट 1.11 एवं 1.12, वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।



स्रोत: वित्त लेखे



स्रोत: वित्त लेखे

1.11.1.1 राजस्व अधिशेष घाटा

राजस्व अधिशेष राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के अन्तर को प्रदर्शित करता है। राजस्व अधिशेष उधार कम करने में सहायता करता है।

वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार राजस्व अधिशेष (घाटे वाले) राज्य में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान, राजस्व घाटा (₹ 3,215 करोड़) पिछले वर्ष से ₹ 2,176 करोड़ बढ़ा। वर्ष 2014-15 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 22.6 प्रतिशत के विरुद्ध राजस्व व्यय की वृद्धि दर 25.2 प्रतिशत थी। इस मामले की विस्तृत विवेचना अनुच्छेद 1.2.1 में की गयी है।

1.11.1.2 राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सामान्यतः सरकार की वृद्धिजन्य देयताओं या इसके अतिरिक्त उधारों को प्रदर्शित करता है। घाटे की पूर्ति या तो अतिरिक्त लोक ऋणों (आन्तरिक या बाह्य) अथवा लोक लेखे की अधिशेष निधियों से की जा सकती है। घाटे की प्रवृत्ति के साथ राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति मुख्य घटकों के सापेक्ष तालिका 1.33 में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.33: राजकोषीय घाटा तथा उसके पैमाने

(₹ करोड़ में)

अवधि	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटा प्रतिशत के रूप में		
				जीएसडीपी	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	कुल व्यय
2010-11	46,260	50,386	4,126	1.22	8.9	8.2
2011-12	58,256	61,882	3,626	0.88	6.2	5.9
2012-13	68,023	76,557	8,534	1.82	12.6	11.2
2013-14	74,797	89,986	15,189	2.93	20.3	16.9
2014-15	92,346	1,11,346	19,000	3.31	20.6	17.1

स्रोत: वित्त लेखे

राजकोषीय घाटा जीएसडीपी, गैर-ऋण प्राप्तियों तथा कुल व्यय से प्रतिशतता के रूप में 2011-12 में सबसे कम था। वर्ष 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटे में वृद्धि मुख्यतः पूँजीगत व्यय एवं राजस्व घाटे में वृद्धि के कारण हुई।

राजकोषीय घाटे की जीएसडीपी से प्रतिशतता 2.93 प्रतिशत (2013-14) से बढ़कर 3.31 प्रतिशत (2014-15) हो गयी, जो कि एफआरबीएम अधिनियम 2005 (संशोधित मार्च 2011 तथा सितम्बर 2011) में निर्धारित लक्ष्य 3 प्रतिशत से अधिक थी। वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीमा में रखने के पश्चात राज्य सरकार ने सीमा के पार कर लिया है।

1.11.1.3 प्राथमिक घाटा

जब राजकोषीय घाटा सामान्यतः अतिरिक्त स्रोत की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है, तब ऐसे स्रोतों के एक हिस्से की ब्याज भुगतान के लिए आवश्यकता हो सकती है। ब्याज भुगतान पुराने दायित्वों के व्यय को प्रदर्शित करते हैं और चालू

आवंटित प्राथमिकताओं से स्वतंत्र होते हैं। असंतुलन की चालू प्रकृति देखते हुए, ऐसे भुगतानों को अलग करने और कुल असंतुलन में से कम करने की आवश्यकता होती है।

प्राथमिक अधिशेष 2011-12 तक कायम रखा गया था। प्राथमिक अधिशेष 2012-13 में पूँजीगत व्यय में वृद्धि हो जाने के कारण प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया। प्राथमिक घाटा 2013-14 में ₹ 6,126 करोड़ से 2014-15 में बढ़कर ₹ 8,537 करोड़ हो गया।

1.11.1.4 गैर-आयोजना राजस्व घाटा

गैर-आयोजना राजस्व घाटा गैर-आयोजना राजस्व व्यय और राज्य के स्व-संसाधनों के अन्तर को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान, गैर-आयोजना राजस्व घाटा ₹ 15,196 करोड़ (गैर-आयोजना राजस्व व्यय का 22.6 प्रतिशत) तेरहवें-वित्त आयोग द्वारा गैर-आयोजना राजस्व आधिक्य हेतु किये गये मानक आंकलन ₹ 864 करोड़ (गैर-आयोजना राजस्व व्यय का 2.3 प्रतिशत) से अधिक था।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके मद-वार वित्त पोषण का स्वरूप

वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के प्रत्येक मद-वार निवल संवितरण/बहिर्गमन का तालिका 1.34 प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.34: राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके मद-वार वित्त पोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

		निवल संवितरण/बहिर्गमन					2014-15		
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
(अ) राजकोषीय घाटे का अपघटन									
1	राजस्व घाटा/अधिशेष (-)	4,747	(-) 1,055	(-) 3,357	(-) 3,451	1,039	91,327	94,542	3,215
2	निवल पूँजीगत व्यय	5,166	5,238	7,103	10,675	13,654	15	16,103	16,088
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	386	(-) 57	(-) 120	1,310	496	1,004	701	(-) 303
	योग (अ)	10,299	4,126	3,626	8,534	15,189	92,346	1,11,346	19,000
(ब) राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण का पैटर्न									
1	बाजार से उधार	6,112	4,837	3,103	5,658	7,175	12,300	2,298	10,002
2	भारत सरकार से कर्ज	(-) 142	(-) 94	(-) 131	(-) 268	(-) 232	795	509	286
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी की गयी विशेष प्रत्याभूतियाँ	(-) 560	(-) 553	(-) 1,138	(-) 751	(-) 745	1,347	1,243	104
4	मार्गोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	442	470	594	610	4,178	3,699	910	2,789
6	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	2,145	2,841	2,767	2,164	2,521	7,082	4,100	2,982
7	जमा तथा अग्रिम	1,274	885	1,096	3,416	(-) 421	1,07,067	1,05,658	1,409
8	उच्च एवं विविध	(-) 14	(-) 49	12	(-) 3	12	22	62	(-) 40
9	प्रेषण	(-) 1	-	-	29	(-) 6	10,487	10,488	(-) 1

(₹ करोड़ में)

		निवल संवितरण/बहिर्गमन					2014-15		
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
10	आरक्षित निधियाँ	(-)1,761	(-) 485	1,020	781	267	1,724	1,752	(-) 28
	योग (ब)	7,495	7,852	7,323	11,636	12,749	1,44,523	1,27,020	17,503
11	रोकड़ शेष में वृद्धि (-)/कमी (+) (अ-ब)	2,804	(-)3,726	(-)3,697	(-)3,102	2,440			1,497
12	कुल घाटा (ब+11)	10,299	4,126	3,626	8,534	15,189			19,000

* 2014-15 के प्राप्तियों एवं संवितरणों के योग के प्रकरणों में लागू नहीं है क्योंकि यह अ+ब का संचयी है एवं वास्तविक नकद शेष का सूचक नहीं है।
स्रोत: वित्त लेखे।

राजकोषीय घाटा, राज्य की उधारों की कुल मांग है एवं यह राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में, कर्जे एवं अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटे का अपघटन, राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को विभिन्न उधारों से पूरे करने की सीमा को प्रकट करता है।

राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे का मुख्य भाग निरन्तर बाजार के उधारों से पोषित किया जाता रहा। राजकोषीय घाटे के पोषण में इसका अंश वर्ष 2013-14 में 47 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 53 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 19,000 करोड़ के राजकोषीय घाटे की पूर्ति, मुख्यतः बाजार से उधार (₹ 10,002 करोड़), वित्तीय संस्थाओं से कर्जे (₹ 2,789 करोड़), अल्प बचत, प्रावधायी निधि इत्यादि (₹ 2,982 करोड़), जमा एवं अग्रिम (₹ 1,409 करोड़) तथा रोकड़ शेष (₹ 1,497 करोड़) से हुई। बाजार से उधार तथा अल्प बचत, प्रावधायी निधि इत्यादि, भविष्य में ब्याज भार बढ़ाते हुए पिछले वर्ष से क्रमशः 19.5 प्रतिशत एवं 10.2 प्रतिशत वृद्धि से, बढ़े।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) में संयोजन, राज्य वित्तीय घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात उस सीमा को प्रदर्शित करता है जिस तक उधार ली गयी निधियों का चालू उपभोग हेतु उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से निरन्तर उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार लगातार कम होता जा रहा है तथा उधार के एक भाग (राजकोषीय देयतायें) के लिए पर्याप्त परिसम्पत्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं।

प्राथमिक घाटे के विभाजन (तालिका 1.35) में घाटे की उस सीमा को दर्शाया गया है जो पूँजीगत व्यय, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार करने के लिए वांछित होगा, में वृद्धि के कारण है।

तालिका 1.35: प्रारम्भिक घाटा/अधिशेष-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियाँ	प्रारम्भिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्रारम्भिक व्यय	गैर-ऋण प्राप्तियाँ एवं प्रारम्भिक राजस्व व्यय का अन्तर	प्रारम्भिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2010-11	46,260	37,504	5,251	262	43,017	(+) 8,756	(+) 3,243
2011-12	58,256	45,762	7,119	1,109	53,990	(+) 12,494	(+) 4,266
2012-13	68,023	55,122	10,683	2,412	68,217	(+) 12,901	(-) 194
2013-14	74,797	66,447	13,664	812	80,923	(+) 8,350	(-) 6,126
2014-15	92,346	84,079	16,103	701	1,00,883	(+) 8,267	(-) 8,537


स्रोत: वित्त लेखे।

वर्ष 2010-11 में प्राथमिक व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश 12 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2014-15 में बढ़कर 16 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान गत वर्ष की तुलना में प्राथमिक व्यय में ₹ 19,960 करोड़ की बढ़ोतरी के समक्ष गैर-ऋण प्राप्तियाँ ₹ 17,549 करोड़ बढ़ी। इसके परिणामस्वरूप, प्राथमिक घाटे में ₹ 2,411 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। प्रारम्भिक राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 17,632 करोड़ (26.5 प्रतिशत) एवं ₹ 2,439 करोड़ (17.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि जमा तथा अग्रिमों में ₹ 111 करोड़ (13.7 प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2014-15 के दौरान प्रारम्भिक घाटे में परिणित होते हुए गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्रारम्भिक व्यय से कम हुईं।

1.12 ऋण प्रबन्धन

(i) ऋण प्रोफाइल

31 मार्च 2015 को राज्य ऋण का परिपक्वता प्रोफाइल निम्नानुसार है:



स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.13 में दर्शाये गये आँकड़ों के अनुसार ₹ 7,290.35 करोड़ के ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हुई। 1-3 वर्षों (₹ 10,724.56 करोड़), 3-5 वर्षों (₹ 18,517.05 करोड़) और 5-7 वर्षों (₹ 14,522.44 करोड़) की अवधि में अदायगियों के समूह बनाये गये। ऋण परिपक्वता प्रोफाइल के रूप में, वर्ष के अन्त में कुल लोक ऋण (₹ 33,310.77 करोड़) का लगभग 33 प्रतिशत 7 से 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि से संबंधित था। सरकार को एक अच्छी सुविचारित ऋण अदायगी नीति यह सुनिश्चित करने हेतु, बनानी होगी कि कोई अतिरिक्त उधार जिनकी परिपक्वता इन आलोच्य वर्षों में हो, नहीं लिये जायेंगे।

(ii) ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता को एक समयावधि में ऋण-जीएसडीपी के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है और जो उसके ऋणों को चुकाने की क्षमता को भी दर्शाता है। अतः ऋण की धारणीयता वचनबद्ध देयताओं को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों से प्राप्त प्रतिलाभ के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि, ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के सादृश्य होनी चाहिए। **तालिका 1.36** में वर्ष 2010-11 से प्रारम्भ पाँच वर्षों की अवधि के लिए राज्य के ऋण की धारणीयता का विश्लेषण इन सूचकों के अनुसार किया गया है।

तालिका 1.36: ऋण की धारणीयता: सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण के धारणीयता के सूचक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
बकाया ऋण ⁵⁵	69,278	71,706	76,954	87,330	1,00,511
ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	20.5	17.3	16.4	16.9	17.5
ऋण/राजस्व प्राप्ति (प्रतिशत में)	150.8	125.8	115.0	117.3	110.1
ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगी/राजस्व प्राप्ति प्रतिशत)	16	14	12	12	11
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	6,173	500	(-) 4,908	(-) 6,655	(-) 3,811
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	383	(-) 617	2,908	3,038	7,236

राज्य का बकाया ऋण वर्ष 2009-10 में 69,278 करोड़ से 45 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014-15 में 1,00,511 करोड़ हो गया ।

● **गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता**

ऋण की स्थिरता एवं इसकी धारणीयता के लिए राज्य की वृद्धिजन्य गैर-ऋण प्राप्तियाँ, वृद्धिजन्य ब्याज देयताओं एवं वृद्धिजन्य प्रारम्भिक व्यय की पूर्ति के लिए

⁵⁵ इसमें आन्तरिक ऋण तथा भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम सम्मिलित है।

पर्याप्त होनी चाहिए। ऋण धारणीयता पर्याप्त रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि वृद्धिजन्य गैर-ऋण प्राप्तियों से वृद्धिजन्य ब्याज देयताएँ तथा वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

वर्ष 2012-15 के पर्यन्त ऋणों की अधारणीयता इंगित करते हुए सतत् ऋणात्मक गैर-ऋण प्राप्ति (संसाधन अंतर) अन्तर ऋणात्मक रहा।

- **उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता**

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज अदायगी) की कुल ऋण प्राप्तियों से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह ऋण प्राप्तियों की उस मात्रा, जिस तक ऋण प्राप्तियाँ ऋण मोचन में उपयोग में आयी है, को इंगित करता है।

ब्याज एवं अदायगी का प्रावधान करने के पश्चात उधारों से उपलब्ध निवल कोष वर्ष 2013-14 में ₹ 3,038 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 7,236 करोड़ हो गया।

ब्याज भार

ब्याज अदायगियों का राजस्व से अनुपात राज्य की ऋण की धारणीयता को सुनिश्चित करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान ब्याज अदायगियों राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 11 प्रतिशत थीं।

1.13 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

निरन्तर दूसरे वर्ष के लिए भी, राज्य सरकार राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (एफआरबीएम) अधिनियम में प्रतिपादित शून्य राजस्व घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रही। वर्ष 2014-15 के दौरान, राजस्व घाटा वर्ष 2013-14 के ₹ 1,039 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,215 करोड़ हो गया। राज्य सरकार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत के भीतर रखने में विफल रही जैसाकि एफआरबीएम अधिनियम में दिया गया है तथा वर्ष 2014-15 के अंत तक, राजकोषीय घाटा ₹ 19,000 करोड़ (जीएसडीपी का 3.31 प्रतिशत) था। इसके आगे, प्रारम्भिक घाटा (₹ 8,537 करोड़) भी गत वर्ष की तुलना से ₹ 2,411 करोड़ बढ़ा।

वर्ष 2014-15 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमानों में ₹ 738 करोड़ के राजस्व अधिशेष को प्राप्त करने के परिप्रेक्ष्य में, राजस्व व्यय के लिए ₹ 1,05,387 करोड़ तथा राजस्व प्राप्तियों के लिए ₹ 1,06,125 करोड़ अनुमानित किये गए। यह पाया गया कि वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 94,542 करोड़ (अनुमानों से 10.3 प्रतिशत कम) एवं वास्तविक प्राप्तियाँ ₹ 91,327 करोड़ (अनुमानों से 13.9 प्रतिशत कम) रही, जिससे राजस्व घाटा हुआ। बकाया ऋण में गत वर्षों से तीव्र वृद्धि

हुई, जो वर्ष 2010-11 के अंत से ₹ 99,285 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 के अंत तक ₹ 1,47,609 करोड़ हो गया जोकि वर्ष 2014-15 में प्रतिशतता के रूप में जीएसडीपी का 25.7 प्रतिशत था तथा यह एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित 36.5 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर था। तथापि, वार्षिक वृद्धिजन्य उधार (₹ 17,699 करोड़) भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (₹ 17,035 करोड़) से अधिक थे।

राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2010-11 के ₹ 45,928 करोड़ से वर्ष 2014-15 में ₹ 91,327 करोड़ भारी वृद्धि के साथ बढ़ी। राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर गत वर्ष के 11.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान 22.6 प्रतिशत (₹ 16,856 करोड़) थी। यह वृद्धि मुख्यतः भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान में गत वर्ष के 21.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 में 124.2 प्रतिशत (₹ 10,863 करोड़), भारत सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राज्य की समेकित निधि के माध्यम से कार्यकारी अभिकरणों को उल्लेखनीय निधियों के हस्तांतरण के कारण से रही। राजस्व प्राप्तियों में कर-राजस्व का हिस्सा वर्ष 2010-11 के 45.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 42.3 प्रतिशत रह गया।

यद्यपि, राज्य का समग्र राजस्व व्यय वर्ष 2010-11 के 44,873 करोड़ से 111 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 94,542 करोड़ हो गया, जबकि इसका कुल व्यय में हिस्सा 89.1 से गिरकर 84.9 प्रतिशत हो गया। तथापि, राजस्व व्यय में गत वर्ष के 19 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो व्यय पर नियंत्रण में कमियों को इंगित करती है। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय वर्ष 2010-11 के ₹ 36,121 करोड़ के उस अवधि की तुलना में 2014-15 में ₹ 67,098 करोड़ समान रूप से बढ़ा एवं गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत वृद्धि के बाद राजस्व व्यय का 71 प्रतिशत रहा। वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सहाय्य का व्यय 2010-11 के ₹ 29,317 करोड़ से 78 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 52,216 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान, इसमें गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इच्छित सीमाओं के भीतर राजकोषीय परिमाणों से समाहित प्राप्तियों एवं व्ययों के अनुमान अधिक वास्तविक होने चाहिए एवं राज्य सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि व्यय को बजट अनुमानों के भीतर ही रखें। व्यय पर नियमित नियंत्रण एवं प्राप्तियों का प्रबन्धन आवश्यक है।

सरकार द्वारा विशिष्ट कार्यों एवं उद्देश्यों के लिये विभिन्न प्रकारों के उपकर लगाये गए हैं। इनकी पारदर्शिता के उद्देश्य से, इनके आगमों को चिह्नित निधि को हस्तांतरित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उद्देश्यों हेतु लगाये गये उपकर को लागू करने एवं अनुसरणीय कार्यवाही में अनियमितताएँ पाई गईं।

बजट उद्घोषणा वर्ष 2008-09 में लगाये गये पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 तक ₹ 300.51 करोड़ एकत्रित किये गए। तथापि, वर्ष

2012-13 तक इन्हें समेकित निधि से लोक लेखे में हस्तांतरित नहीं किया गया एवं वर्ष 2014-15 के अन्त तक मात्र ₹ 51.58 करोड़ व्यय किये गए।

राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा की शर्तें अधिनियम) नियम, 2009 के अन्तर्गत राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार निधि स्थापित की गई थी तथा राज्य सरकार द्वारा ₹ 942.66 करोड़ एकत्रित किये गए। तथापि वर्ष 2010-15 के दौरान मात्र ₹ 70 करोड़ व्यय किये गए। इन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा मण्डल को उपकर का हस्तांतरण निर्धारित अवधि के बाद भी किया गया।

‘राजस्थान वित्त अधिनियम, 2009’ के माध्यम से जल संरक्षण उपकर लगाया गया। वर्ष 2009-15 की अवधि के दौरान, तीन विद्युत् वितरण कम्पनियों द्वारा उपकर के रूप में ₹ 841.82 करोड़ वसूले गए। तथापि, इसमें से ना तो निधि बनाई गई ना ही व्यय किया गया।

विभिन्न उपकरों की प्राप्तियों को लम्बी अवधि तक समेकित निधि/लोक लेखे में रखना राजस्व व्यय एवं राजस्व घाटे को कम करके दिखाने में परिणित हुई।

राज्य सरकार को उपकर की उचित वसूली एवं इसे समय पर चिह्नित निधियों में हस्तांतरण तथा वांछित उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के विक्रय, नियमितीकरण एवं भूमि रूपान्तरण तथा नगरीय निर्धारण शुल्क के माध्यम से समेकित निधि में जमा कराये गए राजस्व के साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखों की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य की समेकित निधि में सम्बन्धित शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 230.17 करोड़ कम जमा कराये गए। यह राजस्थान सरकार (राजस्व विभाग) के आदेश (8 दिसम्बर 2010) तथा नगरीय आवास एवं विकास विभाग के आदेशों (31 मई 2012 एवं 21 जून 2012) का उल्लंघन था, जिसके अनुसार भूमि के विक्रय के अन्तर्गत वसूले गए राजस्व का 20 प्रतिशत, नियमितीकरण एवं रूपान्तरण शुल्क के अन्तर्गत वसूले गए राजस्व का 40 प्रतिशत तथा नगरीय निर्धारण शुल्क के अन्तर्गत वसूले गए राजस्व का 60 प्रतिशत, सरकारी लेखों के सम्बन्धित शीर्षों में जमा कराया जाना चाहिये था।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के अतिरिक्त तकनीकी मार्गदर्शन एवं अधीक्षण (टीजीएस) का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया (फरवरी 2011 में)।

टीजीएस के अनुसरण में, हमारे द्वारा सभी स्थानीय निकायों के लेखों को तैयार करने और उनके प्रमाणीकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। यह पाया गया कि मार्च 2015 तक, राजस्थान पंचायती राज नियमों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लेखे मुख्यतः पारम्परिक प्रारूपों में रखे जा रहे थे। राज्य सरकार अप्रैल 2011 से, भारत सरकार के निर्देशानुसार, साधारण लेखांकन प्रारूप 2009 के अनुसार लेखों

का संधारण, प्रतिरूप लेखांकन पद्धति 'पंचायती राज संस्थान लेखांकन सॉफ्टवेयर (पी आर आई ए सॉफ्ट)' में करने में विफल रही। नगरीय स्थानीय निकायों में लेखांकन की उपार्जित पद्धति में परिवर्तन की स्थिति स्पष्ट एवं जाँचने योग्य नहीं पाई गई थी।

टीजीएस में पाया गया कि विभिन्न स्थानीय निकायों यथा पंचायती राज संस्थानों, नगरीय स्थानीय निकायों, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल आदि के लेखे, निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा सामान्य रूप से प्रमाणित नहीं किये जा रहे थे।

स्थानीय निकायों में लेखांकन पद्धति का सुदृढीकरण होना चाहिए। राज्य सरकार को लेखों को समय पर तैयार करने एवं प्रस्तुत करने तथा उनका प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना चाहिये।

तेरहवें वित्त आयोग (2010-15) की सिफारिशों के अनुसरण में, भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को ₹ 12,950 करोड़ का सहायतार्थ अनुदान आवंटित किया गया। तथापि, वास्तविक जारी राशि ₹ 12,270.80 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा ₹ 12,352.66 करोड़ का व्यय किया गया। पाँच विभाग (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विधि एवं विधिक मामलात, तथा जल संसाधन विभागों) जो उल्लेखनीय सहायतार्थ अनुदान प्राप्त कर रहे थे, के दस्तावेजों की नमूना जाँच में ₹ 539.32 करोड़ के अनुदानों से वंचित रहने/अप्राप्ति सहित इनके जारी करने एवं उपयोग में अनियमितताएँ पाई गईं।

राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा वित्त आयोग के अधीन जारी किये जाने वाले अनुदानों एवं उनके उपयोग में अनुश्रवण कर अधिक तत्परता से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुदानों का उपयोग वांछित उद्देश्यों हेतु समय पर एवं प्रभावी रूप से किया जा रहा है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, सरकार द्वारा ₹ 4,391.59 करोड़ सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों एवं सहकारी संस्थाओं आदि में निवेश किया गया। इसमें से, ₹ 3,959.21 करोड़, हानि उठा रहे पाँच सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों; चार विद्युत् कम्पनियों तथा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को सम्मिलित करते हुये, निवेशित किये गये। यद्यपि, गत पाँच वर्षों के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 18,376.02 करोड़ निवेशित किये गये, सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में किये गये निवेश पर औसत प्रतिलाभ 0.5 प्रतिशत से कम रहा। जबकि, सरकार द्वारा वर्ष 2010-15 के दौरान अपने उधारों पर 7.7 प्रतिशत का औसत ब्याज चुकाया।

राज्य सरकार के लिये यह परामर्श होगा कि निवेश किये गये धन की उचित प्राप्ति सुनिश्चित करे, अन्यथा उच्च लागत पर ली गई उधार निधियाँ, कम वित्तीय प्रतिफल वाली परियोजनाओं में, लगातार निवेशित होती रहेगी।

2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियमों के साथ लगी अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिये दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों की राशि की तुलना में सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दत्तमत और प्रभारित व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन को पृथक-पृथक रूप से दर्ज करते हैं तथा बजट के प्रभारित एवं दत्तमत मदों के सम्बन्ध में विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत व्यय के समक्ष विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से विनियोग लेखे वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को सरल बनाते हैं और इस प्रकार ये वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किये जाने का प्रयत्न किया जाता है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया व्यय, विनियोग अधिनियम के अधीन दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत है और उसी प्रकार प्रभारित किया गया है जैसा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किया जाना चाहिये। यह भी सुनिश्चित किये जाने का प्रयत्न किया जाता है कि क्या किया गया व्यय, विधि, सम्बन्धित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

राज्य बजट नियमावली (राबनि) के अनुसार वित्त विभाग, विभिन्न विभागों से सूचनायें, जिन पर इनके अनुमान आधारित होते हैं, प्राप्त कर, वार्षिक बजट तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। प्राप्तियों एवं व्ययों के विभागीय अनुमान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्षों से परामर्श कर तैयार किये जाते हैं और निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जाते हैं। तत्पश्चात्, वित्त विभाग अनुमानों का समेकन तथा विस्तृत अनुमानों एवं अनुदानों को तैयार करता है। जहाँ तक संभव हो व्यय के अनुमान यथार्थ होने चाहिए। किसी अनुमान में परिहार्य आधिक्य उसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता है जिस प्रकार वास्तविक व्यय में आधिक्य। बजट प्रक्रिया परिकल्पित करती है कि किसी निश्चित मद में व्यय के अनुमान के अनुसार उपलब्ध कराई गई राशि वह राशि होनी चाहिये जो कि वर्ष में व्यय की जा सकती है तथा यह ना तो अधिक होनी चाहिए ना ही कम।

2.2 विनियोग लेखाओं का सारांश

वर्ष 2014-15 के दौरान 55 अनुदानों/विनियोगों के समक्ष किये गये वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति नीचे दी गयी तालिका 2.1 के अनुसार थी:

तालिका 2.1 : मूल/अनुपूरक प्रावधानों के समक्ष वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित राशि का बचतों से प्रतिशत	
दत्तमत	I-राजस्व	97,347.57	2,792.30	1,00,139.87	86,513.60	(-) 13,626.27	13,596.84	13,596.84	99.8
	II-पूँजीगत	21,378.83	1,094.72	22,473.55	16,739.97	(-) 5,733.58	5,271.75	5,271.75	91.9
	III-कर्ज तथा उधार	517.94	18.54	536.48	700.78	(+) 164.30	150.75	150.75	-
आकस्मिकता निधि को विनियोग	-	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	
योग दत्तमत	1,19,244.34	4,205.56	1,23,449.90	1,04,254.35	(-) 19,195.55	19,019.34	19,019.34	-	
प्रभारित	IV-राजस्व	10,579.50	67.47	10,646.97	10,570.38	(-) 76.59	75.31	75.31	98.3
	V-पूँजीगत	0.02	-	0.02	0.02	-	¹	¹	-
	VI-लोक ऋण पुनर्भूगतान	4,956.89	-	4,956.89	4,960.04	(+) 3.15	15.28	15.28	-
योग प्रभारित	15,536.41	67.47	15,603.88	15,530.44	(-) 73.44	90.59	90.59	-	
कुल योग	1,34,780.75	4,273.03	1,39,053.78	1,19,784.79²	(-) 19,268.99	19,109.93	19,109.93	99.2	

स्रोत: विनियोग लेखे

तालिका 2.1 यह इंगित करती है कि वर्ष 2014-15 के दौरान लिया गया ₹ 4,273.03 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक रहा, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल अनुदान/विनियोग के स्तर तक भी नहीं पहुँच पाया। समग्र बचत (₹ 19,268.99 करोड़), पूँजीगत अनुभाग के एक अनुदान के समग्र आधिक्य ₹ 3.15 करोड़ से प्रतिसादित, राजस्व अनुभाग की 49 अनुदानों एवं 44 विनियोगों तथा पूँजीगत अनुभाग की 35 अनुदानों एवं 3 विनियोगों में राशि ₹ 19,272.14 करोड़ की बचत का परिणाम थी।

¹ केवल ₹ 5,000

² ये वास्तविक व्यय के आँकड़ें हैं जिनमें व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियाँ सम्मिलित हैं (राजस्व: ₹ 2,542.01 करोड़ तथा पूँजीगत: ₹ 637.30 करोड़, कुल: ₹ 3,179.30 करोड़)

जैसाकि, समग्र राजस्व घाटा (₹ 3,215 करोड़) तथा राजकोषीय घाटा (₹ 19,000 करोड़) भी रहा, यदि सरकार बचतों को प्राप्त नहीं करती, तो उनका राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 16,918 करोड़ एवं ₹ 38,272 करोड़ तक पहुँच जाता, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	वास्तविक	घाटा, यदि बचतें नहीं की जाती
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-)3,215	(-)16,918
राजकोषीय घाटा (-)	(-)19,000	(-)38,272

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा नियंत्रण अधिकारियों को, बचतों/आधिक्यों के महत्वपूर्ण अंतरों के कारण स्पष्ट करने के अनुरोध के साथ, विस्तृत विनियोग लेखे प्रेषित (जून एवं जुलाई 2015) किये गये। 1,516 उप-शीर्षों में से, 811 उप-शीर्षों (बचत: 652 तथा आधिक्य: 159) में अन्तरों के स्पष्टीकरण प्रतीक्षित (नवम्बर 2015) रहे।

2.3 वित्तीय जवाबदेयता एवं बजट प्रबन्धन

2.3.1 गत वर्षों (2010-14) से सम्बन्धित प्रावधानों से आधिक्य जिनका नियमन अपेक्षित है

भारत के संविधान की धारा 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिये अनुदान/विनियोग में हुए आधिक्य का राज्य विधानसभा द्वारा नियमन करवाना अनिवार्य है। यद्यपि, व्यय के नियमितीकरण के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है तथापि, ऐसा नियमितीकरण जन लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे पर चर्चा पूर्ण होने के बाद किया जाता है।

वर्ष 2010-14 के लिये 13 अनुदानों में आधिक्य व्यय की राशि ₹ 20.74 करोड़ का नियमन किया जाना शेष था (10 अगस्त 2015)। वर्षवार विवरण नीचे तालिका 2.2 में सारीकृत किया गया है।

तालिका 2.2: गत वर्षों के प्रावधान से आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की कुल संख्या	अनुदान/विनियोग एवं नाम	अनुदान/विनियोग	आधिक्य की राशि (₹ करोड़ में)	जनलेखा समिति द्वारा परीक्षण किये जाने की स्थिति (10 अगस्त 2015 तक)
2010-11	4	20-आवास	पूँजीगत-दत्तमत	2.16	पैरा संख्या 2.3.5 पर 14वीं विधानसभा का 13वीं जन लेखा समिति प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। सरकार द्वारा क्रियान्वित
		27-पेयजल योजना	राजस्व-दत्तमत	15.70	
		28-ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	राजस्व-दत्तमत	1.90	

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की कुल संख्या	अनुदान/विनियोग एवं नाम	संख्या	अनुदान/विनियोग	आधिक्य की राशि (₹ करोड़ में)	जनलेखा समिति द्वारा परीक्षण किये जाने की स्थिति (10 अगस्त 2015 तक)
		38-लघु सिंचाई एवं भू संरक्षण		पूँजीगत-दत्तमत	0.01	विषयक टिप्पणी प्राप्त हुई और संवीक्षा टिप्पणी प्रेषित की गई।
	2	13-आबकारी		राजस्व-प्रभारित	³	
		15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ		राजस्व-प्रभारित	0.03	
2011-12	1	48-विद्युत		पूँजीगत-दत्तमत	0.01	पैरा संख्या 2.3.5 पर 14वीं विधानसभा का 46वीं जन लेखा समिति प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। सरकार द्वारा क्रियान्विति विषयक टिप्पणी प्राप्त हुई और संवीक्षा टिप्पणी प्रेषित की गई।
	2	12-अन्य कर		राजस्व-प्रभारित	0.11	
		36-सहकारिता		राजस्व-प्रभारित	⁴	
2012-13	2	11-विभिन्न सामाजिक सेवायें		राजस्व-प्रभारित	0.01	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
		20-आवास		राजस्व-प्रभारित	⁵	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
2013-14	2	16-पुलिस		राजस्व-प्रभारित	⁶	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
		41-सामुदायिक विकास		पूँजीगत-दत्तमत	0.81	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
योग	13				20.74	

स्रोत: विनियोग लेखे।

2.3.2 वर्ष 2014-15 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य जिनका नियमन अपेक्षित है

वर्ष 2014-15 के दौरान, एक विनियोग में राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत राशि से अधिक कुल आधिक्य ₹ 3.15 करोड़ रहा, जिसका संविधान की धारा 205 के अधीन नियमन करवाना अपेक्षित है जिसे तालिका 2.3 द्वारा दर्शाया गया है:

³ केवल ₹ 54,783

⁴ केवल ₹ 57

⁵ केवल ₹ 2,100

⁶ केवल ₹ 23,122

तालिका 2.3: वर्ष 2014-15 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विनियोग/अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल विनियोग	व्यय	आधिक्य
पूँजीगत प्रभारित				
1.	लोक ऋण	4,956.89	4,960.04	3.15
कुल योग		4,956.89	4,960.04	3.15

स्रोत: विनियोग लेखे।

राज्य समेकित निधि में प्राधिकृत राशि से अधिक व्यय के कारण तालिका 2.4 में दिये गये हैं।

2.3.3 बिना प्रावधान के व्यय

राज्य बजट नियमावली के पैरा 21.19.1(अ) में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार, योजना/सेवा पर व्यय बिना निधि के प्रावधानों के नहीं किया जाना चाहिये। तथापि, विनियोग लेखे 2014-15 की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित उपशीर्ष में राशि ₹ 18.44 करोड़ का व्यय बिना किसी वास्तविक अनुमान/अनुपूरक मांग तथा बिना किसी पुनर्विनियोजन आदेशों के प्रभाव के किया गया, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.4: 2014-15 के दौरान शीर्ष के अन्तर्गत बिना प्रावधान के व्यय के मामलें

क. सं.	विनियोग का नाम	लेखाशीर्ष	बिना प्रावधान के व्यय राशि (₹ करोड़ में)	कारण
1.	लोक ऋण	6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 106-प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्र 02-विशेष बाण्ड (पावर बॉण्ड्स) 18-8.50% कर-मुक्त राजस्थान सरकार विशेष बॉण्ड्स, 2015	18.44	वित्त (मार्गोपाय) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया (4 सितम्बर 2015) गया कि पावर बॉण्ड के भुगतान की देय तिथि 1 अप्रैल 2015 थी, परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2015 को राशि ₹ 18.44 करोड़ नामे कर दिये गये जिसके परिणामस्वरूप इस शीर्ष के अन्तर्गत व्यय, बिना किसी प्रावधान के पुस्तांकित किया गया।

निधि के प्रावधान के बिना व्यय अनियमित तथा अनाधिकृत था।

2.3.4 आधिक्य व्यय

10 लेखाशीर्षों में, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में आधिक्य व्यय ₹ एक करोड़ से अधिक और कुल प्रावधानों के 10 प्रतिशत से भी अधिक था (*परिशिष्ट 2.1*)। इसके अतिरिक्त, एक विनियोग 'लोक ऋण' के अन्तर्गत ₹ 3.15 करोड़ का आधिक्य व्यय था।

निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के परिणामस्वरूप आधिक्य व्यय, बजट एवं व्यय नियंत्रण में कमी को इंगित करता है।

2.3.5 व्यय की अधिकता

व्यय की समान गति रखना ठोस लोक वित्तीय प्रबन्धन का एक निर्णायक घटक है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति वाले महीनों में व्यय की अधिकता से बचना चाहिये।

वर्ष 2014-15 के दौरान, 79 उप-शीर्षों (*परिशिष्ट 2.2*) में ₹ 14,075.99 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 30 प्रतिशत से अधिक) का व्यय वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया, जो कि कुल व्यय का 51.6 प्रतिशत था। इसमें से ₹ 9,888.46 करोड़ (70.3 प्रतिशत) केवल मार्च 2015 में व्यय किये गये।

मुख्य शीर्षों, जिनमें वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 25 करोड़ तथा कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक व्यय, या तो अंतिम तिमाही के दौरान या अंतिम माह के दौरान किया गया, नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.5: वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत में व्यय की अधिकता के मामलों

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2015 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय से प्रतिशत	राशि	कुल व्यय से प्रतिशत
1.	2075-विविध सामान्य सेवाये	617.52	616.47	99.8	615.90	99.7
2.	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	741.35	1,046.05	141.1	1,003.15	135.3
3.	2425-सहकारिता	611.51	331.88	54.3	311.75	51.0
4.	3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	491.22	352.78	71.8	249.41	50.8
5.	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाये	70.64	54.74	77.5	54.12	76.6
6.	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	484.32	311.32	64.3	257.57	53.2
7.	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4,249.21	2,863.57	67.4	2,710.97	63.8
8.	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	42.57	42.57	100	42.57	100
9.	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	167.07	139.48	83.5	118.45	70.9

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान।

इसमें से, अकेले मार्च 2015 के दौरान कुल राशि (₹ 21,504.36 करोड़) का 12.75 प्रतिशत (₹ 2,742.78 करोड़) निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित/जमा किये गये जैसाकि अनुच्छेद 3.6 में विस्तृत है।

इस प्रकार, विभागों द्वारा वर्ष के अंत में बड़ी राशि खर्च की गयी जो व्यय के ऊपर कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है।

2.3.6 आवांति प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग

वित्तीय वर्ष के दौरान बजट आवांति में, व्यय के संदर्भ में विचलन था, जो बजट प्रक्रिया की प्रत्येयता तथा बजट अनुश्रवण की विश्वसनीयता पर प्रश्न उत्पन्न करता है।

विनियोग लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 19,268.99 करोड़ की कुल बचतों के विरुद्ध ₹ 17,885.40 करोड़ (92.8 प्रतिशत) की बचतें, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ एवं अधिक, 23 अनुदानों में थी, जैसाकि नीचे तालिका 2.6 में दर्शाया गया है-

तालिका 2.6: ₹ 100 करोड़ एवं अधिक की बचतों के साथ अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखे में प्रतिवेदित बचतों के कारण
(अ) राजस्व-दत्तमत							
1	9-वन	747.86	नगण्य राशि	747.86	630.62	117.24 (15.7)	पदों का रिक्त रहना, विस्थापन हेतु ग्रामीणों की सहमति प्राप्त न होना, भारत सरकार से वार्षिक कार्य योजना की द्वितीय किशत प्राप्त न होना तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि कम जारी करना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
2	15-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	9,037.00	858.11	9,895.11	9,628.97	266.14 (2.7)	वर्ष 2006 से पूर्व तथा 2013 से पूर्व के पेंशनरों के नये संशोधित पेंशन के प्रकरण पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं करना तथा बैंकों द्वारा अंतिमीकरण किये गये प्रकरणों का विलम्ब से भुगतान होना।
3	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	19,318.57	नगण्य राशि	19,318.57	16,570.32	2,748.25 (14.2)	तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद नहीं भरना, पदों का रिक्त रहना तथा भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
4	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई	6,251.69	नगण्य राशि	6,251.69	5,081.45	1,170.24 (18.7)	पदों का रिक्त रहना, भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने के कारण राज्य सरकार द्वारा कम अंश जारी करना, निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) से निधियाँ प्राप्त होने के पश्चात् राजस्थान स्वास्थ्य सेवायें निगम लिमिटेड

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचते (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखे में प्रतिवेदित बचतों के कारण
							को कम निधियाँ जारी करना, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पीडी खाते में निधियों के हस्तान्तरण हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं करना तथा मशीनरी एवं उपकरणों का कम क्रय होना।
5	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	477.18	117.52	594.70	310.30	284.40 (47.8)	भारत सरकार से कम निधि प्राप्त होना, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के लिये भारत सरकार से निधियों की द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होना तथा भारत सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु निधियाँ प्राप्त नहीं होना।
6	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2,863.76	नगण्य राशि	2,863.76	2,298.24	565.52 (19.7)	भारत सरकार से निधियाँ कम/नहीं प्राप्त होना, तेरहवें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कम अनुदान जारी करना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
7	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	6,352.64	नगण्य राशि	6,352.64	5,130.08	1,222.56 (19.2)	भारत सरकार से निधियाँ कम/नहीं प्राप्त होना, पदों का रिक्त रहना, आयोजना सीमा में कटौती, वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
8	33-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5,355.35	236.78	5,592.13	5,358.86	233.27 (4.2)	भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना, पदों का रिक्त रहना, छात्रवृत्ति तथा वजीफों पर कम व्यय होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
9	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2,166.52	272.40	2,438.92	2,311.91	127.01 (5.2)	सूखा, बाढ़, चक्रवात आदि राहत कार्यों पर कम व्यय होना।
10	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	847.72	-	847.72	398.20	449.52 (53.0)	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना, चुनाव आचार संहिता के कारण 'भामाशाह योजना, 2014' के अन्तर्गत भामाशाह पंजीयन तथा भामाशाह कार्ड बनाने पर कम व्यय होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
11	37-कृषि	1,956.80	नगण्य राशि	1,956.80	1,546.91	409.89 (20.9)	पदों का रिक्त रहना, भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होना तथा सामान्य किसानों को दिये जाने वाले अनुदानों की सीमा में कटौती से किसानों द्वारा 'ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट योजना' में कम रुचि लेने के कारण कम व्यय होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखों में प्रतिवेदित बचतों के कारण
12	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	632.06	-	632.06	511.35	120.71 (19.1)	वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय, औषधियों और भेषज पर कम व्यय, आयोजना सीमा में कटौती, हिन्गोनिया गौशाला के लिये उपकरणों की दरों की स्वीकृति नहीं मिलना, राज्य सरकार द्वारा गौशाला को अनुदान जारी करने के नीतिगत निर्णय नहीं लेना तथा भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
13	41-सामुदायिक विकास	5,065.56	28.03	5,093.59	4,457.14	636.45 (12.5)	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुदानों में 52 प्रतिशत तक की कमी करना, भारत सरकार से द्वितीय किशत की स्वीकृति प्राप्त नहीं होना, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुदानों में कमी, भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना तथा 'भामाशाह योजना, 2008' के बकाया दायित्वों का भुगतान नहीं होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
14	46-सिंचाई	1,814.74	नगण्य राशि	1,814.74	1,702.88	111.86 (6.2)	पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
15	48-विद्युत	10,384.96	नगण्य राशि	10,384.96	9,114.40	1,270.56 (12.2)	पॉवर बॉण्ड पर ब्याज का कम भुगतान, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के आधार पर अनुदान जारी करना, विद्युत कर की वसूली के अनुसार विद्युत कम्पनियों को अनुदान जारी करना, राजस्व हानियों के पुनर्भरण हेतु जारी अनुदान के अनुपात में बदलाव से जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को कम अनुदान जारी होना।
16	50-ग्रामीण रोजगार	3,611.45	-	3,611.45	2,389.85	1,221.60 (33.8)	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होना।
17	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	6,164.27	नगण्य राशि	6,164.27	4,509.85	1,654.42 (26.8)	पदों का रिक्त रहना, भारत सरकार से निधियाँ नहीं कम/प्राप्त होना, 'भामाशाह योजना' पर कम व्यय होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
	उप योग (अ)	83,048.13	1,512.84	84,560.97	71,951.33	12,609.64	
	(ब) पूँजीगत दत्तमत						
18	12-अन्य कर	374.78	-	374.78	74.78	300.00 (80.0)	राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के स्थान पर बस अड्डा विकास प्राधिकरण के गठन के निश्चित करने के बाद सम्पत्तियों के हस्तांतरण की कार्यवाही की क्रियान्विति नहीं होना तथा वर्ष के दौरान

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचते (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखे में प्रतिवेदित बचतों के कारण
							प्रस्तावित प्राधिकरण के अस्तित्व में न आना।
19	19-लोक निर्माण कार्य	1,397.65	नगण्य राशि	1,397.65	709.61	688.04 (49.2)	कार्य की अधिकता के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूर्ण नहीं होना तथा कार्यों का कम निष्पादन होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
20	21-सड़कें एवं पुल	3,281.25	-	3,281.25	2,399.82	881.43 (26.9)	कार्यों का कम निष्पादन होना तथा कार्यों के परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता प्रभार का समायोजन होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
21	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	346.25	-	346.25	223.28	122.97 (35.5)	कार्य की धीमी प्रगति, 1,079 प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी नहीं करना, ऋणों के विरुद्ध नाबार्ड द्वारा कम राशि प्राप्त करना तथा भारत सरकार से निधियों प्राप्त नहीं होना।
22	27-पेयजल योजना	3,299.95	273.76	3,573.71	3,308.02	265.69 (7.4)	कार्यों की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण कार्यों की धीमी प्रगति रहना, जल संसाधन विभाग द्वारा निधियों का उपयोग नहीं करना तथा निविदा प्रक्रिया में देरी होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
23	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1280.91	-	1,280.91	707.49	573.42 (44.8)	अनुबंधों के समाप्ति के कारण सीवरेज क्षेत्र में निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति रहना, भूमि उपलब्धता में देरी होना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रेल्वे क्रॉसिंग हटाने में देरी होना, पदों का रिक्त रहना, आयोजना सीमा में कटौती तथा भूमि के स्थान में बदलाव होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
24	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2,306.93	425.55	2,732.48	2,116.63	615.85 (22.5)	नाबार्ड योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए स्वीकृति जारी नहीं करना, कार्य का कार्यान्वयन कम/नहीं होना तथा भारत सरकार से निधियों का कम/नहीं प्राप्त होना।
25	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	301.82	नगण्य राशि	301.82	45.84	255.98 (84.8)	भूमि आवंटन में देरी के परिणामस्वरूप सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आवासीय विद्यालयों के निर्माण में धीमी प्रगति रहना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
26	37-कृषि	429.96	-	429.96	309.66	120.30 (28.0)	राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
27	42-उद्योग	20.12	0.10	20.22	(-) 81.64	101.86 (503.8)	राज्य सरकार द्वारा ऋणात्मक व्यय के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखे में प्रतिवेदित बचतों के कारण
28	43-खनिज	103.56	-	103.56	(-) 4.65	108.21 (104.5)	राज्य में रिफाईनरी की स्थापना हेतु एचपीसीएल के साथ किये गये एमओयू के अध्ययन हेतु बनाई गई समीक्षा समिति द्वारा निर्णय देने में देरी के परिणामस्वरूप एचपीसीएल-राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड को अंश पूँजी जारी नहीं करना।
29	46-सिंचाई	1,165.59	नगण्य राशि	1,165.59	953.91	211.68 (18.2)	कार्य का कम निष्पादन, निधियों की कम/नहीं प्राप्त होना तथा चुनाव की आचार संहिता के कारण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होना।
30	48-विद्युत	3,600.00	नगण्य राशि	3,600.00	3,067.13	532.87 (14.8)	आयोजना सीमा में कटौती के कारण विद्युत कम्पनियों में कम निवेश होना।
31	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2,712.86	336.58	3,049.44	2,551.98	497.46 (16.3)	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होना, प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी न होना तथा आयोजना सीमा में कटौती के कारण विभिन्न विद्युत वितरण कम्पनियों में अंश पूँजी का कम विनियोजन होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
	योग (ब)	20,621.63	1,035.99	21,657.62	16,381.86	5275.76	
	महा योग (अ+ब)	1,03,669.76	2,548.83	1,06,218.59	88,333.19	17,885.40	

स्रोत: विनियोग लेखे

ऊपर चर्चित प्रकरण इंगित करते हैं कि इन अनुदानों के बजट नियंत्रण अधिकारियों तथा विभागों द्वारा व्ययों का बजट अनुमान तैयार करते समय राबनि के अध्याय 13 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 17,885.40 करोड़ की बचतें हुई।

कुल बचत ₹ 19,268.99 करोड़ में से, ₹ 12,609.64 करोड़ (65.4 प्रतिशत) की बचत (₹ 100 करोड़ तथा अधिक) 'राजस्व-दत्तमत' अनुभाग से संबंधित थी, जो कि व्यय के दोषपूर्ण बजट अनुमान को इंगित करती है। वृहद बचतें शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जनजाति क्षेत्रीय विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, विद्युत तथा अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के अन्तर्गत थी। बचतों का मुख्य कारण पदों का रिक्त रहना था। रिक्त पदों के लिए बजट अनुमान रखना राबनि के पैरा 13.18.2 में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन था। अन्य कारण भारत सरकार से निधियों का कम/नहीं प्राप्त होना तथा आयोजना परिव्यय में कमी तथा पॉवर बॉण्ड पर ब्याज का कम भुगतान होना प्रतिवेदित किये गये थे।

राशि ₹ 5,275.76 करोड़ (27.4 प्रतिशत) की बचतें (₹ 100 करोड़ तथा अधिक) 'पूँजीगत अनुभाग' से संबंधित थी। वृहद बचतें लोक निर्माण, नगर आयोजना एवं

प्रादेशिक विकास, सड़कें एवं पुल, जनजाति क्षेत्रीय उप-योजना, सिंचाई, विद्युत तथा अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के अन्तर्गत थी। बचतों का मुख्य कारण भारत सरकार से निधियों का प्राप्त नहीं होना, कार्यों का कम निष्पादन, आयोजना सीमा में कटौती के परिणामस्वरूप विद्युत कम्पनियों में कम निवेश होना, स्वीकृतियाँ जारी नहीं होना तथा कार्यों का कम निष्पादन/धीमी प्रगति होना रहे, जोकि वर्ष के दौरान विकास कार्यों में ठहराव तथा राज्य सरकार की सम्पत्तियों का सृजन नहीं करने को इंगित करता है।

22 प्रकरणों में बचतें 20.9 एवं 503.8 प्रतिशत के मध्य रही तथा प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक रही, जैसाकि **परिशिष्ट 2.3** दर्शाया है।

2.3.7 निरन्तर बचतें

पिछले तीन वर्षों के दौरान, 17 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल अनुदान के 10 प्रतिशत से अधिक की, निरन्तर बचतें रही जैसा कि **तालिका 2.7** में सारीकृत है। निरन्तर बचतों के लिए मुख्य कारणों सहित विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दिये गये है।

तालिका 2.7- अनुदानों की सूची वर्ष 2012-15 के दौरान निरन्तर बचतों को इंगित करती है
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संख्या तथा अनुदान का नाम	बचतों की राशि		
		2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व-दत्तमत				
1.	09-वन	154.23	188.29	117.24
2.	11-विभिन्न सामाजिक सेवायें	20.10	13.60	42.47
3.	20-आवास	12.45	24.01	14.84
4.	28-ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	84.83	30.39	284.40
5.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	35.25	22.44	449.52
6.	43-खनिज	82.11	25.29	94.51
7.	48-विद्युत	1,000.00	2,177.50	1,270.56
8.	50-ग्रामीण रोजगार	60.69	57.43	1,221.60
पूँजीगत-दत्तमत				
9.	11-विभिन्न सामाजिक सेवायें	1.59	1.62	16.29
10.	19-लोक निर्माण कार्य	135.71	277.74	688.04
11.	23-श्रम एवं रोजगार	1.38	2.87	2.88
12.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	19.20	47.97	28.47
13.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	67.07	42.80	122.97
14.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	193.94	414.99	573.42
15.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	232.27	222.84	615.85
16.	33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	85.77	11.21	255.98
17.	46-सिंचाई	228.97	279.18	211.68

स्रोत: विनियोग लेखे

निरन्तर बचतों का कारण मुख्यतः पदों का रिक्त रहना था। बजट अनुमानों के अन्तर्गत रिक्त पदों का प्रावधान करना राबनि का उल्लंघन था। बचत के अन्य कारण भारत सरकार से निधियाँ कम/प्राप्त नहीं होना, कार्यों का कम निष्पादन/धीमी प्रगति तथा आयोजना परिव्यय में कटौती होना, प्रतिवेदित किये गये थे।

विगत वर्षों में निरन्तर बचतें, सरकार द्वारा निधियों की आवश्यकता की पर्याप्त संवीक्षा एवं व्यय के प्रवाह के उचित अनुश्रवण का अभाव तथा विनियोग विधेयक में अधिक निर्धारण का सूचक है। विभिन्न विभागों में प्रभावी बजटीय नियंत्रण नहीं था तथा पिछले वर्षों के व्ययों की प्रवृत्तियों का इस वर्ष के बजट आवंटन के समय ध्यान नहीं रखा गया। निरन्तर बचतों से बचने हेतु वित्त विभाग द्वारा इन अनुदानों से संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है।

2.3.8 अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

राबनि का पैरा 24.2 प्रावधित करता है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी उद्देश्य के लिये उपलब्ध कराई गई राशि अपर्याप्त रहती है अथवा किसी उद्देश्य या सेवा जिसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है, पर व्यय करने की आवश्यकता होती है, तो विधानमण्डल द्वारा अनुपूरक प्रावधान स्वीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2014-15 के दौरान 14 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) में लिया गया ₹ 1,168.36 करोड़ का समग्र अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय, मूल प्रावधान के बराबर भी नहीं हुआ (*परिशिष्ट 2.5*)। महत्वपूर्ण प्रकरण जिनमें प्रत्येक मामले अनुपूरक प्रावधान में ₹ 100 करोड़ से अधिक के अनावश्यक सिद्ध हुये, नीचे तालिका 2.8 में विवेचित किये गये हैं:

तालिका 2.8: वर्ष 2014-15 के दौरान ऐसे मामलों जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹ 100 करोड़ से अधिक) अनावश्यक रहा

(₹ करोड़ में)

क. सं.	संख्या तथा अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	अनुपूरक प्रावधानों के कारण
राजस्व-दत्तमत					
1	28- ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	477.18	117.52	310.30	भारत सरकार से समन्वित जल ग्रहण विकास योजना हेतु अधिक केन्द्रीय अंश प्राप्त होने की प्रत्याशा में।
पूँजीगत-दत्तमत					
2	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2,306.93	425.55	2,116.63	विभिन्न योजनाओं यथा सड़कों एवं पुलों, जलापूर्ति, मध्यम सिंचाई आदि के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्यों के व्ययों की पूर्ति हेतु।
3	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2,712.86	336.58	2,551.98	विभिन्न विद्युत वितरण कम्पनियों में पूँजी विनियोजन के लिये।

स्रोत: विनियोग लेखे

ऊपर दिये गये सभी प्रकरणों में यह पाया गया कि अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था। यह इन विभागों द्वारा वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिये निधियों की आवश्यकता के आंकलन में त्रुटि एवं व्यय के प्रवाह के अनुश्रवण में विफलता, जैसाकि राबनि के अध्याय 21 में विहित है, को इंगित करता है। इस प्रकार इन उप-शीर्षों के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान वास्तविक आवश्यकता के निर्धारण के बिना किये गये।

2.3.9 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, किसी अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ प्रत्याशित बचत है, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, में निधियों का अंतरण है।

अविवेकपूर्ण किया गया पुनर्विनियोजन अत्यधिक, अनावश्यक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ, परिणामस्वरूप 59 उप-शीर्षों में ₹ 62.75 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ एवं 262 उप-शीर्षों में ₹ 270.97 करोड़ की अंतिम बचतें रही। पुनर्विनियोजन के बाद 18 लेखा शीर्षों में ₹ एक करोड़ से अधिक का अंतिम आधिक्य/बचत हुई (परिशिष्ट 2.6)। सात लेखा शीर्षों में अपर्याप्त पुनर्विनियोजन, 2 लेखा शीर्षों में अनावश्यक पुनर्विनियोजन एवं 9 लेखा शीर्षों में अत्यधिक पुनर्विनियोजन हुआ। इससे इंगित होता है कि इस प्रकार के पुनर्विनियोजन से पहले निधियों की आवश्यकता/उपलब्धता का सही आंकलन नहीं किया गया।

2.3.10 अवर्णित पुनर्विनियोजन

राबनि के पैरा 23.15.6 में उल्लिखित है कि प्रत्याशित बचतों अथवा आधिक्यों के कारण स्पष्ट किये जाने चाहिये। वित्त विभाग द्वारा जारी (31 मार्च 2015) पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 1,190 प्रकरणों में से मात्र 324 प्रकरणों के स्पष्टीकरण प्राप्त हुये, बकाया 866 प्रकरणों के स्पष्टीकरण सामान्य प्रकृति जैसे कि 'वास्तविक आवश्यकता', 'नवीनतम आंकलन पर आधारित' तथा 'व्यय का प्रतिबंध' आदि दर्शाये गये थे। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम के अनुभाग 4 में निर्दिष्ट पारदर्शिता सिद्धान्त के विपरीत है।

2.3.11 प्रत्याशित बचतों का अनभ्यर्पण

राबनि के पैरा 23.16 के अनुसार अनुदान, जो उचित रूप से उपयोजित नहीं की जा सके, अभ्यर्पित किये जाने चाहिये। वर्ष 2014-15 के दौरान, ₹ 19,268.99 करोड़ की कुल बचतों में से ₹ 19,109.93 करोड़ (99.2 प्रतिशत) की राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में अभ्यर्पित की गई। इनमें से, 49 प्रकरणों (33 अनुदान एवं एक विनियोग) में ₹ 18,815.03 करोड़, जहाँ बचतों के प्रत्येक प्रकरण ₹ 20 करोड़ से अधिक के थे, वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को अभ्यर्पित किये गये (परिशिष्ट 2.7), जबकि 16 अनुदानों एवं 1 विनियोग में,

जहाँ बचतें (₹ 10,289.06 करोड़) प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा इससे अधिक की थी, ₹ 307.95 करोड़ की राशि अभ्यर्पित नहीं की गई (परिशिष्ट 2.8)।

यह वास्तविक वित्तीय नियोजन की कमी एवं कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है। मुख्य नियंत्रण अधिकारियों एवं विभागीय अध्यक्षों द्वारा राबनि में विहित बजटीय नियंत्रणों की उपेक्षा की गई तथा वित्त विभाग राज्य बजट पर सम्पूर्ण वित्तीय नियंत्रण रखने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु निधियाँ वंचित रही।

विभागों ने वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को बचतों के अभ्यर्पण के संबंध में कोई कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये (नवम्बर 2015)।

2.3.12 एक मुश्त प्रावधान

राबनि के पैरा 13.16 में निर्दिष्ट है कि नियमानुसार अनुमानों में एक मुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिये। तथापि, कुछ मामलों में एकमुश्त प्रावधान अपरिहार्य हो सकता है। प्रकरणों, जहाँ एकमुश्त आवंटन से व्यय प्रचलित स्वीकृतियों, अनुदेशों अथवा नियमों से विनियमित होता है, को छोड़कर बजट नोट में एकमुश्त अनुमानों के प्रस्तावित प्रावधानों हेतु विस्तृत स्पष्टीकरण दिये जाने चाहिये।

अनुमानों में वर्ष 2014-15 के दौरान, 89 प्रकरणों (23 अनुदानों में ₹ 15 करोड़ से अधिक एवं बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक) में ₹ 7,197.35 करोड़ का एक मुश्त प्रावधान किया गया। इनमें से ₹ 5,237.77 करोड़ (72.8 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुपयोजित रहे, जिसे वर्ष के अन्त में अभ्यर्पित किया गया (परिशिष्ट 2.9) एवं शेष राशि ₹ 1,959.58 करोड़ पुनर्विनियोजित की गई। इन प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त बजट प्रावधान के कारण सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2015)।

2.3.13 वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण

तीन अनुदानों में, ₹ 1,677.38 करोड़ की बचतों के समक्ष ₹ 1,787.38 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई, जो कि ₹ 110 करोड़ अधिक थी (परिशिष्ट 2.10) यह इंगित करता है कि मासिक व्यय विवरणों के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रण रखने में विभाग विफल रहे। विभागों ने वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण के सम्बन्ध में कोई कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये (नवम्बर 2015)।

2.3.14 अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण

एक विनियोग (लोक ऋण) के अन्तर्गत, राशि ₹ 15.29 करोड़ का अभ्यर्पण अविवेकपूर्ण रहा, क्योंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विनियोग के अन्तर्गत राशि ₹ 3.15 करोड़ का आधिक्य रहा।

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 9-‘वन’ एवं अनुदान संख्या 24-‘शिक्षा, कला एवं संस्कृति’ के अन्तर्गत वर्ष 2012-15 की अवधि के लिये व्ययों एवं प्राप्तियों की समीक्षा में निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई:

अनुदान संख्या 9-वन

वन विभाग

(अ) राजस्व व्यय

समग्र राजस्व व्यय, गत वर्षों से 17.2 प्रतिशत तथा 12.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसाकि नीचे सारीकृत है:

तालिका 2.9: वर्ष 2012-15 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान के समक्ष वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशतता	
							बचतें	व्यय में वृद्धि दर
2406-वानिकी तथा वन्य जीव	2012-13	632.89	-	632.89	478.66	154.23	24.4	-
	2013-14	749.21	-	749.21	560.92	188.29	25.1	17.2
	2014-15	747.86	-	747.86	630.62	117.24	15.7	12.4

स्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष 2012-15 के दौरान, कुल बजट प्रावधानों की तुलना में बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति दर्शाते हुए, जो विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत विभागों द्वारा उचित संवीक्षा तथा व्यय के प्रवहन के उचित अनुश्रवण के बिना निधियों की आवश्यकता से अधिक आंकलन को दर्शाता है।

कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में व्यय की प्रवृत्ति में गत वर्षों से महत्वपूर्ण विचलन पाया गया। शीर्ष '2406-वानिकी तथा वन्य जीव, 01-वानिकी, 196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता, 01-अधीनस्थ एवं दक्ष कर्मचारी वर्ग 01-स्थापना' के अन्तर्गत व्यय⁷ गत वर्षों की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान 62.5 प्रतिशत से कम तथा वर्ष 2014-15 के दौरान 169.8 प्रतिशत से बढ़ा। विभाग ने बताया कि वेतन एवं भत्तों में कमी/वृद्धि पंचायती राज संस्थान द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण पर निर्भर करता है। विभागीय उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि यह विभाग के वित्तीय प्रबंधन में प्रणालीगत कमी को दर्शाता है।

⁷ वर्ष 2012-13 के दौरान व्यय : ₹ 17.76 करोड़; वर्ष 2013-14: ₹ 6.66 करोड़ तथा वर्ष 2014-15: ₹ 17.97 करोड़।

(ब) पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय के लिए बजट अनुमानों में, वर्ष 2013-14 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण कमी (21.6 प्रतिशत) के बावजूद वास्तविक पूँजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि (46.9 प्रतिशत) हुई। वर्ष 2014-15 के दौरान बजट अनुमानों में पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि (118 प्रतिशत), के बावजूद पूँजीगत पक्ष में प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय में कमी (20 प्रतिशत) रही, जैसाकि तालिका 2.10 में दिखाया गया है:

तालिका 2.10: वर्ष 2012-15 के दौरान मूल प्रावधान के समक्ष वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशतता	
							बचतें	व्यय में वृद्धि दर
4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	2012-13	130.65	11.54	142.19	114.75	27.44	19.3	-
	2013-14	102.48	82.40	184.88	168.58	16.30	8.8	46.9
	2014-15	223.41	-	223.41	134.92	88.49	39.6	(-) 20.0

स्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष 2014-15 के बजट अनुमानों की तुलना में पूँजीगत व्यय में महत्वपूर्ण कमी मुख्यतः वनीकरण, वन संरक्षण, परिभ्रांषित वनों का संपोषण आदि में पाई गई, जो मूल अनुमानों में चाहे गए पूँजीगत कार्यों की ओर कम प्राथमिकता को दर्शाता है।

संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012-13 के दौरान राशि ₹ 11.54 करोड़⁸ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक रहा क्योंकि वास्तविक व्यय मूल आवंटन से भी कम था। वर्ष 2013-14 के दौरान, विभिन्न शीर्षों में लिया गया ₹ 82.40 करोड़⁹ का अनुपूरक प्रावधान, बजट प्रावधानों की तुलना में अधिक पाया गया।

(स) सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

राबनि के पैरा 13.6 में प्रावधित है कि व्यय के अनुमान जहाँ तक हो सके यथार्थ होने चाहिए, वास्तविक व्यय से आधिक्य के समान ही अनुमानों में परिहार्य आधिक्य भी वित्तीय अनियमितता है। कुछ उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा समग्र प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया तथा वर्ष के अन्त में उसे अभ्यर्पित कर दिया गया। विभाग ने सूचित किया कि शीर्ष '4406-01-102-08' के अन्तर्गत आवंटित निधि ₹ 1.09 करोड़ का उपयोग, भारत सरकार द्वारा निधियाँ जारी नहीं करने के कारण नहीं किया जा सका। विभागीय उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि यह भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने में

⁸ शीर्ष 4406-02-110-(04)-16- केवलादेव नेशनल पार्क का विकास।

⁹ (i) शीर्ष 4406-01-101-10-16 : ₹ 5.97 करोड़, (ii) शीर्ष 4406-01-102-14-16 : ₹ 56.10 करोड़, (iii) शीर्ष 4406-01-800-02-17 : ₹ 15.97 करोड़ तथा (iv) शीर्ष 4406-02-110-04-16 : ₹ 4.36 करोड़।

विभागीय अनुसरण की कमी को दर्शाता है। शीर्ष '4406-02-110-08' के अन्तर्गत ₹ 2 करोड़ के अभ्यर्पण से संबंधित विशिष्ट कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2015)।

(द) प्राप्तियाँ

वर्ष 2012-15 के दौरान, अनुदान के शीर्ष '0406-वानिकी तथा वन्य जीव' के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका 2.11 में सारीकृत है-

तालिका 2.11.: वर्ष 2012-15 के दौरान प्राप्तियों की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य (+) /कमी (-)	संशोधित अनुमान से प्रतिशत विचलन
2012-13	56.05	73.53	91.24	(+)17.71	24.1
2013-14	66.67	87.39	77.52	(-) 9.87	(-) 11.3
2014-15	87.44	80.20	89.31	(+) 9.11	11.4

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में पिछले वर्षों में महत्वपूर्ण प्राप्तियों के बावजूद आगामी वर्षों में प्राप्तियों के अनुमान में कमी पायी गयी जैसाकि तालिका 2.12 में दिया गया है-

तालिका 2.12.: वर्ष 2012-15 के दौरान प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य (+) /कमी (-)	संशोधित अनुमान से प्रतिशत विचलन
1	0406-वानिकी तथा वन्य जीव 01-वानिकी 101-लकड़ी तथा अन्य वन उत्पादितों की बिक्री	2012-13	31.46	43.98	43.82	(-) 0.16	(-) 0.4
		2013-14	41.67	40.85	38.78	(-) 2.07	(-) 5.1
		2014-15	42.09	35.31	38.21	2.90	8.2
2	0406-वानिकी तथा वन्य जीव 01-वानिकी 800-अन्य प्राप्तियाँ	2012-13	14.80	14.81	31.85	17.04	115.0
		2013-14	10.11	31.19	24.20	(-) 6.99	(-) 22.4
		2014-15	29.82	28.56	33.40	4.84	16.9

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

इस प्रकार, वास्तविक प्राप्तियों तथा संशोधित अनुमानों के संबंध में उल्लेखनीय विचलन थे, जो कि अनुमानों में कमियों को इंगित करता है।

अनुदान संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति

शिक्षा, कला एवं संस्कृति विभाग

(अ) राजस्व व्यय

वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान वास्तविक बजट प्रावधान, व्यय तथा बचतों ने असंगत प्रचलन दर्शाया। वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान,

वास्तविक प्रावधान पिछले वर्षों की तुलना में 16 प्रतिशत तथा 33.7 प्रतिशत अधिक थे लेकिन व्यय में वृद्धि क्रमशः 18.45 प्रतिशत तथा 21.74 प्रतिशत दर्शित हुई जैसाकि तालिका 2.13 में सारीकृत है।

तालिका 2.13: वर्ष 2012-15 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान के समक्ष वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशतता	
							बचतें	व्यय में वृद्धि दर
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2012-13	12,458.04	-	12,458.04	11,491.78	966.26	7.76	-
	2013-14	14,453.24	361.85	14,815.09	13,611.65	1,203.44	8.12	18.45
2202-सामान्य शिक्षा	2014-15	19,318.57	-	19,318.57	16,570.32	2,748.25	14.23	21.74
2203-तकनीकी शिक्षा								
2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं								
2205-कला एवं संस्कृति								

स्रोत: विनियोग लेखे।

संवीक्षा में प्रकट हुआ कि वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 361.85 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान में राशि ₹ 246.90 करोड़ शीर्ष '2202-01-197-10 पंचायत समिति को प्राथमिक विद्यालय के लिए अनुदान' तथा ₹ 114.95 करोड़ शीर्ष '2202-01-800-17 राजीव गांधी डीजिटल विद्यार्थी योजना में लैपटाप के वितरण हेतु अनुदान' शामिल थे। तथापि, दोनो शीर्षों के लिए प्रावधान, अनुपूरक अनुदान की मांग के बिना, मूल आवंटन से किया जा सकता था, क्योंकि तीनों वर्षों में वास्तविक व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुँच पाया। इसके अलावा, नमूना जाँच के दौरान, व्यय में असामान्य वृद्धि पायी गयी जैसाकि तालिका 2.14 में दर्शाया है।

तालिका 2.14: वर्ष 2012-15 के दौरान अनुदान 24 के अन्तर्गत कुछ शीर्षों के व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	व्यय में वृद्धि (₹ में)	प्रतिशतता वृद्धि	विभागीय उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	2202-सामान्य शिक्षा 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103-राजकीय कॉलेज तथा संस्थान 08-विधि महाविद्यालय (आयोजना-भिन्न)	2012-13	1.03	0.15	--	--	महाविद्यालयों में कर्मचारियों की नई भर्ती के कारण वृद्धि।	आयोजना-भिन्न शीर्ष के अन्तर्गत किया गया व्यय वेतन तथा भत्तों/बकाया के भुगतान से संबंधित था, जो कि बजट अनुमान तैयार करते समय अनुमानित किया जा सकता था।
		2013-14	0.09	0.55	0.40	266.7		
		2014-15	10.20	5.33	4.78	869.1		

क. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	व्यय में वृद्धि (₹ में)	प्रतिशतता वृद्धि	विभागीय उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
2	2202-सामान्य शिक्षा	2012-13	15.94	17.26	--	--		
	05-भाषा विकास	2013-14	20.16	23.68	6.42	37.2	यूजीसी वेतन श्रृंखला लागू करने से वेतन तथा भत्तों में वृद्धि।	
	103-संस्कृत शिक्षा	2014-15	22.64	33.83	10.15	42.9		
02-संस्कृत महाविद्यालय (आयोजना-भिन्न)								

स्रोत: विनियोग लेखे तथा विभागीय उत्तर।

(ब) पूँजीगत व्यय

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में पूँजीगत व्यय के लिये बजट अनुमानों में गत वर्षों की तुलना में 13.63 तथा 32.24 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी होने के बावजूद, वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान वास्तविक व्यय में प्रावधानों की तुलना में भी महत्वपूर्ण कमी (क्रमशः 39.5 प्रतिशत तथा 47 प्रतिशत) रही, जो कि पूँजीगत कार्यों की प्राथमिकता पर कम ध्यान दिये जाने को इंगित करता है, जैसाकि तालिका 2.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.15: वर्ष 2012-15 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान के समक्ष वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशतता	
							बचतें	व्यय में वृद्धि दर
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	2012-13	91.71	12.75	104.46	85.26	19.20	18.4	-
	2013-14	79.21	-	79.21	31.24	47.97	60.6	(-) 63.4
	2014-15	53.67	-	53.67	25.20	28.47	53.0	(-) 19.3
6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज								

स्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष 2012-13 में किया गया अनुपूरक प्रावधान भी अनावश्यक पाया गया क्योंकि वास्तविक व्यय मूल आवंटन से 7.03 प्रतिशत कम रहा।

(स) सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

राबनि के पैरा 13.6 में प्रावधित है कि व्यय का अनुमान जहाँ तक हो सके यथार्थ होना चाहिए, वास्तविक व्यय से आधिक्य की तरह ही अनुमानों में परिहार्य आधिक्य भी वित्तीय अनियमितता है। कुछ उप-शीर्षों की विस्तृत जाँच में प्रकट हुआ कि विभाग द्वारा सम्पूर्ण बजट प्रावधान (₹ 1 करोड़ से अधिक) का उपयोग

नहीं किया गया तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजन कर दिया गया जैसाकि परिशिष्ट 2.11 में दिया गया है।

(द) प्राप्तियाँ

वर्ष 2012-15 की अवधि के दौरान अनुदान के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष '0202' में राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका 2.16 में दी गई है।

तालिका 2.16- वर्ष 2012-15 के दौरान प्राप्तियों की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य (+) /कमी (-)	संशोधित अनुमान से प्रतिशत विचलन
2012-13	53.80	60.00	83.42	(+) 23.42	39.0
2013-14	62.00	85.44	95.94	(+) 10.50	12.3
2014-15	75.00	78.23	80.93	(+) 2.70	3.5

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

कुछ शीर्षों (तालिका 2.17) की नमूना जाँच में पाया गया कि आगामी वर्षों में उल्लेखनीय वास्तविक प्राप्तियों के बावजूद अनुमान कम रखे गये:

तालिका 2.17- वर्ष 2012-15 के दौरान प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य (+) /कमी (-)	संशोधित अनुमान से प्रतिशत विचलन
1	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 101-प्रारम्भिक शिक्षा	2012-13	2.90	3.08	11.00	(+) 7.92	257.1
		2013-14	3.08	24.22	27.68	(+) 3.46	14.3
		2014-15	11.26	12.54	19.30	(+) 6.76	53.9
2	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 102-माध्यमिक शिक्षा	2012-13	10.45	13.68	15.95	(+) 2.27	16.6
		2013-14	13.82	14.58	16.46	(+) 1.88	12.9
		2014-15	14.45	15.57	19.37	(+) 3.80	24.4
3	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 103-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	2012-13	4.29	3.51	7.18	(+) 3.67	104.6
		2013-14	3.10	4.68	5.49	(+) 0.81	17.3
		2014-15	5.45	5.70	8.04	(+) 2.34	41.1
4	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति 03-खेलकूद तथा युवा सेवाएं 800-अन्य प्राप्तियाँ	2012-13	0.08	0.04	1.04	(+) 1.00	2500.0
		2013-14	0.04	1.70	1.60	(-) 0.10	5.9
		2014-15	1.75	1.60	0.00	(-) 1.60	100.0

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

इस प्रकार, वास्तविक प्राप्तियों तथा संशोधित अनुमानों में विचलन 5.9 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत से अधिक के मध्य था जो कि अनुमानों में कमी को इंगित करता है। वर्ष 2014-15 में शीर्ष '0202-03-800' के लिए ₹ 1.60 करोड़ की अनुमानित प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियाँ शून्य थी।

2.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारत के संविधान की धारा 267(2) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार आकस्मिकता निधि से अग्रिम, अप्रत्याशित व्यय के प्रयोजन, जिन्हें विधानसभा द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक स्थगित नहीं किया जा सकता, हेतु ले सकती है। राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम तथा प्रत्याहरण राबनि के अध्याय 5 के पैरा 5.1 से 5.13 के प्रावधानों द्वारा संचालित होते हैं। राबनि का पैरा 5.6 बताता है कि अग्रिम के लिये मांग प्रस्तुत करने से पूर्व सभी प्राथमिकताएँ, जैसे कि प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, स्थल का चुनाव आदि पूर्ण हो जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त, राबनि के पैरा 5.11 में वर्णित है कि, आकस्मिकता निधि से अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिये लिया गया अग्रिम, पूर्ण या आंशिक रूप से अनुपयोजित रहता है, तो स्वीकृति का निरस्तीकरण या संशोधन वित्त विभाग से प्राप्त किया जाना चाहिये।

वर्ष 2014-15 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा दो मुख्य शीर्षों¹⁰ के अन्तर्गत ₹ 5.60 करोड़ की एक स्वीकृति, अल्पसंख्यक मामलात विभाग को बहुउद्देशीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) को अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र¹¹ में जन उपयोगी निर्माण कार्य जैसे स्वास्थ्य उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाडी केन्द्र आदि लागू करने हेतु आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने के लिए जारी (अक्टूबर 2014) की गयी। स्वीकृति की प्रभावी तिथि 15 फरवरी 2015 थी। दस्तावेजों की जाँच में प्रकट हुआ कि कार्यालय व्यय, प्रशिक्षण व्यय तथा कम्प्यूटराईजेशन कार्य आदि के लिये आवंटित ₹ 10 लाख में से केवल ₹ 0.35 लाख ही प्रभावी तिथि तक उपयोजित किये गये। इसके अलावा, मुख्य निर्माण कार्य के लिए आवंटित ₹ 5.50 करोड़ में से स्वीकृति की प्रभावी तिथि तक केवल ₹ 2.49 करोड़ ही उपयोजित हुए। तथापि, वित्त विभाग द्वारा अनुपयोगी राशि की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा ना तो संशोधित की गई और ना ही निरस्त की गई जैसाकि राबनि के अन्तर्गत आवश्यक था। आकस्मिकता निधि से आहरित की गई राशि अनुचित थी क्योंकि ₹ 3.11 करोड़ की सीमा तक राशि अनुपयोजित रही। यह आकस्मिकता निधि के प्रावधानों में अन्तर्निहित सिद्धान्तों, जिसके अनुसार ऐसे प्रकरणों जिनमें व्यय हेतु अनुपूरक अनुदानों को प्राप्त करने तक स्थगित नहीं किया जा सकता है, की भावना के विरुद्ध था।

¹⁰ शीर्ष "2225-04-102(01)[04] (₹ 10 लाख)" तथा "4225-04-102(01)[04] (₹ 550.40 लाख)"।

¹¹ जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर, नागौर तथा भरतपुर।

2.6 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमिततायें

31 दिसम्बर 2010 तक संशोधित, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 8 (2) में निर्दिष्ट है कि निधियों का आहरण तभी किया जावे जब तुरंत भुगतान किया जाना हो एवं व्यय या भुगतान किसी नियम या सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेशों के अन्तर्गत प्राधिकृत हो। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 219, सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिलों को बनाने/आहरण करने और विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिलों को नियंत्रण अधिकारियों/प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रस्तुत किये जाने को विनियमित करता है। आगे, नियम 220(1) में निर्धारित प्रमाण-पत्र, डीसी बिलों को तीन माह के भीतर प्रस्तुत करना उपबन्धित करता है। (विदेश से मशीनरी/उपकरण एवं अन्य सामान साख-पत्र द्वारा क्रय करने के प्रकरणों में डीसी बिल सक्षम प्राधिकारी को एसी बिल आहरित किये जाने के छः माह में प्रस्तुत किये जायेंगे)।

आहरित ₹ 4,794.52 करोड़ के 43,965 एसी बिलों (31 मार्च 2015 तक) के विरुद्ध ₹ 4,505.59 करोड़ की राशि के 43,597 डीसी बिल प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा प्राप्त किये गये, परिणामस्वरूप 30 जून 2015 तक ₹ 288.93 करोड़ के 368 एसी बिल बकाया थे। बकाया एसी बिलों का वर्षवार विवरण नीचे तालिका 2.18 में दिया गया है:

तालिका 2.18: प्रस्तुतीकरण में लम्बित सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित एसी बिल		प्राप्त हुए डीसी बिल		असमायोजित एसी बिल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2008-09 तक	28,137	1,978.00	28,109	1,973.31	28	4.69
2009-10	3,669	708.79	3,669	708.79	-	-
2010-11	2,460	419.86	2,453	418.34	7	1.52
2011-12	1,471	197.72	1,451	193.40	20	4.32
2012-13	1,834	253.84	1,814	246.12	20	7.72
2013-14	3,130	616.42	3,080	537.12	50	79.30
2014-15	3,264	619.89	3,021	428.51	243	191.38
योग	43,965	4,794.52	43,597	4,505.59	368	288.93

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान

कुछ असमायोजित एसी बिल राजस्व विभाग (81: ₹ 237.22 करोड़), ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग (57: ₹ 3.72 करोड़), भू-राजस्व विभाग (16: ₹ 8.37 करोड़), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (55: ₹ 19.37 करोड़) और पुलिस विभाग (27: ₹ 5.12 करोड़) से संबंधित थे। जून 2015 की अवधि तक लम्बित डीसी बिलों का मुख्य शीर्षवार विवरण *परिशिष्ट 2.12* में दिया गया है।

• **असमायोजित सारांशीकृत आकस्मिक बिल**

निम्नलिखित प्रकरणों में आहरित एसी बिल, दो या तीन साल की अवधि समाप्त होने के बावजूद भी असमायोजित रहे:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	एसी बिल		आहरित राशि
		मुख्य शीर्ष	संख्या तथा दिनांक	
1.	सवाई मानसिंह, चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4210	2031/30.03.2013	86.00
		4210	2567/31.03.2014	185.00
2.	एसपी, चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	2210	1330/31.03.2012	55.04
		2210	1395/18.03.2013	54.82
		4210	1467/28.03.2013	2.65
		4210	1494/30.03.2013	8.94
3.	जिला कलक्टर, अलवर	2245	813/19.03.2013	103.50

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान तथा संबंधित विभाग

विभाग ने मैसर्स राजकॉम्प इन्फो. सर्विसेज लिमिटेड द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा व्यय का विवरण प्रस्तुत नहीं करना तथा उपकरणों का प्राप्त नहीं होना कारण सूचित किये। एक प्रकरण में, जिला कलक्टर, अलवर ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि लक्ष्मणगढ़ तहसील में धोखाधड़ी के कारण राशि ₹ 1.03 करोड़ के एसी बिल (813/19.03.2013) के विरुद्ध डीसी बिल, प्रस्तुत नहीं किये जा सके।

यह विभाग में अनुश्रवण के अभाव तथा व्यवस्थापरक कमी को दर्शाता है।

• **निर्धारित अवधि पश्चात डीसी बिल द्वारा समायोजित एसी बिल**

निम्नलिखित प्रकरणों में (तालिका 2.19) अव्ययीत राशि निर्धारित अवधि के 2 से 14 माह के बाद जमा कराई गई:

तालिका 2.19- सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के समायोजन में विलम्ब

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य शीर्ष	एसी बिल संख्या/दिनांक	राशि (₹ लाख में)	डीसी बिल संख्या/दिनांक	विलम्ब माह में
1.	जिला कलक्टर, अलवर	2245	812/19.03.2013	182.00	5/05.08.2014	14
		2245	827/23.03.2013	353.28	4/06.06.2014	12
2.	जिला कलक्टर, अजमेर	2245	1/15.5.2013	261.18	6/15.05.2014	9
			5/21.5.2013	776.55		9
			6/24.05.2013	587.78		9
			9/31.05.2013	432.73		9
			13/17.07.2013	2.06		7
			23/3.10.2013	1,030.36		4
			26/26.12.2013	1.01		2
			2245	2/15.5.2013		292.08
		4/21.5.2013	30.16	9		
		8/31.05.2013	307.14	9		
24/03.10.2013	320.24	4				
			25/30.10.2013	0.72		4
			27/16.12.2013	0.02		2

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान तथा संबंधित विभाग

अव्ययीत राशि को विलम्ब से जमा कराना सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 219 तथा 220 (1) प्रावधानों का उल्लंघन था।

2.7 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 1,39,053.78 करोड़ के कुल अनुदानों एवं विनियोगों के समक्ष ₹ 1,19,784.79 करोड़ की राशि व्यय हुई एवं ₹ 19,268.99 करोड़ की बचतें रही। 14 प्रकरणों में ₹ 1,168.36 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

विभाग द्वारा ₹ 19,109.93 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को अभ्यर्पित किये जिससे इन निधियों का उपयोग अन्य विकास सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। चार प्रकरणों में, ₹ 110 करोड़ वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पित किये गये। एक विनियोग (प्रभारित व्यय के अन्तर्गत लोक ऋण-पुनर्भुगतान) में आधिक्य व्यय ₹ 3.15 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 15.29 करोड़ अभ्यर्पित किये गये। 89 प्रकरणों में, ₹ 7,197.35 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹ 5,237.77 करोड़ (72.8 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे।

कुछ अनुदानों में प्राप्तियों एवं व्ययों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि (i) वन विभाग में, वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान समग्र राजस्व व्यय गत वर्षों की तुलना में 17 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत से बढ़ा, जबकि वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान पूंजीगत व्यय गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 47 प्रतिशत से बढ़ा तथा 20 प्रतिशत से कम हुआ, (ii) शिक्षा विभाग में, वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान समग्र राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत तथा 22 प्रतिशत से बढ़ा, जबकि वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान पूंजीगत व्यय गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 63 प्रतिशत तथा 19 प्रतिशत से कम हुआ।

नियंत्रण/संवितरण अधिकारियों को आवंटित निधियों के आवश्यकता के अनुसार समुचित उपयोग के लिए स्वीकृत आवंटन के समक्ष व्यय की प्रगति हेतु नजदीकी एवं निरन्तर निगरानी रखनी चाहिये। उन्हें मासिक व्यय नियंत्रण तथा अनुश्रवण प्रक्रिया को भी विशेष रूप से सुदृढ़ बनाना चाहिये।

सभी विभागों को व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये वास्तविक बजट अनुमान प्रस्तुत करने के प्रयास करने चाहिये ताकि वर्ष के अन्त में बड़े पैमाने पर होने वाले आधिक्य/बचत, पुनर्विनियोजन एवं अभ्यर्पण से बचा जा सके एवं उनका अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में प्रभावी रूप से उपयोग हो सके।

30 जून 2015 तक ₹ 288.93 करोड़ के 368 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के समक्ष विस्तृत आकस्मिक बिल बकाया थे।

सारांशीकृत आकस्मिक बिलों से आहरित किये गये अग्रिमों का निर्धारित अवधि में समायोजन करने के लिये प्रभावी अनुश्रवण प्रक्रिया लागू की जानी चाहिये।

₹ 27,268.51 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 14,075.99 करोड़ की राशि (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 30 प्रतिशत से भी अधिक) वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में व्यय किये गये। इसमें से, ₹ 9,888.46 करोड़ अकेले मार्च 2015 में व्यय किये गये, जिससे वर्ष के अन्त में व्यय की प्रचुरता रही।

वर्ष के अन्त में किये जाने वाले व्यय के आधिक्य की वजह से सम्बद्ध गुणवत्ता में होने वाले नुकसान को टालने के लिये विभाग को व्यय की प्रगति का वर्ष पर्यन्त ध्यानपूर्वक अनुश्रवण करना चाहिये।

अध्याय 3 वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक सही आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्ट, यदि परिचालन में है तथा सटीक और प्रभावी है, तो यह अनुकूल योजना बनाने एवं निर्णय लेने सहित राज्य सरकार को उनकी प्रबन्धन की मूलभूत जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है। यह राज्य सरकार और उसकी विभिन्न संस्थाओं, जैसे कि स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों आदि, की वित्तीय और परिचालन सुदृढ़ता की सही, निष्पक्ष और पारदर्शी चित्रण करने में योगदान देती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार एवं इसके विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (सावि एवं लेनि) प्रावधित करते हैं कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिये उपलब्ध कराये गये अनुदानों हेतु, विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राही से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उप्रप) प्राप्त किये जाने चाहिये तथा सत्यापन के बाद, उनकी स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रेषित किये जाने चाहिये। वर्ष 1997-98 से 2013-14 के दौरान प्रदत्त अनुदानों में से ₹ 22.20 करोड़ के 135 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विभागवार विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिये गये हैं। विलम्ब की वर्ष-वार स्थिति को **तालिका 3.1** में सांराशीकृत किया गया है।

तालिका 3.1: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्षों की संख्या में विलम्ब की सीमा	30 जून 2015 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	संख्या	राशि
0-1	48	1.65
1-3	49	14.57
3-5	31	2.65
5-7	02	3.21
7 एवं अधिक	05	0.12
योग	135	22.20

स्रोत: वित्त लेखे तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित वाउचर।

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की बकाया राशि का लगभग 97 प्रतिशत भाग मुख्यतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (102 उपयोगिता प्रमाण-पत्र: ₹ 16.23 करोड़) तथा

परिवार कल्याण विभाग (3 उपयोगिता प्रमाण-पत्र: ₹ 5.20 करोड़) से सम्बन्धित था। यह पाया गया कि (i) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में सम्मिलित ₹ 9.51 करोड़ के 6 उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो कि 2012-13 से आर.ओ. मशीनरी उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब होने के कारण बकाया थे, जिसके परिणामस्वरूप स्थापना में विलम्ब हुआ और (ii) पंचायती राज विभाग के ₹ 5.20 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिनके लिए 2007-10 के दौरान परिवार कल्याण प्रोत्साहन पारितोषिक के लिए निधियां स्वीकृत की गई थी, प्रतीक्षित थी।

विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं करना अनुदानों के उपयोग की प्रणाली में दोष, तथा वित्तीय अव्यवस्था होना इंगित करता है।

3.2 लेखाओं का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना

संस्थाएँ, जिनकी लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन आकृष्ट होती हैं, की पहचान करने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता, प्रदान की गयी सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। आगे, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम 2007 का विनियम 84 प्रावधित करता है कि सरकार एवं विभागों के प्रमुख जो कि निकायों एवं प्राधिकरणों को अनुदान एवं/और ऋण संस्वीकृत करते हैं, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत में उन निकायों एवं प्राधिकरणों की सूची, जिनको कि गत वर्ष के दौरान कुल समेकित राशि ₹ 10 लाख या अधिक का अनुदान एवं/और ऋण का भुगतान किया गया हो, का विवरण मय (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता दी गयी हो एवं (ग) निकाय एवं प्राधिकरण का कुल व्यय, इंगित करते हुए लेखापरीक्षा को प्रेषित करेंगे।

वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त 198 लेखाओं में से 87 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आकर्षित हुई। इनमें से 41 निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं की लेखापरीक्षा जून 2015 तक की गयी। निकायों एवं प्राधिकरणों, जिन्होंने विभिन्न शासकीय विभागों से पूर्व वर्षों के दौरान अनुदान प्राप्त किया है, के लेखाओं की प्राप्ति में विलम्ब का विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है तथा उसकी वर्ष-वार बकाया स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 3.2: निकायों/प्राधिकरणों से देय वार्षिक लेखाओं की वर्ष-वार बकाया

विलम्ब वर्षों में	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या	गत वर्ष के दौरान प्राप्त हुई अनुदान (₹ करोड़ में)	गत वर्ष के दौरान किया गया खर्च (₹ करोड़ में)
0-1 वर्ष	15	74.48	76.13
1-3 वर्ष	19	107.19	204.62
3-5 वर्ष	02	2.21	4.24
5 वर्ष से अधिक	02	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
योग	38	183.88	284.99

यह देखा जा सकता है कि 21 निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में एक से पाँच वर्षों तक का विलम्ब हुआ। यह भी देखा गया कि किसी भी विभाग द्वारा प्रयोजन, जिसके लिए सहायता राशि स्वीकृत की गयी थी, प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा, विधानमण्डल/सरकार को स्वीकृत अनुदान के उपयोग, विशेष रूप से विपथन या दुरुपयोग के मामलों में, आश्वस्त नहीं कर सका।

वर्ष 2013-14 तक देय 111 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में से 38 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के 85 वार्षिक लेखे जून 2015 तक प्राप्त नहीं हुये थे।

3.3 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा, विधिक सहायता, मानवाधिकार, खादी विकास एवं निर्माण कर्मकार कल्याण क्षेत्र में चार¹ स्वायत्त निकाय स्थापित किये गये हैं। इन निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत सौंपी गई है। जबकि, अन्य तीन निकायों की लेखापरीक्षा, सम्बन्धित अधिनियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है।

लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी, लेखाओं को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना एवं इसके विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण की स्थिति **परिशिष्ट 3.3** में दर्शायी गयी है। यह देखा जा सकता है कि सभी चार स्वायत्त निकायों के वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लेखे 2 से 14 महीनों के विलम्ब से प्रस्तुत किये गये।

3.4 विभागों द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों, जो अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों का निष्पादन करते हैं, द्वारा वित्तीय संचालनों के कार्य परिणामों को निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक वर्ष प्रोफॉर्मा लेखे तैयार किये जाने अपेक्षित होते हैं, ताकि सरकार उनके कार्यों का ऑकलन कर सके। विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिमीकृत लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति तथा उनके व्यावसायिक कार्यकुशलता को प्रदर्शित करते हैं। समय पर लेखों के अंतिमीकरण के अभाव में, जवाबदेयता सुनिश्चित करने तथा कार्य कुशलता में सुधार लाने हेतु सुधारात्मक उपाय, यदि कोई आवश्यक हों, समय से नहीं जा सकते।

¹ राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल, जयपुर, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर तथा राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, जयपुर।

सरकार में, विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उपक्रम ऐसे लेखाओं को तैयार करें और उन्हें विनिर्दिष्ट समयावधि में महालेखाकार को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करें। मार्च 2015 तक, 10 में से मात्र 8 उपक्रमों द्वारा वर्ष 2013-14 तक के लेखे तैयार कर प्रस्तुत किये गये। प्रोफार्मा लेखे तैयार करने तथा सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति **परिशिष्ट 3.4** में दी गई है।

3.5 दुर्विनियोजन, हानियाँ, जालसाजी इत्यादि

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-I) का नियम 20 प्रावधित करता है कि यदि किसी कोषागार या किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में, सरकार द्वारा या सरकार के पक्ष में धारित सार्वजनिक राशि, विभागीय राजस्व या प्राप्तियों, स्टाम्पों, भण्डार या अन्य सम्पत्ति की, दुर्विनियोजन, कपटपूर्ण आहरण/भुगतान या अन्य किसी प्रकार से हानि हुई है तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ प्राधिकारी के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार को तुरन्त भेजी जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2015 तक विभिन्न विभागों के, राशि ₹ 56.81 करोड़ के दुर्विनियोजन (335) एवं राजकीय धन की चोरी/हानि (573) के कुल 908 प्रकरण प्रतिवेदित किये गये, जिन पर अंतिम कार्यवाही (जून 2015) लम्बित थी। लम्बित प्रकरणों का विभाग-वार एवं अवधि-वार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.5** में तथा इन प्रकरणों की प्रकृति का विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है। लम्बित प्रकरणों का अवधि-वार विवरण तथा चोरी/हानि एवं दुर्विनियोजन, प्रत्येक श्रेणी में लम्बित प्रकरणों की संख्या जैसाकि इन परिशिष्टों से प्रकट हुआ, को **तालिका 3.3** में सारांशीकृत किया गया है:

तालिका 3.3: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि का प्रोफाइल

लम्बित प्रकरणों का अवधि वार विवरण			लम्बित प्रकरणों की प्रकृति		
अवधि वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)
0-5	216	2632.03	सामग्री की चोरी/हानि	573	1240.14
5-10	224	1167.03	दुर्विनियोजन/गबन	335	4440.48
10-15	209	995.35			
15-20	133	533.78			
20-25	69	230.69	-	-	-
25 एवं अधिक	57	121.74	-	-	-
योग	908	5680.62	कुल लम्बित प्रकरण	908	5680.62

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना।

प्रकरणों के बकाया रहने के कारणों को निम्न तालिका में सूचीबद्ध किया गया है:

तालिका 3.4: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि के प्रकरणों के बकाया रहने के कारणों का वर्गीकरण

विलम्ब का कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
विभागीय एवं आपराधिक जांच प्रतीक्षित	261	2221.68
वसूली/अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित	569	2942.24
न्यायालयों में लम्बित	78	516.70
योग	908	5680.62

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना।

3.6 निजी निक्षेप खाते

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 260(1) के अनुसार सरकारी लेखे में कोई भी धनराशि तब तक निक्षेप के लिए प्राप्त नहीं की जायेगी, जब तक कि उन्हें किन्हीं कानूनी उपबंधों या सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के द्वारा सरकार की अभिरक्षा में रखना आवश्यक अथवा प्राधिकृत न किया गया हो।

वर्ष 2014-15 के दौरान, निजी निक्षेप खाते में राशि ₹ 21,504.36 करोड़ हस्तान्तरित/जमा किये गये, जो कि कुल व्यय ₹ 1,10,645 करोड़ का 19.4 प्रतिशत था। इसमें से, अकेले मार्च 2015 में ₹ 2,742.78 करोड़ हस्तान्तरित/जमा किये गये। इनमें से, ₹ 1,340.88 करोड़ (₹ 1,162.89 करोड़ राजस्व खाते में एवं ₹ 177.99 करोड़ पूंजीगत खाते में) अन्तिम तीन दिनों में हस्तान्तरित किये गये। मार्च के अन्तिम दिनों में व्यापक राशि का हस्तान्तरण अपर्याप्त बजटरी नियन्त्रण को दर्शाता है।

31 मार्च 2015 को राजस्थान सरकार के निजी निक्षेप खातों की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	खातों की संख्या	राशि
प्रचलित निजी निक्षेप खाते	21,504.36	21,527.41	1,459	2,838.65
अप्रचलित निजी निक्षेप खातें*	12	0.20
योग	21,504.36	21,527.41	1,471	2,838.85

* पाँच वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय

वर्ष 2014-15 के दौरान, 1,471 पीडी खातों में ₹ 2,838.85 करोड़ का अव्यतीत शेष था, जिसमें ₹ 100 करोड़ एवं उससे अधिक शेष वाले तीन पीडी खातों² का ₹ 1,007.40 करोड़ का अव्यतीत शेष, जो कि पीडी खातों में बकाया राशि का 35.49 प्रतिशत है, सम्मिलित है। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संधारित पीडी खातों की समीक्षा में निम्नलिखित मुख्य: कमियाँ/अनियमितताएँ प्रकट हुईं:

(1) अप्रचलित निजी निक्षेप खाते

राजस्थान कोषालय नियमावली, 2012 के नियम 98 के अनुसार, प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में कोषाधिकारी अपने अधीन सभी कोषालयों और उपकोषालयों के प्रचलित पीडी खातों की समीक्षा करेगा तथा पिछले पाँच पूर्ववर्ती वर्षों में अप्रचलित रहे खातों की सूची वित्त (मार्गोपाय) विभाग को भेजने हेतु तैयार करेगा, तथा आवश्यक विवरण एवं खातों में रहे शेष जमा राशि के साथ सूचना ऐसे खातों को बन्द करने की सहमति लेने हेतु सूचित करेगा।

² (अ) राजस्थान शहरी निर्माण वित्तीय विकास निगम, जयपुर (सचिवालय) (₹ 560.90 करोड़), (ब) प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान कम्प्यूटर इम्फो सेवा लिमिटेड, जयपुर (सचिवालय) (₹ 306.31 करोड़), (स) राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर (सचिवालय) (₹ 140.19 करोड़)।

31 मार्च 2015 को, ₹ 20.14 लाख (परिशिष्ट 3.7) के 12 पीडी खाते गत पाँच वर्षों (2010-15) से अप्रचलित थे, जिसमें मुख्यतः 3 पीडी खाते, (राफल्स विश्वविद्यालय, नीमराणा, अलवर; अधीक्षण अभियंता, शहरी आधारभूत विकास योजना, बीकानेर तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए उच्च शिक्षा एकेडमी, जयपुर, सचिवालय) में ₹ 5 लाख, ₹ 5 लाख तथा ₹ 3.17 लाख की शेष राशि के साथ सम्मिलित थे। कोषालय अधिकारी, अलवर तथा बीकानेर द्वारा सूचित किया गया कि निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों को बन्द करने के प्रस्ताव वित्त (मार्गोपाय) विभाग को भिजवा दिये गये हैं।

(2) ऋणात्मक शेष के बावजूद पीडी खाते से धन की निकासी

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 264(1)(iii) के अनुसार निक्षेप खातों से किसी भी परिस्थिति में जमा राशि से अधिक का भुगतान नहीं किया जायेगा।

वर्ष 2014-15 के दौरान, नीचे दर्शित छः पीडी खातों में राशि ₹ 9.49 करोड़ के ऋणात्मक शेष पाये गये।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	कोषालय	पी.डी. खाता नम्बर	राशि (- शेष)	डीडीओ/पी.डी. खाता की संख्या
1.	नई पेंशन योजना	बारां	479	0.43	01
2.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	बारां	480	0.01	01
3.	नई पेंशन योजना	चूरू	479	1.87	01
4.	कोषाधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम	जयपुर (शहर)	3494	6.49	01
5.	एचडीएफसी को भवन निर्माण अग्रिम के पुनर्भुगतान हेतु	जयपुर (शहर)	3637	0.66	01
6.	एसबीबीजे को भवन निर्माण अग्रिम के पुनर्भुगतान हेतु	जयपुर (शहर)	3638	0.03	01
योग				9.49	06

यह पीडी खातों के प्रचालन तथा रखरखाव में सर्वान्नी कमी को इंगित करता है जिससे वित्तीय दुर्विनियोजन एवं कुप्रबन्धन का भय रहता है।

राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2015)।

3.7 लघु शीर्ष “800-अन्य व्यय” के अन्तर्गत पुस्तांकन

लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली का एक निर्णायक घटक यह है कि लेखों के प्रारूप, जिनमें सरकार की प्राप्तियों और व्ययों को विधानमण्डल को प्रतिवेदित किया जाता है, की निरन्तर समीक्षा की जाये और अद्यतन किया जाये ताकि वे समस्त महत्वपूर्ण हितधारियों की बुनियादी सूचना की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, सरकार के सभी मुख्य कार्यकलापों पर प्राप्ति एवं व्यय को पारदर्शी तरीके से वस्तुतः दर्शा सकें।

लघु शीर्ष ‘800-अन्य व्यय’ को संचालित करने का विचार तब किया जाता है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध कराया गया हो। राजस्थान सरकार के वर्ष 2014-15 के वित्त लेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 57 मुख्य लेखाशीर्षों

(जो सरकार के कार्यों को दर्शाते हैं) के अन्तर्गत ₹ 7,500.85 करोड़ लघु शीर्ष “800-अन्य व्यय” के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये जो संबंधित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत अभिलेखित कुल व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) का 6.78 प्रतिशत से अधिक थे।

मुख्य योजनाएँ जिनमें व्यय वित्त लेखों में अलग से वर्णित नहीं थे, परन्तु लघु शीर्ष ‘800-अन्य व्यय’ के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गए, नीचे दर्शाये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	राशि
1.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत मुख्य सिंचाई परियोजनाएँ	440.31
2.	राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना	445.05
3.	जिला एवं अन्य सड़कों पर पूँजीगत परिव्यय	1,672.21
4.	बिक्री, व्यापार आदि पर करों के अन्तर्गत निवेश अनुदान	174.64
5.	अच्छे देनदारों को सहकारिता के अन्तर्गत सहयोग हेतु ब्याज अनुदान	260.04
6.	शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय	133.98
7.	जिला एवं अन्य सड़कें	669.87
8.	छोटे तथा मध्यम किसानों को कृषि फसलें, बागवानी फसलें तथा वार्षिक लीज फसलों हेतु कृषि आवक अनुदान	387.53
9.	छोटे तथा मध्यम किसानों हेतु कृषि आवक अनुदान	218.33
10.	पंचायत चुनावों पर व्यय	123.29
11.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	774.71
12.	नर्वदा परियोजना के अन्तर्गत मुख्य सिंचाई परियोजनाएँ	210.81
13.	फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत व्यय	207.51

यद्यपि, इन व्ययों का विवरण उप-शीर्ष (योजना) स्तर पर अथवा अनुदानों के लिए नीचे दी गई विस्तृत मांग तथा सम्बन्धित शीर्षवार विनियोग लेखे, जोकि राज्य सरकार के लेखों के हिस्से हैं, में किया गया है, तथापि ‘लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय’ के अन्तर्गत अंकित अधिक राशि भी वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है।

3.8 पुस्तक समायोजन

सामान्यतः राज्य के लेखे वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक नकद प्राप्तियों तथा संवितरणों को प्रस्तुत करते हैं। तथापि, वर्ष 2014-15 के दौरान 60 मदों³ में ₹ 8,169.29 करोड़, समेकित निधि से लोक लेखा अथवा लोक लेखा से समेकित निधि में पुस्तक समायोजन के द्वारा अंतरित किये गए। पुस्तक समायोजन मुख्यतः राज्य प्रावधयी निधि के शेषों पर ब्याज, सिंचाई योजना के पूँजीगत व्यय पर ब्याज, राज्य आपदा मोचन निधि से पूरित सूखा एवं बाढ़ पर व्यय, राज्य आपदा मोचन निधि केन्द्र एवं राज्य के अंश का अन्तरण, जीवन बीमा निगम के शेष पर ब्याज, गारन्टी शुल्क का गारन्टी मोचन निधि में स्थानान्तरण से सम्बन्धित थे।

³ मदों का विवरण राजस्थान सरकार के वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे (खण्ड- I) में दिया गया है।

3.9 प्राप्तियों एवं व्ययों का अंकमिलान

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 11(3) के अनुसार, सभी नियंत्रण अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे राज्य सरकार की प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से करें।

वर्ष 2014-15 के दौरान, (i) 406 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा उनके ₹ 1,16,605.48 करोड़ के कुल व्यय का (ii) 156 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा उनकी ₹ 91,341.48 करोड़ की कुल प्राप्तियों (विविध पूंजीगत प्राप्ति शामिल करते हुए) का, शत प्रतिशत अंकमिलान किया गया।

3.10 मुख्य उच्च लेखों के अन्तर्गत बकाया शेष

संघ एवं राज्यों की मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार, प्राप्ति एवं भुगतानों के संव्यवहार, जिन्हें इनकी प्रकृति अथवा अन्य कारणों की सूचना के अभाव में अंतिम लेखा शीर्ष में पुस्तांकित नहीं किया जा सकता है, को दर्शाने के लिए सरकारी लेखों में कुछ मध्यवर्ती/समायोजनीय लेखाशीर्ष, जिन्हें “उच्च शीर्ष” के रूप में जाना जाता है, प्रचालित किये जाते हैं। जब इन शीर्षों की राशि संबंधित अंतिम लेखे शीर्षों में पुस्तांकित कर ली जाती हैं तब ये लेखे शीर्ष, ऋण नामे अथवा ऋण जमा के द्वारा अंतिम रूप से समाशोधित कर लिये जाते हैं। यदि इन राशियों का समाशोधन नहीं होता है, तो ये राशियाँ उच्च शीर्षों में संचित रहती हैं एवं सरकार की प्राप्तियाँ एवं व्यय सही रूप से दर्शित नहीं होते।

उच्च शेषों का खाता, उप/विस्तृत शीर्षवार, जैसा भी आवश्यक हो, वेतन एवं लेखाधिकारी द्वारा संधारित किया जाता है।

31 मार्च 2015 को राजस्थान सरकार के वित्त लेखे में मुख्य शीर्ष “8658-उच्च लेखे” के अन्तर्गत ₹ 11.26 करोड़ (नामे) का कुल निवल शेष था जिसमें कि वर्ष 2012-13 के ₹ 10.27 करोड़ (जमा) से ₹ 21.53 करोड़ की कमी हुई। यह कमी मुख्यतः वेतन एवं लेखा कार्यालय-उच्च (₹ 35.77 करोड़) के अन्तर्गत हुई जो कि वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2014-15 में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उच्च (₹ 13.51 करोड़) के अन्तर्गत निवल नामे शेष में बढ़ोतरी से प्रतिसंतुलित हुई।

वित्त लेखे में उच्च लेखों के निवल शेष प्रतिबिंबित होते हैं, इस कारण इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया की वास्तविक स्थिति राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाने वाले सरकार के वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित नहीं हो पाती है। मुख्य शीर्ष “8658-मुख्य उच्च लेखे” की गत तीन वर्षों के उच्च शेषों की स्थिति **परिशिष्ट 3.8** में दी गई है।

3.10.1 वेतन एवं लेखा कार्यालय-उच्च

यह लघु शीर्ष, संघ सरकार के वेतन एवं लेखा कार्यालयों, संघ राज्य क्षेत्र के वेतन एवं लेखा कार्यालयों तथा महालेखाकार की पुस्तकों में उत्पन्न हुये अन्तर-सरकारी एवं अन्तर्विभागीय संव्यवहारों के निपटान के लिये प्रचालित किया

जाता है। मार्च 2015 में, इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 47 करोड़ का नामे शेष तथा ₹ 1.37 करोड़ का जमा शेष बकाया था। मुख्यतः “वेतन एवं लेखा कार्यालय उच्चन्त शीर्ष” में बकाया शेष का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	राशि	
		नामे	जमा
1.	वेतन एवं लेखाधिकारी, केन्द्रीय पेंशन लेखाधिकारी वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	27.31	-
2.	वेतन एवं लेखाधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग) सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जयपुर	18.99	0.16
3.	वेतन एवं लेखाधिकारी (ईआरआईएस एवं बैंकिंग) आर्थिक मामलात विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	0.47	-
4.	वेतन एवं लेखाधिकारी निर्वाचक कार्यालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली	-	1.06
5.	वेतन एवं लेखाधिकारी (विधि मामलात), विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली	0.20	0.14

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि इन विभागों/मंत्रालयों द्वारा अन्य वेतन एवं लेखाधिकारियों के निमित्त किये गये भुगतान (नामे) अथवा प्राप्तियाँ (जमा) उनके द्वारा 31 मार्च 2015 को वसूल/भुगतान किये जाने थे। वेतन एवं लेखा कार्यालय उच्चन्त के अन्तर्गत जमा एवं नामे शेष तथा उनका लगातार संचित होना, महत्वपूर्ण नियंत्रण दोष को इंगित करता है।

3.10.2 उच्चन्त लेखे (सिविल)

यह अस्थायी लघु शीर्ष, उन संव्यवहारों के लेखांकन के लिये प्रचालित किया जाता है जिन्हें कुछ सूचनाओं/दस्तावेजों जैसे वाउचरों, चालानों इत्यादि के अभाव में प्राप्ति अथवा व्यय के अन्तिम शीर्ष में नहीं दिखाया जा सकता है।

31 मार्च 2015 को लघु शीर्ष में ₹ 2.26 करोड़ (नामे) एवं ₹ 0.19 करोड़ (जमा) का बकाया शेष था, जो ₹ 2.07 करोड़ की निवल प्राप्तियों एवं व्ययों को प्रदर्शित करता है। मुख्यतः “वेतन एवं लेखा कार्यालय उच्चन्त” शीर्ष में बकाया शेष का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	राशि	
		नामे	जमा
1.	नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन), इलाहाबाद:	1.02	0.01
2.	नियंत्रक रक्षा लेखा (दक्षिण कमान), पुणे	0.34	-
3.	निदेशक, डाक लेखा, कोलकाता के अन्तर्गत भवन निर्माण अग्रिम उच्चन्त	0.70	(-) 0.02
4.	अवर्गीकृत उच्चन्त	0.20	0.21

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि निमित्त किये गये भुगतान (नामे) अथवा प्राप्तियाँ (जमा) जिनका एकाकी निपटारा होना आवश्यक है को सम्बन्धित लेखों के अन्तिम शीर्षों में दर्ज नहीं किया गया। आगे, वित्त लेखों के अनुसार रक्षा लेखा के पास वर्ष 1977-78 से शेष ₹ 1.36 करोड़ (नामे) तथा ₹ 0.01 करोड़ (जमा) बकाया थे तथा डाक लेखा, कोलकाता के पास 1969-70 की अवधि के भवन

निर्माण अग्रिम उच्चत के शेष ₹ 0.70 करोड़ (नामे) तथा (-) ₹ 0.02 करोड़ (जमा) बकाया थे। ये पुराने शेष राज्य वित्त प्रतिवेदनों के साथ-साथ वित्त लेखों द्वारा पूर्व वर्षों में प्रतिवेदित किये गये हैं। तथापि, परिशोधन हेतु कार्यवाही अभी तक लम्बित है।

3.10.3 सामग्री क्रय परिशोधन उच्चत लेखा

क्रय द्वारा अथवा अंतःप्रभागीय हस्तान्तरणों के माध्यम से प्राप्त हुए भण्डारों के ऐसे सभी मामलों में, जहाँ भण्डारों की प्राप्ति के माह में ही भुगतान नहीं किया गया हो, को प्रारम्भ में इस उच्चत शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया जाता है। इस शीर्ष का समाशोधन भण्डारों की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता/प्रभाग को भुगतान करने पर प्रतिलेखा प्रविष्टि (ऋणात्मक जमा) द्वारा किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत, तीन पूर्ण लेखा वर्षों से अधिक समय तक दावा न की गई शेष राशियों को, राजस्व में जमा द्वारा समाशोधित किया जाना चाहिये।

भण्डार क्रय के समायोजन के अभाव में इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को (-) ₹ 3.13 करोड़ (जमा) का शेष बकाया था। लघु शीर्ष के अन्तर्गत समाशोधित नहीं किया जाना, सरकार के महत्वपूर्ण नियन्त्रण दोष को इंगित करता है।

3.11 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभागों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिये स्वीकृत की गयी ₹ 22.20 करोड़ की अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं करना समुचित अनुश्रवण के अभाव को इंगित करता है। नमूना जाँच में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (₹ 16.23 करोड़) तथा परिवार कल्याण विभाग (₹ 5.20 करोड़) के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं करने के मामले ध्यान में आये।


उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के निर्धारित समय में प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने हेतु ऐसे कारकों की पहचान की जानी चाहिए जिनके कारण प्रस्तुतीकरण में रूकावट आती है।

स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों द्वारा लेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना पाया गया। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन लेखापरीक्षा योग्य 38 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के संबंध में लेखे पिछले एक से ग्यारह वर्षों से बकाया थे।

लेखों के बकायों के निर्धारित समय सीमा में निपटान हेतु नियंत्रक विभागों को स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए एवं उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।

राशि ₹ 56.81 करोड़ की राशि के सरकारी धन के दुर्विनियोजन, चोरी एवं हानि के 908 बकाया प्रकरणों में से, ₹ 22.22 करोड़ के 261 प्रकरणों में विभागीय प्रक्रिया एवं आपराधिक जाँच बकाया थी। आगे, ₹ 29.42 करोड़ के 569 प्रकरणों में वसूली/अपलेखन के आदेश भी प्रतीक्षित थे जो जवाबदेयता निर्धारित करने में सरकार की पहल की कमी को इंगित करते हैं।

जालसाजी एवं दुर्विनियोजन के सभी प्रकरणों में विभागीय जाँच शीघ्रता से निबटानी चाहिये। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।




जयपुर,

(दिव्या मल्होत्रा)

प्रधान महालेखाकार

(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित



नई दिल्ली,

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

**परिशिष्ट 1.1 राज्य की रूपरेखा
(संदर्भ राजस्थान की रूपरेखा पृष्ठ 1)**

अ. सामान्य आंकड़े

क्र.सं.	विवरण		आंकड़े
1	क्षेत्रफल		3,42,239 वर्ग किमी
2	जनसंख्या		
	अ	2001 की जनगणनानुसार	5.65 करोड़
	ब	2011 की जनगणनानुसार	6.85 करोड़
3	जनसंख्या घनत्व 2001 (भारत का घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)		165 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
	जनसंख्या घनत्व 2011 (भारत का घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)		200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या* (बीपीएल) (भारत का औसत = 29.5 प्रतिशत)		21.7 प्रतिशत
5	अ	कुल साक्षरता (2001) (भारत का औसत = 65.4 प्रतिशत) [®]	60.4 प्रतिशत
	ब	कुल साक्षरता (2011) (भारत का औसत = 73.0 प्रतिशत) [®]	66.1 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर* (प्रति 1000 जीवित जन्म) (भारत का औसत = 40 प्रति 1000 जीवित जन्म)		47
7	जन्म पर जीवन प्रत्याशा** (भारत का औसत = 67.5 वर्ष)		67.5 वर्ष
8	गिनी गुणांक***		
	अ	ग्रामीण (भारत = 0.29)	0.23
	ब	शहरी (भारत = 0.38)	0.38
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2014-15 चालू दर पर		₹ 5,74,549 करोड़
10	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी चक्रवृत्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 2005-06 से 2014-15	राजस्थान	14.89 प्रतिशत
		सामान्य श्रेणी के राज्य	13.86 प्रतिशत
11	जीएसडीपी सीएजीआर (2005-06 से 2014-15)	राजस्थान	16.78 प्रतिशत
		सामान्य श्रेणी के राज्य	15.44 प्रतिशत
12	जनसंख्या वृद्धि# (2005-06 से 2014-15)	राजस्थान	15.79 प्रतिशत
		सामान्य श्रेणी के राज्य	12.76 प्रतिशत

ब. वित्तीय आंकड़े^{\$}

विवरण	सीएजीआर		गत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर	
	2005-06 से 2013-14		2013-14 से 2014-15	
	सामान्य श्रेणी के राज्य	राजस्थान	सामान्य श्रेणी के राज्य	राजस्थान
	(प्रतिशत में)			
(क) राजस्व प्राप्तियों का	15.76	17.26	16.10	22.63
(ख) स्व-कर राजस्व का	15.32	16.48	10.51	15.52
(ग) कर-भिन्न राजस्व का	13.53	22.16	10.07	(-) 2.55
(घ) कुल व्यय का	15.23	16.66	19.32	23.74
(ङ) पूंजीगत व्यय का	14.61	15.57	21.87	17.85
(च) शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.10	16.05	14.55	26.49
(छ) स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.20	18.48	28.73	35.32
(ज) वेतन एवं मजदूरी का	15.23	14.67	11.75	14.05
(झ) पेंशन का	18.70	21.42	12.43	23.43

* गरीबी की माप एवं पद्धति की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) का प्रतिवेदन योजना आयोग (जून 2014), पृष्ठ 66.

** शिशु मृत्यु दर (आर्थिक समीक्षा 2014-15, तालिका 9.1, पृष्ठ अ 129)।

*** गिनी-गुणांक (वर्ष 2009-10 के लिए उपलब्ध अन्तिम आंकड़े लिये गये हैं)

<http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data/2312/DatabookDec2014%20106.pdf>.

गिनी-गुणांक लोगों में आय की असमानता का मापक है। मूल्य दर शून्य से एक है, शून्य के पास होने पर असमानता कम होती है, एक के पास होने पर असमानता अधिक होती है।

भारत एवं राज्यों के लिए प्राक्कलित जनसंख्या 2001-2026 (संशोधित दिसम्बर 2006), जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा गठित प्राक्कलित जनसंख्या पर तकनीकी समूह के प्रतिवेदन की तालिका-14

\$ वित्तीय आंकड़े राज्य सरकार के वित्त लेखों पर आधारित हैं।

® सेन्सस इन्फो इंडिया 2011 अंतिम जनसंख्या योग।

परिशिष्ट 1.2 भाग-अ सरकारी लेखे की संरचना एवं स्वरूप (संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 2)

सरकारी लेखे की संरचना:

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार की समस्त प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के द्वारा लिये गये समस्त कर्ज, आन्तरिक एवं बाह्य कर्ज तथा सरकार द्वारा कर्जों की अदायगी हेतु प्राप्त समस्त राशि से एक समेकित निधि का गठन होता है जिसे भारत के संविधान की धारा 266(1) के अन्तर्गत गठित “राज्य की समेकित निधि” नाम से जाना जाता है।

भाग II: आकस्मिकता निधि: भारत के संविधान की धारा 267(2) के अन्तर्गत गठित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के पास उपलब्ध एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से वे विधानमण्डल से प्राधिकार प्राप्त होने तक अत्यावश्यक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम प्रदान कर सके। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा इसी के बराबर की राशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमण्डल की अनुमति बाद में प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, प्रावधायी निधियों, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप उचंत, प्रेषण, इत्यादि से सम्बन्धित कुछ लेन-देनों से संबंधित प्राप्तियों एवं संवितरणों जो कि समेकित निधि के भाग नहीं हैं, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखा में सम्मिलित किया जाता है एवं यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यक्षीन नहीं है।

स्रोत: सरकारी लेखाकरण नियम, 1990

परिशिष्ट 1.2 भाग-ब वित्त लेखे का खाका
(संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 2)

वित्त लेखे को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। खण्ड 1 में सरकार के वित्तीय विवरणों को सारांशीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है जबकि विस्तृत विवरण खण्ड 2 में प्रस्तुत किये गये हैं।

विवरण संख्या	वित्त लेखे का खाका
खण्ड 1 में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, 13 सारांशीकृत विवरण जैसा कि नीचे दिया गया है, लेखांकन की नीतियों के साथ लेखाओं से टिप्पणियां सम्मिलित हैं।	
1	वित्तीय स्थिति का विवरण: सरकार की 2014-15 के अन्त में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संचयी आंकड़ें।
2	राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के अन्तर्गत वर्ष के दौरान राज्य की समस्त प्राप्तियों और वितरणों का सारांश।
3	राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं सरकार को उधारों से प्राप्तियाँ जिसमें भारत सरकार से ऋणों की प्राप्तियाँ तथा सरकार द्वारा बाजार से उठाये गये कर्ज सम्मिलित हैं, का सारांश।
4	राजस्व एवं पूँजीगत व्यय तथा राज्य द्वारा उठाये गये पुनर्भुगतान ऋण कार्यकलाप और प्रकृति के अनुसार व्यय का सारांश।
5	कार्यकलाप के अनुसार वर्ष 2014-15 के अंत तक प्रगामी व्यय प्रदर्शित करने वाला पूँजीगत परिव्यय का सारांशीकृत विवरण।
6	राज्य के ऋण की स्थिति जिसमें आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से उधार, अन्य देयताएँ और ऋण सेवा सम्मिलित हैं, का सारांश।
7	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये कर्जों और अग्रिमों, किये गये पुनर्भुगतान, बकाया रही वसूलियों इत्यादि का सारांश।
8	अंश पूँजी में राज्य सरकार के निवेशों का सारांश।
9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों आदि के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का सारांश।
10	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायतार्थ अनुदान का विवरण पत्र, जिन्हें अनुदानित संस्थाओं द्वारा समूहवार व्यवस्थित रखा गया है।
11	वर्ष के दौरान हुए प्रभारित तथा दत्तमत व्ययों का वितरण।
12	राजस्व लेखा के अतिरिक्त निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का सारांश लेखा।
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश।
खण्ड 2 का भाग I: इस भाग में लघुशीर्षों द्वारा खण्ड I के विवरणों के अनुरूप विवरण दर्शाते हुए 9 विवरण हैं:	
14	लघुशीर्ष वार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार लेखा।
15	आयोजना-भिन्न और आयोजना के अन्तर्गत पृथक-पृथक लघुशीर्ष वार राजस्व व्यय का लेखा तथा गत वर्ष की राशियों से तुलना।
16	आयोजना भिन्न और आयोजना के अन्तर्गत पृथक-पृथक लघुशीर्ष वार पूँजीगत व्यय का लेखा तथा गत वर्ष की राशियों से तुलना। वर्ष के अन्त तक संचयी पूँजीगत व्यय भी प्रदर्शित किये गये हैं।

विवरण संख्या	वित्त लेखे का खाका
17	लघुशीर्ष वार उधारों, सभी कर्जों के परिपक्व और पुनर्भुगतान की रूपरेखा का ब्यौरेवार लेखा।
18	राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जों और अग्रिमों, वर्ष के दौरान अदा किये गये कर्ज की राशि, 31 मार्च 2015 को शेष का ब्यौरेवार लेखा।
19	वर्ष 2014-15 के अन्त तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार लेखा।
20	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायतार्थ अनुदान का समूहवार विस्तृत पत्र।
21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहार का ब्यौरेवार लेखा।
22	लोक लेखा के अन्तर्गत आरक्षित निधियों के पृथक रक्षित शेषों में निवेश का ब्यौरा।
<p>खण्ड 2 का भाग II: वित्त लेखे के भाग II में 12 परिशिष्टों में वेतन, सहाय्य, योजनावार एवं संस्थाओं के अनुसार सहायतार्थ अनुदान के ब्यौरे, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण, मुख्य केन्द्रीय योजनाओं के संबंध में योजनावार व्यय तथा राज्य की आयेजनागत योजनाएं इत्यादि शामिल हैं।</p>	

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.3 राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर समय श्रेणी आँकड़ें
(संदर्भ अनुच्छेद 1.4; पृष्ठ 14)

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भाग क: प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	45,928	57,011	66,913	74,471	91,327
(i) कर राजस्व	20,758(45)	25,377(45)	30,503(46)	33,478(45)	38,673(42)
कृषि आय पर कर	- ¹	- ¹	- ¹	- ¹	- ¹
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	12,630(61)	15,767(62)	18,575(61)	21,216(63)	24,170(63)
राज्य उत्पाद शुल्क	2,861(14)	3,287(13)	3,988(13)	4,982(15)	5,586(14)
वाहनों पर कर	1,612(8)	1,927(8)	2,283(7)	2,499(8)	2,830(7)
मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क	1,941(9)	2,651(10)	3,335(11)	3,125(9)	3,189(8)
भू-राजस्व	222(1)	209(1)	304(1)	338(1)	289(1)
माल तथा यात्री कर	231(1)	220(1)	249(1)	288(1)	956(3)
अन्य कर	1,261(6)	1,316(5)	1,769(6)	1,030(3)	1,653(4)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	6,294(14)	9,175(16)	12,133(18)	13,575(18)	13,229(15)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	12,856(28)	14,977(26)	17,103(25)	18,673(25)	19,817(22)
(iv) भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	6,020(13)	7,482(13)	7,174(11)	8,745(12)	19,608(21)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	13	16	8	10	15
3. कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	319	1,229	1,102	316	1,004
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	46,260	58,256	68,023	74,797	92,346
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	7,977	5,918	9,955	14,491	18,141
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	7,617(95)	5,581(94)	9,755(98)	14,232(98)	17,346(96)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्जें एवं अग्रिम	360(5)	337(6)	200(2)	259(2)	795(4)
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (4+5)	54,237	64,174	77,978	89,288	1,10,487
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	300
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,19,490	1,27,215	1,56,563	1,07,978	1,26,382
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	1,73,727	1,91,389	2,34,541	1,97,266	2,37,169
भाग ख: व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	44,873	53,654	63,462	75,510	94,542
आयोजना	8,752(20)	12,416(23)	14,235(22)	17,364(23)	27,444(29)
आयोजना-भिन्न	36,121(80)	41,238(77)	49,227(78)	58,146(77)	67,098(71)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	16,737(37)	18,709(35)	20,496(32)	23,340(31)	27,868(30)
सामाजिक सेवाएँ	17,895(40)	21,928(41)	25,293(40)	31,486(42)	37,754(40)
आर्थिक सेवाएँ	10,220(23)	12,744(24)	17,408(27)	20,435(27)	28,920(30)
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	21(-)	273(-)	265(1)	249(-)	- ²
11. पूँजीगत व्यय	5,251	7,119	10,683	13,664	16,103
आयोजना	5,231(99)	7,103(99)	10,682(100)	13,676(100)	16,087(100)
आयोजना-भिन्न	20(1)	16(1)	1	(-) 12	16(-)
सामान्य सेवायें	155(3)	204(3)	249(2)	334(3)	534(3)
सामाजिक सेवाएँ	1,836(35)	1,997(28)	2,840(27)	4,551(33)	5,838(36)
आर्थिक सेवाएँ	3,260(62)	4,918(69)	7,594(71)	8,779(64)	9,731(61)
12. कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण	262	1,109	2,412	812	701
13. कुल योग (10+11+12)	50,386	61,882	76,557	89,986	1,11,346
14. लोक ऋणों की अदायगी	3,317	3,490	4,707	4,115	4,960
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,863(86)	3,022(87)	4,239(90)	3,624(88)	4,451(90)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्जें एवं अग्रिम	454(14)	468(13)	468(10)	491(12)	509(10)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	300
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	53,703	65,372	81,264	94,101	1,16,606
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	1,16,298	1,22,320	1,50,175	1,05,605	1,22,060
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	1,70,001	1,87,692	2,31,439	1,99,706	2,38,666

¹ 2010-11 : ₹ 0.01 लाख, 2011-12 : ₹ 0.01 लाख, 2012-13 : ₹ 0.01 लाख, 2013-14: मात्र ₹ 24 और 2014-15: ₹ 0.01 लाख।

² मात्र ₹ 0.09 करोड़।

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भाग: ग घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(+) 1,055	(+) 3,357	(+) 3,451	(-) 1,039	(-) 3,215
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 4,126	(-) 3,626	(-) 8,534	(-) 15,189	(-) 19,000
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(+) 3,243	(+) 4,266	(-) 194	(-) 6,126	(-) 8,537
भाग: घ अन्य आँकड़े					
23. ब्याज अदायगियों (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	7,369	7,892	8,340	9,063	10,463
24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	10,216	12,337	16,218	18,763	28,329
25. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिन)	-	-	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम उपयोग (दिन)	-	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिन)	-	-	-	-	-
26. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) [®]	3,38,348	4,14,179	4,70,178*	5,17,615 [®]	5,74,549 [∇]
28. बकाया राजकोषीय देयताएँ (वर्ष के अन्त में)	99,285	1,06,560	1,17,809	1,29,910	1,47,609
29. बकाया प्रतिभूतियों (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	50,692	60,711	75,546	85,911	94,578
30. दी गई प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	88,112	97,566	1,13,340	1,40,526	1,61,918
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	152	160	166	219	199
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	7,142	7,993	8,659	8,393	11,167
भाग ड: राजकोषीय स्थिति सूचक (प्रतिशत में)					
I. संसाधनों की गतिशीलता					
स्व-कर राजस्व/जीएसडीपी	6.1	6.1	6.5	6.5	6.7
स्व-कर भिन्न राजस्व/जीएसडीपी	1.9	2.2	2.6	2.6	2.3
केन्द्रीय अन्तरण/जीएसडीपी	5.6	5.4	5.2	5.3	6.9
II. व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/जीएसडीपी	14.9	14.9	16.3	17.4	19.4
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	109.7	108.5	114.4	120.8	121.9
राजस्व व्यय/कुल व्यय	89.1	86.7	82.9	83.9	84.9
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	35.5	35.4	33.0	35.0	33.9
आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	20.3	20.6	22.7	22.7	26.0
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	10.4	11.5	14.0	15.2	14.5
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	10.1	11.2	13.6	14.8	14.0
III. राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	(+) 0.3	(+) 0.8	(+) 0.7	(-) 0.2	(-) 0.6
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी	(-) 1.2	(-) 0.9	(-) 1.8	(-) 2.9	(-) 3.3
प्राथमिक घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	(+) 1.0	(+) 1.0	0.0	(-) 1.2	(-) 1.5
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-	-	-	6.8	16.9
IV. राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएँ/जीएसडीपी	29.3	25.7	25.1	25.1	25.7
राजकोषीय देयताएँ/राजस्व प्राप्तियाँ	216.2	186.9	176.1	174.4	161.6
प्रारम्भिक घाटा की तुलना में प्रमात्रा विस्तार (₹ करोड़ में)	21,183	18,861	6,306	(-) 2,827	(-) 3,990
ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज)/ऋण प्राप्तियाँ	99.7	100.5	98.2	97.3	94.6
V. अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर प्रतिलाभ	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2
चालू राजस्व शेष (₹ करोड़ में)	5,503	11,192	13,187	11,131	9,148
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएँ	0.71	0.76	0.81	0.82	0.82

स्रोत : वित्त लेखे

टिप्पणी: कोष्ठक में संख्या प्रत्येक उपशीर्षक का योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करती है।

@. स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

* प्रावधिक अनुमान

⊗ त्वरिक अनुमान

∇ अग्रिम अनुमान

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

**परिशिष्ट 1.4 वर्ष 2014-15 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ अनुच्छेद 1.2; पृष्ठ 2)**

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2013-14	2014-15	संवितरण	2013-14	2014-15		
					आयोजना- भिन्न	आयोजना	योग
I. राजस्व प्राप्तियाँ			I. राजस्व व्यय	75,509.59	67,098.09	27,443.88	94,541.97
कर राजस्व	33,477.70	38672.94	सामान्य सेवाएँ	23,339.22	27,347.48	520.67	27,868.15
			सामाजिक सेवाएँ	31,486.09	24,788.42	12,964.97	37,753.39
कर-भिन्न राजस्व	13,575.25	13,229.50	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	15,307.66	13,110.82	6,252.11	19,362.93
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,414.40	3,005.64	2,967.76	5,973.40
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	18,673.07	19,816.97	जलापूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास	4,320.03	3,696.08	982.95	4,679.03
			सूचना एवं प्रसारण	158.68	49.58	0.35	49.93
आयोजना-भिन्न अनुदान	3,550.42	4,527.04	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,055.84	139.54	825.70	965.24
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	2,993.21	14,885.16	श्रमिक तथा श्रम कल्याण	310.83	376.50	75.04	451.54
			समाज कल्याण तथा पोषण	5,833.00	4,376.59	1849.31	6,225.90
			अन्य	85.65	33.67	11.75	45.42
केन्द्र एवं केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	2,200.73	195.30	आर्थिक सेवाएँ	20,435.59	14,962.10	13,958.24	28,920.34
			कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप	3,522.41	1,472.38	2,516.39	3,988.77
			ग्रामीण विकास	4,990.42	1,772.50	8,632.13	10,404.63
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.95	-	0.51	0.51
			सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,672.20	1,631.17	88.13	1,719.30
			ऊर्जा	7,219.94	8,674.78	443.26	9,118.04
			उद्योग तथा खनिज	271.77	154.63	87.21	241.84
			परिवहन	1,610.27	1,149.04	695.34	1,844.38
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	19.02	5.72	40.06	45.78
			सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1,128.61	101.88	1,455.21	1,557.09
			सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	248.69	0.09	-	0.09
योग	74,470.38	91,326.91	योग	75,509.59	67,098.09	27,443.88	94,541.97
II. अनुभाग-ख को अप्रेनीत किया गया राजस्व घाटा	1,039.21	3,215.06	II. अनुभाग-ख को अप्रेनीत राजस्व अधिशेष	-	-	-	-
योग	75,509.59	94,541.97	योग	75,509.59	67,098.09	27,443.88	94,541.97

प्राप्तियाँ	2013-14	2014-15	संवितरण	2013-14	2014-15		
					आयोजना- भिन्न	आयोजना	योग
III. प्रारम्भिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश सहित	12,886.72	10,446.44	III. प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट भारतीय रिजर्व बैंक से	-	-	-	-
IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	10.27	14.57	IV. पूँजीगत परिव्यय	13,664.66	15.32	16,087.37	16,102.69
			सामान्य सेवाएँ	334.37	5.19	528.54	533.73
			सामाजिक सेवाएँ	4,551.32	9.72	5,828.41	5,838.13
			शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	63.36	-	56.41	56.41
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	337.23	-	484.32	484.32
			जलापूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास	3,824.12	9.72	5,011.12	5,020.84
			सूचना एवं प्रसारण	2.82	-	2.85	2.85
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	225.62	-	194.03	194.03
			समाज कल्याण तथा पोषण	67.02	-	24.58	24.58
			अन्य	31.15	-	55.10	55.10
			आर्थिक सेवाएँ	8,778.97	0.41	9,730.42	9,730.83
			कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप	384.24	0.40	548.65	549.05
			ग्रामीण विकास	497.40	-	455.84	455.84
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	297.10	-	262.08	262.08
			सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,076.51	-	1,270.60	1,270.60
			ऊर्जा	3,953.01	-	4,244.21	4,244.21
			उद्योग तथा खनिज	122.83	-	(-) 30.82	(-) 30.82 ³
			परिवहन	2,377.08	-	2,786.33	2,786.33
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	1.24	-	0.11	0.11
			सामान्य आर्थिक सेवाएँ	69.56	0.01	193.42	193.43
			योग	13,664.66	15.32	16,087.37	16,102.69

³ ऋणात्मक अंक राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड, जयपुर से वापस किये जाने के कारण है।

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2013-14	2014-15	संवितरण	2013-14	2014-15		
					आयोजना- धिन	आयोजना	योग
V. कर्जे एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	315.53	1,004.44	V. संवितरित कर्जे तथा अग्रिम	811.21	55.25	645.53	700.78
विद्युत परियोजनाओं से	56.61	786.01	विद्युत परियोजनाओं से	-	-	241.40	241.40
सरकारी कर्मचारियों से	0.20	0.08	सरकारी कर्मचारियों से	-	-	-	-
अन्य से	258.72	218.35	अन्य से	811.21	55.25	404.13	459.38
VI अद्योनीत राजस्व अधिशेष	-	-	VI अद्योनीत राजस्व घाटा	1,039.21	-	-	3,215.06
VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ	14,491.44	18,140.82	VII लोक ऋण की वापस अदायगी	4,115.62	-	-	4,960.04
बाह्य ऋण	-	-	बाह्य ऋण	-	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आन्तरिक ऋण	14,232.71	17,346.47	मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आन्तरिक ऋण	3,624.72	-	-	4,450.96
मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्जे तथा अग्रिम	258.73	794.35	भारत सरकार को कर्जे तथा अग्रिम की वापस अदायगी	490.90	-	-	509.08
VIII आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	300.00	VIII आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	300.00
IX आकस्मिक निधि को अन्तरित राशि	-	-	IX आकस्मिक निधि से व्यय	-	-	-	-
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,07,978.58	1,26,382.20	X. लोक लेखा संवितरण	1,05,605.40	-	-	1,22,060.62
अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	6,311.49	7,081.84	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	3,790.25	-	-	4,100.09
आरक्षित निधियाँ	2,232.99	1,724.13	आरक्षित निधियाँ	1,965.52	-	-	1,752.17
उच्चत तथा विविध	90.70	21.79	उच्चत तथा विविध	78.60	-	-	61.78
प्रेषण	9,907.40	10,487.63	प्रेषण	9,913.73	-	-	10,488.05
जमा तथा अग्रिम	89,436.00	1,07,066.81	जमा तथा अग्रिम	89,857.30	-	-	1,05,658.53

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2013-14	2014-15	संवितरण	2013-14	2014-15		
					आयोजना- भिन्न	आयोजना	योग
XI अन्तिम ओवरड्राफ्ट भारतीय रिजर्व बैंक से	-	-	IX अन्त में नकद शेष	10,446.44	-	-	8,949.28
			खजाने में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 0.32	-	-	1.85
			रिजर्व बैंक के पास जमा	6.67	-	-	29.41
			विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	4.59	-	-	4.26
			रोकड़ शेष निवेश	8,997.56	-	-	7,628.58
			चिन्हित निवेश निधियाँ	1,437.94	-	-	1,285.18
योग	1,35,682.54	1,56,288.47	योग	1,35,682.54			1,56,288.47

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.5 31 मार्च 2015 को राजस्थान सरकार की सारीकृत वित्तीय स्थिति
(संदर्भ अनुच्छेद 1.10.1; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

देयतायें	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2015 को
आन्तरिक ऋण	80,580.93	93,476.44
बाजार से लिए गए ब्याज वाले कर्ज	51,383.98	61,386.11
बाजार से लिए गए बिना ब्याज वाले कर्ज	0.19	0.19
भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	41.03	35.77
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	20,021.97	20,125.74
अन्य संस्थाओं से कर्ज	9,133.76	11,928.63
मार्गोपाय अग्रिम	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
केन्द्र सरकार से कर्ज एवं अग्रिम	6,748.83	7,034.10
1984-85 से पूर्व के कर्ज	5.40	5.40
आयोजना-भिन्न कर्ज	49.25	43.89
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्ज	6,689.61	6,980.24
केन्द्र आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्ज	0.29	0.29
केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्ज	4.28	4.28
आकस्मिकता निधि	200.00	500.00
अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	29,265.67	32,247.42
जमा राशियाँ	12,153.97	13,565.10
आरक्षित निधियाँ	2,598.67	2,570.63
उचन्त तथा विविध शेष	2.20	1.78
योग	1,31,550.27	1,49,395.47
सम्पत्तियाँ	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2015 को
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय -	92,883.17	1,08,971.29⁴
कम्पनियों, निगमों इत्यादि का हिस्सा पूँजी में निवेश	23,518.00	27,909.59
अन्य पूँजीगत परिव्यय	69,365.17	81,061.70
कर्ज और अग्रिम	5,004.02	4,700.36
विद्युत परियोजनाओं के लिये कर्ज	3,104.54	2,559.93
अन्य विकासात्मक कर्ज	1,900.76	2,141.79
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज तथा विविध कर्ज	(-) 1.28	(-) 1.36 ⁵
आरक्षित निधि विनियोजन	1,437.94	1,285.18
अग्रिम	2.89	5.74
प्रेषण शेष	-	-
उचन्त तथा विविध शेष	22.72	62.71
रोकड़	9,008.50	7,664.10
खजाने में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 0.32	1.85
रिजर्व बैंक के पास जमा	6.67	29.41
विभागीय रोकड़ शेष	1.07	1.00
स्थायी अग्रिम	3.52	3.26
रोकड़ शेष निवेश	8,997.56	7,628.58
सरकारी लेखे पर घाटा	23,191.03	26,706.09
(i) चालू वर्ष का राजस्व घाटा	1,039.21	23,191.03
(ii) आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	300.00
(iii) वर्ष के प्रारम्भ पर संचयी घाटा	22,151.82	3215.06
कम करे: चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष	-	-
कम करे: विविध घाटा	-	-
योग	1,31,550.27	1,49,395.47

⁴ चालू वर्ष की पूँजीगत प्राप्तियाँ शून्य दर्शायी गयी हैं क्योंकि वर्ष के अन्त तक सकल पूँजीगत व्यय में से ₹ 14.57 करोड़ (पूँजीगत विनिवेश) की प्रोफार्मा कमी की गयी है।

⁵ ऋणात्मक शेष जाँच के अधीन है।

परिशिष्ट 1.4 एवं 1.5 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्ववर्ती विवरण-पत्रों में दिये गये सारीकृत लेखे वित्त लेखाओं में दी गई टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरण के साथ पढ़े जावें। सरकारी लेखे में घाटा, जैसा **परिशिष्ट 1.5** में दर्शित है, वाणिज्यिक लेखांकन में उपचय आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर स्थिति प्रदर्शित करता है। फलस्वरूप, देय अथवा प्राप्य मदें या मूल्य ह्रास अथवा स्टॉक आँकड़ों में अन्तर आदि जैसी मदें लेखाओ मे दर्शित नहीं है। उचंत तथा विविध शेषों में, जारी किन्तु भुगतान न किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य बकाया इत्यादि जिनका निपटारा बाकी है, शामिल हैं। लेखाओं में दर्शाये आँकड़ों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा “रिजर्व बैंक के पास जमा” के अंतर्गत सूचित किये आँकड़ों के मध्य ₹ 1.79 करोड़ (नामे) का अंतर था। हालांकि, अंकमिलान और परवर्ती समायोजन के उपरान्त अगस्त 2015 तक अन्तर राशि ₹ 0.27 करोड (नामे) का अंकमिलान होना बकाया था।

परिशिष्ट 1.6 2014-15 के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ें
(संदर्भ अनुच्छेद 1.2.2; पृष्ठ 6)

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)	वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)
1	2	3	4 (3-2)	5
(1) राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	1,06,125	91,327	(-) 14,798	(-) 13.94
(क) कर राजस्व	40,655	38,673	(-) 1,982	(-) 4.88
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	25,625	24,170	(-) 1,455	(-) 5.68
राज्य उत्पाद शुल्क	5,319	5,586	267	5.02
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	50	5	(-) 45	(-) 90.00
वाहन कर	2,950	2,830	(-) 120	(-) 4.07
मुद्रांक और पंजीयन शुल्क	4,200	3,189	(-) 1,011	(-) 24.07
माल तथा यात्री कर	345	956	611	177.10
भू-राजस्व	401	289	(-) 112	(-) 27.93
विद्युत कर तथा शुल्क	1,697	1,534	(-) 163	(-) 9.61
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	68	114	46	67.65
(ख) कर-भिन्न राजस्व	14,939	13,229	(-) 1,710	(-) 11.45
ब्याज प्राप्तियाँ	2,047	2,065	18	0.88
विविध सामान्य सेवाएँ	892	964	72	8.07
जलापूर्ति तथा सफाई	312	276	(-) 36	(-) 11.54
पेट्रोलियम	6,575	4,850	(-) 1,725	(-) 26.23
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3,860	3,636	(-) 224	(-) 5.80
पुलिस	220	240	20	9.09
श्रम एवं रोजगार	212	290	78	36.79
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	71	117	46	64.79
अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	139	133	(-) 6	(-) 4.32
वानिकी एवं वन्य जीव	88	89	1	1.14
मुख्य सिंचाई लोक निर्माण	100	55	(-) 45	(-) 45.00
लोक निर्माण कार्य	75	72	(-) 3	(-) 4.00
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	75	81	6	8.00
लाभांश तथा लाभ	40	63	23	57.50
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	37	78	41	110.81
अन्य कर-भिन्न राजस्व	196	220	24	12.25
(ग) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	22,756	19,817	(-) 2,939	(-) 12.92
(घ) भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	27,775	19,608	(-) 8,167	(-) 29.40
(2) विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	8	15	7	87.50
(3) कर्जें तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	151	1,004	853	564.90
(4) कुल प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,06,284	92,346	(-) 13,938	(-) 13.11
(5) राजस्व व्यय (क+ख+ग+घ)	1,05,387	94,542	(-) 10,845	(-) 10.29
(क) सामान्य सेवाएँ	26,888	27,868	980	3.64
न्याय प्रशासन	643	617	(-) 26	(-) 4.04
निर्वाचन	210	209	(-) 1	(-) 0.48
भू-राजस्व	611	557	(-) 54	(-) 8.84
राज्य उत्पाद शुल्क	123	110	(-) 13	(-) 10.57
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	487	594	107	21.97
ब्याज अदायगियाँ	10,470	10,463	(-) 7	(-) 0.07
सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	162	150	(-) 12	(-) 7.41
जिला प्रशासन	384	348	(-) 36	(-) 9.38

	बजट अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)	वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)
1	2	3	4 (3-2)	5
कोष तथा लेखा प्रशासन	195	187	(-) 8	(-) 4.10
पुलिस	3,472	3,682	210	6.05
जेल	124	142	18	14.52
अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	195	205	10	5.13
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	9,038	9,629	591	6.54
विविध सामान्य सेवाएँ	427	617	190	44.50
अन्य	347	358	11	3.17
(ख) सामाजिक सेवाएँ	43,617	37,754	(-) 5,863	(-) 13.44
सामान्य शिक्षा	22,376	19,077	(-) 3,299	(-) 14.74
तकनीकी शिक्षा	154	141	(-) 13	(-) 8.44
खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	112	77	(-) 35	(-) 31.25
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	4,650	3,954	(-) 696	(-) 14.97
परिवार कल्याण	2,979	2,019	(-) 960	(-) 32.23
जलापूर्ति तथा सफाई	2,028	2,071	43	2.12
शहरी विकास	3,243	2,546	(-) 697	(-) 21.49
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	1,164	965	(-) 199	(-) 17.10
श्रम तथा रोजगार	386	452	66	17.10
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3,815	4,064	249	6.53
पोषण	1,680	1,420	(-) 260	(-) 15.48
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	744	741	(-) 3	(-) 0.40
अन्य	286	227	(-) 61	(-) 21.32
(ग) आर्थिक सेवाएँ	34,801	28,920	(-) 5,881	(-) 16.90
फसल कृषि-फर्म	2,397	1,833	(-) 564	(-) 23.53
पशुपालन	743	576	(-) 167	(-) 22.48
वानकी एवं वन्य जीव	827	711	(-) 116	(-) 14.03
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	176	162	(-) 14	(-) 7.95
सहकारिता	420	612	192	45.71
ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	703	421	(-) 282	(-) 40.11
ग्रामीण रोजगार	5,710	3,858	(-) 1,852	(-) 32.43
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	7,035	6,126	(-) 909	(-) 12.92
वृहद् सिंचाई	1,299	1,268	(-) 31	(-) 2.39
मध्यम सिंचाई	276	256	(-) 20	(-) 7.25
लघु सिंचाई	210	177	(-) 33	(-) 15.71
विद्युत	10,308	9,114	(-) 1,194	(-) 11.58
नवीन और नवीनीकरण उर्जा	128	3	(-) 125	(-) 97.66
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	112	97	(-) 15	(-) 13.39
सड़कें तथा पुल	1,611	1,548	(-) 63	(-) 3.91
सड़क परिवहन	307	296	(-) 11	(-) 3.58
सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	155	138	(-) 17	(-) 10.97
जनगणना सर्वे तथा सांख्यिकी	1,069	491	(-) 578	(-) 57.07
नागरिक आपूर्ति	797	833	36	4.52
अन्य	518	400	(-) 118	(-) 22.78

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)	वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)
1	2	3	4 (3-2)	5
(घ) सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	81	-⁶	(-) 81	(-) 100.00
(6) पूँजीगत व्यय	20,565	16,103	(-) 4,462	(-) 21.70
पुलिस पर पूँजीगत व्यय	132	104	(-) 28	(-) 21.21
लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत व्यय	632	431	(-) 201	(-) 31.80
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत व्यय	144	56	(-) 88	(-) 61.11
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत व्यय	1,074	484	(-) 590	(-) 54.93
जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत व्यय	4,643	4,494	(-) 149	(-) 3.21
शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय	1,198	520	(-) 678	(-) 56.59
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	379	194	(-) 185	(-) 48.81
पोषण पर पूँजीगत परिव्यय	279	(-) 9	(-) 288	(-) 103.23
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	104	34	(-) 70	(-) 67.31
फसल कृषि-फर्म पर पूँजीगत परिव्यय	395	299	(-) 96	(-) 24.30
वानिकी एवं वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	331	217	(-) 114	(-) 34.34
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	457	456	(-) 1	(-) 0.22
अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	312	262	(-) 50	(-) 16.03
वृहद् सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	867	663	(-) 204	(-) 23.53
मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	106	92	(-) 14	(-) 13.21
लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	457	436	(-) 21	(-) 4.60
सिंचित क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय	135	78	(-) 57	(-) 42.22
विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4,418	4,249	(-) 169	(-) 3.83
पेट्रोलियम पर पूँजीगत परिव्यय	102	(-) 5	(-) 107	(-) 104.90
सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	3,675	2,706	(-) 969	(-) 26.37
सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	380	80	(-) 300	(-) 78.95
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ पर पूँजीगत परिव्यय	76	167	91	119.74
अन्य पूँजीगत परिव्यय	269	95	(-) 174	(-) 64.68
(7) कर्जे तथा अग्रिमों का वितरण	518	701	183	35.33
(8) कुल व्यय (5+6+7)	1,26,470	1,11,346	(-) 15,124	(-) 11.96
(9) राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (1-5)	738	(-) 3,215		
(10) राजकोषीय घाटा (-) (4-8)	(-) 20,186	(-) 19,000		
(11) प्राथमिक अधिशेष (+)/घाटा (-) (10+ ब्याज भुगतान)	(-) 9,716	(-) 8,537		

स्रोत: वित्त लेखे तथा बजट प्रलेख

⁶ मात्र ₹ 0.09 करोड़

परिशिष्ट 1.7 भारत सरकार द्वारा राज्य के कार्यकारी अभिकरणों को निधियों के सीधे अन्तरण का विवरण पत्र (संदर्भ अनुच्छेद 1.4.4; पृष्ठ 21)

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना (केन्द्र: राज्य का हिस्सा दर्शाता है)	राज्य के कार्यकारी अभिकरण/विभाग	2013-14	2014-15
कृषि तकनीकी प्रबन्धन अभिकरण परियोजना (90:10)	राजकीय कृषि प्रबन्धन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर	30.02	-
सूक्ष्म सिंचाई योजना पर राष्ट्रीय मिशन (80:20)	राजस्थान उद्यान विकास समिति	80.00	-
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (85:15)	राजस्थान उद्यान विकास समिति	62.55	0.45
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (100 प्रतिशत)	राजकीय कृषि प्रबन्धन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर	126.35	0.21
राष्ट्रीय बांस मिशन (100 प्रतिशत)	राजस्थान उद्यान विकास समिति	1.23	-
राष्ट्रीय औषधिय पौधे मिशन (100 प्रतिशत)	राजस्थान राज्य औषधिय पौधे बोर्ड	7.07	3.33
कृषि सम्बन्धी आर्थिक नीति तथा विकास में अध्ययन	महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	4.75	-
गुणवत्ता बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु सुविधाओं का सुदृढीकरण तथा विकास	उपलब्ध नहीं	14.57	-
डेयरी विकास परियोजना	उपलब्ध नहीं	5.26	-
कृषिय गणना एवं सांख्यिकी पर एकीकृत योजना	उपलब्ध नहीं	-	3.93
कृषिय विपणन पर एकीकृत योजना	उपलब्ध नहीं	-	5.19
कृषिय विस्तार एवं तकनीकी सीएस पर राष्ट्रीय मिशन	उपलब्ध नहीं	-	7.82
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना (75:25)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	85.82	-
इन्दिरा आवास योजना (75:25)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	468.87	-
जिला ग्रामीण विकास संस्थान प्रशासन (75:25)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	22.37	-
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (90:10)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	2,059.43	-
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सीएस	उपलब्ध नहीं	-	4.21
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (100 प्रतिशत)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	167.50	138.00
समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम (90:10)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) तथा राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण, जयपुर	4.71	-
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (100 प्रतिशत)	राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास संस्थान	427.06	-
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, जयपुर	1,248.13	-

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना (केन्द्र: राज्य का हिस्सा दर्शाता है)	राज्य के कार्यकारी अभिकरण/विभाग	2013-14	2014-15
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान	इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	17.46	-
सर्व शिक्षा अभियान (65:35)	निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान	2,424.89	-
प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास	उपलब्ध नहीं	45.60	2.40
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (75:25)	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद	267.14	-
मॉडल स्कूल	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद	10.26	-
तकनीकी शिक्षा एवं गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	3.00	4.61
विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक विज्ञान एवं मानवीय विज्ञान के सिवान क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिये केन्द्रों का सृजन	उपलब्ध नहीं	-	1.50
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (85:15)	परियोजना निदेशक, एनआरएचएम	630.56	-
राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम	राजस्थान राज्य एडस नियंत्रण समिति	21.68	-
चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिये संस्थानों का सुदृढीकरण	उपलब्ध नहीं	4.18	-
स्वास्थ्य शिक्षण संस्थान (आयुर्वेद) (100 प्रतिशत)	आयुर्वेद राष्ट्रीय संस्थान	29.00	17.80
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	उपलब्ध नहीं	52.75	82.00
निरीक्षण कमेटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	उपलब्ध नहीं	8.00	-
स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत का विकास	उपलब्ध नहीं	2.50	-
अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्बन्ध	उपलब्ध नहीं	-	2.92
संग्रहालय	पुरातत्व तथा संग्रहालय	1.13	1.50
कला एवं संस्कृति का संवर्धन तथा बढ़ावा	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	5.82	17.65
पुलिस आधुनिकीकरण योजना	आरएसआरडीसीसी	58.06	-
अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए लड़कों तथा लड़कियों के छात्रावासों का निर्माण	उपलब्ध नहीं	-	2.26
निःशक्त जन के लिए क्रय/फोर्टिंग हेतु सहायता	उपलब्ध नहीं	8.41	4.48
दीनदयाल पुर्नवास केन्द्र	उपलब्ध नहीं	1.52	1.02
सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	उपलब्ध नहीं	1.47	0.84
अवैध व्यापार का सामना करने के लिये समग्र योजना	उपलब्ध नहीं	0.60	1.25
अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु एनजीओ को सहायतार्थ अनुदान	उपलब्ध नहीं	1.27	2.24
राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम	राज्य वन विकास अभिकरण	2.81	-
पर्यावरण सूचना, शिक्षा तथा जानकारी	उपलब्ध नहीं	2.60	2.32
विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	1.21	2.26
नीति अनुसंधान प्रकोष्ठ	उपलब्ध नहीं	1.11	-
जैव तकनीक का अनुसंधान एवं विकास विभाग	उपलब्ध नहीं	1.60	4.35
अनुसंधान एवं विकास सहयोग एसईआरसी	उपलब्ध नहीं	1.34	11.80

कार्यक्रम/योजना (केन्द्र: राज्य का हिस्सा दर्शाता है)	राज्य के कार्यकारी अभिकरण/विभाग	2013-14	2014-15
राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	1.70	0.72
प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	2.01	3.14
जन शक्ति विकास	उपलब्ध नहीं	0.14	26.66
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	0.89	2.35
लघु सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक एवं नैनो तकनीक विकास	उपलब्ध नहीं	0.30	1.08
प्रौद्योगिकी विकास परिषद	उपलब्ध नहीं	0.20	2.27
समेकित ऊन सुधार एवं विकास कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	14.50	18.50
समेकित टेक्सटाइल पार्क के लिये योजना (एसआईटीपी)	उपलब्ध नहीं	8.61	-
तकनीक क्रमोन्नत कोष योजना (टीयूएफएस)	उपलब्ध नहीं	1.17	1.45
प्रौद्योगिकी गुणवत्ता की सहायक संस्थान तथा कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	10.89	8.59
हस्तशिल्प आधारभूत एवं तकनीकी विकास योजना	उपलब्ध नहीं	1.16	3.20
विपणन सहयोग एवं सेवाएँ तथा निर्यात संवर्द्धन योजना	उपलब्ध नहीं	1.37	0.52
ऊन तथा ऊनी सामाजिक सुरक्षा योजना	उपलब्ध नहीं	1.00	1.00
ढाँचागत विकास तथा क्षमता अभिवर्द्धन	उपलब्ध नहीं	1.77	1.38
मानव संसाधन विकास	उपलब्ध नहीं	-	1.89
आई एच एम एस, एफसी आई आदि को सहायता	उपलब्ध नहीं	3.69	0.70
सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु कैपेसिटी भवन	उपलब्ध नहीं	2.42	2.17
अक्षय ऊर्जा	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	26.66	113.30
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आधुनिकीकरण	उपलब्ध नहीं	5.69	11.71
राष्ट्रीय बाल मजदूर परियोजना	बाल मजदूर परियोजना संस्थान	4.81	2.68
असंगठित कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा	उपलब्ध नहीं	10.72	-
निश्चित गुणवत्ता, कोड, स्टैण्डर्ड, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य प्रोत्साहन योजनाएं	उपलब्ध नहीं	1.58	0.39
कम साक्षर जिले में अनुमूचित जन जाति की लड़कियों हेतु शिक्षा का सुदृढीकरण	उपलब्ध नहीं	1.10	0.96
शहरी खेलकूद आधारभूत योजनाएं	उपलब्ध नहीं	1.80	-
प्री फार्मा के लिये अर्हता प्राप्त करने वालों के लिये सघन सहायता	उपलब्ध नहीं	-	6.84
इलेक्ट्रॉनिक शासन	उपलब्ध नहीं	28.81	-
क्षमता अभिवर्द्धन तथा तकनीकी सहायता	उपलब्ध नहीं	0.45	1.26
आधारभूत विकास एफपीआई के लिए योजना	उपलब्ध नहीं	-	2.03
कौशल विकास प्रोत्साहन	उपलब्ध नहीं	0.86	1.41
राजीव गांधी खेल अभियान	उपलब्ध नहीं	-	2.68
एक करोड़ से कम की योजनाएं		15.66	16.24
योग		8,571.62	561.46

स्रोत: वित्त लेखे, सीजीए पोर्टल वेबसाइट

परिशिष्ट 1.8 वर्ष 2014-15 के दौरान वृहद एवं मध्यम सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम (संदर्भ अनुच्छेद 1.9.1; पृष्ठ 47)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	31 मार्च 2015 तक पूंजीगत परिव्यय	राजस्व प्राप्ति	कार्य एवं रखरखाव व्यय	कार्य एवं रखरखाव व्यय के पश्चात् शुद्ध हानि	प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज	ब्याज भुगतान पश्चात् शुद्ध हानि
1	2	3	4	5	5-4=6	7	6+7=8
वृहद सिंचाई परियोजनाएँ							
1	भांखरा नांगल परियोजना (सिंचाई शाखा विभाग)	3,955.63	831.29	3,588.90	2,757.61	372.30	3,129.91
2	चम्बल परियोजना (सिंचाई शाखा विभाग)	54,223.75	1,661.84	2,257.33	595.49	3,876.40	4,471.89
3	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	4,60,033.64	1,698.51	13,214.46	11,515.95	44,695.09	56,211.04
4	गुडगांव नहर	4,657.62	9.87	178.31	168.44	429.06	597.50
5	जाखम परियोजना	12,711.44	18.05	277.73	259.68	1,201.31	1,460.99
6	गंग नहर	55,203.48	429.26	2,168.82	1,739.56	5,269.01	7,008.57
मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ							
7	जवाई नदी परियोजना सेई डार्डवर्जन स्कीम	709.57	77.79	111.71	33.92	69.74	103.66
8	मेजा परियोजना	4,512.72	3.78	206.52	202.74	440.18	642.92
9	पार्वती परियोजना (शौलपुर)	7,000.52	2.85	316.59	313.74	670.52	984.26
10	गुढा परियोजना	163.49	21.52	85.72	64.20	16.33	80.53
11	मोरेल परियोजना	235.83	0.29	87.56	87.27	23.55	110.82
12	अलनिया परियोजना	195.97	3.20	147.60	144.40	19.51	163.91
13	पश्चिमी बनास परियोजना	67.03	0.10	14.46	14.36	6.70	21.06
14	बल्लभनगर परियोजना	86.37	-	26.30	26.30	8.64	34.94
15	बढ़गांव पाल परियोजना	76.02	0.74	81.31	80.57	7.60	88.17
16	औरई सिंचाई परियोजना	63.42	0.17	37.39	37.22	6.34	43.56
17	वैगन डार्डवर्जन स्कीम	1,397.26	0.82	79.14	78.32	139.66	217.98
	योग	6,05,293.76	4,760.08	22,879.85	18,119.77	57,251.94	75,371.71

स्रोत: वित्त लेखे

**परिशिष्ट 1.9 विभाग द्वारा नियंत्रित वाणिज्यिक/अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों का सारीकृत वित्तीय विवरण-पत्र
(संदर्भ अनुच्छेद 1.9.4; पृष्ठ 52)**

(₹ लाख में)									
उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	औसत सरकारी पूंजी	मूल्य ह्रासित लागत पर ब्लाक परिसम्पत्तियाँ	वर्ष के दौरान प्रावधित मूल्य ह्रास	टर्न ओवर	निवल लाभ (+)/हानि (-)	पूँजी पर ब्याज	कुल प्रतिलाभ (7+8)	पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत ⁷
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जेल विनिर्माण, अजमेर	2013-14	3.07	1.24	0.14	9.75	(-) 3.86	1.92	(-) 1.94	(-) 9.12
जेल विनिर्माण, अलवर	2012-13	0.16	0.10	-	2.37	(-) 5.12	-	(-) 5.12	(+) 16.14
जेल विनिर्माण, बीकानेर	2013-14	8.88	4.25	-	6.24	(-) 7.78	0.62	(-) 7.16	(-) 104.81
जेल विनिर्माण, जयपुर	2013-14	7.56	4.24	0.45	46.58	(-) 16.55	-	(-) 16.55	(-) 10.00
जेल विनिर्माण, जोधपुर	2013-14	8.86	2.52	0.20	9.51	(-) 12.37	2.75	(-) 9.62	(-) 31.50
जेल विनिर्माण, कोटा	2012-13	1.49	1.37	0.05	0.05	(-) 1.74	-	(-) 1.74	-
जेल विनिर्माण, उदयपुर	2013-14	9.97	2.37	0.25	13.54	(-) 14.91	4.85	(-) 10.06	(-) 18.66
वन कूपस का विभागीय व्यापार	2013-14	183.06	248.87	-	2,696.24	(+) 1,540.09	-	1,540.09	-
पत्ता तेन्दू योजना	2013-14	5,508.41	6.37	0.26	966.87	(+) 698.34	-	(+) 698.34	-
राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल, जयपुर	2013-14	13,86,595.95	2,79,981.00	10,306.61	20,548.23	(-) 1,15,406.71	20,467.14	(-)94,939.57	(-)38.08
योग		13,92,327.41	2,80,252.33	10,307.96	24,299.38	(-) 1,13,230.61	20,477.28	(-) 92,753.33	

⁷ वह पूंजी काम में ली गई है, जिस पर ब्याज की गणना की गयी है।

**परिशिष्ट 1.10 संस्थाओं/संगठनों द्वारा नहीं चुकाये गये उधारों का ब्यौरा दर्शाने वाला
विवरण-पत्र (संदर्भ अनुच्छेद 1.9.5; पृष्ठ 53)**

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शीर्ष	संस्था/संगठन का नाम	1.4.2003 को प्रारम्भिक शेष	2003-15 के दौरान अग्रिम	2003-15 के दौरान पुनर्भुगतान	31.03.2015 को अन्तिम शेष
1	6215-01-192 (01)	नगरपालिकाओं को सीधे उधार	306.70	-	-	306.70
2	6215-01-192 (02)	नगरपालिकाओं को उधार-जीवन बीमा निगम से गारन्टेड उधार	3,459.99	-	-	3,459.99
3	6215-02-192	नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को उधार	2.53	-	-	2.53
4	6216-80-800 (01)	औद्योगिक आवास योजना	2.26	-	-	2.26
5	6235-02-800 (01)	बलवों से प्रभावित व्यक्तियों को उधार	6.34	-	-	6.34
6	6235-60-800 (02)[01]	जागीरदारों का पुनर्वास	1.51	-	-	1.51
7	6235-60-800 (02)[03]	बर्मा से लौटे विस्थापितों को उधार	3.06	-	-	3.06
8	6235-60-800 (02)[04]	बेरोजगार स्वर्णकारों को तकावी अग्रिम	49.79	-	-	49.79
9	6245-01-800 (04)	पशुपालन विभाग के अभिकरण के माध्यम से चारा आदि के लिये गौ सेवा संघ को उधार	11.82	-	-	11.82
10	6250-60-800 (02)	राजस्थान चिकित्सा-स्नातकों की निजी रोजगार प्रोत्साहन समिति को उधार	0.17	-	-	0.17
11	6250-60-800 (05)	वन श्रम सहकारी समितियों को उधार-मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से	0.42	-	-	0.42
12	6401-103 (02)	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को उधार	1,587.53	143.22	-	1,730.75
13	6401-103 (03)	राजस्थान राज्य बीज निगम को उधार	64.38	-	0.02	64.36
14	6403-102 (02)	गहन पशु विकास योजना	4.08	-	(-) 3.60	7.68
15	6403-103	कुक्कुट विकास	0.01	-	-	0.01
16	6403-104 (01)	भेड़ पालकों को उधार	0.02	-	-	0.02
17	6404-190(01)	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को उधार	309.71	-	-	309.71
18	6404-190(02)	रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम-डेयरी इकाइयों की स्थापना	0.18	-	-	0.18
19	6405-800(01)	निदेशक, पशुपालन विभाग के माध्यम से मत्स्य पालक विकास एजेन्सी को उधार	0.33	-	-	0.33
20	6408-02-800 (04)	यातायात वाहन क्रय हेतु उधार	0.62	-	(-) 0.13	0.75
21	6425-107 (06)	राजस्थान राज्य सहकारी नवीनीकरण कोष की स्थापना हेतु ब्याज ऋण देने हेतु उधार	315.00	75.00	-	390.00
22	6425-107(07)	राजस्थान राज्य सहकारी प्रवर्तन कोष की स्थापना हेतु उधार	161.18	-	-	161.18
23	6705-800(01)	भू-संरक्षण	9.47	-	-	9.47
24	6705-800(02)	विश्व खाद्य कार्यक्रम संख्या 2600 के अन्तर्गत विस्थापितों को उधार	1.00	-	-	1.00
25	6860-01-800 (01)	मेवाड़ टेक्सटाइल लिमिटेड को उधार	503.49	38.67	(-) 50.53	592.69
26	7075-01-800 (01)	सामरिक सड़कों के टेकेदारों को उधार	0.82	-	-	0.82
27	7475-103(01)	उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को उधार	0.98	-	(-) 1.02	2.00
28	7475-103(05)	विश्वविद्यालय एवं कॉलेज उपभोक्ता भण्डारों को उधार	0.07	-	-	0.07
महायोग			6,803.46	256.89	(-) 55.26	7,115.61

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.11 भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण का ब्यौरा
(संदर्भ अनुच्छेद 1.7.5.1; पृष्ठ 35)

क.सं.	विषय	पंरासं को हस्तांतरण की स्थिति		
		निधियाँ	कार्य	कार्मिक
1	कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार है	हाँ	हाँ	हाँ
2	भूमि सुधार, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और मृदा संरक्षण	हाँ	हाँ	हाँ
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलग्रहण का विकास	हाँ	हाँ	हाँ
4	पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन	नहीं	नहीं	नहीं
5	मत्स्य पालन	हाँ	हाँ	हाँ
6	सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी	हाँ	हाँ	हाँ
7	लघु वन उपज	हाँ	हाँ	हाँ
8	लघु उद्योग, जिसके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है सहित	नहीं	हाँ	नहीं
9	खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग	नहीं	हाँ	नहीं
10	ग्रामीण आवासन	हाँ	हाँ	हाँ
11	पेयजल	हाँ *	हाँ *	हाँ *
12	ईंधन और चारा	हाँ *	हाँ *	हाँ *
13	सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन	हाँ *	हाँ *	हाँ *
14	ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण है	नहीं	हाँ	नहीं
15	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	नहीं	हाँ	नहीं
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	हाँ	हाँ	हाँ
17	शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है	हाँ	हाँ	हाँ
18	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
19	प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
20	पुस्तकालय	नहीं	हाँ	नहीं
21	सांस्कृतिक कार्यक्रम	नहीं	हाँ	नहीं
22	बाजार और मेले	हाँ	हाँ	हाँ
23	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र और औषधालय भी है	हाँ	हाँ	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
25	महिला एवं बाल विकास	हाँ	हाँ	हाँ
26	समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है	हाँ	हाँ	हाँ
27	दुर्बल वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	हाँ *	हाँ *	हाँ *
29	सामुदायिक संपत्तियों का अनुरक्षण	हाँ *	हाँ *	हाँ *

स्रोत: पंरावि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं
* हस्तांतरित लेकिन अस्थायी रूप से वापस लिए

(पंचायती राज विभाग द्वारा 07.08.2015 को दी गई सूचना एवं अनुच्छेद के आधार पर जिसके अनुसार यह 18.05.2012 की स्थिति के अनुरूप है)

परिशिष्ट 1.12 भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों का शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ अनुच्छेद 1.7.5.2; पृष्ठ 37)

अ. शहरी स्थानीय निकायों को पूर्ण हस्तांतरण को	
1.	भू-उपयोग और भवन निर्माण का नियमन
2.	गन्दी बस्ती सुधार एवं उन्नयन
3.	शहरी गरीबी उन्मूलन
4.	कब्र एवं कब्रिस्तान इत्यादि
5.	जन्म - मृत्यु के पंजीयन सहित महत्वपूर्ण आँकड़ें
6.	स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थान इत्यादि सहित जन सुविधाएं
7.	पशुवध गृहों का नियमन
8.	आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु योजना
9.	सड़कें एवं पुल
10.	जन स्वास्थ्य एवं ठोस कचरा प्रबन्धन
11.	अग्निशमन सेवाएं
12.	शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण पहलुओं का विकास/उन्नयन
13.	शहरी सुख सुविधाओं यथा पार्को, उद्यानों, खेल के मैदानों इत्यादि का प्रावधान
14.	विकलांगों एवं मानसिक विमन्दिता लोगों सहित समाज के कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करना
15.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्यपरक पहलुओं का विकास
16.	पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम
ब. कार्य जो शहरी स्थानीय निकायों को अभी हस्तांतरित किए जाने हैं	
1.	कस्बों के नियोजन सहित नगर नियोजन
2.	घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.4: पृष्ठ 84)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ आधिक्य व्यय प्रत्येक प्रकरण में 1 करोड़ से अधिक एवं साथ ही कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत	अनुदान के अन्तर्गत प्रावधान के समक्ष समग्र बचत/आधिक्य
राजस्व-दत्तमत								
1	20	आवास	2216-आवास 05-साधारण पूल आवास 053-रख रखाव तथा मरम्मत 01-सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय) 11-मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य सम्बन्धी आनुपातिक व्यय	- ⁸	2.61	2.61	100.0	बचत
2	21	सड़कें एवं पुल	3054-सड़क तथा सेतु 80-सामान्य 001-निदेशन तथा प्रशासन 01-मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत आनुपातिक व्यय 01-स्थापना	-	38.07	38.07	100.0	बचत
3			3054-सड़क तथा सेतु 80-सामान्य 797-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण 03-केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण (100% केन्द्र)	246.56	286.44	39.88	16.2	बचत
4	46	सिंचाई	2700-मुख्य सिंचाई 02-चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय 03-अन्य व्यय	30.56	38.76	8.20	26.8	बचत

⁸ मात्र ₹ 1000

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत	अनुदान के अन्तर्गत प्रावधान के समक्ष समग्र बचत/आधिक्य
5	46	सिंचाई	2700-मुख्य सिंचाई 28-बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-बजट शीर्ष '2701-80' से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	0.25	1.56	1.31	524.0	बचत
6			2701-मध्यम सिंचाई 80-सामान्य 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 01-जिला परिषदों को अनुदान 01-स्थापना व्यय	2.95	4.40	1.45	49.2	बचत
7			2702-लघु सिंचाई 01-सतही जल 800-अन्य व्यय 01-अन्य सिंचाई निर्माण कार्य 02-मद '2701-80' से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	8.73	10.73	2.00	22.9	बचत
8	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2402-मृदा तथा जल संरक्षण 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना 02-पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन परियोजना (आई.एफ.ए.डी. फण्डेड) (एम पावर)	2.87	4.35	1.48	51.6	बचत
पूँजीगत-दत्तमत								
9	19	लोक निर्माण कार्य	4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय 80-सामान्य 051-निर्माण 02-सामान्य भवन (अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-सामान्य प्रशासनिक भवन) 01-मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	12.61	19.74	7.13	56.5	बचत
10	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय 01-जलपूर्ति	-	3.54	3.54	100.0	बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत	अनुदान के अन्तर्गत प्रावधान के समक्ष समग्र बचत/आधिक्य
			796-जनजाति क्षेत्र उपयोगना 02-शहरी जलपूर्ति योजनाएं 15-नागौर लिफ्ट कैनल परियोजना फेज-11					
पूँजीगत प्रभारित								
11	-	लोक ऋण	6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 106-प्रतिकर तथा अन्य बन्ध- पत्र 02-विशेष बॉण्ड (पावर बॉण्डस) 18-8.50% कर मुक्त राजस्थान सरकार विशेष बॉण्डस, 2015	-	18.44	18.44	100.0	आधिक्य

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.5: पृष्ठ 84)

व्यय की अधिकता (जहाँ अंतिम त्रैमास में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं साथ ही कुल व्यय के 30 प्रतिशत से अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2015 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2015 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2015	मार्च 2015
1.	7-निर्वाचन	2515-800-01 पंचायत चुनावों पर व्यय	122.57	35.17	123.29	99.4	28.5
2.	9-वन	4406-01-102-14 नाबार्ड के सहयोग से वानिकी कार्य	60.31	24.58	82.40	73.2	29.8
3.	10-विविध सामान्य सेवाएं	2075-797-01 मद '8235-117 गारंटी उन्मोचन निधि' को अन्तरण	615.83	615.83	615.83	100	100
4.	14-बिक्री कर	2040-800-02 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति	147.34	80.89	446.04	33.0	18.1
5.	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-117-01 निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान	111.75	61.67	356.12	31.4	17.3
6.	16-पुलिस	2055-115-04 सामान्य पुलिस का आधुनिकीकरण	50.27	49.18	51.32	98.0	95.8
7.	21-सड़कें एवं पुल	3054-04-800-02 ग्रामीण सड़कें	213.53	77.30	559.96	38.1	13.8
8.		5054-04-800-02 अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम	137.81	67.44	358.36	38.5	18.8
9.	23-श्रम तथा रोजगार	2230-01-103-07 भवन एवं अन्य निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड, राजस्थान	76.95	76.95	251.95	30.5	30.5
10.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-01-001-01 सामान्य व्यय	64.96	59.17	88.89	73.1	66.6
11.		2202-01-111-01 शिक्षा गारंटी योजना	1,009.14	325.09	2,522.80	40.0	12.9
12.		2202-01-800-14 शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को पुनर्भरण-सामान्य व्यय	61.53	46.03	83.91	73.3	54.9
13.		2202-02-109-07-01 माध्यमिक शिक्षा अभियान-सामान्य व्यय	288.04	123.93	282.31	102.0	43.9
14.	25-कोषागार व लेखा प्रशासन	7999-201 आकस्मिकता निधि को विनियोजन	300.00	300.00	300.00	100.0	100.0

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2015 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2015 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2015	मार्च 2015
15.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	4210-01-110-07 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य	69.54	69.49	119.33	58.3	58.2
16.		4210-02-800-02 नार्बार्ड ऋण आधारित योजनाएँ	62.63	62.63	62.63	100	100
17.	27-पेय जल योजना	2515-01-101-01-12 अन्य शहरी जलपूर्ति योजनाएँ	132.37	63.35	433.53	30.5	14.6
18.		4215-01-101-01 सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएँ	273.92	186.31	672.12	40.8	27.7
19.		4215-01-102-01 अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना	111.10	66.75	301.88	36.8	22.1
20.		4215-01-102-03 अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम	370.69	316.28	732.54	50.6	43.2
21.		4215-01-102-39 पोकरण-फलसूण्ड जलपूर्ति योजना	64.90	62.36	94.00	69.1	66.4
22.		4215-01-102-49 तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्माण कार्य	61.82	47.16	129.84	47.6	36.3
23.		4215-01-102-80 कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत सीकर, झुंझनू, खेतड़ी एकीकृत जलपूर्ति परियोजना	50.54	50.54	85.93	58.8	58.8
24.		28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	4515-101-11 विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	105.60	30.71	274.80	38.4
25.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-80-191-03 विशेष अनुदान	180.47	75.50	576.33	31.3	13.1
26.		4217-04-800-04 स्लम मुक्त भारत के लिए राजीव आवास योजना	77.06	57.88	119.23	64.6	48.6
27.		4217-60-050-03 राजस्थान अरबन सैक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आर.यू.एस.डी. आई.पी.) आर.यू.आई.डी. पी. द्वितीय चरण (ई.ए.पी) निर्माण कार्य	70.00	37.99	184.05	38.0	20.6
28.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202-01-111-03 जन जाति क्षेत्र के लिए उपयोजना (शिक्षा गारंटी योजना)	194.06	50.00	538.63	36.0	9.3
29.		2202-02-109-07-03 माध्यमिक शिक्षा अभियान-अनुसूचित जन जातियों के लिए	53.45	20.05	59.17	90.3	33.8

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2015 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2015 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2015	मार्च 2015
30.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2225-02-796-06 समाज कल्याण विभाग के माध्यम से	65.49	38.98	179.44	36.5	21.7
31.		2505-01-196-01 इन्दिरा आवास योजना	163.19	102.98	342.03	47.7	30.1
32.		4215-01-796-01 ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएँ	228.38	168.21	449.60	50.8	37.4
33.		4225-02-796-11 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएँ (वि.के.स.)	61.48	41.91	61.48	100	68.2
34.		4801-80-796-04 जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	104.68	99.36	140.55	74.5	70.7
35.		4801-80-796-05 जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	108.71	105.57	130.70	83.2	80.8
36.		4801-80-796-06 अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	118.81	107.47	133.44	89.0	80.5
37.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2225-03-277-02 छात्रावासों का संधारण	63.78	52.05	64.23	99.3	81.0
38.		2236-02-197-01 समेकित बाल विकास विभाग के माध्यम से	154.45	75.71	500.77	30.8	15.1
39.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-104-06 पशु शिविर/गौशाला	86.76	56.07	146.57	59.2	38.3
40.		2245-01-800-01 राहत कार्यों पर व्यय	223.37	217.32	617.22	36.2	35.2
41.		2245-02-114-02 लघु एवं सीमान्त कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान	187.83	188.22	420.72	44.6	44.7
42.		2245-02-114-05 लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों का कृषि अनुदान (बाढ़, चक्रवात आदि)	141.14	141.31	324.68	43.5	43.5
43.		2245-05-101 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों में अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि	365.31	365.31	730.10	50.0	50.0
44.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएँ	3454-02-203-02 भामाशाह योजना, 2014	231.93	153.66	289.38	80.2	53.1
45.		5475-800-08 सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	72.04	57.81	89.41	80.6	64.7

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2015 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2015 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2015	मार्च 2015
46.	36-सहकारिता	2425-800-02 सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान	168.68	168.67	260.04	64.9	64.9
47.	37-कृषि	2401-110-02 कृषि विभाग के अभिकरण से	198.12	51.13	244.13	81.2	20.9
48.		2401-119-26 प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (20% राज्यांश: 80% केन्द्रांश)	57.74	43.41	61.99	93.2	70.0
49.		2401-196-06 ज़िला स्तरीय कृषि योजनाएँ	114.05	94.91	134.53	84.8	70.5
50.		2401-800-27 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)	280.60	165.80	445.05	63.1	37.2
51.		4401-800-02 कृषि विभाग के अभिकरण से	56.26	51.38	152.54	36.9	33.7
52.		6408-02-190-01-01 राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को उधार	55.00	30.00	90.00	61.1	33.3
53.	41-सामुदायिक विकास	2515-196-24-02 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में कार्यकलाप/गतिविधियाँ	68.61	40.86	118.16	58.1	34.6
54.		2515-197-01-01 तदर्थ सहायतान्तर्गत संस्थापन	225.32	107.32	504.86	44.6	21.3
55.		2515-197-05 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों को अनुदान	81.35	12.80	170.96	47.6	7.5
56.		2515-198-06 मिड डे मील योजनान्तर्गत राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम	141.79	37.99	368.25	38.5	10.3
57.		2515-198-16 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिये सामान्य बुनियादी अनुदान	303.67	303.67	559.65	54.3	54.3
58.	46-सिंचाई	4700-04-001-02 द्वितीय चरण	81.93	46.58	167.79	48.8	27.7
59.	48-विद्युत्	2801-80-190-34 विद्युत् कर हेतु अनुदान	600.41	294.17	1,175.00	51.1	25.0
60.		4801-80-190-02 राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश	186.84	186.84	586.20	31.8	31.8

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2015 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2015 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2015	मार्च 2015
61.	48-विद्युत्	4801-80-190-03 राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में निवेश	78.25	78.25	246.05	31.8	31.8
62.		4801-80-190-04 जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	501.92	474.92	692.33	72.5	68.6
63.		4801-80-190-05 जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	527.09	510.42	643.82	81.9	79.3
64.		4801-80-190-06 अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	579.68	517.55	657.33	88.2	78.7
65.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2202-02-107-05 अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	53.22	24.34	62.15	85.6	39.2
66.		2202-02-109-07-02 अनुसूचित जातियों के लिए माध्यमिक शिक्षा अभियान	72.01	26.51	72.01	100	36.8
67.		2225-01-789-01 अनुसूचित जाति के लिए छात्रवृत्ति एवं वजीफा	51.57	32.08	145.70	35.4	22.0
68.		2401-789-03 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)	64.75	54.52	103.32	62.8	52.8
69.		4215-01-789-01 अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलापूर्ति	224.48	136.59	592.76	37.9	23.0
70.		4801-80-789-02 राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश	71.36	71.36	176.30	40.5	40.5
71.		4801-80-789-04 जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	158.56	151.47	208.22	76.2	72.7
72.		4801-80-789-05 जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	163.18	158.83	193.63	84.3	82.0
73.		4801-80-789-06 अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	177.43	161.88	197.69	89.7	81.9
74.	ब्याज अदायगियाँ	2049-01-200-02 स्थानीय निकायों से लिए गए उधारों पर ब्याज	136.34	135.79	440.81	30.9	30.8
75.		2049-03-104-02 अंशदायी प्रावधायी निधियों पर ब्याज	67.47	67.47	67.63	99.8	99.8
76.	ब्याज अदायगियाँ	2049-04-101 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनान्तर्गत योजनाओं के उधारों पर ब्याज	94.24	27.46	233.67	40.3	11.7

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2015 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2015 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2015	मार्च 2015
77.	लोक ऋण	6003-105-02 ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत उधार	493.65	326.50	816.02	60.5	40.0
78.		6003-111-01 केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	332.28	153.95	1,243.71	26.7	12.4
79.		6004-02-105 बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में समेकित राज्य आयोजना कर्ज	92.61	30.87	308.70	30.0	10.0
योग			14,075.99	9,888.46	27,268.51	51.6	36.3

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), राजस्थान ।

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.6: पृष्ठ 90)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ बचत प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ से अधिक एवं साथ ही कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व-दत्तमत					
1.	11	विविध सामाजिक सेवाएँ	113.73	42.47	37.3
2.	18	जन-सम्पर्क	77.94	28.34	36.4
3.	28	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	594.70	284.40	47.8
4.	35	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएँ	847.72	449.52	53.0
5.	37	कृषि	1,956.80	409.89	20.9
6.	43	खनिज	196.98	94.51	48.0
7.	49	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	80.53	80.45	99.9
8.	50	ग्रामीण रोजगार	3,611.45	1,221.60	33.8
9.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	6,164.27	1,654.42	26.8
पूँजीगत-दत्तमत					
10.	9	वन	223.41	88.49	39.6
11.	12	अन्य कर	374.78	300.00	80.0
12.	19	लोक निर्माण कार्य	1,397.65	688.04	49.2
13.	21	सड़कें एवं पुल	3,281.25	881.43	26.9
14.	22	क्षेत्र का विकास	348.13	90.45	26.0
15.	24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	53.67	28.47	53.1
16.	26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	346.25	122.97	35.5
17.	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1,280.91	573.42	44.8
18.	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2,732.48	615.85	22.5
19.	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	301.82	255.98	84.8
20.	37	कृषि	429.96	120.30	28.0
21.	42	उद्योग	20.22	101.86	503.8
22.	43	खनिज	103.56	108.21	104.5
		योग	24,538.21	8,241.07	33.6

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7: पृष्ठ 90)

विभिन्न अनुदानों का विवरण-पत्र जहाँ वर्ष 2012-15 के दौरान निरन्तर बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं साथ ही कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक थी।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखे में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
राजस्व-दत्तमत							
1.	9-वन	2012-13	632.89	478.66	154.23	24.4	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2013-14	749.21	560.92	188.29	25.1	पदों का रिक्त रहना तथा पौधारोपण कार्य हेतु निविदाएँ नहीं होना। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
		2014-15	747.86	630.62	117.24	15.7	पदों का रिक्त रहना, गांव से विस्थापन हेतु ग्रामीणों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होना, भारत सरकार से वार्षिक कार्य योजना की द्वितीय किशत प्राप्त नहीं होना तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदान कम जारी किया जाना रहा। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
2.	11-विविध सामाजिक सेवाएँ	2012-13	62.12	42.02	20.10	32.4	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना तथा चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन एवं राजकीय स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की प्राधिकृत शुल्क के निस्तारण पर कम व्यय के कारण।
		2013-14	99.77	86.17	13.60	13.6	
		2014-15	113.73	71.26	42.47	37.3	आयोजना सीमा में कटौती, चुनाव आचार संहिता के कारण राज्य सरकार द्वारा स्वीकृतियाँ जारी नहीं करना तथा भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना रहा।
3.	20-आवास	2012-13	53.38	40.93	12.45	23.3	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2013-14	84.54	60.53	24.01	28.4	मरम्मत एवं रखरखाव कार्य पर कम व्यय होना।
		2014-15	77.32	62.48	14.84	19.2	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
4.	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2012-13	140.60	55.77	84.83	60.3	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2013-14	52.01	21.62	30.39	58.4	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना/कम प्राप्त होना।
		2014-15	594.70	310.30	284.40	47.8	भारत सरकार से 'समन्वित जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम' हेतु द्वितीय किशत एवं 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' हेतु निधियाँ प्राप्त नहीं होना एवं भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना।
5.	35-विविध सामदायिक एवं	2012-13	93.45	58.20	35.25	37.7	यू.आई.डी. परियोजना के अन्तर्गत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखे में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
	आर्थिक सेवाएँ						भारत के यू.आई.डी. प्राधिकरण द्वारा बी.पी.एल. उन्नयन प्रक्रिया हेतु भुगतान जारी नहीं करना रहा।
		2013-14	113.33	90.89	22.44	19.8	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2014-15	847.72	398.20	449.52	53.0	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना। भामाशाह योजना, 2014 के अन्तर्गत भामाशाह कार्ड बनाने एवं भामाशाह पंजीकरण पर चुनाव आचार संहिता के कारण कम व्यय होना। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
6.	43-खनिज	2012-13	185.53	103.42	82.11	44.3	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृतियाँ जारी नहीं करना।
		2013-14	148.65	123.36	25.29	17.0	पदों का रिक्त रहना, चुनाव आचार संहिता के कारण समय पर मशीनरी क्रय नहीं करना तथा अवैध खनन को रोकने के लिए खनिज सुरक्षा बल कर्मियों को पदस्थापित नहीं होना।
		2014-15	196.98	102.47	94.51	48.0	चिकित्सा उपकरणों की खरीद वित्त विभाग की स्वीकृति के अनुसार नहीं किये जाने तथा खनन क्षेत्र हेतु पर्यावरण सुधार एवं स्वास्थ्य निधि में कम हस्तांतरण के कारण।
7.	48-विद्युत्	2012-13	6,607.34	5,607.34	1,000.00	15.1	भारत सरकार द्वारा वित्तीय पुनर्संरचना कार्यक्रम के अंतिमीकरण होने से विद्युत् वितरण कम्पनियों का कम अनुदान जारी करने के कारण।
		2013-14	9,390.63	7,213.13	2,177.50	23.2	वर्ष के दौरान वित्तीय पुनर्संरचना कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्याज का कम भुगतान करना। विद्युत् वितरण निगम द्वारा विद्युत् कर की वास्तविक वसूली के समक्ष अनुदान जारी होना।
		2014-15	10,384.96	9,114.40	1,270.56	12.2	विद्युत् बॉण्ड्स पर ब्याज का कम भुगतान, जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् अपूर्ति के अनुसार अनुदान जारी करने, विद्युत् वितरण कम्पनियों को विद्युत् कर की वसूली के अनुसार अनुदान जारी करने तथा राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान जारी करने के अनुपात में परिवर्तन से जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान कम जारी करने के कारण।
8.	50-ग्रामीण रोजगार	2012-13	274.03	213.34	60.69	22.1	विभिन्न योजनाओं में भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना।
		2013-14	383.66	326.23	57.43	15.0	
		2014-15	3,611.45	2,389.51	1,221.60	33.8	
पूँजीगत-दत्तमत							
9.	11-विविध सामाजिक सेवाएँ	2012-13	8.32	6.73	1.59	19.1	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2013-14	9.68	8.06	1.62	16.7	विकास प्राधिकरण एवं पुरातत्व विभाग के आक्षेप के कारण वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित ग्यारह कार्य प्रारम्भ नहीं हुए तथा चुनाव आचार संहिता के कारण कार्यादेश जारी नहीं किया जाना।
		2014-15	23.15	6.86	16.29	70.4	नवीन कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने में विलम्ब तथा पीडीकोर द्वारा मास्टर

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखे में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
							प्लान तैयार करने के लिए सलाहकार चयन न करने के कारण 32 मंदिरों हेतु कार्यों का निष्पादन न होना।
10.	19-लोक निर्माण कार्य	2012-13	512.57	376.86	135.71	26.5	कार्यों की धीमी प्रगति/कम निष्पादन के कारण।
		2013-14	796.83	519.09	277.74	34.9	
		2014-15	1,397.65	709.61	688.04	49.23	कार्यों के कम निष्पादन एवं लोक निर्माण विभाग पर कार्यभार की अधिकता के कारण निर्माण कार्य पूर्ण न होना। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
11.	23-श्रम तथा रोजगार	2012-13	5.10	3.72	1.38	27.1	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के मानक अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु भवन किराये पर उपलब्ध न होना।
		2013-14	5.47	2.60	2.87	52.5	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2014-15	4.42	1.54	2.88	65.2	फर्मों द्वारा सम्पूर्ण आदेश की आपूर्ति न करना, फर्मों द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों को निरस्त किया गया क्योंकि सामग्री की विशिष्टता आपूर्ति आदेश के अनुसार नहीं करने तथा डी.जी.एस. एण्ड डी. संविदा दर पर सामग्री उपलब्ध न होना।
12.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2012-13	104.46	85.26	19.20	18.4	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2013-14	79.21	31.24	47.97	60.6	नये राजकीय महाविद्यालय हेतु भूमि का आवंटन नहीं होना तथा 70 पुस्तकालय भवनों में से मात्र 58 पुस्तकालय भवनों हेतु भूमि उपलब्ध करवाना। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
		2014-15	53.67	25.20	28.47	53.05	नये पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के निर्माण हेतु कार्यों का कम निष्पादन, मशीनरी क्रय नहीं करना तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा तीन महाविद्यालयों के नये पाठ्यक्रमों का अनुमोदन नहीं करना। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
13.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2012-13	188.70	121.63	67.07	35.5	निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने/विलम्ब से होने के कारण उपकरणों की खरीद नहीं किया जाना तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों का कम निष्पादन। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
		2013-14	185.97	143.17	42.80	23.0	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2014-15	346.25	223.28	122.97	35.5	कार्यों की धीमी प्रगति, 1,079 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी नहीं करना, नाबार्ड द्वारा ऋणों के समक्ष कम राशि प्राप्त होना तथा भारत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखे में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
							सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना।
14.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2012-13	1,169.89	975.95	193.94	16.6	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2013-14	1,460.01	1,045.02	414.99	28.4	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना।
		2014-15	1,280.91	707.49	573.42	44.8	संविदाएँ निरस्त करने, भूमि उपलब्धता में देरी एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रेल्वे क्रॉसिंग के निपटान में देरी के कारण सीवरेज क्षेत्र में निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति रही। पदों का रिक्त रहना, आयोजना सीमा के कटौती एवं निर्माण स्थल की भूमि में बदलाव करना।
15.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2012-13	1,240.46	1,008.19	232.27	18.7	निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति/प्रारम्भ न होना/निष्पादन न होना तथा विद्युत् कम्पनियों में कम निवेश होना।
		2013-14	1,822.66	1,599.82	222.84	12.2	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2014-15	2,732.48	2,116.63	615.85	22.5	नाबार्ड आधारित योजनान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी नहीं करना, कार्यों का कम निष्पादन/अनिष्पादन तथा भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना/कम प्राप्त होना।
16.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2012-13	159.15	73.38	85.77	53.9	कार्यों का कम निष्पादन/अनिष्पादन तथा निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृति जारी नहीं करना।
		2013-14	84.36	73.15	11.21	13.3	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2014-15	301.82	45.84	255.98	84.8	भूमि आवंटन में विलम्ब के परिणामस्वरूप सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दो आवासीय विद्यालयों में निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
17.	46-सिंचाई	2012-13	811.29	582.32	228.97	28.2	कार्यों का कम निष्पादन।
		2013-14	1,108.51	829.33	279.18	25.2	
		2014-15	1,165.59	953.91	211.68	18.2	

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8: पृष्ठ 91)

प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुये

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व-दत्तमत					
1.	5-प्रशासनिक सेवाएँ	135.15	128.10	7.05	6.53
2.	6-न्याय प्रशासन	567.37	539.03	28.34	9.07
3.	7-निर्वाचन	355.51	336.60	18.91	2.42
4.	8-राजस्व	633.60	579.05	54.55	6.41
5.	12-अन्य कर	443.20	434.14	9.06	73.13
6.	19-लोक निर्माण कार्य	411.61	372.60	39.01	7.71
7.	20-आवास	69.26	62.48	6.78	8.06
8.	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	477.18	310.30	166.88	117.52
9.	41-सामुदायिक विकास	5,065.56	4,457.14	608.42	28.03
10.	43-खनिज	109.13	102.47	6.66	87.85
पूँजीगत-दत्तमत					
11.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2,306.93	2,116.63	190.30	425.55
12.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2,712.86	2,551.98	160.88	336.58
राजस्व-प्रभारित					
13.	ब्याज अदायगियों	10,470.36	10,462.89	7.47	54.82
14.	लोक सेवा आयोग	24.11	19.77	4.34	4.68
योग		23,781.83	22,473.18	1,308.65	1,168.36

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.9: पृष्ठ 92)

निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अंतिम आधिक्य/बचत ₹ 1 करोड़ से अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत (-)
निधियों का अपर्याप्त पुनर्विनियोजन					
1.	15	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-101-01 राज्य कर्मचारियों को पेंशन	(-) 184.00	(-) 15.64
2.	21	सड़के एवं पुल	3054-80-797-03 केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण (100% केन्द्र)	(+) 18.39	(+) 39.88
3.			3054-02-337-01-01 सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से संधारण एवं जीर्णोद्धार	(-) 84.14	(+) 12.88
4.			5054-03-337-04 सड़को के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान	(+) 43.61	(+) 1.15
5.	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	4217-60-050-03 राजस्थान अरबन सैक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आर.यू.एस.डी.आई.पी) आर.यू.आई.डी.पी. द्वितीय चरण (ई.ए. पी) निर्माण कार्य	(-) 65.78	(-) 12.49
6.	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-60-196-01-05 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	(-) 20.73	(-) 3.28
7.	46	सिंचाई	4700-24-001-03-01 राजस्थान में निर्माण कार्य	(-) 64.90	(-) 1.07
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन					
8.	46	सिंचाई	2700-05-001-01-01 इंदिरा गांधी नहर फीडर	(+) 2.01	(-) 2.26
9.			2700-24-800-01 नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक) में अन्य व्यय	(+) 3.69	(-) 9.66
निधियों का अत्यधिक पुनर्विनियोजन					
10.	15	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-102 पेंशन का सारांशिकृत मूल्य	(+) 76.00	(-) 1.38
11.	24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-02-109-01 लड़कों के विद्यालय-राजकीय माध्यमिक विद्यालय	(+) 27.04	(-) 1.25

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत (-)
12.	27	पेय जल योजना	4215-01-102-03-05 मुख्य शीर्ष 2215-जलपूर्ति और सफाई-01-102 से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण प्रतिशतता व्यय (ओ. एण्ड एम.)	(+) 57.18	(-) 34.77
13.	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2700-27-796-04 माही परियोजना (वाणिज्यिक) में अन्य व्यय	(+) 3.04	(-) 2.38
14.	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-60-196-01-01 मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना	(+) 205.22	(-) 56.12
15.			2235-60-196-01-02 मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	(+) 7.94	(-) 2.43
16.			2235-60-196-01-03 मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना	(+) 15.95	(-) 6.40
17.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2210-05-789-01-01 चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर	(+) 3.43	(-) 2.20
18.			5054-04-789-12-01 विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना-ग्रामीण सम्पर्क सड़कें	(+) 4.67	(-) 3.54
योग					(-) 154.87 (+) 53.91

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.11: पृष्ठ 92)

31 मार्च 2015 को ₹ 20 करोड़ से अधिक की बचतों के अभ्यर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि
1.	ब्याज अदायगियों	2049	10,525.18	61.14
2.	3-सचिवालय	2052, 2251, 3451	250.67	22.89
3.	4-जिला प्रशासन	2053	383.54	35.19
4.	6-न्याय प्रशासन	2014	576.44	37.14
5.	8-राजस्व	2029, 2052	640.01	60.82
6.	9-वन	2406	747.86	116.73
7.		4406	223.41	84.69
8.	11-विविध सामाजिक सेवाएँ	2250, 3425, 3435	113.73	42.46
9.	12-अन्य कर	2030, 2041, 2045, 3055	516.33	81.29
10.		5055, 7055	374.78	300.00
11.	14-बिक्री कर	2040	654.02	51.98
12.	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071	9,895.11	251.59
13.	16-पुलिस	2055, 2070	3,850.99	84.81
14.	18-जन सम्पर्क	2220	77.94	28.34
15.	19-लोक निर्माण कार्य	2059	419.32	46.74
16.		4055, 4059, 4070, 4202, 4210, 4220, 4225, 4235, 4250, 4403, 4515, 4700, 4853, 5475	1,397.65	698.21
17.	21-सड़कें एवं पुल	3054	1,721.39	184.10
18.		4851, 4853, 5054, 7075	3,281.25	887.62
19.	22-क्षेत्र का विकास	4575, 4705	348.13	90.32
20.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2070, 2202, 2203, 2204, 2205	19,318.57	2,745.93
21.		4202, 6202	53.67	29.00
22.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210, 2211, 3606	6,251.69	1,169.00
23.		4210, 6210	346.25	122.96
24.	27-पेय जल योजना	2215	2,501.77	92.48
25.		4215	3,573.71	207.20
26.	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501, 2515, 2810	594.70	284.40
27.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2216, 2217, 3055	2,863.76	564.54
28.		4217, 5055, 6217	1,280.91	560.93
29.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2014, 2029, 2055, 2059, 2202, 2203, 2204, 2205, 2210, 2211, 2216, 2217, 2220, 2225, 2230, 2235, 2236, 2401, 2402, 2403, 2405, 2406, 2415, 2425, 2501, 2505, 2515, 2700, 2702, 2705,	6,352.64	1,217.03

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि
		2801, 2810, 2851, 2852, 2853, 3055, 3425, 3435, 3451, 3452, 3454, 3456, 3475, 3604		
30.		4058, 4059, 4202, 4210, 4215, 4217, 4220, 4225, 4235, 4236, 4250, 4401, 4402, 4405, 4406, 4425, 4515, 4575, 4700, 4701, 4702, 4705, 4801, 4853, 4885, 5054, 5452, 5475, 6216, 6408, 6885, 7055	2,732.48	614.93
31.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2202, 2225, 2230, 2235, 2236	5,592.13	163.93
32.		4225, 4235, 4236, 6225, 6235	301.82	246.72
33.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245	2,438.92	126.02
34.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएँ	2047, 3454, 3475	847.72	449.46
35.	37-कृषि	2401, 2415, 2435	1956.80	406.24
36.		4401, 6401, 6408	429.96	120.02
37.	39-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	2403, 2404, 2405, 2415	632.06	120.42
38.	41-सामुदायिक विकास	2515	5,093.59	636.30
39.	42-उद्योग	4851, 4885, 6851, 6860, 6885	20.22	20.11
40.	43-खनिज	2802, 2853	196.98	87.03
41.		4802, 4853, 6802	103.56	103.20
42.	46-सिंचाई	2700, 2701, 2702	1,814.74	109.43
43.		4700, 4701, 4702, 4711	1,165.59	206.97
44.	48-विद्युत	2801, 2810	10,384.96	1,270.56
45.		4801, 4810, 6801	3,600.00	532.87
46.	49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	3604	80.53	80.40
47.	50-ग्रामीण रोजगार	2505, 2515	3,611.45	1,221.60
48.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2014, 2029, 2055, 2056, 2059, 2202, 2203, 2204, 2205, 2210, 2211, 2216, 2217, 2225, 2230, 2235, 2236, 2401, 2402, 2403, 2405, 2406, 2425, 2501, 2505, 2515, 2701, 2702, 2705, 2801, 2810, 2851, 2852, 2853, 3055, 3425, 3451, 3452, 3454, 3456, 3475, 3604	6,164.27	1651.55
49.		4055, 4059, 4202, 4210, 4215, 4217, 4220, 4225, 4235, 4236, 4250, 4401, 4402, 4406, 4425, 4515, 4575, 4700, 4701, 4702, 4705, 4711, 4801, 4853, 4885, 5054, 5452, 5475, 6216, 7055	3,049.44	487.74
		योग	1,29,352.64	18,815.03

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.11: पृष्ठ 93)

₹ 1 करोड़ से अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पित रहने से शेष रही बचतें
राजस्व-दत्तमत				
1.	7-निर्वाचन	21.33	18.81	2.52
2.	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	266.14	251.59	14.55
3.	16-पुलिस	87.14	84.81	2.33
4.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2,748.25	2,745.93	2.32
5.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	1,170.24	1,169.00	1.24
6.	27-पेय जल योजना	98.50	92.48	6.02
7.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	1,222.56	1,217.03	5.53
8.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	233.27	163.93	69.34
9.	37-कृषि	409.89	406.24	3.65
10.	43-खनिज	94.51	87.03	7.48
11.	46-सिंचाई	111.86	109.43	2.43
12.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,654.42	1,651.55	2.87
पूंजीगत-दत्तमत				
13.	9-वन	88.49	84.69	3.80
14.	27-पेय जल योजना	265.69	207.20	58.49
15.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	573.42	560.93	12.49
16.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	255.98	246.72	9.26
17.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएँ	5.88	4.58	1.30
18.	42-उद्योग	101.86	20.11	81.75
19.	43-खनिज	108.21	103.20	5.01
20.	46-सिंचाई	211.68	206.97	4.71
21.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	497.46	487.74	9.72
राजस्व-प्रभारित				
22.	ब्याज अदायगियों	62.28	61.14	1.14
	योग	10,289.06	9,981.11	307.95

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.12: पृष्ठ 93)

एक-मुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ अभ्यर्पण प्रत्येक प्रकरण में ₹ 15 करोड़ से अधिक तथा साथ ही कुल बजट प्रावधानों के 50 प्रतिशत से अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की दर
1.	8	राजस्व	2029-103-07 राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	56.80	48.97	86.2
2.	9	वन	2406-02-110-01 बाघ परियोजना, रणथम्भौर	40.19	29.69	73.9
3.			2406-02-110-02 बाघ परियोजना, सरिस्का	26.30	22.46	85.4
4.	11	विविध सामाजिक सेवाएँ	3435-03-102-04 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	28.58	24.03	84.1
5.	12	अन्य कर	5055-190-07 सुधार सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य बस अड्डा सेवा निगम को हस्तान्तरित की गई परिसमत्वियों के विरुद्ध राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को अंशपूजी	360.00	300.00	83.3
6.	16	पुलिस	4055-211-01-90 पुलिस आवास-निर्माण कार्य	16.98	16.15	95.1
7.	19	लोक निर्माण कार्य	4059-80-051-04-01 मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	54.88	35.90	65.4
8.			4059-80-051-06 सामान्य भवन (पुलिस आधुनिकीकरण के तहत बनने वाले भवन)	51.77	40.92	79.0
9.			4210-03-105-02-90 चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर-निर्माण कार्य	61.74	32.77	53.1
10.			4210-03-105-03-90 चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर-निर्माण कार्य	45.12	23.20	51.4
11.			4210-03-105-06-90 चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा-निर्माण कार्य	36.64	23.93	65.3
12.			4250-203-02-90 रोजगार-प्रशिक्षण-निर्माण कार्य	20.39	17.02	83.5
13.	21	सड़कें एवं पुल	3054-03-337-01-06 परिणाम एवं निष्पादन आधारित सड़क मरम्मत अनुबन्ध (ओ.पी.आर.सी.)	20.00	20.00	100.0
14.			3054-04-800-01-05 परिणाम एवं निष्पादन आधारित सड़क मरम्मत अनुबन्ध (ओ.पी.आर.सी.)	20.00	20.00	100.0
15.	21	सड़कें एवं पुल	3054-04-800-02-07 परिणाम एवं निष्पादन आधारित सड़क मरम्मत अनुबन्ध (ओ.पी.आर.सी.)	60.00	60.00	100.0
16.			5054-03-337-10 थनजी जन सहभागिता (पी.पी.पी.) से सड़कों का निर्माण	221.24	216.63	97.9
17.			5054-04-800-11-16 सड़क उन्नयन परियोजना (विंशतित्म)	125.44	111.24	88.7
18.	22	क्षेत्र का विकास	4705-108-01-01 भूमि विकास कार्य (भाखड़ा सिंचाई परियोजना)	16.82	16.82	100.0

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की दर
19.	24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-02-109-08-01 बालिका छात्रावास-सामान्य व्यय	66.85	48.15	72.0
20.			2202-02-109-09-01 मॉडल स्कूल-सामान्य व्यय	206.06	128.10	62.2
21.			2202-02-109-11 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरण	40.62	31.35	77.2
22.			2202-02-109-18 राजकीय माध्यमिक विद्यालय-आई.सी.टी.	36.25	23.05	63.6
23.			2202-02-109-23 लैपटॉप वितरण	49.42	49.42	100.0
24.	26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210-05-105-03-01 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	134.91	111.73	82.8
25.			2210-06-101-21 राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम	51.46	30.46	59.2
26.			2211-800-03-03 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	203.09	150.21	74.0
27.			4210-02-800-02-01 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण	106.34	71.91	67.6
28.	28	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-06-196-06-01 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-अनुदान	100.50	100.50	100.0
29.	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-190-02-02 जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	46.20	25.05	54.2
30.			2217-80-191-28 तेरहवें वित्त आयोग के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान	41.59	41.59	100.0
31.			2217-80-192-01-01 निर्बन्ध अनुदान	22.74	22.74	100.0
32.			2217-80-192-22-01 छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना (10:10:80)-विकास कार्य	317.43	188.48	59.4
33.	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-80-192-29 तेरहवें वित्त आयोग के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान	102.31	102.31	100.0
34.			4217-03-800-03-01 स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से विकास कार्य	207.85	167.68	80.7
35.			4217-04-800-01 एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती विकास योजना	78.56	64.16	81.7
36.			6217-60-190-03-01 एशियन विकास बैंक से ऋण	150.00	82.66	55.1
37.	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202-02-109-09-03 अनुसूचित जनजातियों के लिए मॉडल विद्यालय	47.61	32.35	67.9
38.			2211-796-07-03 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	37.72	27.90	74.0
39.			2217-80-192-22-03 छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना-विकास कार्य	62.44	44.61	71.4
40.			2225-02-796-17-18 सहरियाओं के लिए एकीकृत विकास परियोजना	32.29	26.10	80.8
41.			2501-05-196-06-02 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-अनुदान	40.00	40.00	100.0
42.			2515-196-26-02 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान-कार्यकलाप/गतिविधियाँ	53.71	31.40	58.5

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की दर
43.			3454-02-796-02-02 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत यू.आई.डी. परियोजना	16.39	16.39	100.0
44.			3454-02-796-05-01 भामाशाह योजना, 2014-आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	65.58	35.58	54.3
45.			4210-02-796-03-01 स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण	19.74	19.74	100.0
46.			4700-24-796-01 नर्मदा परियोजना (वाणिज्यिक)-जनजातीय क्षेत्र उपयोग-निर्माण कार्य	29.45	18.44	62.6
47.			4702-796-03-01 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम-निर्माण कार्य	20.00	15.62	78.1
48.			5054-04-796-06-09 सड़क उन्नयन परियोजना (विंशतित्म)	21.02	20.10	95.6
49.	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4225-03-800-01-03 देवनारायण आवासीय विद्यालयों का निर्माण	57.86	41.29	71.4
50.			4236-02-800-09 आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	180.17	170.76	94.8
51.	35	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएँ	3454-02-203-01-04 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत यू.आई.डी. परियोजना	83.41	83.41	100.0
52.	37	कृषि	2401-109-16-01 राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन	25.71	19.60	76.2
53.			2401-196-06-22 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज	42.53	29.54	69.5
54.			2401-196-06-25 राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि विस्तार	25.17	18.07	71.8
55.			2401-196-06-28 टिकाऊ खेती मिशन-बारानी क्षेत्र विकास	32.28	31.42	97.3
56.			2401-800-31-01 राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना-कृषि विभाग के माध्यम से	27.60	25.60	92.8
57.			2401-800-35-02 मूदा स्वास्थ्य प्रबन्धन	15.89	15.89	100.0
58.	39	पशुपालन एवं चिकित्सा	2403-106-02-01 गौशालाओं को अनुदान	58.65	40.62	69.3
59.			2404-195-01 राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ को सहायता	16.54	15.39	93.0
60.	41	सामुदायिक विकास	2515-102-01-07 वित्तीय सशक्तिकरण योजना-सामान्य सेवा प्रदाता को भुगतान	25.00	25.00	100.0
61.			2515-196-28-02 राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान-कार्यकलाप/गतिविधियाँ	49.46	46.35	93.7
62.			2515-197-09-03 जनता जल योजनान्तर्गत संधारण	34.00	29.27	86.1
63.			2515-198-27-01 राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की सुरक्षा हेतु अनुबन्ध के कार्मिकों के मानदेय हेतु-संस्थापन	20.00	20.00	100.0
64.	42	उद्योग	4885-60-800-23-01 दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर	20.00	19.99	99.9
65.	43	खनिज	2853-02-797-01 लेखा मद 8229-200(07) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार	44.94	37.12	82.6

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की दर
66.			2853-02-800-01-02 माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से संबंधित व्यय-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	34.61	28.59	82.6
67.			4802-02-190-03 एच.पी.सी.एल.-राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	102.10	102.10	100.0
68.	48	विद्युत्	2801-80-190-35-01 जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान	500.73	253.39	50.6
69.			2801-80-190-35-02 जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान	490.49	261.75	53.4
70.	48	विद्युत्	2801-80-190-35-03 अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान	588.72	304.07	51.6
71.			2810-102-01-01 राजस्थान अक्षय उर्जा निगम लिमिटेड के माध्यम से	71.00	71.00	100.0
72.			2810-190-01-01 सोलर रूफ टॉप पावर जनरेशन योजना	21.00	21.00	100.0
73.	49	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	3604-198-01 राजस्थान वित्त आयोग की अनुशंसा पर रॉयल्टी में पंचायतों को हिस्सा	80.00	80.00	100.0
74.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2202-02-107-14 सफाई कार्य करने वाले परिवार के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	33.42	21.32	63.8
75.			2202-02-109-09-02 अनुसूचित जातियों के लिए मॉडल विद्यालय	81.76	61.98	75.8
76.			2210-03-197-03-01 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	25.13	21.70	86.4
77.			2211-789-03-03 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	49.32	36.48	74.0
78.			2217-80-192-22-02 छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना-विकास कार्य	82.65	59.06	71.5
79.			2225-01-196-12 संबल ग्रामों का विकास	39.70	32.53	81.9
80.			2401-789-02-05 प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (20% राज्यांश : 80% केंद्रीयंश)	32.32	26.64	82.4
81.			2401-789-02-12 सोलर पम्प सैट पर अतिरिक्त अनुदान	19.07	19.07	100.0
82.			2403-789-02-01 गौशालाओं को अनुदान	18.15	18.15	100.0
83.			2501-06-196-06-03 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-अनुदान	60.00	60.00	100.0
84.			2505-01-196-01-04 इंदिरा आवास योजना-अनुदान (राज्यांश)	249.85	132.31	53.0
85.			2810-789-01-01 राजस्थान अक्षय उर्जा निगम लिमिटेड के माध्यम से	17.00	17.00	100.0
86.			3454-02-789-01-02 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत यू.आई.डी. परियोजना	21.61	21.61	100.0
87.			3454-02-789-05-01 भामाशाह योजना, 2014-आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	92.94	51.94	55.9
88.			4217-04-789-01 एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती विकास योजना	20.90	17.60	84.2
89.			5054-03-789-04-90 राज्य सड़क विकास निधि को पोषित सड़के (राज्य राजमार्ग)-निर्माण कार्य	34.65	21.65	62.5
योग				7,197.35	5,237.77	72.8

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.13: पृष्ठ 93)

वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण का विवरण (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पण
1	2	3	4	5
राजस्व-दत्तमत				
1	20-आवास	14.84	17.45	2.61
2	21-सड़कें एवं पुल	93.07	184.10	91.03
पूँजीगत-दत्तमत				
3	19-लोक निर्माण कार्य	688.04	698.21	10.17
4	21-सड़कें एवं पुल	881.43	887.62	6.19
	योग	1,677.38	1,787.38	110.00

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ अनुच्छेद 2.4: पृष्ठ 99)

प्रावधान के विरुद्ध कोई व्यय नहीं होने का विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष की संख्या नाम	आ./केप्रयो ⁹	वर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण	पुनर्विनियोजन	विभागीय उत्तर
1.	2202-सामान्य शिक्षा 01-प्रारम्भिक शिक्षा 111-सर्व शिक्षा अभियान 05-डी.पी.ई.पी. कार्योत्तर गतिविधियाँ	आ.	2013-14	10.00	10.00	-	डी.पी.ई.पी. योजना शीघ्र बन्द होना।
2.	2202-सामान्य शिक्षा 01-प्रारम्भिक शिक्षा 800-अन्य व्यय 17-लैपटॉप वितरण	आ.	2012-13	21.00	-	21.00	राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया।
3.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 107-छात्रवृत्तियाँ 12-सफाई कार्य करने वाले परिवार के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	केप्रयो	2012-13	17.80	-	17.80	भारत सरकार से स्वीकृत निधि प्राप्त नहीं होना।
4.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 02-बालिका विद्यालय	केप्रयो	2012-13	5.10	-	5.10	भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होना।
5.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 08-बालिका छात्रावास 01-बालिका छात्रावास-सामान्य व्यय	केप्रयो	2012-13	50.66	-	50.66	भारत सरकार से स्वीकृत निधियाँ प्राप्त नहीं होना।
6.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 800-अन्य व्यय 21-आवासीय विद्यालय	आ.	2012-13	1.40	-	1.40	योजनानुसार व्यय नहीं होना।
7.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 800-अन्य व्यय 22-माध्यमिक विद्यालयों को फर्नीचर सुविधा	आ.	2013-14	21.40	21.40	-	आयोजना सीमा में संशोधन होना।

⁹ आ.: आयोजना, के.प्र.यो.: केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजना।

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष की संख्या नाम	आ./केप्रयो ⁹	वर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण	पुनर्विनियोजन	विभागीय उत्तर
8.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 23-लैपटॉप वितरण	आ.	2014-15	49.42	49.42	-	31 मई 2015 तक निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होना।
9.	2202-सामान्य शिक्षा 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102-विश्वविद्यालय को सहायता 08-कोटा विश्वविद्यालय को अनुदान	आ.	2012-13	1.00	-	1.00	राशि का आवंटन नहीं होना।
10.	2202-सामान्य शिक्षा 04-प्रौढ़ शिक्षा 200-अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 02-साक्षर भारत अभियान	आ.	2012-13	5.50	-	5.50	केन्द्रयांश प्राप्त नहीं होना।
11.	2203-तकनीकी शिक्षा 104-अराजकीय तकनीकी महाविद्यालयों तथा संस्थानों को सहायता 04-माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाईल संस्थान, भीलवाड़ा	आ.	2014-15	1.30	1.30	-	राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया।
12.	2205-कला एवं संस्कृति 102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन 13-रवीन्द्र मंच	आ.	2013-14	4.75	4.75	-	राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया।
13.	2205-कला एवं संस्कृति 103-पुरातत्व विज्ञान 03-सवाई मान सिंह टॉउन हॉल में अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना	आ.	2013-14	11.50	11.50	-	कार्यकारी अभिकरण 'आमेर विकास एवं प्रबन्ध प्राधिकरण' द्वारा निधियों का उपयोग नहीं करना।
		आ.	2014-15	11.50	11.50	-	
		केप्रयो	2013-14	3.50	3.50	-	
14.	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 203-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 04-कॉलेज शिक्षा 01-भवन (प्रतिशतता प्रभार सहित)	आ.	2013-14	6.51	6.51	-	राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया।
15.	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 04-कला एवं संस्कृति 106-संग्रहालय 05-सवाई मान सिंह टॉउन हॉल एवं जलेब चौक में अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हेतु	आ.	2012-13	10.00	-	10.00	राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया।

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ अनुच्छेद 2.6: पृष्ठ 101)

वर्ष 2014-15 तक बकाया विस्तृत आकस्मिक बिलों की स्थिति

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष	एसी बिलों की संख्या	राशि
1.	2013	2014-15	1	0.25
		योग	1	0.25
2.	2014	2013-14	1	0.50
		2014-15	2	1.00
		योग	3	1.50
3.	2015	2014-15	3	4.98
		योग	3	4.98
4.	2029	2007-08	1	292.18
		2010-11	1	26.60
		2011-12	4	325.30
		2013-14	8	192.41
		2014-15	2	0.74
		योग	16	837.23
5.	2039	2014-15	1	5.46
		योग	1	5.46
6.	2040	2014-15	2	22.91
		योग	2	22.91
7.	2051	2014-15	1	5.00
		योग	1	5.00
8.	2052	2011-12	2	11.13
		2012-13	2	2.50
		2013-14	1	3.95
		2014-15	3	23.09
		योग	8	40.67
	2053	2014-15	1	0.38
		योग	1	0.38
9.	2055	2012-13	3	191
		2013-14	3	0.90
		2014-15	21	320.51
		योग	27	512.41
10.	2059	2011-12	1	1.64
		योग	1	1.64
11.	2070	2013-14	2	15.54
		2014-15	6	25.54
		योग	8	41.08
12.	2202	1989-90	2	0.60
		1990-91	3	0.41
		1991-92	3	0.96
		1992-93	4	0.86
		1996-97	1	0.08
		1997-98	1	0.68
		2013-14	1	225.00
		2014-15	1	0.44
		योग	16	229.03
		13.	2204	2014-15
योग	5			13.82
14.	2205	2012-13	1	11.23
		2014-15	2	75.90
		योग	3	87.13
15.	2210	2011-12	4	73.44
		2012-13	2	56.32
		2013-14	10	254.44
		2014-15	27	750.87
		योग	43	1,135.07
16.	2215	2010-11	2	0.38
		2013-14	1	0.23

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष	एसी बिलों की संख्या	राशि
		2014-15	3	0.45
		योग	6	1.06
17.	2217	2014-15	8	23.09
		योग	8	23.09
18.	2225	2014-15	1	6.00
		योग	1	6.00
19.	2235	2013-14	1	1.50
		योग	1	1.50
20.	2245	2002-03	2	18.80
		2006-07	2	80.14
		2008-09	1	19.01
		2010-11	4	124.90
		2011-12	1	1.00
		2012-13	4	122.94
		2013-14	15	7,022.76
		2014-15	52	16,332.50
		योग	81	23,722.05
21.	2403	2013-14	3	0.45
		2014-15	14	28.24
		योग	17	28.69
22.	2406	2012-13	2	0.80
		2014-15	1	0.55
		योग	3	1.35
23.	2515	2008-09	1	11.29
		2013-14	1	0.21
		2014-15	55	361.12
		योग	57	372.62
24.	2701	2014-15	2	3.77
		योग	2	3.77
25.	2851	2013-14	1	3.03
		2014-15	3	2.00
		योग	4	5.03
26.	2853	2012-13	1	150.00
		2013-14	1	24.00
		2014-15	1	2.54
		योग	3	176.54
27.	3054	2014-15	4	497.93
		योग	4	497.93
28.	3425	2014-15	2	1.68
		Total	2	1.68
29.	3452	2014-15	7	12.31
		योग	7	12.31
30.	3454	2000-01	2	4.57
		2014-15	2	8.85
		योग	4	13.42
31.	4059	2011-12	8	20.00
		योग	8	20.00
32.	4202	1990-91	1	0.30
		1992-93	1	0.24
		2005-06	1	4.20
		योग	3	4.74
33.	4210	2012-13	4	207.59
		2013-14	1	185.00
		2014-15	7	409.35
		योग	12	801.94
34.	4250	2014-15	2	190.00
		योग	2	190.00
35.	4700	2014-15	1	6.36
		योग	1	6.36
36.	4853	2012-13	1	30.00
		योग	1	30.00
37.	5054	2000-01	2	34.50
		योग	2	34.50
	कुल योग		368	28,893.14

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), राजस्थान द्वारा संकलित सूचना।

परिशिष्ट 3.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 105)

30 जून 2015 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग	अनुदान भुगतान का वर्ष	भुगतान किया गया कुल अनुदान		उपयोगिता प्रमाण-पत्र			
			संख्या	राशि	प्राप्त		बकाया	
					संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	परिवार कल्याण (2211)	2007-08	1	486.00	0	347.68	1	138.32
		2008-09	1	489.00	0	306.41	1	182.59
		2009-10	5	508.97	4	310.12	1	198.85
योग			7	1,483.97	4	964.21	3	519.76
2.	समाज कल्याण (2225)	2004-05	308	235.47	307	223.75	1	11.72
		2013-14	2	2.07	2	2.07	0	0
योग			310	237.54	309	225.82	1	11.72
3.	समाज कल्याण (2235)	2013-14	124	2,899.03	100	2,853.55	24	45.48
योग			124	2,899.03	100	2,853.55	24	45.48
4.	पोषण (2236)	2013-14	5	98.14	4	78.57	1	19.57
योग			5	98.14	4	78.57	1	19.57
5.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (3425)	2009-10	55	84.65	38	51.32	17	33.33
		2010-11	35	176.76	22	144.06	13	32.70
		2011-12	38	752.67	14	267.76	24	484.91
		2012-13	43	1038.54	18	66.09	25	972.45
		2013-14	35	146.67	12	46.79	23	99.88
योग			206	2,199.29	104	576.02	102	1623.27
6.	पर्यावरण (3435)	1997-98	30	27.56	29	27.48	1	0.08
		1998-99	25	26.20	22	25.98	3	0.22
योग			55	53.76	51	53.46	4	0.30
महायोग			707	6,971.73	572	4,751.63	135	2,220.10

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), राजस्थान द्वारा संकलित सूचना।

परिशिष्ट 3.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 106)

निकायों एवं प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये

क्र. सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्त हुआ अनुदान (₹ लाख में)	पूर्व वर्षों के दौरान किया गया खर्च (₹ लाख में)
उच्च शिक्षा					
1.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	2	2012-14	6,300	17,247.87
2.	डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर	2	2012-14	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	महाराजा सूरजमल वृज विश्वविद्यालय, भरतपुर	2	2012-14	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	2	2012-14	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5.	राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय, उदयपुर	2	2012-14	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6.	पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर	2	2012-14	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	योग	12		6,300	17,247.87
माध्यमिक शिक्षा					
1.	श्री जगदम्बा मूक बधिर विद्यालय, श्रीगंगानगर	1	2013-14	89.39	98.16
	योग	1		89.39	98.16
तकनीकी शिक्षा					
1.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर	5	2009-14	103.00	310.92
	योग	5		103.00	310.92
श्रम					
1.	बाल श्रम परियोजना संस्था, बाड़मेर	11	2003-14	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	बाल श्रम परियोजना संस्था, बांसवाड़ा	2	2012-14	4.15	0.74
3.	बाल श्रम परियोजना संस्था, भरतपुर	10	2004 -14	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	बाल श्रम परियोजना संस्था, बून्दी	4	2010-14	118.37	112.80
5.	बाल श्रम परियोजना संस्था, चित्तौड़गढ़	1	2013-14	129.79	0.59
6.	बाल श्रम परियोजना संस्था, चुरू	3	2011-14	15.26	0.37
7.	बाल श्रम परियोजना संस्था, धौलपुर	1	2013-14	11.86	0.51
8.	बाल श्रम परियोजना संस्था, डुंगरपुर	2	2012-14	2.52	0.58
9.	बाल श्रम परियोजना संस्था, झालावाड़	1	2013-14	17.41	2.54
10.	बाल श्रम परियोजना संस्था, पाली	2	2012-14	12.45	3.10
11.	बाल श्रम परियोजना संस्था, श्रीगंगानगर	3	2011-14	0.01	1.24
12.	बाल श्रम परियोजना संस्था, उदयपुर	2	2012-14	78.83	2.63
	योग	42		390.65	125.10
उद्योग					
1.	निवेश संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर	1	2013-14	436.40	457.50
2.	आदित्य मिल्स लिमिटेड, अजमेर	1	2013-14	शून्य	85.26
3.	उद्यमिता एवं प्रबन्धन विकास संस्थान, जयपुर	2	2012-14	308.93	375.47
	योग	4		745.33	918.23
पर्यटन					
1.	राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान, जोधपुर	1	2013-14	534.00	223.00
	योग	1		534.00	223.00

क्र. सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्त हुआ अनुदान (₹ लाख में)	पूर्व वर्षों के दौरान किया गया खर्च (₹ लाख में)
कला एवं संस्कृति					
1.	भारतीय कॉफ्ट एवं डिजाइन संस्थान, जयपुर	2	2012-14	शून्य	285.77
2.	राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर	1	2013-14	100.20	100.80
3.	राजस्थान संगीत अकादमी, पावटा, जोधपुर	1	2013-14	172.00	229.96
4.	राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर	1	2013-14	76.93	80.51
5.	राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, बीकानेर	1	2013-14	79.95	66.45
	योग	6		429.08	763.49
आयुर्वेद					
1.	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	2	2012-14	980.00	501.93
	योग	2		980.00	501.93
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य					
1.	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	1	2013-14	847.50	627.25
	योग	1		847.50	627.25
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता					
1.	राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	2	2012-14	763.00	157.94
2.	राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर	1	2013-14	130.61	128.14
3.	राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	1	2013-14	4799.05	5455.29
4.	अफीम नशामुक्ति उपचार एवं प्रशिक्षण अनुसंधान न्यास, जोधपुर।	1	2013-14	23.12	57.00
	योग	5		5715.78	5798.37
जनजाति क्षेत्रीय विकास					
1.	स्वच्छता जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, उदयपुर	2	2012-14	1978.17	1298.31
	योग	2		1978.17	1298.31
महिला एवं बाल विकास					
1.	महिला एवं बाल विकास (ल्यूपिन) परियोजना, कुम्हेर, भरतपुर	2	2012-14	218.02	557.90
	योग	2		218.02	557.90
सामान्य प्रशासनिक विभाग					
1.	राजस्थान राज्य उड्डयन विद्यालय, सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर	2	2012-14	57.50	27.95
	योग	2		57.50	27.95
	कुल योग	85		18388.42	28498.48
				या ₹ 183.88 करोड़	₹ 284.99 करोड़

परिशिष्ट 3.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 107)

स्वायत्त निकायों के निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जहाँ तक लेखे प्राप्त हुये	अवधि जहाँ तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किये गये	विधानमण्डल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उपस्थापन	लेखों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	31.08.2015 तक विलम्ब की अवधि (माह में)
1.	राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल, जयपुर	2012-13 से 2016-17	2013-14	2013-14	22 फरवरी 2013 (2001-02 से 2009-10)	2014-15	02
2.	राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर	धारा 19(2) के अन्तर्गत	2013-14	2012-13	सूचित नहीं	2014-15	02
3.	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर	धारा 19(2) के अन्तर्गत	2013-14	2012-13	-उपरोक्त -	2014-15	02
4.	राजस्थान भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, जयपुर	धारा 19(2) के अन्तर्गत	2012-13	2012-13	-उपरोक्त -	2013-14 2014-15	14 02

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 3.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.9.4 एवं 3.4; पृष्ठ 52 एवं 108)

विभागीय वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में सरकारी निवेश एवं लेखाओं के अंतिमीकरण का विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	वर्ष जहाँ तक तक लेखाओं का अंतिमीकरण किया गया	विगत अंतिमीकरण किये लेखों के अनुसार निवेश ¹⁰	कुल संचित हानि
1	जेल विनिर्माण, अजमेर	2013-14	2.14	1.86
2	जेल विनिर्माण, अलवर	2012-13	0.63	0.63
3	जेल विनिर्माण, बीकानेर	2013-14	1.68	1.45
4	जेल विनिर्माण, जयपुर	2013-14	0.58	2.88
5	जेल विनिर्माण, जोधपुर	2013-14	2.20	1.94
6	जेल विनिर्माण, कोटा	2012-13	0.01	0.48
7	जेल विनिर्माण, उदयपुर	2013-14	2.03	1.47
8	वन कूपस का विभागीय व्यापार	2013-14	शून्य ¹¹	
9	तेन्दू पत्ता योजना	2013-14	शून्य ¹¹	
10	राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मंडल, जयपुर	2013-14	13,865.95	11,021.29
	योग		13,875.22	11,032.00

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

¹⁰ निवेश वित्तीय वर्ष जब तक कि लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका था के अंतिम दिन सरकार के स्थाई एवं चालू पूँजी लेखों के शेष का द्योतक है।

¹¹ सरकार का पूँजी निवेश शून्य है, क्योंकि उपक्रमों से प्रेषण सरकार द्वारा निवेशित राशि से अधिक थे।

परिशिष्ट 3.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 108)

दुर्विनियोजन, चोरी/हानि इत्यादि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार/अवधिवार विभाजन (प्रकरण जहां जून 2015 के अन्त तक अंतिम कार्यवाही लम्बित थी)

(प्रकरणों की संख्या)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष एवं अधिक	प्रकरणों की कुल संख्या
1.	राजस्व	28	13	23	09	01	01	75
2.	शिक्षा	54	64	25	13	11	09	176
3.	चिकित्सा	27	18	14	11	04	04	78
4.	लोक निर्माण	01	-	4	20	04	06	35
5.	जल संसाधन	01	03	5	01	-	02	12
6.	भू-जल	03	09	06	03	02	-	23
7.	सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना	-	01	03	04	02	-	10
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	02	08	05	03	-	01	19
9.	वन	04	-	01	04	01	-	10
10.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	32	64	84	48	30	23	281
11.	अन्य	64	44	39	17	14	11	189
	योग	216	224	209	133	69	57	908

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 3.6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 108)

सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि का विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	चोरी/हानि के प्रकरण		दुर्विनियोजन/गबन		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	राजस्व	33	181.46	42	969.20	75	1150.66
2.	शिक्षा	105	122.91	71	695.24	176	818.15
3.	चिकित्सा	33	57.85	45	443.95	78	501.80
4.	लोक निर्माण	09	5.51	26	459.76	35	465.27
5.	जल संसाधन	05	1.04	07	80.95	12	81.99
6.	भू-जल	20	39.11	03	5.09	23	44.20
7.	सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना	09	10.48	01	0.80	10	11.28
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	14	79.88	05	69.73	19	149.61
9.	वन	07	34.08	03	78.23	10	112.31
10.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	260	257.19	21	170.04	281	427.23
11.	अन्य	78	450.63	111	1467.49	189	1918.12
	योग	573	1240.14	335	4440.48	908	5680.62

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 3.7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 110)

वर्ष 2010-15 के दौरान असंचालित रहे निजी निक्षेप खातों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	31.3.2010 को शेष	2010-15 के दौरान		31.3.2015 को शेष
			प्राप्ति	भुगतान	
1.	निदेशक, वोकाटी अजमेर	0.36	शून्य	शून्य	0.36
2.	रॉफलस विश्वविद्यालय, नीमराणा, अलवर	5.00	शून्य	शून्य	5.00
3.	सयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, भरतपुर	0.13	शून्य	शून्य	0.13
4.	अधीक्षण अभियंता, शहरी आधारभूत विकास योजना, बीकानेर	5.00	शून्य	शून्य	5.00
5.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए उच्च शिक्षा एकेडमी, जयपुर, (सचिवालय)	3.17	शून्य	शून्य	3.17
6.	सचिव, पिछड़ा वर्ग संगठन, तहसील पोकरण, जैसलमेर	0.01	शून्य	शून्य	0.01
7.	कार्यकारी अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जालौर	1.70	शून्य	शून्य	1.70
8.	कार्यकारी अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, भीनमाल, जालोर	2.65	शून्य	शून्य	2.65
9.	श्रीधर विश्वविद्यालय, बीगोदाना, झुंझुनू	0.01	शून्य	शून्य	0.01
10.	आई.टी.आई. निर्माण केन्द्र, जोधपुर शहर	1.37	शून्य	शून्य	1.37
11.	कृषि उपज मंडी समिति, पीपाड़सिटी, जोधपुर (ग्रामीण)	- ¹²	शून्य	शून्य	- ¹²
12.	कार्यकारी अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, साउथ-डिवीजन, बाड़मेर	0.74	शून्य	शून्य	0.74
योग		20.14			20.14

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान द्वारा संकलित सूचना।

¹² मात्र ₹ 500.

परिशिष्ट 3.8

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.10; पृष्ठ 112)

मुख्य शीर्ष "8658-उच्च लेखे" के अन्तर्गत बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2012-13		2013-14		2014-15	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उच्च	10.43	0.57	26.62	0.91	47.00	1.37
निवल	(नामे) 9.86		(नामे) 25.71		(नामे) 45.63	
102-उच्च लेखा (सिविल)	3.82	(-) 0.01	2.00	(-) 0.03	2.26	0.19
निवल	(नामे) 3.83		(नामे) 2.03		(नामे) 2.07	
112-स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)-उच्च	-	25.89	-	52.03	-	39.40
निवल	(जमा) 25.89		(जमा) 52.03		(जमा) 39.40	
123-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	-	0.16	-	0.16	-	0.17
निवल	(जमा) 0.16		(जमा) 0.16		(जमा) 0.17	
129-सामग्री क्रय परिशोधन उच्च लेखा	-	(-) 2.09	-	2.23	-	(-) 3.13
निवल	(जमा) (-) 2.09		(जमा) 2.23		(जमा) (-) 3.13	
निवल योग	(जमा) 10.27		(जमा) 26.68		(नामे) 11.26	

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 4.1

पदों की पारिभाषिक शब्दावली

पद	गणना का आधार
पैमाने की उत्प्लावकता	पैमाने की वृद्धि दर/जीएसडीपी वृद्धि दर
एक पैमाने (क) की अन्य पैमाने (ख) से उत्प्लावकता	पैमाने (क) की वृद्धि दर/ पैमाने (ख) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि})-1]* 100$
विकासात्मक व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य सरकार द्वारा अदा किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताओं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि)/2]* 100
रोकड़ शेष के निवेश से प्राप्त औसत ब्याज	रोकड़ शेष निवेश से प्राप्त ब्याज/[(प्रारम्भिक शेष + रोकड़ शेष निवेश लेखे के अंतिम शेष)/2]* 100
ब्याज विस्तार	जीएसडीपी वृद्धि दर - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक* ब्याज विस्तार
बकाया ऋण से प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	प्राप्त ब्याज [(कर्जों तथा अग्रिमों का प्रारम्भिक शेष + कर्जों तथा अग्रिमों का अंतिम शेष)/2]* 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम- राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
पद	विवरण
चालू राजस्व शेष (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाइये समस्त आयोजना अनुदान तथा मुख्य शीर्ष "2048-ऋण घटाने अथवा परिहार्य हेतु विनियोजन" के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधानमण्डल द्वारा अधिकृत बजट अनुदानों के अन्तर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन में निधियों (मूल तथा अनुपूरक) की कुल राशि की तुलना में प्रत्येक के अन्तर्गत किये गये वास्तविक व्यय तथा प्रत्येक अनुदान या विनियोजन में अव्ययीत प्रावधानों अथवा अधिक को प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमण्डल द्वारा नियमन करवाया जाना अपेक्षित है।
स्वायत्तशापी निकाय	स्वायत्तशापी निकाय (सामान्यतः पंजीकृत समितियाँ अथवा सांविधिक निगम) का गठन तब किया जाता है जब-जब यह अनुभव किया जाता है कि निश्चित कार्य सरकार के ढाँचे से बाहर कुछ स्वतन्त्र और लचीलेपन के साथ बिना सरकार के रोज-रोज के हस्तक्षेप के पूरा करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राज्य सरकार का राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज अदायगियाँ, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन तथा अर्थ-सहाय्य शामिल हैं, जिन पर वर्तमान ढाँचे कार्यकारी का सीमित नियंत्रण है।
राज्य की कार्यकारी एजेन्सी	राज्य की कार्यकारी एजेन्सी में किसी संगठन/संस्थान के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठन भी शामिल है जिन्हें राज्य में विशिष्ट कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान के लिये राज्य क्रियान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इत्यादि के लिये राज्य स्वास्थ्य मिशन।
आकस्मिक निधि	विधानमण्डल द्वारा अग्रदाय की प्रकृति के रूप में विधि द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित की गई है जिसमें उस विधि द्वारा निर्धारित राशियाँ समय-समय पर प्रदान की जाती है तथा उक्त निधि राज्यपाल के अधिकार में रखी जाती है जो लम्बित अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा अनुच्छेद 116 के अधीन विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत उस व्यय के लिये उसके द्वारा अग्रिम के रूप में प्रदान की जाती है।

पद	गणना का आधार
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अधीन स्थापित निधि है जिसमें सभी प्राप्तियाँ, राजस्व एवं ऋण रखे जाते हैं। राज्य की समेकित निधि से सम्पूर्ण व्यय विनियोजन राजस्व या प्रभारित द्वारा होता है। इसके दो मुख्य प्रभाग हैं-राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूँजीगत लेखा (लोक ऋण एवं कर्जे इत्यादि)।
संदिग्ध दायित्व	संदिग्ध दायित्व किसी स्वतंत्र इकाई द्वारा भविष्य की घटना जैसे न्यायालय के प्रकरण के परिणाम, पर निर्भर करते हुए बनता/नहीं बनता है।
संचित निधि	एक निधि जिसमें सरकार अपने ऋणों को समाप्त करने के लिये अधिक समय के लिये अलग राशि रखती है।
गारंटी मोचन निधि	गारंटियाँ उधारकर्ता जिसे गारंटी दी गई है की चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयतायें हैं। गारंटी मोचन निधि के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को चाहिये कि भुनायी जाने योग्य बकाया गारंटियों के साथ वर्ष के दौरान दी गई उत्तरोत्तर गारंटियों के परिणामस्वरूप भुनाये जाने योग्य राशि का कम से कम 1/5 वाँ भाग के बराबर अंशदान देवें।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत में जनता से लिये गये नियमित ऋण शामिल हैं, जिसे "भारत में लिये गये ऋण" भी कहा जाता है। इसे सीमित ऋणों के रूप में समेकित निधि में जमा किया जाता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय से आशय उस राजस्व व्यय से है जिसमें ब्याज अदायगियाँ शामिल नहीं हैं।
पुनर्विनियोजन	विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से दूसरी ऐसी इकाई को निधियों का अन्तरण है।
अव्ययीत प्रावधान का अभ्यर्पण	राज्य सरकार के सभी विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोजनों में दृष्टिगत हुए सभी प्रत्याशित अव्ययीत प्रावधानों को, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व, वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है; वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय इन अभ्यर्पणों की स्वीकृति, जैसा उसके द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, लेखा अधिकारी तथा/अथवा लेखापरीक्षा अधिकारी जैसा भी मामला हो, को वित्त वर्ष समाप्त होने से पूर्व सम्प्रेषित करेगा।
अनुपूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष हेतु व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के लिए मूल बजट में अनपेक्षित किसी "नई सेवा" पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पैदा हो चुकी है, सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोजन प्राप्त करना होगा।
उच्चत एवं विविध	प्राप्ति एवं भुगतान की मर्दे जिन्हें तुरन्त किसी अन्तिम शीर्ष या प्रभार में सूचना की कमी जैसे उसकी प्रकृति या अन्य कारणों से प्रभारित नहीं किया जा सकता है, को अस्थायी तौर पर लेखों के सैक्टर 'एल' के "उच्चत एवं विविध" भाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "8658-उच्चत लेखा" में रखा जायेगा। (अग्रतर मार्गदर्शन के लिये लेखों के मुख्य/लघुशीर्षों की सूची के अन्तर्गत फुट नोट का संदर्भ लेंवें)। किसी सेवा प्राप्ति जिसका पूरा ब्यौरा न दिया गया हो को "उच्चत शीर्ष" में नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि उसे राजस्व मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत "अन्य प्राप्ति" लघु शीर्ष जिससे वह सम्बन्धित लगता हो में विस्तृत विवरण प्राप्त होने तक उसका अन्तरण सही शीर्ष में लम्बित रखते हुए, जमा किया जाना चाहिए।
जन लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य के वार्षिक वित्त लेखे से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के परीक्षण अथवा ऐसे अन्य लेखे अथवा वित्त सम्बन्धी प्रकरणों जो समिति के सम्मुख रखे जाते हैं या जिनकी समिति संवीक्षा करना आवश्यक समझती है, के लिए विधानमण्डल द्वारा गठित एक समिति है।